

DUe DATE SLIP

GOVT. COLLEGE, LIBRARY

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most.


BORROWER'S No	DUe DTATE	SIGNATURE

इन्द्ररमीजियेट के 'शिला' के विशाधियों के लिए निर्धारित पुस्तक

शिक्षा - ज्ञासत्र

[सिद्धांत, विधि, विधान तथा इतिहास]

Theory & Practice of Education
EMBODYING PRINCIPLES, METHODS, ORGANISATION
AND HISTORY OF EDUCATION IN INDIA



भूमिका लेखक

माननीय श्री मम्पूणनन्द जी, सचिव, उत्तर-प्रदेश

अन्यत्र

प्रो० सत्यनात सिद्धान्तालेकार
आचार्या चन्द्रावती लखनपाल,
एम०ए०, बी०टी० (एम०पी०)
'विद्या-विहार', १५ बलबीर रोड, देहरादून

प्रकाशिका तथा मन्य मिलने का पता—
आचार्य चंद्रावती लखनपाल एम. ए., बी. टी., (एम. पी.)
विद्या-विहार,
१५ वलचीर रोड, देहरादून।

मुद्रक—
सुमेष शुभार,
भास्कर प्रेस
देहरादून।

भूमिका

[लेखक—श्री सम्पूर्णनन्द जी, शिवां सचिव, उत्तर प्रदेश]

इस पुस्तक में 'शिवां शास्त्र' से सम्बन्ध रखने वाले कई सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक प्रश्नों का विवेचन किया गया है। आज शिवां प्रसार बड़े बेग में हो रहा है। सहस्रों व्यक्ति छोटे बड़े विद्यालयों में पढ़ाने का काम कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में स्वभावत शिवाण पे व्यावहारिक अगों को अधिक प्रधानता मिल जाती है। स्कूल का टाइम टेबुल कैसे बनाया जाय, पाठ्य बम बना हो, किस विषय के पढ़ाने की सबसे सरल और वैज्ञानिक रीति स्थापित करने कैसे और कितने घड़े बनाये जायें, अनुशासन कैसे रखा जाय, और रूपया कहाँ से लाया जाय—इन प्रश्नों के निवटारे में सारा समय चला जाता है। न सरकार, और न शिवारु को दूसरी बातों को ओर ध्यान देने का अवसर मिलता है। इन प्रश्नों को टाला भी नहीं जा सकता क्योंकि यदि इनका कुछ न बुझ उत्तर न हो, तो विद्यालय चल ही नहीं सकते।

परन्तु सैद्धान्तिक प्रश्नों को भी भुलाया नहीं जा सकता। कभी-न-कभी प्रत्येक विचारशील व्यक्ति के मन में यह प्रश्न उठता होगा—यह सत् क्यों ? हम परीक्षा तो लेते हैं, पर क्या सचमुच परीक्षा में प्रतिभा का पता चलता है ? एक व्यक्ति गणित में दूसरे डिवीयन

में उत्तीर्ण होता है, और दूसरा फारसी में प्रथम डिवीयन में, तौ क्या इसका यह अर्ध लगाया जा सकता है कि फारसी लेने वाला छात्र अधिक मेधावी है ? यदि परीक्षा से प्रतिभा की परत नहीं होती, तो फिर वह किस चीज़ की परिचायक है ? हम विभिन्न विषय पढ़ाते सो हैं, पर क्यों ? पढ़ कर क्या होगा ? यदि यह वहा जाय कि ज्ञान बढ़ता है, तो उस ज्ञान से क्या लाभ जिसना परिणाम आये दिन का महायुद्ध, भीपण नरसंहार, निरन्तर अशान्ति हो ? क्या ज्ञान इसीलिए उपाजित किया जाय कि मनुष्य अपना सामूहिक आत्मघात कर ले, या संस्कृति और सभ्यता का नाम मिटा दे ? यदि पढ़ने का उद्देश्य सफलता से जीवन निर्वाह है, तो सफलता किसे बहते हैं ? दूसरों की मुँह की रोटी ढीन कर खा लेना ही सफलता है ? यदि यही बात है, तो इसके लिए विश्वविद्यालय और पाठशाला वी क्या आवश्यकता है ? यह क्षम तो पोथी वी अपेक्षा लाठों से अच्छा सब सरता है ।

शिक्षक वा दार्यत्व बहुत बड़ा है, परन्तु वह उस दायिन्य को तभी पूरा कर सकता है जब अपने काम की तात्पुरता गहराई तक हूद्या जाय । प्रस्तुत पुरतक में न तो सब मैदानिक प्रश्नों वा उत्त्यापन किया है, न सब वा विवेचन, न सब शोराओं के निपावणण वा प्रवास किया गया है—इससे पुस्तक वा पलंगर बहुत बढ़ जाता, परन्तु मुख्य मुख्य प्रश्नों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है । जो विचारशील हैं उनको इसमें दूसरे विचारों के मतों वा शुद्ध आभास मिलेगा, और अधिक मनन और अध्ययन के किए प्रोत्साहन प्राप्त होगा ।

शिवा की समर्थ्या अप्रतव्र मगस्या नहीं है। उसको मुलाकाने के पहिले हमको यह निश्चित करना होगा कि मानव जीवन का पुरुषार्थ, परम लद्य क्या है। राजनीतिक, आर्थिक, साकृतिक, सामाजिक—हमारे सभी सवाल इससे सम्बद्ध हैं। कोई संगठन, कोई शिवा, कोई विधान, कोई व्यवस्था स्वयं साध्य नहीं हो सकती, वह साधन-मात्र हो सकती है। साध्य के स्थिर हो जाने के बाद ही साधन स्थिर हो सकता है। 'शिवा के उद्देश्य' पुस्तक का प्रथम अध्याय है। इन उद्देश्यों का समर्थन व्यष्ट्यात शिवा-शास्त्रियों ने किया है, परन्तु शिवा के उद्देश्य जीवन के उद्देश्य से भिन्न नहीं हो सकते, अत पुरुषार्थ का स्वरूप निरूपण करना होगा। भारतीय विद्वानों ने 'मोक्ष' को परम-पुरुषार्थ माना है, और उससे उत्तर कर 'धर्म' का। 'अर्थ' और 'काम' तो कीट-पतंग के सामने भी अव्यक्त रूप से रहते हैं। यदि यह बात मान ली जाय, तो फिर शिवा के सभी उपरुणों को तद्रूप करना होगा। यदि जीवन का लद्य मोक्ष है, और शिवा का लद्य व्यक्ति को मोक्ष साधन के योग्य बनाना है, तो फिर यह भी तय करना होगा कि घनधन व्या है, घद्द कोन है और कितना है, घन्थ कैसे ढोल्य किया जाय? यह विषय तो अध्यात्म शास्त्र, वेदान्त का प्रतीत होता है, परन्तु अध्यात्म-शास्त्र तो सभी शास्त्रों का मूल है। हम किसी बाहरी उपाय से लोगों को योगी, ब्रह्मज्ञानी नहीं बना सकते, परन्तु ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं जिसमें जीवन संभर्प—'स्ट्रूगल और एग्जिस्टेन्स'—की जगह सहयोग को दी जाय, और पढ़े पढ़े

‘परस्पर भावयन्त. प्रेयः परमयाप्स्यथ’ के अनुसार काम करना पड़े। यदि बच्चे के अन्तःकरण पर आरम्भ से ही अभेद भावना वैठाने का यत्न किया जाय, तो समाज का स्वरूप बदल जाय। जो वस्तुतः भिन्न हों उनको अभिन्न बनाना शिक्षक की शक्ति के बाहर है, परन्तु अभिन्नों पर से भेद के परदे को हटाने का यन्त्र किया जा सकता है।

आज शिक्षक दूसरों का सेवक-मात्र है। उससे जो कहा जाता है वह पढ़ा देता है, परन्तु यहि वह मनुष्य जीवन के पुरुषार्थ को पढ़ियाने, और अपने उद्योग को तड़नुरूप बनाये, तो फिर वह समाज फ़ा निर्माता बन सकता है। मैं आशा करता हूँ कि इस पुस्तक के पढ़ने वाले उन प्रश्नों पर मनन करेंगे जिनकी ओर इसमें मंकेता किया गया है।

—समृणानन्द

लेखकों के दो शब्द

अब तक भारत की शिक्षा अमेर्जो के दृष्टि-कोण से चलती रही। अमेर्जों ने शिक्षा का मुख्य उद्देश्य अपना राज चलाना रखा, भारतीयों को शिक्षित करना नहीं। अब स्थिति बदली है। स्वराज्य प्राप्ति के घाट से शिक्षा के सम्बन्ध में भारतीय दृष्टि कोण जागने लगा है। इस समय यह आवश्यक हो गया है कि शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ-जहाँ भी, जो जो भी नवीन परीक्षण हो रहे हैं, उन सब में लाभ उठा कर भारत के भावी नागरिकों का निर्माण किया जाय ताकि इस राष्ट्र की नींव सुदृढ़ बने। इसी दृष्टि से 'शिक्षा-शास्त्र'-प्रन्थ का निर्माण किया गया है, और शिक्षा के सम्बन्ध में जो भी नये नये सिद्धान्त तथा परीक्षण हो रहे हैं उन सब का इसमें महेष से वर्णन किया गया है।

पिछले दिनों भारत सरकार के शिक्षा विभाग री नरक से सर राधारूपण की अध्यक्षता में जो 'यूनिवर्सिटी रमीशन' नियुक्त हुआ था उसने अगस्त १९४६ के अन्तिम सप्ताह में अपनी रिपोर्ट भरत सरकार के सम्मुख प्रस्तुत कर दी थी। इम रिपोर्ट में अन्य सुधारों के साथ-साथ परीक्षाओं के सम्बन्ध में उन सुधारों पर विशेष ध्वनि दिया गया था जिनका हमने प्रस्तुत पुस्तक में उल्लेख किया है। भारत में परीक्षाएँ नीकरी प्राप्त करने का एक साधन बनी हुई है, इसलिये हर-एक व्यक्ति, भले ही वह उच्च शिक्षा न प्राप्त कर सकता हो, रट कर, नकल कर के, चोरी कर के, या मिकारिश कर कर दिपी प्राप्त परना चाहता है। परीक्षाओं का ढंग भी ऐसा बना हुआ है कि मूर्स से मूर्स विद्यार्थी भी भाग्य के सहारे उपर चढ़ जाता है, और अच्छे-से-अच्छा भाग्य की ठोकर साझे लुढ़क जाता है। इमीलिये प्रचलित परीक्षा प्रणाली के श्याम में, जिसमें विद्यार्थियों

से पोथे-के-पोथे लिखाये जाते हैं, 'परीक्षा परीक्षा' (Objective tests) की कमीशन ने सिफारिश की थी। इन प्रश्नों के बनाने में परीक्षक को अवश्य कठिनाई होती है, परन्तु १००-८०० प्रश्नों का उत्तर हाँ ना या निश्चान लगास्तर विद्यार्थी तीन घटे के स्थान पर आधे घटे में दे सकता है, परीक्षा फल में भाग्य को कोई स्थान नहीं रहता। हमें प्रमाणता है कि विद्यार्थियों के विषय में हमने जो कुछ लिखा है, 'शूनिपसिटी कमीशन' का भी ध्यान उधर गया।

'शूनिपसिटी कमीशन' के सदस्यों का विचार था कि अप ममा आ गया है जब कि भारतीय-शिक्षा को भारतीय परिस्थितियों के अनुसार टालना होगा। हमारे बालक अब तक शैक्षणिक और मिल्टन के विषय में मरनुद जानते थे, कालिकाम तथा भवभूति के विषय में कुछ नहीं जानते थे। यह अवस्था बदलनी होगी। भारतीय शिक्षा की पृष्ठ भूमि में भारतीयता को लाना होगा, हाँ, उसके साथ-साथ शिक्षा जगत में उठ रहे नवीन विचारों को भी अपनाना होगा। हमने यह समझते हुए कि स्वतन्त्र भारत में शिक्षा के चेत्र में अपश्य उथल-पुथल भचेगी, पुराने तथा नये शिक्षा के सिद्धान्तों की छड़ होगी, विशिष्ट तथा विश्वासित और आधमों में क्या होता था, पैस्टेलोची, प्रिन्ज तथा मॉन्टीसरो क्या पढ़ते हैं—यह सब जानते की इसुरता उत्पन्न होगी—इस प्रथा का निर्माण किया है। हमें आशा है कि यह प्रथा शिक्षा जगत् में, विशेषतः इस समय जब नि हम जो कुछ चाहे उसे लेने और 'कुछ चाहे उसे छोड़ने में स्वतन्त्र हैं, अपना एक विशेष रथान

।

—सन्मत सिद्धान्तालङ्घार
—चन्द्रायती लखनपाल

विषय-सूची

भूमिका—माननीय श्री समूर्णगन्द जी, सचिव, उत्तर प्रदेश
द्वारा लिखित

दो शब्द—लेपकों द्वारा

सिद्धान्त (PRINCIPLES)

१. ✓ शिक्षा तथा अध्ययन (Education and Instruction)
२. ✓ शिक्षा के उद्देश्य (Aims of Education)
३. ✓ शिक्षा में समाजवाद तथा व्यक्तिवाद (Socialism and Individualism in Education) a
४. ✓ आदर्शवाद, प्रहृतिवाद, किशो-सिद्धिवाद (Idealism Naturalism and Pragmatism) a
५. ✓ शिक्षा के गोपनीय-ग्राम (Factors in Education)

विधि (METHODS)

६. ✓ शिक्षा के आधार-भूत ग्रन्थ (Maxima of Methods)
७. ✓ आगमन तथा निगमन पद्धति (Inductive and Deductive Method) ✓
८. ✓ स्थैर्य-ज्ञान-पद्धति (Heuristic Method) ✓
९. ✓ निरीक्षण तथा सरस्वती - यात्राएँ (Observation and Excursions) ✓
१०. ✓ व्यक्ति की कक्षा शिक्षण पद्धति (Individual and Class Teaching) ✓
११. ✓ लानुसन्धि शिक्षा (Correlation of Studies)
१२. ✓ क्रिया द्वारा शिक्षा की पद्धति (Activity Method).
१३. ✓ खेल द्वारा शिक्षा की पद्धति (Play-Way in Education)
१४. ✓ किटर गार्डन-पद्धति (Kindergarten Method)

१५. ✓ मॉन्टीसरी शिक्षा-पद्धति (Montessori Method)	११३
१६. ✓ योजना-पद्धति (Project Method)	१२१
१७. डाल्टन-पद्धति (Dalton Plan) ,	१२८
१८. ✓ बुनियादी-नालोम या बर्धी योजना (Basic Education and its Method)	१३४

विधान (ORGANISATION)

१९. ✓ वर्गीकरण (Classification)	१४१
२०. ✓ परीक्षाएँ (Examinations)	१५२
२१. ✓ अनुशासन (Discipline) ,	१६३
२२. ✓ दरेंड तथा पुरस्कार (Punishments and Rewards)	१७२
२३. ✓ पाठशाला तथा स्वास्थ्य-रक्षा (School Hygiene)	१८०
२४. ✓ छान तथा स्वास्थ्य-रक्षा (Personal Hygiene)	१८७
२५. ✓ उठने-बैठने का द्रढ़ (Postures)	१९४

इतिहास (HISTORY OF EDUCATION)

२६. ✓ ग्राम्य काल में शिक्षा (Education in Ancient India)	१६८
२७. ✓ बौद्ध-काल में शिक्षा (Education in Buddhist India)	२२१
२८. ✓ तत्त्वशिला तथा नालन्दा विश्व-विद्यालय (Taxilla and Nalanda).	२३५
२९. ✓ मध्य-काल में शिक्षा (Education in Medieval India)	२४५
३०. ✓ ब्रिटिश-काल में शिक्षा (Education in British India)	२५७
३१. ✓ शिक्षा का वर्तमान संगठन (Present Organisation of Education in India)	२६५

शिक्षा तथा अध्ययन

(EDUCATION AND INSTRUCTION)

शिक्षा मनुष्य का प्रगतिशील तथा सर्वांगपूर्ण विकास है—

‘शिक्षा’ एक विस्तृत शब्द है। शिक्षा को मनोविज्ञान के साथ जोड़नेवाले स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री पैस्टेलोजी का कथन था कि शिक्षा मनुष्य की आन्तरिक शक्तियों के प्रगतिशील और सर्वांगपूर्ण विकास का नाम है। जब से बालक उत्पन्न होता है तब से जीवन की अनितम घड़ियों तक वह कुछ सीखता ही रहता है। बालक घर में अपने साथ के दूसरे बालकों से सीखता है, ग्राम-पिठा से सीखता है, स्कूल में अध्यापकों से सीखता है, पढ़ना-लिखना समाप्त कर चुकने के घास मसाज में जहा रहता है यहा सीखता है। जन्म भर सीखता ही रहता है इस प्रकार शिक्षा मनुष्य की आन्तरिक शक्तियों का ‘प्रगतिशील विकास’ है। जिसके विकास में प्रगति नहीं है, जो जहाँ का तदा खड़ा है, वह शिक्षा से लाभ लेना छोड़ देता है। प्रगति के साथ शिक्षा का ‘सर्वांगपूर्ण’ होना भी आवश्यक है। एक व्यक्ति पढ़ने-लिखने में ही दिन-रात रगा रहता है, उसे आटे-दाल के भाव का कुछ पता नहीं होता, दूसरा आटे दाल की ही चर्चा करता है, उसे पढ़ने लिखने की किसी बात का ज्ञान नहीं होता। दोनों की शिक्षा एकांगी शिक्षा है, सर्वांगपूर्ण नहीं है। मनुष्य का कर्तव्य है कि जीवन भर कुछ सीखता रहे, कही

अटक न जाय, आगे ही आगे बढ़ता रहे, परन्तु आगे बढ़ने के साथ साथ चारों ओर भा देरता रहे, अपने को समाप्ति बनाने का प्रयत्न करे।

हिक्का में मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक पदल्—

इसी हिपि से 'शिक्षा एवं ऐसी प्रक्रिया' (Process) का नाम है जो जीवन भर चलनी रहती है। शिक्षा का प्रारम्भ विचारन से होता है, इसकी समाप्ति मृत्यु में होती है। इस समूर्ण जीवन में मनुष्य का विचास दा वाता पर निभर रहता है—उसका अपना 'व्याकुलत्व', आर 'समाज'। वालक कैसा है, उसके परिवर्त सस्तार कैसे हैं, उसके अन्दर क्या क्या शक्तियाँ हैं, क्या क्या भावनाएँ हैं? इन शक्तियाँ और भावनाओं को समझ कर उसके विचास में सद्वायता देना शिक्षक का काम है। यह वालक के विचास का 'मनोवैज्ञानिक पदल्' (Hereditary or Psychological side) है। इसके अतिरिक्त उसके विचास पर उसकी परिस्थिति का भी बड़ा भारी असर पड़ता है। किन साधियों के मर्मक म वह आता है, मारी अच्छे हैं, या बुरे हैं, उसके चारों ओर का समाज कैसा है? इन परिस्थितियों का वालक के विचास पर कम प्रभाव नहीं पड़ता। वालक के विचास का यह 'सामाजिक पदल्' (Environmental or Sociological side) है।

वालक का मानसिक विचास पढ़ने लिखने से होता है—इसमें सदैद नहीं और इसीलिए साधित्य, इतिहास, भूगोल आदि विषय पढ़ाये जाते हैं। परन्तु किनापी पढ़ाई के अलावा उसका यद्युत युद्ध विचास समाज द्वारा होता है। वालक का यह समूर्ण 'मानसिक' तथा 'सामाजिक' विचास जिस प्रक्रिया में गुणरूप है उसी को 'शिक्षा' (Education) कहत है। क्योंकि वालक होने पर भी मानसिक तथा सामाजिक विचास की प्रक्रिया में

से गुजरता रहता है, अगर वह पढ़ा लिखा है तो बुद्धि न कुछ पुस्तकों से सीखता ही रहता है, और समाज से तो हर-एक बुद्धि न कुछ सीखता है, इसलिये शिक्षा जीवन भर रहने वालों एक विस्तृत प्रभिया है। इसमें घर के, माता पिता के, अपने धन्ये के, राज मित्रों के, गृहस्थ के, धूमन फिरने के सभी प्रभाव आ जाते हैं क्योंकि इन सब प्रभावों में से गुजरते गुजरते ही वो मनुष्य नई-नई बातों की सीखता चलता जाता है।

'शिक्षा' (Education) तथा 'अध्ययन' (Instruction) में भेद—

इस विस्तृत अर्थ के अलावा 'शिक्षा'-शब्द का एक समुचित अर्थ भी है। धालर पाठशाला में जाता है। पाठशाला भी समाज का एक छोटा सा रूप है, परन्तु समाज में जो प्रभाव धालर को मार्ग धर्ष कर सकत हैं उन्हें पाठशाला में नहीं आने दिया जाता। पाठशाला का वातावरण शुद्ध रखने का प्रयत्न किया जाता है। समाज में जो बुद्धि है, वह ही, अच्छा युरा प्रभाव धालर पर पड़ता रहता है, उसमें रिक्षर का फोई हाथ नहीं रहता, परन्तु पाठशाला में यह प्रयत्न किया जाता है कि जो बुद्धि हो अच्छा ही हो, युरा बुद्धि न हो, और उस अच्छाई का वालक पर प्रभाव पड़े। इस प्रकार धालर पर, देख भाल कर, समझ बनार जो मानसिक तथा समाजिक प्रभाव डालने का प्रयत्न है वह शिक्षा का समुचित अर्थ है, और शिक्षा के इसी समुचित अर्थ के लिये 'अध्ययन' (Instruction) शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। शिक्षा सम्बन्धी प्रन्था में 'शिक्षा' शब्द का प्रयोग इन्हीं समुचित अर्थों में किया जाता है। यदि स्मरण रखना चाहिये कि शुद्ध अर्थों में 'शिक्षा' (Education) बहुत विस्तृत है, जन्म भर होने वालों का भावाविक प्रक्रिया है, 'अध्ययन' (Instruction) सबूतित है, लगभग पाठशाला के साथ मोमित फरिम प्रक्रिया है।

२

शिक्षा के उद्देश्य

(AIMS OF EDUCATION)

शिक्षा के उद्देश्य बदलते रहते हैं —

विना उद्देश्य के मनुष्य किसी काम में उत्साह नहीं दिखाता,
उद्देश्य सामने आते ही उसे परा करने की शक्ति न जाने उसमें
कहा से पृष्ठ पड़ती है। उद्देश्य के प्रकट होते ही जीवन की सम्पूर्ण
क्रिया शक्ति उसे पाने के लिये वेचैन हो उठती है, फिर वह वैठी
नहीं रह सकती। तो फिर 'शिक्षा' का उद्देश्य क्या है ? १

भिन्न भिन्न समयों में शिक्षा के भिन्न भिन्न उद्देश्य रहे हैं। कोई
समय था जब भारत में धर्म-शास्त्र की शिक्षा देना गुरु का मुख्य
उद्देश्य समझ जाता था। ब्रह्मचारी गुहाओं के आधमों में जार
बद, उपनिषद् और अन्य धार्मिक प्रन्थों का अध्ययन करते थे।
ब्रह्मचारी को धार्मिक प्रन्थों में दीक्षित बरदेना गुरु का एक मात्र
लक्ष्य होता था। ऐसे समय वर्ण-व्यवस्था का प्रचार हुआ तब
गुरु का कम चतुर वालों को बैठ पड़ाकर ब्राह्मण बनाना, शुर्वीर
वालों को गस्त्र विद्या सिखाकर सिपाही बनाना, और व्यापार में
रुच रखने वालों को कृषि आदि की शिक्षा देना था। इस समय
गुरु का कम वालों को समाज के भिन्न-भिन्न पेशों—ब्राह्मण,
शरिय, वैश्य—के लिये, 'धर्म-वाड' के लिये तैयार करना था।
'इष्ट समय याद वर्ण-व्यवस्था गुणकर्म से न रह कर जन्म से

मानी जाने लगी, तब ब्राह्मण का पुत्र अपने को ब्राह्मण के पेशे के लिए तय्यार करता था, चात्रिय का पुत्र चात्रिय के, और वैश्य का पुत्र वैश्य के पेशे के लिये पढ़ाई लिखाई करता था।

भारतीय इतिहास में ब्राह्मण काल के बाद बौद्ध काल आया। उस समय चारों तरफ भिन्न ही भिन्न दिखाई देने लगे, और प्रत्येक माता पिता का ध्येय अपने बालक को भिन्न बना देना हो गया। उस समय भारत में शिक्षा ने भिन्न सधों के लिये बालकों को तय्यार करना अपना लक्ष्य बना लिया। जब अशोक के समय भारत का राज धर्म ही बौद्ध धर्म हो गया तब भिन्न भिन्न राजकीय पदों के लिये बौद्ध होना आवश्यक समझा जाने लगा, और शिक्षकों ने उच्च राजकीय पदों के लिये बालकों को बौद्ध धर्म की शिक्षा देकर तय्यार करना अपना लक्ष्य बना लिया।

मुसलमानों के भारत में आने पर भी धार्मिक भावना को जगाना ही शिक्षा का उद्देश्य समझा जाता रहा। मस्तबों का सम्बन्ध मस्जिदों से रहा, और कुरान पढ़ा देना ही मौलियियों का एकमात्र लक्ष्य रहा। वे यही समझते रहे कि कुरान पढ़ लिया तो शिक्षा पूरी हो गई, कुरान न पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा।

भारत की सामाजिक रचना में, और यहाँ की राज व्यवस्था में जब तक धर्म की प्रधानता रही तब तक धर्म की शिक्षा देना ही शिक्षा का उद्देश्य बना रहा। अन्य देशों का इतिहास भी यही बतलाता है कि समाज में जिस भाव की प्रसलता होती है, और राज-व्यवस्था को घलाने वाले लोग बालकों में जो भावना भरना चाहते हैं, शिक्षा का वही उद्देश्य हो जाता है। इससा एक अन्धा सासा उदाहरण भी स की शिक्षा प्रणाली है। प्राचीन भीस में स्पाहो नाम की एक रियासत थी। भीस समय हरेक देश अपने को अमुराजित समझता था। शानु किसी भी समय आक्रमण कर सकता था। शानु

के आप्रमण से देश की रक्षा करने के लिये स्पार्टा में यह आवश्यक समझ जाता था कि बालक की शारीरिक गठन अच्छी हो, वह साहसी हो, आहाकारी हों ताकि शत्रु पा सुपायला परके 'देश की रक्षा' कर सके। ऐथेन्स के लोग अपने को सुरक्षित समझते थे, इसलिये वे 'सत्कृति' का विकास अपना लक्ष्य समझते थे। स्पार्टा का शिक्षा प्रणाली का उन्होंने अपना लिया था, परन्तु सारकृतिक विषया वा अध्ययन भी ऐथेन्स की शिक्षा-प्रणाली में आवश्यक था। उसमें व्यक्ति को अपने स्वतंत्र विकास की भी मुद्रा थोड़ी-बहुत गुंजाइश थी, स्पार्टा की प्रणाली में ऐसी गुंजाइश विलुप्त नहीं थी।

इस सारे विवेचन से तीन बातें रपष्ट हो जाती हैं। पहली यह कि अब तक शिक्षा का उद्देश्य निश्चित करने का काम शिक्षक के हाथ में नहीं रहा है। माता-पिता, समाज, शासक-वर्ग जो कुछ नाहटे रहे हैं, शिक्षक वैसा ही करता रहा है। शिक्षा का उद्देश्य निश्चित करना शिक्षक के हाथ में न रह कर दूसरों के हाथ में रहा है। द्वितीय बात यह है कि शिक्षा का उद्देश्य सभा व दलता रहा है। चौर्थी बात यह है कि शिक्षा का उद्देश्य माता-पिता नहीं रही, माता-पिता ने, समाज ने, देश ने, जैसा व्यक्ति को धनाना चाहा वैसी ही उसे शिक्षा दी जाती रही।

परन्तु अब गमय बदल गया है। अब शिक्षक भी अपने विचार प्रटट धरने की कुट्टी मिल गई है। यद्यपि अभी तक शिक्षक निरपेक्ष मात्र में शिक्षा का उद्देश्य रपयं निश्चित नहीं कर सकता अब भी माता पिता, समाज और राज् य एवं संस्कृत वर्ष चले हैं,

तो भी जन-स्वातंत्र्य के इस युग में शिक्षण अपनी आवाज़ ऊर्ची उठा सकता है। (शिक्षक के लिये सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि बालक की शिक्षा का सचालन उसे एक स्वतंत्र व्यक्ति समझ कर 'व्यक्ति वाद' (Individualism) के सिद्धांतों के अनुसार करें, या जैसा अब तक होता चला आया है, समाज की तरफ से जो आदेश हो जैसा, 'समाज वाद' (Socialism) के सिद्धांतों के अनुसार करें।) इस विषय में पर्याप्त मत भेद है अतः इस विषय पर हम आगे चर्चा करेंगे। यहाँ हम शिक्षा के उन उद्देश्यों का वर्णन करेंगे जिनमें प्रतिपादन सुधू घड़े घड़े, विचारकों/नें किया है। वे उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

१—शिक्षा का उद्देश्य 'ज्ञान के लिये विद्या' (Knowledge for the sake of kno ledge) प्राप्त करना है।

२—बालक को जीवन में किसी 'आजीविता' 'व्यवसाय'—(Vocational aim) के लिये तैयार करना है।

३—शारीरिक, मानसिक तथा आन्मिक—'सत्त्वांग-विसर्स'—(Complete living-aim) शिक्षा का उद्देश्य है।

४—सम-विकास (Harmonious development aim) शिक्षा का उद्देश्य है।

५—संचरित्र वार्तिमाण (Moral aim) शिक्षा का उद्देश्य है।

१. विद्या के लिये विद्या—शिक्षा का उद्देश्य है—

प्राय यहा जाता है कि शिक्षा का उद्देश्य विद्या के लिये विद्या का अभ्यास करना है। विद्या का भी अपना कोई उद्देश्य है—इसे बोल नहीं मानते; विद्या प्राप्त करना, और प्राप्त की हुई विद्या दूसरों तक पहुचाना—यह सर्व अपने-आप में एक उद्देश्य है। विद्या के लिये विद्या को उद्देश्य मानने का यह परिणाम है कि माता पिता, अध्यापक—जो भी विद्या के इस उद्देश्य पर विश्वास

रखने हैं, जो बालक से पुस्तकों से लाट देते हैं, छोटी आय में ही उसमें महा-परिणाम घटाने के लिये व्यवहार हो उठते हैं। ऐसों के लिये ही किसी कवि ने कहा है—'अमी ममाद्याप च तर्क्यादेन समागता कुकुटपाद मिथा ।' प्रायः शिक्षक बच्चों को प्रत्येक विषय में प्रबीण बनाना चाहते हैं, उनकी इच्छा होती है कि ऐसा कोई विषय वज्र न रह जो बालक को न आता हो। उसमें उसकी सचिता हो, न हो, वह उसके लिये जीवन में उपयोगी हो, न हो। इसका परिणाम यही होता है जो एकलम बहुत-सा भोजन पेट में भर लेने से होता है। हमारे कथन का यह अभिप्राय नहीं कि विद्या के लिये विद्या का अभ्यास कोई बुरा उद्देश्य है। आज विद्या पेट पालने के लिये पड़ी जाती है, किसी समय विद्या का केवल मात्र यह उद्देश्य नहीं होता था, परन्तु अन्य सब बातों की तरफ से आँख-मुट्ठ वर केवल विद्या को एक मात्र उद्देश्य समझना मानो मनुष्य को केवल मिर समझ लेना है। शिक्षा का उद्देश्य बहुत सी बातों का मन में संप्रदाय कर लेना नहीं अपिनु संप्रदाय को हुई विद्या को जीवन के लिये उपयोगी बनाना है। विद्या स्वयं उद्देश्य नहीं, अपिनु किसी उद्देश्य का माध्यन है, स्वयं लक्ष्य नहीं, अपिनु लक्ष्य की तरफ ले जाने वाला मार्ग है।

२. आजीविद्या के फिरे तंत्रार बरना—रिक्ता का उद्देश्य है—

शिक्षा मनुष्य को अलंकृत करने वाला केवल शृंगार नहीं, उसके रोटी के मजाल को भी इल बरने वा साधन है—यह आपात आज बड़ी तीव्रता ने उठ खड़ी हुई है। चारों तरफ में आपात आ रही है कि जो शिक्षा बालक को, सिर्फ दिनावें पढ़ना सित्या देती है, रोटी कमाना नहीं सित्याती, यह बेकार है। जब बालक यह समझ लेता है कि उसको शिक्षा द्वारा किसी व्यवसाय को सीरना है, अपनी आजीविद्या के प्रह्ल वो इन बरना है, तब

वह निरुद्देश्य नहीं रहता। उद्देश्य ही तो मनुष्य में क्रिया-शीलता उत्पन्न करता है। बालक जब यह समझ कर पढ़ता है कि वह जो कुछ पढ़ रहा है उसे जीवन भर उससे साथ लेना है तब वह पढ़ता भी लगता है। परन्तु क्या यही शिक्षा का एक मात्र उद्देश्य है? आजीवीका के लिये शिक्षा ग्राह करने से एक व्यक्ति अच्छा डाक्टर बन सकता है, अच्छे दर्जे का वकील बन सकता है, इंजीनीयर बन सकता है—परन्तु यह आवश्यक नहीं कि वह अच्छा मनुष्य भी बन जाय। ऐसी अवध्या में सिर्फ़ आजीवीका के लिये तैयारी को शिक्षा का उद्देश्य बना लेना भी शिक्षा के पूर्ण महत्व का न समझना है।

३. 'मर्ग विमान' शिक्षा का उद्देश्य है—

सेंसर ने 'शिक्षा' पर एक प्रबन्ध लिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य हमें जीवन के सभी पहलुओं के, सब अंगों के विकास के लिये प्रेरित करना है। जीवन में जिस समय जीसी भी परिस्थिति उत्पन्न हो हमें उसके लिये तय्यार करना शिक्षा का काम है। हमें उन सभी नियमों का ज्ञान होना चाहिये जिनमें हम शरीर, मन तथा आत्मा का स्वांगीण विकास कर सकें। घर में हम माता-पिता के साथ कैसे धर्ते, समाज में कैसे उत्तम नागरिक बनें, साधियों के साथ कैसा व्यवहार करें, आजीविता के लिये क्या करें, सामाजिक सत्या राजनीतिक समस्याओं का क्या हल निश्चित, संचेप भ, हर बात में हम पूर्ण हों, जिसी में अधरं न रहे—यह सेंसर का शिक्षा का उद्देश्य है। जैसे एक सधे हुआ व्यक्ति के हाथ में शोजार होता है, उसी मरीन मव तरह में ढाँक होती है, तेल दिया होता है, पुर्जा-पुर्जा जाम देने के लिये तय्यार होता है, इसी तरह यड़ शरीर, हमारे काम के लिये तय्यार रहे, मन में भी जिसी प्रकार का प्राट न हो—यह सेंसर का शिक्षा का उद्देश्य है। इसमें

सन्देह नहीं कि यह उद्देश्य बहुत ऊँचा है, परन्तु यालक हर समय तथ्यारी ही करता रहे, हर समय सिपाही की तरह लगा ही रहे— यह यालक की प्रकृति से बहुत बड़ी आशा करना है। रूसों का व्यवहार था कि हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि वज्ञा तो वज्ञा है, वह आदमी नहीं है, उससे आदमियों की-सी आशा रखना व्यर्थ है। स्पेसर वज्ञे से बहुत बड़ी आशा करता था। जो अध्यापक हर समय वज्ञे को कुछ न कुछ बैठाने में लगा रहता है उम्रे प्रति वज्ञा विद्रोह कर उठता है। वज्ञा स्वतंत्रता चाहता है, वह चाहता है कि उसे खुला छोड़ दिया जाय, उसे अपनी इच्छानुसार कदम उठाने दिया जाय। स्पेसर के सर्वांगीण-विद्यास के सिद्धान्त में वज्ञे के व्यवहार को भूला दिया गया है।

४. 'सम विद्यास'—शिक्षा का उद्देश्य है—

कई लोगों का कथन है कि शिक्षा का उद्देश्य भग्नात्मक के शारीरिक, मानसिक, नैतिक तथा अन्य मर्भी पहलुओं का समविकास है। हमारे समाज में ऐसे व्यक्तियों की भी नहीं जिनका बेवल एक दिशा में विकास हुआ है। शरीर बड़ा गठ ला है, परन्तु मन के वज्ञे हैं, बहुत पढ़ लिया गये हैं, परन्तु शरीर वच्चों वा सा कमजोर है। शरीर में भा कोई अंग सुटड़ है, कोई अंग कमजोर। मन में 'इच्छा'-'ज्ञान'-'कृति' रहते हैं। कहाँयों की इसी काम को करने को इच्छा होती है, परन्तु इच्छा सदा इच्छा बनी रहती है। वे सदा बहु-न-कह की दुष्प्रिया में रहत हैं। कहाँ लाग किसी भी काम को। भट्ट-से पर ढालते हैं, और करने के बाद सोचते हैं, हमें यह काम इरना चाहिये था, या नहीं। स्पेसर के सर्वांगीण-विद्याम और सम विद्यास के इस सिद्धान्त में सिर्फ़ इतना भेट है कि सर्वांगीण-प्रियुग्म में तो भग्नात्मके सब पहलुओं के विकास की आशा-वी जारी है, सम विद्यास में सब पहलुओं के विकास के साथ-साथ

उन सबके भी एक समान विकास की आशा की जाती है। जब सदागीण विकास ही एक कठिन काम है, तब मम-विकास तो उभमे भी अगे की पात है, यह और भी कठिन है। एक व्यक्ति विश्वान का पड़ित हो, दर्शन-शास्त्र का ज्ञान हो, शरीर से पहलान हो, सब तरह से पूर्ण हो—यह बहुत अच्छा उद्देश्य है, जहाँ तक यह पूरा हो सके इस करना ही चाहिए, परन्तु यह उद्देश्य क्रियात्मक नहीं है, इस प्रकार के पूर्ण विकास की आशा करना दूराशा मात्र है।

५. 'मन्नरिप्र निर्माण'—शिक्षा का उद्देश्य है—

कई लोगों का कथन है कि शिक्षा का उद्देश्य यालक के शरीर को सुदृढ़ बना देना या मन को ज्ञान से भर देना नहीं है, इसका मुख्य उद्देश्य यालक को सजाचारी बनाना है, उसके चरित्र को शुद्ध तथा पवित्र बनाना है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य नैतिक है, सजाचार तथा सदृचारकार का निर्माण है, अन्य उद्देश्य इसके पीछे चलने याते हैं।

'धर्म-परम्परा' तथा 'परिस्थिति'—दोनों में से यालक पर किसका अधिक प्रभाव है, इस विवाद में प्रायः पठाजाता है कि पैदिक मंस्तारों से मिटा भरना एक अमंभव कार्य है। इस विचार से शिक्षक प्रायः निराश हो जाते हैं और समझते हैं कि ये यालक पर कुछ नहीं बना सकते, उसे जो कुछ बनाना है वह तो दीज-रूप में बना भनाया है, शिक्षा उसका कुछ नहीं बना सकती। हर्बर्ट (Herbart) का कथन था कि यह यात् नहीं है, शिक्षा यह साधन है जिसके द्वारा यालक की उस मूल प्रकृति को बदला जा सकता है जिसे शिक्षक पैदिक समझ कर यह समझ लेता है कि इसे तो बदला ही नहीं जा सकता। 'अस्त में' शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ही यालक की प्रकृति को बदलना है। यालक तो पशु की तरह अपनी भिन्न-भिन्न प्राकृतिक-शक्तियों (Instincts)

को लेकर पैदा होता है, शिद्धांशु उसे पशु से मनुष्य बनाता है, उसमें नैतिकता की भावना को भरता है।

‘चरित्र’ एक व्यापर शब्द है। ज्ञेयों का अध्ययन या कि मनुष्य ‘ज्ञान’ (Knowledge), ‘इच्छा’ (Feeling) तथा ‘हृति’ (Willing) का समूह है। ‘ज्ञान’ की परामर्शदाता ‘सत्यम्’ (Truth) में है; ‘इच्छा’ की परामर्शदाता ‘सौन्दर्य’ (Beauty) में है, ‘हृति’ की परामर्शदाता ‘शावम्’ (Goodness) ने है; इसी को ‘मन्त्रं शिव मन्त्रम्’ (Truth, Goodness, Beauty) कहा जाता है। शिदा का उद्देश्य व्यक्ति का चरित्र ऐसा बना देना है जिसमें वह अपने जीवने में ‘सत्य शिव मन्त्रम्’ बना सके। यालू के अहिंसा, मत्य, अस्त्रेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिहरणीयी भावना को उत्पन्न करना, अठिनाइयों का मुक्ताविलोकने की भावना को जाग्रत कर द्वारा भारत की प्राचीन शिदा का उद्देश्य मममा जाता रहा है। गुरुकुल में ब्रह्मचर्य पूर्वक, गुरु की आद्वा का पालन करने हए तपस्या का जीवन न्यतीत करना चरित्रनिर्माण का ही एक भूप है। शिद्धांशु अगर यालू के चारपाँच निर्माण कर देता है, अगर यालू के मत्य के प्रति प्रेम, अच्छाई को पाने की लगत, ईमानदारी, न्याय प्रियता आदि गुण आ जाते हैं, तो शिदा ने अपने उद्देश्य को पूरा कर लिया—गोमा भमनक्षा चाहिए। इस शिदा का उद्देश्य इन सब का समन्वय है—

हमने शिदा के भिन्न भिन्न उद्देश्यों का वर्णन किया। शिद्धांशु का उद्देश्य भिन्न भिन्न समयों में भिन्न भिन्न रहा है। नमाज या राष्ट्र में जो मममा प्रवल होनी चाही दी, — जी के अनुसार शिदा का उद्देश्य भी बदलता गया है। अगर राष्ट्र के सम्मुख अपनी रक्षा का प्रश्न सुन्य रहा है तो जाति-सुन्नत परला शिदा का उद्देश्य ही गया है। अगर योई एष्ट बूला मरने लगा है तो व्यापार आदर्शी

शिक्षा को मूल्यता प्राप्त हो गई है। जो राष्ट्र सब तरह में निश्चिन्त है, जिसके मामने कोई विशेष समस्या नहीं है, वह व्यक्ति को मृतन्त्र विद्यास फरने की आवश्या देता है, अन्यथा वह अपनी समस्या को हल फरने के लिए शिक्षक की प्रावाज्ञ को द्वारा शिक्षक को अपने घर गे रखर मिलाने को यादित करता है। फिर भी मंसार के शिवको तथा विचारकों ने शिक्षा के आनेक उद्देश्य निश्चित रिये है। अकोई विद्या के लिए विद्या प्राप्त करने को शिक्षा का उद्देश्य पढ़ता है, तो कोई आजीविका के लिए तैयारी को कोई सर्व गुण-मम्पन्न निर्दीय मानव को उत्पन्न करना शिक्षा का उद्देश्य पतलाता है, तो कोई चरित्र निर्माण को। शिक्षा का यास्त्रिक उद्देश्य तभी पूर्ण हो सकता है जब इन सर उद्देश्यों का समन्वय किया जाय। समाज तथा राष्ट्र की बात मुनी जाय, परन्तु साथ ही शिक्षक की प्रावाज्ञ को भी अनमुना न किया जाय, मिन्न विग्राहों के प्रति यालक में भी उत्पन्न की जाय, परन्तु साथ ही कोई व्यवसाय भी सिताया जाय, यालक को सर्व गुण मम्पन्न बनाने का प्रयत्न किया जाय, परन्तु साथ ही उसे मृतन्त्र भी विकसित होने दिया जाय, और इन सब के साथ उसके चरित्र ये उसके व्यवितर के मुख्य आधार पर निर्माण किया जाय।

३

शिक्षा में समाजवाद तथा व्यक्तिवाद

(SOCIALISM AND INDIVIDUALISM)

हम पिछले अध्याय में यह चुके हैं कि इब तक शिक्षा का मंचालन माताँ पिता, समाज तथा राष्ट्र की इन्द्रानुसार होता रहा है। राष्ट्र बालक को जो बुद्ध बनाना चाहता है शिक्षक उस वही बनाने में जुट जाता है। स्पार्टा के बालकों को तपस्यी बनाना जाता था। माताँ बालकों के पैदा होने ही उनके घल की परीक्षा करती थी। यह आजमाती थी कि यह स्वम्भ और बलवान रहेगा, या कमज़ोर रहेगा। बच्चे को एक शिर्ज़ पर पटका जाता था, जो बच रहता था, वह पाल-पोस लिया जाता था, जो मर जाता था, वह फेंक दिया जाता था। स्पार्टा की शिक्षा-पद्धति ने यह प्रश्न खड़ा कर दिया कि शिक्षा में 'व्यक्ति' प्रधान होना चाहिये, या 'समाज'। क्या शिक्षा होने हुए हमें बालक को समाज सुर्खी भगोन का एक पुर्जा मममकर चलना चाहिये, या बालक की व्यक्ति स्वप मे एक स्वतंत्र मत्ता ममकर चलना चाहिये? बालक समाज के विवास के लिए है, या समाज बालक के वैयक्तिक विवास के लिए है)? इमीं ममम्या को गिरा, मैं 'समाजवाद' (Socialism) तथा 'व्यक्तिवाद' (Individualism) की ममम्या कहा जाता है।

अब तक शिक्षा में समाज-वाद की ही प्रधानता रही है। बालक मानव समाज का एक अंग है। व्यक्ति की समाज में स्थितन्त्र सत्ता ही क्या है? समाज से स्वतंत्र किसी व्यक्ति को कल्पना करना एक मिथ्या कल्पना है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है, समाज में पलता है, समाज में बढ़ता है, जन्म से मरण पर्यन्त समाज का उत्तरी है, इसलिये समाज की इच्छा के अनुसार उसका निर्माण करना आवश्यक है। जान में, अनजान में, मनुष्य के स्वतंत्र व्यक्तित्व को पीछे हटा कर, समाज तथा राष्ट्र की माँग के अनुसार उसे ढालना शिक्षक का कर्तव्य है।

जो लोग व्यक्ति तथा समाज की तुलना में, समाज की मुख्यता के पक्षपाती थे, वे इतने बढ़ गये कि व्यक्ति की तरह समाज को भी एक स्वतंत्र सत्ता घड़ने लगे। उन्होंने कहना शुरू किया कि राष्ट्र की भी, व्यक्ति की तरह, मानो आत्मा है, और यह 'राष्ट्र', व्यक्ति को अपेक्षा एक उच्चतर सत्ता है। राष्ट्र के लिये ही व्यक्ति है, व्यक्ति के लिये राष्ट्र नहीं है। राष्ट्र को सबल तथा मुद्रद बनाने के लिये व्यक्ति को अपनी सत्ता मिटा देनी चाहिये। राष्ट्र के हाप्टि-कोण से ही प्रत्येक वात होनी चाहिये, शिक्षा में भी राष्ट्र का ही नियामक हाथ होना चाहिये, राष्ट्र को पूरा अधिकार होना चाहिये कि वह व्यक्ति को जिस प्रारंभ बनाना चाहे, बनाये। प्राचीन काल में स्पाटा की शिक्षा इसी सिद्धान्त पर चल रही थी, वर्तमान युग में जर्मनी तथा जापान ने भी इसी सिद्धान्त को मुख्य रूप कर अपने यहाँ शिक्षा का संचालन किया था। इस सिद्धान्त ने व्याक्ति की स्वतंत्रता का इतना दमन कर दिया कि व्यक्ति अपने आप कुछ भी करने योग्य नहीं रह गया, वह राष्ट्र की मशोन का एक पुर्जा हो गया। राष्ट्र के प्रणालियों की गति की आलोचना करना भी पाप हो गया, और परिणाम-स्थूल जर्मनी का सारा मानव-भमाज हिटलर

२६ 'शिक्षा-शास्त्र'—मिछान्त, विधि, विधान, डिलाइ

का, 'प्रीर इटली का समाज मुमोलिनी का दास हो गया,'^३ अपनी स्वतंत्र आवाज उठाना किसी के लिये भी असंभव हो गया।

शिक्षा में 'समाज वाद' अमरीका, इंग्लैण्ड तथा अन्य प्रजातन्त्र देशों में भी पाया जाता है, परन्तु इन देशों में शिक्षा में 'समाज वाद' का अभिप्राय मिर्क इतना है कि व्यक्ति की सेवा के योग्य बनाया जाय, और शिक्षा में ऐसे विषयों का प्रबोध किया जाय जिनसे अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व रखते हुए भी अपनी अपनी योग्यता के अनुमार प्रत्येक व्यक्ति समाज की सेवा कर सके। वह उत्तम नागरिक हो, समाज का भला करने की सेवा करे, परन्तु इससा वह अभिप्राय नहीं कि वह अपने व्यक्तिहन को ही मिटा दे। नाचिन्म तथा फ़सिञ्म में तो व्यक्ति को अपनी सत्ता का समाप्त ही घर देना होता है, तानाशाही राज्य में डिक्टेटर ही सब कुछ है, प्रजातन्त्र में व्यक्ति समाज की सेवा परता हुआ भी अपने स्वतन्त्र व्यक्ति व को नहीं सोता।

सार्टा, जर्मनी, इटली तथा जापान में जिस प्रशार का उम 'एष समाज वाद' (State Socialism) चला,^४ उसमें व्यक्ति की नगर्य सत्ता हो गई, व्यक्ति का माना मिश्मा दिया गया, उनमें व्यक्ति के स्वतन्त्र विश्वास का रोड़ रखान ही नहीं रहा। इंग्लैण्ड, अमरीका आदि प्रजातन्त्र देशों में भी व्यक्ति को उत्तम नागरिक पनान का अगर मुक्तित अर्थ लिया जाय तो उमरा भी इसके अतिरिक्त कोई अभिप्राय नहीं रहता कि व्यक्ति एष के हाथों में एक औचार का फाम करे, एष उमरा जैसा उपयोग करना चाहे करे। एष घर्म यो इस प्रशार मुख्य थग लेन का परिणाम यह होता है कि मनुष्य का अपने दंश के राजनैतिक नेताओं की हरेक घर में हों में ताँ मिलाना ही पड़ता है—भले ही ये टीक कहें, या गलत कहें।

शिक्षा में समाज की तानाशाही के विरुद्ध १८ वीं शताब्दी में रूमो ने आवाज उठायी। उसने कहा कि समाज ने बालक के विकास को चारों तरफ से कैद कर रखा है। हमें बालक को समाज की कैद से छुड़ाना है। बालक में स्वतन्त्र शक्तियों हैं—शिक्षक का काम उसे ऐसी प्राकृतिक परिस्थितियों में रख देना है जिससे उस के 'व्यक्तित्व' का विकास हो सके। शिक्षा में व्यक्ति तथा समाज के सुकाविले में व्यक्ति ही मुख्य है, उत्तम व्यक्ति ही उत्तम नागरिक बन सकता है। शिक्षा में व्यक्ति वाद (Individualism) के समर्थकों का कथन है कि परिवार, पाठशाला तथा राष्ट्र व्यक्तित्व के विकास के सुधन हैं, व्यक्ति इनके लिये नहीं, ये व्यक्तित्व के लिये हैं। पाठशाला व्यक्तित्व के विकास के लिये ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देती है जिससे वह अपने को उन्नत बना सके। राष्ट्र का काम व्यक्तित्व पर शिक्षा का बोझ लाद देना नहीं है, अपितु बालक का चारों तरफ से ऐसी परिस्थितियों से घेर देना है जिन से प्रोत्साहित होकर वह अपने अन्दर छिपो हुई भिन्न भिन्न शक्तियों को प्रकाश में ला सके। आज जितनी नवीन शिक्षा-प्रणालियों का मैं लायी जा रही हैं मध्यम लक्ष्य बालक के 'व्यक्तित्व' (Individuality) को जगाना है। उसमें जो स्वाभाविक शक्तियाँ हैं उन्हें विकसित होने के लिये प्रोत्साहित करना है। 'एरिस्टिक पद्धति'- 'प्रोजेक्ट पद्धति' 'डाल्टन मैन'—ये सेव प्रणालियों व्यक्ति को प्रधान मात्र कर ही चलाई गई हैं, और इन सबका आधार शिक्षा में व्यक्तित्व वाद (Individualism) का सिद्धान्त है।

भंसार में जो कुछ हुआ है व्यक्तिनयों द्वारा हुआ है। महात्मा गान्धी जैसे एक व्यक्ति ने अपने जीवन काल में ही भारत को यहाँ से फहाँ पुँचा दिया। व्यक्ति का महत्व समझने के लिये संसार के इतिहास के पन्नों को पलट लेना काफ़ी है। जहाँ सारा

समाज उष्टर मार कर रहा जाता है वहाँ एक व्यक्ति उठ सड़ा होता है, और ऐसा भटका देता है कि समाज में अब तक जो शिखिलता दिखाई देती थी वह शक्ति तथा उत्साह में परिणत हो जाती है।

'व्यक्तित्व' के विकास का क्या अभिप्राय है? क्या इसका यह अभिप्राय है कि व्यक्ति जेसी उच्छ्रद्धलता चाहे करे? अगर व्यक्ति के विकास का यह अभिप्राय हो तब तो व्यक्ति से समाज को खतरा पेंदा हो जाय। व्यक्तित्व के विकास का अभिप्राय उच्छ्रद्धलता में नहीं, स्वतंत्रता से है। उच्छ्रद्धल व्यक्ति तो समाज के धंधनों को छिन्न भिन्न कर समाज की व्यवस्था में ही गढ़वाड़ी डाल देगा, स्वतंत्र व्यक्ति समाज की व्यवस्था को विगड़ने वे स्थान में सुधारने पा प्रयत्न करेंगा। शुद्ध अर्थों में व्यक्ति का विकास सामाजिक विकास में सहायक होगा, उस में बाधा डालने घाला नहीं।

'समाज' तथा 'व्यक्ति' में जो संघर्ष चल रहा है इसे अगर दम मिटाना चाहें तो यह समझ लेना आवश्यक है कि न तो समाज था उद्देश्य व्यक्तित्व को मिटा देना है, न व्यक्ति का उद्देश्य समाज के प्रतिकूल चलना ही है। समाज का बाम व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाये रखने में सहायता देना है, और व्यक्ति का बाम अपने गुणों से समाज को जाम पहुँचाना है। व्यक्ति का समाज के बिना रोइ मूल्य नहीं, और समाज व्यक्तियों के बिना निरर्थक है! दोनों पर दूसरे पर आधित हैं, एक दूसरे के सहायक हैं, अतः दोनों के गठन्यन्धन से ही शिक्षा की गाढ़ी चल सकती है।

का कहना था कि भारत में शासन करने के लिये उन्हें लोकों की आवश्यकता है। उन्होंने अफ्रेंची में प्रदीण होना शिक्षा का एक मात्र लक्ष्य बना दिया। रूसी ने समाज के बन्धनों के प्रति विद्रोह की विचार पारा को जन्म दिया था, उसने बाल को स्वतंत्रता-पूर्वक विकसित होने देना शिक्षा का लक्ष्य बतलाया; इंग्लैण्ड अमेरीका में प्रजातन की भावना प्रवल हो उठी, वहाँ उत्तम नागरिक बनाना शिक्षा का लक्ष्य बन गया, जमीनी में जमीन जाति के विश्वविजयी होने की भावना को जन्म दिया गया। वहाँ राष्ट्र-भर्म की प्रधानता हो गई, व्यक्ति की स्वतंत्र सत्ता को मिटा दिया गया। वहाँ का अभिप्राय यह है कि देश की जैसी आवश्यकताएँ होती हैं वैसी विचार-धारा और दर्शन-शास्त्र उत्पन्न हो जाते हैं, और जैसा दर्शन-शास्त्र होता है उसी के अनुसार शिळा के डढ़ स्था और शिक्षा की पद्धति सा क्रम चल पड़ता है। हम 'दर्शन शास्त्र' के उन मुख्य-मुख्य 'वादों' का यहाँ वर्णन करेंगे जिनका 'शिक्षा' के 'उद्दरय', 'विधि' वा 'विधान' के निर्णय करने पर प्रभाव पड़ रहा है।

२. आदर्श-वाद (IDEALISM)

प्रारम्भ में 'आदर्श-वाद' (Idealism) ही जीवन का सुरव सिद्धान्त माना जाता रहा, और इसलिये इसी पर शिक्षा पर प्रभाव रहा। 'आदर्श वाद' (Idealism) 'दर्शन शास्त्र' (Philosophy) के मिन्न-मिन्न वादों में से एक 'वाद' है। इसमें युख्य प्रवतंक लेंदो था। इस 'वाद' के मुख्य छाधार-भूत वृत्त निम्न हैं :—

आदर्शवाद के ग्राधा—१। उत्त—

१ (१) प्राचीनि-जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत्-का

महत्व अधिक है। संसार में मनुष्य अपने को दो भागों में बँटा लेता है—यह 'स्वयु', तथा वाणी 'जगत्'। वाणी जगत् पर गहाभूतों का बना हुआ है—पृथिवी, अप, तेज, वायु, आकाश। विज्ञान इन गहाभूतों की ही चरों करता है, (परन्तु इनके अतिरिक्त 'मैं' भी वो सुख है। (इस 'मैं' का निरीक्षण पर तो ज्ञात होता है कि इसमें 'मन' तथा 'आत्मा'—ये दो सचाएँ हैं।) वाणी-जगत् तो मेरे लिए है, (अत 'मन' तथा 'आत्मा' का जानना भौतिक पदार्थों के जानने की अपेक्षा अधिक यड़ा आगरा है), मन तथा आत्मा का जगत् ही आदर्श-जगत् है। इस प्रकार 'आदर्श वाद' (Idealism) भौतिक जगत् पर बल न देकर 'मन' तथा 'आत्मा' पर अधिक बल देता है और कहता है कि सचार में अन्तिम सत्ता भौतिक नहीं, 'आध्यात्मिक है', पृथिवी-अप तेज वायु आकाश नहीं, मन आत्मा-परमात्मा है। वाणी जगत् तो आध्यात्मिक सत्ता एक अत्यन्त तुच्छ प्रवाह है, वास्तविक सत्ता आध्यात्मिक सत्ता ही है। यह 'आदर्श वाद' (Idealism) का पहला तत्त्व है।

(२) अगर 'भौतिक' सत्ता की अपेक्षा 'आध्यात्मिक' सत्ता अधिक वास्तविक है तब 'आध्यात्मिक' सत्ता का जानना ही मनुष्य का मुख्य प्रश्न हो जाता है। आध्यात्मिक सत्ता अपन को ऐसे विनियित करती है ? मन तथा आत्मा के अध्ययन से ज्ञात होता है कि हमारे भीतर तीन प्रकार की प्रक्रियाएँ चल रही हैं। हम साचते हैं, टम इच्छा करते हैं, हम क्रिया करते हैं—'जान'-'इच्छा'-'कृति'—ये तीन, मानसिक प्रक्रिया के तीन पहले हैं। 'जान' का लद्य क्या है ? 'जान' बढ़ते बढ़ते 'सत्त्व' को पाना चाहता है। 'इच्छा' का लद्य क्या है ? 'इच्छा' की चरम सीमा 'सोन्दर्य' का पाने के लिए हाती है। 'कृति' का लद्य क्या है ? कस करते करते मनुष्य उत्तम से-उत्तम काम करना चाहता है। आध्यात्मिक

सत्ता के इसी विकास को सेटो ने 'सत्य'-‘मुन्दर’-‘शिव’ (Truth, Beauty, Goodness) का नाम दिया है। मानव-जीवन का लक्ष्य 'मत्य शिवं सुन्दरम्' का पाना है, इन तीनों को जीवन में घटा लेना है। 'आदर्श-वाद' (Idealism) का यह दृसण तत्त्व है।

(३) 'आदर्श-वाद' (Idealism) का कथन है कि मनुष्य का लक्ष्य 'सत्य' 'शिव'-'मुन्दर' को पाना तो है ही, परन्तु इसके साथ साथ आध्यात्मिक मापदण्ड को भी बढ़ाते जाना है। जैसे प्रकृति पर विजय पाने वाले नवीन-नवीन अविष्कार करते हैं, आगे ही-आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे आध्यात्मिक सज्जाइयों की अनुभूति भी मनुष्य को आगे-ही आगे ले जाती है। 'सत्य'-‘मुन्दर’-‘शिव’ का मार्ग मनुष्य को सापेक्ष-सत्य (Relative truth) से निरपेक्ष सत्य (Absolute truth) की तरफ, सापेक्ष सौन्दर्य (Relative beauty) से निरपेक्ष-सौन्दर्य (Absolute beauty) की तरफ, सापेक्ष शिव (Relative goodness) से निरपेक्ष शिव (Absolute goodness) की तरफ ले जाता है। निरपेक्ष (Absoluteness) की तरफ जाना ही 'आदर्श' की तरफ जाना है, यही मनुष्य का चरम लक्ष्य है। यह 'आदर्श-वाद' (Idealism) का तो सरा तत्व है।

(४) जिस आध्यात्मिक स्तर को मनुष्य-समाज ने पालिया उसे आगामी सन्तति द्वारा मुरक्कित रखना भी हमारे लिये आवश्यक हो जाता है, नहीं तो हरेक सन्तति को नये सिरे से सर बातों का पता लगाना आवश्यक हो जायगा। हमारे यह कर्तव्य है कि 'आदर्श-वाद' के निस स्तर पर हम पहुँच चुके हैं, उस तरुणी सन्तति को भा पहुँचा दें, ताकि यह अपने से आगामी सन्तति को हमसे भी आग पहुँचा सके, और इस प्रदार उन्नति करता हुआ

माज़ुर समाज निरपेक्ष सत्य, निरपेक्ष शिव तथा निरपेक्ष सुन्दर को पा सके। यह 'आदर्शवाद' का चौथा तत्व है।

आदर्श वाद ना शिक्षा पर प्रभाव—

'आदर्श वाद' (Idealism) की जिन चार प्रता का हमने उल्लेख किया है इनका 'शिक्षा' पर बड़ा प्रभाव पड़ा। 'शिक्षा' का उद्देश्य 'भौतिक' उत्तरा नहीं जितना 'आध्यात्मिक' है—यह आदर्श वादियों का कथन है। 'मन' 'आत्मा' आदि के अध्ययन पर इन्होंने बहुत जोर दिया। 'सत्य' 'शिव' 'सुन्दर' का ज्ञान क्रमशः 'दर्शन शास्त्र' (Philosophy), 'नीति शास्त्र' (Ethics) तथा 'ललित कलाओं' (Arts) से दिया जाने लगा। शिक्षा सत्या ना उद्देश्य वालों को वह सब ज्ञान द डालना समझा गया जो अब तक मानव जाति ने ग्राह किया था। इरेक वालक के लिये सब्-विषयों का ज्ञान आवश्यक माना गया। यह समझा गया कि जाति के सदियों में सचित किये हुए ज्ञान की धरोहर को सुरक्षित रखने तथा उसे आगे बढ़ाने के लिये बलक उत्पन्न हुआ है। म्योकि जाति का सपूर्ण ज्ञान लैटिन, ग्रीक, संस्कृत, पश्चियन या अरबी में सुरक्षित है अत इन भाषाओं का ज्ञान उसके लिये आवश्यक हो गया। इस प्रकार इन प्राचीन भाषाओं के ज्ञान को 'मनुष्योपयोगी शिक्षा' (Humanistic Studies) का नाम दिया गया और इनका पढ़ना दत्तेकु वालक के लिये अनिवार्य हो गया। क्योंकि वालक को इतनी अगाध विद्या थींडे से ही समय म देनी होती थी अत यह समझा गया कि उस पर सुट्ट नियन्त्रण रखने की आवश्यकता है। गेल कूद म समय विताना चर्यह है। दिन रात पढ़ना, रटना, किताबों की कीड़ा बने रहना वालक का लक्ष्य बन गया, और डबलकर शिष्य का दराप्रमाणर सब उद्ध पढ़ डालने के लिये-

वाधत करना गुरु का लक्ष्य बन गया। 'आदर्श-वाद' (Idealism) का शुरु-शुरु में यह लक्ष्य नहीं था, जो कुछ वह आदर्श समझा था उसकी तरफ जाना उसका लक्ष्य था, परन्तु क्योंकि हरेक वार कुछ समय वाल पतन की तरफ चल पड़ती है, 'आदर्श वाद' भी पतन के मार्ग पर चल दिया।

३. प्रकृति-वाद (NATURALISM)

प्रकृति-वाद ग्रादर्श-वाद के विरुद्ध प्रतिनिधि था—

'आदर्श-वाद' (Idealism) के अन्य-भक्त जब प्रीकृत, लैटिन तथा सत्कृत के ज्ञान को ही ज्ञान की चरम-सीमा समझते लगे, जब 'ह्य मनिस्टिक-स्टडीज' (Humanistic studies) ही शिद्धा का चरम लक्ष्य हो गये, तब इस की प्रतिक्रिया भी उत्पन्न हुई। इस प्रतिक्रिया का नाम 'प्रकृति वाद' (Naturalism) था। 'प्रकृति वाद' (Naturalism) के अवान्तर्गत कई 'वाद' उत्पन्न हुए परन्तु उन सबको मुख्य तीर पर 'यथार्थवाद' (Realism) कहा जाता है। क्योंकि 'आदर्श-वाद' की प्रतिक्रिया के रूप में ये 'वाद' उत्पन्न हुए थे इसलिए इन 'वादों' का नाम 'यथार्थ-वाद' रखा गया—'आदर्श' का उल्टा 'यथार्थ'। 'प्रकृति-वाद' (Naturalism) तथा 'यथार्थ-वाद' (Realism) का लगभग एक ही अर्थ है। 'यथार्थ-वाद' (Realism) के युक्त में तीन भेद माने जाते हैं। 'ह्य मनिस्टिक यथार्थवाद' (Humanistic realism), 'समाजिक-यथार्थवाद' (Social realism) तथा 'इन्द्रिय-यथार्थवाद' (Sense realism)। इन तीनों ये वर्णन 'शिद्धा-मनोविज्ञान' (चन्द्रात्मी लत्वनपाल-कृत) के प्रयत्न अध्याय के प्रारम्भ में ही कर दिया गया है। 'प्रकृति-वाद' (Naturalism) का गुरु रूप 'इन्द्रिय-यथार्थ-वाद'

(Sense realism) है। 'प्रकृति वाद' का 'शिक्षा' पर निम्न प्रभाव पड़ा —

प्रकृतिवाद या इन्द्रिय यथार्थवाद (Naturalism or Sense Realism) का गिर्हा पर प्रभाव —

(१) अब तक शिक्षा में पुस्तकों को बहुत अधिक महत्व दिया जाता था। वाठशाला का आधे से अधिक समय ग्रीक, लैटिन, समृद्ध, अरबी, फ्रांसी पढ़ाने में नष्ट कर दिया जाता था। व्याखरण तथा कोश जैसी पुस्तकें रट लेना विद्यार्थी के जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य था। पुस्तकों का पाठ्य दिखा सरुने में शिक्षा का महत्व समझा जाता था। 'प्रकृति वाद' या 'इन्द्रिय यथार्थवाद' (Naturalism or Sense Realism) ने इस प्रवाहको रोक दिया।

(२) शुरू-शुरू में घेकन तथा कोमिनियम ने कहा कि शिक्षा का काम पुस्तके पढ़ा देना नहीं, अपितु प्रकृति के अनुसार चालक को चलाना है। इसी अपार्ज को रुसो ने और जोर से उठाया। उसने रुद्ध कि चालक को अपने स्वभाव के अनुसार स्थिति विकसित होने दो—समाज से परे, चालक रुद्धों के बातावरण से दूर, शिक्षक की इच्छाएँ से इट कर, प्राहृतिक चातावरण में चालक का उचित विकास हो सकता है। हम चालक को पुस्तकों से, अध्यापकों से, 'और न जाने किस किस चीज से ऐसे घर देते हैं मानो वह कैदी हो। हमें शिक्षा देने की इतनी आपश्यकता नहीं है जितनी जिस प्रकार की शिक्षा हम दे रहे हैं उसे हटा लेने की।

(३) चालक के ऊपर पोथिया लाद देना, यह समझना है कि यह 'चालक' नहीं, 'मनुष्य' है। हम यह भूल जाते हैं कि चालक चालक है। रुसो ने चालक को अपना खोया हुआ स्थान दिया। उसने इस चाल पर जोर दिया कि चालक भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में से गुजरता है। पहले शैशवायस्था आती है, पिर व्यवस्था,

धार्म्यापत्था, किरोपवस्था और फिर परिपक्वावस्था आती है। रुसो ने एक कल्पित यालक का एमिली (Emile) नाम रखकर उसके जीवन को शिशु-काल, बचपन, यात्य-काल, किशोरावस्था वा परिपक्वावस्था—इन पाँच मार्गों में बॉटकर उसस्ती शिक्षा किस प्रकार हानी चाहिये इसका वर्णन किया। दूर अवस्था में यालक में भिन्नता आती है। रुसो के इसी वर्णन से यालक की 'प्राकृतिक-शक्तियाँ' (Instincts), 'स्थार्याभावों' (Sentiments) वा 'चुदि' (Intelligence) आदि का अध्ययन होना प्रारम्भ हुआ। रुसो के दर्शाए नार्ग पर चल कर ही यालक को एक स्वतंत्र 'व्यक्ति' (Individual) समझ जाने लगा और शिक्षा में 'व्यक्ति-वाद' (Individualism) का सूत्र-मार्ग हुआ। 'शिक्षा-मनोविज्ञान' का भी इसी समय से बीज पड़ा समझला चाहिये।

✓ (४) 'प्रकृति-वाद' (Naturalism) ने इस यात पर भी धोर दिया कि शिक्षा में 'विज्ञान' पर बल देना चाहिये। शिक्षा की पढ़ात के विषय में 'प्रकृति-वाद' ने कहा कि यालक को पुस्तकों से घरने के स्थान में ऐसी प्राकृतिक परिस्थितियाँ से घर देना चाहिये जिससे वह स्वयं ज्ञान प्राप्त कर सके। इसी को 'हेरिस्टिक मेथड' (Heuristic Method) कहा जाता है। यालक जो सीखे स्वयं सीखे, परीक्षण करता जाय और सीखता जाय, करे और सीखे (Learning by doing)—इन सब सिद्धान्तों को 'प्रकृति वाद' (Naturalism) ने प्रोत्साहित किया। अब तो यलक को शिक्षा का केन्द्र बना दिया गया है, और इसी व्य परिणाम दे कि शिक्षक या पाठ्यविषय मुख्य होने के स्थान पर शिक्षा में यालक ही मुख्य समझ जाने लगा है। इसी भावना के प्रभाव हो जाने में 'डाल्टन लैन'—'प्रोजेक्ट-स्ट्रक्चर्च'—'मॉन्टोसरी-प्रदर्शि' आदि का निर्माण हुआ है। 'मनोविश्लेषण-वाद' (Psycho-

analysis) मेरे वशों के दोपो तथा अपराधों की तरफ भी 'प्रकृति वाद' की लहर ने ही शिक्षाओं का ध्यान आकर्षित किया है।

४. क्रिया-सिद्धि-वाद (PRAGMATISM)

अमरीका मेरे जान ड्यूई (१८५८) ने 'क्रिया सिद्धिवाद' (Pragmatism) की खापना की। इसके आधार भूत तत्व निम्न हैं—
क्रिया सिद्धि-वाद के आधार भूत तत्त्व—

(१) किसी भी सिद्धान्त को परखने की कसोटी यह है कि उससे क्रिया सिद्धि किस प्रकार होती है, 'अनुभव' (Experience) मेरे वह कैसा जचता है। क्या वह सिद्धान्त हमारे उद्देश्य को पूरा करता है, या नहीं, हमारी समस्याओं को हल करता है, या नहीं। अगर पूरा करता है, अगर उससे हमारी क्रिया सिद्धि होती है, अगर वह हमारी समस्याओं को हल करता है, अगर 'अनुभव' से वह ठीक जचता है, तब तो वह ठीक है, अन्यथा नहीं। संसार मेरे 'निरपेक्ष सत्य' (Absolute truth) कही नहीं, परमार्थ-३ सत्य का विचार मनुष्य को आगे बढ़ने से रोकता है। हम अनुभव से, किसी चीज से काम लेने वाले वह सकते हैं कि वह वस्तु कारगर है या नहीं, अगर उससे क्रिया सिद्धि होती है, तब ठीक, नहीं होती, तब सब लोग मिलकर भी उसमा समर्थन क्यों न कर, वह निरर्थक है।

(२) इसके अतिरिक्त हम व्यक्ति पर स्वतन्त्र रूप मेरे विचार कर ही नहीं सकते। यह घर मेरे जन्म लेता है, स्कूल मेरे जास्त एक सामाजिक समुदाय मेरे रहता है, स्कूल से नियमित भी समाज मेरी जीवन व्यतीत करता है। या तो वह समाज मेरी जीवन व्यतीत पर रहा होता है, या समाज मेरी जीवन व्यतीत करने की नियारी कर रहा होता है। इसलिए इसी भी वात पर परखने का दरमान

सिद्धान्त यह है कि उससे 'सामाजिक सीखर्य' (Social efficiency) कहा तक बढ़ती है।

(३) हमारा सम्पूर्ण सामाजिक जीवन गुणा हुआ है, उसमें प्रृथकता नहीं, एकता है। डाक्टर को दुकानदार से, दुकानदार को वकील से, वकील से अध्यापक से, अध्यापक को बढ़ाई से, और इन सभी से एक दूसरे से काम पड़ता है। 'सामाजिक-सीखर्य' (Social efficiency) तभी हो सकती है जब समाज एक समुदाय के स्वयं में बनें। हमारा एक दूसरे से जो सम्बन्ध है उसे हम पहचानें और भव वा भव के साथ सहयोग हो—हम अपने-अपने प्रृथक-प्रृथक समुदाय में ही अपने झोड़े उस प्रकार न तोड़े रह, जैसे जाट जाटों री, वर्तिये वर्तियों की ओर राजपूत राजपूतों का विराटरी चनापे बैठे हैं। 'सामाजिक-सीखर्य' के लिये जब इतरेतराभूत ही रह नहत है।

किया निदिन्बाद का 'शिक्षा' पर प्रभाव -

प्रभाव इम 'गाँ' का 'शिक्षा' पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ रहा है। इन्हें कहन है कि चब चालक के विषय में हम उसे समाज से अलग बरके सोच ही नहीं सकते, यह हर समव या तो समाज में है या समाजिक जीवन के लिये तथ्यारी पर रहा है, तब आदर्श पाठशाला की कल्पना करत हए हमें यद्दी सोचना दोगा नि पाठशाला भी एक द्वोटा-मा समाज है। 'परिवार', 'पाठशाला' और 'समाज' के यातानरण में अगर जमीन यासमान का अन्तर है, तो ये तीनों असफल सिद्ध होंगे। तीनों का पारस्परिक सम्बन्ध आपरद है। कहलाग गुरुकूल शिक्षा प्रसाली के सम्बन्ध में यही आचेप करते हैं कि उसमें ब्राह्मचारिणों को सामाजिक परिस्थितियों में नियंत्रण देय रखा जाता है। 'गुरुकूल' शब्द का अर्थ है 'गुरु' का बुन्न, अर्थात् 'परिवार'। 'गुरुकूल' का अर्थ

आदर्श याद, प्रशृति याद, क्रिया मिद्दि याद :

हे कि परिवार की भावना घर म ही नहीं पाठशाला म भी कनी रहे,
इस इष्टि से इनका उहेश्य पर्तमान पाठशालाओं से बहुत उचा है।
हाँ, सामाजिक परिस्थितियों से गुरुगुलों का दूर रखा जाता है—यह
अवश्य विचारणीय है। जो पाठशाला वालों को सामाजिक
जीवन के लिए तय्यार नहीं करती उह अमर्फल है। पाठशाला
तथा समाज में सिर्फ़ इतना ही अन्नर होना चाहिये नि समाज
पा दूर त यावायरण पाठशाला में न हो, परन्तु अगर इतना भारी
अन्तर दे कि पाठशाला में इहते हुए वालर समाज में सर्वे गो
अनभिज्ञ हें, उन्हें याज्ञार में संवाद लेना नहीं आता, वेक में सूप्या
जमा नहीं कर सकते, रेलगाड़ी में इस्लैं मकर नहीं कर सकते,
तब पाठशाला वालों को सामाजिक जीवन में चतुर नहीं
हना सकती।

इम समाज में देतते हें कि वे ही व्यक्ति किसी गम से
तत्परता से, उ साद मे श्रार सफलता से करते हें, जो अपने सामुन्ने
किसी लक्ष्य को उना लेते हें। इम सकान बनाना है, फिर इम
तत्परता में सन गम छोड़ कर उसमे जुट जाते हें, अगर अपने
हने के लिए मरान बनाना है, तब तो तत्परता और भी बढ़ जाती
है। वालों के सम्मुख भी जन इसी प्रकार का काहे लक्ष्य होता
है तब उनका किंग शीलता चरम सीमा को पहुच जाती है।
शक्षा देते हुए वालर के सम्मुख कोई 'लक्ष्य' (Object), कोई
'प्रयोजन' (Purpose), कोई 'योजना' (Project), कोई
'समस्या' (Problem) रस देनी चाहिए, फिर उह उसे इत्त
ररन म जी जान से जुट जाता है। जब वालर इस प्रकार किसी
'प्रयोजन' या 'योजना' को लेकर चलता है तब वह 'अदुभव' से
साम बरके बहुत बुद्ध सीध जाता है। 'किंग मिद्दि याद' (Pre
gramatism) का यह भा ज्ञन है छि समाज म सन एक दूसरे

के सहारे टिके हुए हैं, इसलिये पढ़ाई में भी प्रत्येक विषय को दूसरे से जोड़कर पढ़ाना ही पढ़ाने का सर्वोत्तम प्रकार है, इसी सिद्धांत को शिक्षा-शास्त्री 'सानुवन्ध-शिक्षा' (Correlation) का सिद्धान्त कहते हैं। अगर बालकों को वर्गीचा बनाने पर जुटा दिया जाय, और साथ ही उन्हें यह कह दिया जाय कि जो सान-सब्जी होगी वह उन्हीं की अपनी होगी, तो वे वर्गीचा लगाते-लगाते सिर्फ कृषि ही नहीं सीखेंगे, कौन बीज कहाँ होता है, कितने बीज लगाये हैं, कहाँ से कितने में खरीदे हैं—उन सब बातों को सीखते-सीखते गणित, भूगोल, दुर्घनडारी आदि कई बातें सीख जायेंगे। इसी विचार-धारा का अनुसरण करते हुए ड्यूइ के शिष्य क्लिपेंटिक ने 'प्रोजेक्ट-पढ़ाति' (Project method) दो जन्म दिया है।

५

शिक्षा के साधक-अंग

FACTORS IN EDUCATION)

प्रायः समझ जाता है कि शिक्षा पाठशाला में ही ही जाती है। कुछ अंश में यह ठीक भी है, परतु पाठशाला के अतिरिक्त शिक्षा के अन्य भी अनेक साधक अंग हैं। शिक्षा के साधक-अंगों को दो भागों में वांटा जा सकता है। एक तो ये अंग हैं जिनका स्कूल के साथ संबंध नहीं, इससे ये हैं जो स्कूल से सम्बन्धित हैं। हम पहले शिक्षा के उन साधक अंगों का वर्णन करेंगे जिन का स्कूल के साथ सम्बन्ध नहीं है, परन्तु फिर भी उनका चालक की शिक्षा पर भारी प्रभाव पड़ता है। ये अच्छे हों तो चालक अच्छा, और ये बुरे हों, तो चालक बुरा बन जाता है। ये साधक अंग निम्नलिखित हैं:—

१— स्कूल से असम्बद्ध शिक्षा के साधक-अंग

क. घर तथा परिवार

ख. समाज तथा धार्मिक समस्पाप

ग. उन्नेमा तथा ऐडियो

घ. सम्राट्यालय

इ. वाचनालय तथा पुस्तकालय

घर तथा परिवार—

बालक की शिक्षा का प्रारम्भ घर तथा परिवार में होता है। शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक शिक्षा का बीज घर में ही पड़ जाता है। माता-पिता बचावाम करते हैं तो बालक को बचावाम का शौक हो जाता है, वे पढ़ते-लिखते हैं तो उन्हे लेख कर वह भी पढ़ने का शौकीन हो जाता है, वे नियमित सन्चाहवन करते हैं तो वह भी धार्मिक-धूति का हो जाता है। इसके विपरीत जिस परिवार में माता पिता आलसी होते हैं, सिगरेट शराब पीते हैं, उस परिवार के बालकों से यही आशा की जा सकती है कि वे आलसी होंगे, सिगरेट शराब पियेंगे। परिवार के सदस्यों के जो विचार होते हैं, देरा की राजनीतिक समस्याओं पर उनमी जो सम्भावियां होती हैं, उन्हे सुननुत कर बालक भी ऐसे ही विचारों के हो जाते हैं। अगर घर का मातापरण अच्छा है, माता पिता आपस में लड़ते-भगड़ते नहीं, तो वहाँ भी नव्व स्वभाव के, आझाकारी होते हैं; अगर माँ-बाप में डण्डा चलता रहता है, गाली-गलौज हुआ करती है, तो बालक भी किसी बात की कसर नहीं छोड़ते। जिन घरों वा नैतिक माप-दण्ड बहुत ऊँचा होता है उनमें बालक भी विना विशेष प्रयत्न के उतने ऊँचे उठ जाते हैं। घर में स्वाभाविक तौर पर सराई रहती है, तो बालकों के स्वभाव में सर्वांगी बुल-गिल जाती है, अगर घर में यस्तुएं जहाँ-वहाँ विसरी पड़ी रहती हैं, तो बालक भी किसी बस्तु को सम्मान कर रखना नहीं सीखता।

समाज वा धार्मिक संस्थाएँ—

समाज के यातापरण का, और पिशोपतया धार्मिक संस्थाओं का बालक की शिक्षा पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक बालक हिन्दू धर्मने में पैदा हुआ है, यह जन्म से ही हिन्दू धर्म को मानने लगता

है। उसका जीवन का दृष्टि विन्दु दूसरे चालक से जो मुख्तिम घराने में हुआ है, भिन्न ही बना रहता है। इसाई घराने में जन्म लेने वाला चालक हरेक बात को और ही दृष्टि से देखता है। धार्मिक दृष्टिकोण प्रायः जीवन की दिशा को बदल देता है। बुद्ध ने धर्म के प्रभाव में घर छोड़ दिया, महमूद गजनी ने धर्म के प्रभाव में भग्निरों को तोड़ना शुरू कर दिया। इसमें सन्देह नहीं कि अब धर्म के प्रति निष्ठा धीरे धीरे कम हो रही है, परन्तु फिर भी धर्म के नाम पर ही तो भारत के विभाजन के समय निरपराध तथा असहाय व्यवहारों तथा विद्यार्थी के रुधिर से आताविद्यार्थी ने अपने हाथ रंगे। धर्म का प्रभाव कम हो जायगा तो समाज में जो दिनोंदिन नवीन परिस्थितिया उत्पन्न होती जा रही हैं उनका असर चालक की शिक्षा पर होने लगेगा। हर हालतमें समाज चालक पर प्रभाव ढालता ही रहेगा।

सिनेमा तथा रेडियो—

आज सिनेमा चालकों की शिक्षा को बड़ी जोर से प्रभावित किये हुए है। कभी-कभी स्कूलों कालेजों के विद्यार्थी आधे टिकट में सिनेमा देखने का अधिकार पाने के लिये हड्डताल कर देते हैं। सिनेमा में प्रत्येक घटना को इस मोहर के रूप में वर्णाया जाता है कि मस्तिष्क पर उसकी अभिट छाप पढ़ जाती है। शिक्षा वी दृष्टि से अगर उच्च कोटि के सिनेमा विद्यार्थियों को दिलाये जायें तो बहुत लाभ हो सकता है, परन्तु जैसे निरुम्मे सिनेमा आजकल चल रहे हैं उनके देखने पर राज्य की तरफ से प्रतिवन्ध होना चाहिये। रेडियो द्वारा निस्सन्देह अच्छे अच्छे प्रोग्राम व्यवों को भेट किये जाते हैं। क्योंकि रेडियो का नियन्त्रण राज्य के हाथ में है, अतः इससे उतने अचान्कनीय भूम्कार नहीं पड़ते जितने सिनेमा से, पढ़ जाते हैं। आजकल के युग में जब कि हरेक काल लोग

४४ 'शिक्षा-शास्त्र'—सिद्धान्त, विधि, विधान, इतिहास

आसानी से करना चाहते हैं, कोई कष्ट नहीं उठाना चाहते, रेडियो शिक्षा का मर्यादिम साधन हो सकता है। घर बैठे सगीत, व्याख्यान, समाचार, समालोचनाएँ सुन लेना रेडियो से ही सम्भव है।

सप्रहालय —

शिक्षा का अर्थ है संसार की प्रत्येक वस्तु का ज्ञान। संसार में हर जगह कौन जा सकता है? इसी उद्देश्य से सप्रहालयों का निर्माण किया जाता है जिससे सब जगह भटकने की जगह एक ही स्थान में सब-कुछ देखा जा सके। इम बालकों को इतिहास, भूगोल पढ़ाते हैं—वर्तमान तथा भूत की बातें धतलाते हैं, और भिन्न भिन्न वस्तुओं की चर्चा करते हैं। सप्रहालयों द्वारा इन सभी का सदृज ज्ञान हो जाता है। अन्वर्दि, कलरक्ता आदि शहरों में सरकार की तरफ से संप्रहालय हैं, परन्तु प्रगतिशील सरकार को हरेक शहर में सप्रहालय बनाने चाहिये जिससे बालक उनमें सब वस्तुओं को अपनी आंखों से देखकर शिक्षा प्राप्त कर सकें। भाता-पिता तथा शिक्षकों का भी कर्तव्य है कि वे समय-समय पर बालकों को सप्रहालयों में ले जाकर, जहाँ तक हो सके, प्रत्येक वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान करायें।

बाचनालय तथा पुस्तकालय —

दैनिक, साप्ताहिक, मासिक पत्र-पत्रिकाओं के द्वारा शिक्षा का महान् भण्डार प्रतिदिन वितरण होता रहता है। इनमें सब प्रसार की सामग्री छहती है। एजनीटि में रुचि रखने वालों के लिए एजनस्माइंडों के भाषण, व्यापार में रुचि रखने वालों के लिए वस्तुओं के भाव, रेल में रुचि रखने वालों के लिए भिन्न-भिन्न सामुद्र्यों के समाचार—समाचार-पत्रों में सभी युद्ध रहता है। जो बालक समाचार पढ़ने लग जाते हैं, उनकी आधी शिक्षा

तो इन पत्रों द्वारा ही हो जाती है। आजकल भिन्न भिन्न शहरों में डिस्ट्रॉक्ट बोर्डों, म्यूनिसिपैलिटियों तथा सर्वजनिक संस्थाओं की तरफ से वाचनालय खुले हुए हैं जिनमें प्रायः सभी प्रसिद्ध प्रसिद्ध समाचार पत्र आते हैं। शिक्षा में इनका बड़ा स्थान है। वाचनालय के अलावा पुस्तकालय का महत्व किसी प्रसार कम नहीं है। प्रत्येक ० वर्किंग के लिये पुस्तक सरीद सरुना सभव नहीं, न ही प्रत्येक पुस्तक ऐसी होती है जिसे अपने पास रखना आवश्यक ही हो, किसी एक बात के जानने भर के लिये उस की आवश्यकता होती है। ऐसी अवस्था में पुस्तकालयों का होना आवश्यक है ताकि पढ़ो लिखी जनता उनसे ज्ञान वृद्धि कर सके। हर्ष का विषय है कि राष्ट्रीय सरकार गावों में पुस्तकालयों की योजना पर विशेष ध्यान दे रही है।

२—स्कूल से समन्वय शिक्षा के साधक अग

(अध्यापन तथा अध्यापक)

वालक की शिक्षा में स्कूल से असवद्ध जो साधक अग है उनका वर्णन हम कर चुके। अब हम उन साधक अगों का वर्णन करेंगे जिनका स्कूल से ही विशेष सम्बन्ध है। स्कूल का सबध मुख्य तीर पर 'वालक', 'अध्यापन' तथा 'अध्यापक'—इन तीनों से है। वालक के सम्बन्ध में तो हमने 'शिक्षा मनोविज्ञान' नामक अलग प्रन्थ लिया है, उस में वालक के सबध में विस्तृत विवरण दिया गया है। अध्यापन में शिक्षक के लिए भीन कीन से साधक अग है उन का सक्षित विवरण यहाँ दिया जाता है। इन्हीं अगों को कई लेटर्सों ने 'शिक्षा की विधियों' (Devices in Education) के नाम से दिया है। अध्यापन करते हुए शिक्षक को निम्न बातों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है—

- (क) अध्यापक की घनि
- (ख) अध्यापक को भाषा
- (ग) विषय की सैपारी
- (घ) प्रश्न तथा उनके पुछने की विधि
- (ङ) प्रश्नों के उत्तर
- (च) उदाहरण
- (छ) व्याख्या तथा वर्गीन
- (ज) लिंगित-कार्य
- (झ) गृह-कार्य
- (ञ) पाठ्य पुस्तक
- (ट) रसायनपट
- (ढ) सूचना का मग्नात्मय, वाचनालय, पुस्तकालय

अध्यापक की घनि (Voice and Tone)—

कई अध्यापक एक ही घनि में धन्ते के शुरू से अन्त तक बोलते जाते हैं। यह ठीक नहीं। अच्छे व्याख्याता सी वरद जहाँ ऊँचा बोलना हो वहाँ ऊँचा, जहाँ नीचा बोलना हो वहाँ नीचा बोलना चाहिये। एक ही घनि को मुनते-मुनते बालक थक जाते हैं। कई अध्यापक बहुत चिल्हते हैं। वे समझते हैं जितना ही वे ऊचा बोलेंगे उतना ही विद्यार्थी जल्दी समझेंगे। अगल बात यह है कि जब अध्यापक स्थवं किसी विषय को ठीक नहीं समझता तब ऊचा चिल्हाफर सन्तोष करता है। याद समझने में समझ में आती है, चिल्हाने से नहीं। न बहुत ऊचा बोले, न बहुत नीचा, तुला हुआ बोलें, और स्थवं ही न बोलता जाय, अवश्यकता पड़ने पर विद्यार्थियों को भी अपनी कहने दे—यही शिक्षा क्य ठोस नियम है।

अध्यापक की भाषा (Language)—

ऋद्ध अध्यापक अपना पांडित्य दिखाने के लिए वचनों के सामने भी ऐसी भाषा बोलते हैं जिसे वडे भी न समझ सकें। वचनों के सामने वचनों की सी, और वडों के सामने वडों की-सी भाषा का प्रयोग ही अच्छे शिक्षक की चतुरता है। भाषा भाव प्रकट करने का साधन है, परिउत्तार्दि दिखाने का नहो—विशेष तौर पर शिक्षक के लिये।

विषय तैयारी (Preparation and Planning)—

प्रायः देरा गया है कि अध्यापक विना किसी तैयारी के पढ़ाने आ वैठते हैं। जो स्थिर किसी विषय को नहीं समझ पह दूसरे को भी नड़ी समझ सकता, इसलिए विद्यार्थी भी उनमें युछ नहीं समझ पाते। ऐसे अध्यापक केवल पाठ्य पुस्तक से पढ़ते जाते हैं—न उनके पल्ले युछ पड़ता है, न लड़कों के पल्ले। जो अध्यापक किसी विषय को जितना स्थिर गहराई से समझ हुआ होगा वह उतनी ही जल्दी विद्यार्थियों को समझा सकेगा—सरे से तो नहीं नहीं यहती, भरी भील से ही नहीं निरलती है। तैयारी करने हुए अध्यापक को स्थिर कई नई नई बातें सूझती हैं। प्रत्येक अध्यापक के लिए आवश्यक है कि जब भी पढ़ाने जाय पूरी तैयारी करके जाय, और अगर एक ही पाठ को अनेक बार भी क्याँ न पढ़ाना पड़े, उसकी अनेक बार ही तैयारी करे। जो अध्यापक पूरी तैयारी से पढ़ाते हैं उनका अनुभव है कि पढ़ाते हुए उन्हें धमाकट नहीं होती। इसमें कारण यह है कि विना तैयारी करके पढ़ाने में स्थिर समझने और विद्यार्थी को समझाने के दो काम हमें करने पड़ते हैं, और तैयारी के बाद पढ़ाने में केवल समझाने का ही काम करना पड़ता है।

४८ 'शिक्षा शास्त्र'—सिद्धान्त, विधि, विधान, इतिहास

पढ़ने की तैयारी किस प्रकार करनी चाहिए इस विषय पर जर्मनी के शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट के पाँच शिक्षा क्रम (Herbart's Five Steps) प्रसिद्ध हैं जो निम्नलिखित हैं—

- (क) तैयारी (Preparation)
- (ख) निरीक्षण (Presentation)
- (ग) तुलना तथा निष्कर्ष (Comparison and Abstraction)
- (घ) नियम निपासण (Generalisation)
- (ट) प्रयोग (Application)

तैयारी—तैयारी का एदेश्य यह है कि विद्यार्थी के सम्मुख आगे आने वाली समस्या को खोलकर सष्ठ रख दिया जाय। उसे मालूम हो कि किस प्रकार को उसे हल करना है। अध्यापक या औशत इसी में है कि आनेवाली समस्या को हल करने में विद्यार्थियों का अव तर का जो सचित ज्ञान है, अव तक या जो 'पूर्यानुयर्ती ज्ञान' (Apperceptive mass) है, उसे जागृत कर दें, और उन्हे नवीन विषय के ज्ञान में किसी प्रकार भी घनरुद्ध न हो। इसके लिये ५-७ मिनट काफी हैं।

निरीक्षण—अध्यापक का दूसरा काम उस समूर्ण सामग्री को प्रियार्थियों के सम्मुख रख देना है, जिसके आधार पर वे अपने सामने रखी हुई समस्या को हल पर सकते हैं। कई उदाहरण, कई प्रयोग, कई घटनाएँ प्रियार्थियों के सामने रख कर स्वयं परिणाम नियालने के लिये उन्हें तैयार करना होता है। इसमें सबसे अधिक उम्मत लगता है। २५-३० मिनट इसमें लग जाते हैं।

तुलना तथा निष्कर्ष—प्रस्तुत के सष्ठ हो जाने तथा उस पर प्रक्षरा ढालनेवाली सामग्री के उपस्थित हो जाने के

शिक्षा के साप्तरु अंग

वाद उदाहरण, प्रयोगों, घटनाओं की समानता-असमानता को, उनकी तुलना को फरना आवश्यक है। यह तुलना इस प्रकार करनी चाहिए जिससे विद्यार्थी स्वयं परिणाम निकाल सके। जब अध्यापक अनेक वातों को विद्यार्थी के सम्मुख रखकर उनकी तुलना करने लगता है तो उसमें से स्वयं कई नियम निकलते दीख पड़ने लगते हैं। इसी को 'निष्कर्ष' कहते हैं।

नियम-निर्धारण—निष्कर्ष निकलते ही विद्यार्थियों के सम्मुख खड़ा हुआ प्रश्न हल हो जाता है, समस्या, समस्या नहीं रहती, उन्हें नियम स्पष्ट रूप में दीखने लगता है। अगर विद्यार्थियों को नियम स्पष्ट न हो तो समझना चाहिये कि 'नैयारी' तथा 'निरीक्षण' में वही दोप रह गया है। विद्यार्थियों को ऐसा प्रतीत होना चाहिये कि उन्होंने स्वयं नियम निर्धारण किया है, अध्यापक ने उन्हें अपनी तरफ से बता नहीं दिया।

प्रयोग—नियम निर्धारण कर चुकने पर उमरी सत्यता सिद्ध करने के लिये उसे भिन्न भिन्न जगह, और भिन्न-भिन्न प्रकार से घटायर दियाना चाहिए, जिससे विषय विलुप्त स्पष्ट हो जाय, उसमें रही-सही अस्पष्टता भी न रहे। इस प्रकार 'प्रयोग' के बाद शिक्षक को बालकों से प्रश्न पूछने चाहिये। जिससे उसे मालूम पड़ जाय कि बालक विषय को रहों तक समझे हैं।

विचार प्रक्रिया में 'आगमन' (Inductive) तथा 'निगमन' (Deductive)—ये दो प्रक्रियाएँ होती हैं। इनका वर्णन इसी पुस्तक में अन्य स्थान पर किया गया है। हर्याट के इन पाँच क्रमों में 'आगमन' (Induction) तथा 'निगमन' (Deduction) दोनों को जोड़ दिया गया है, और इनके ऊँड़ ररक म बहने से ही विचार-प्रक्रिया ठांक तीर पर चलती है।

प्रश्न तथा उनके पूछने की विधि (Types of Questions)—

प्रश्नों द्वारा विषय को स्पष्ट करने का तरीका बहुत पुराना है। उपनिषदों में शिष्य प्रश्न करते हैं, गुरु उत्तर देते हैं। कभी-कभी गुरु भी प्रश्नों द्वारा शिष्य को सिखाता है। मुकुर्यत की अपने विचारों को जनता तक पहुँचाने की प्रणाली 'प्रश्न प्रणाली' ही थी। अध्यापक भी विद्यार्थी से प्रश्न करके उसी से उत्तर निरलवा सर्वता है, और उस के उत्तरों से समझ खरुता है कि विद्यार्थी विषय को समझ या नहीं।

प्रश्न दो प्रकार के हो सकते हैं :—‘जाँच करने वाले प्रश्न’ तथा ‘ज्ञान देने वाले प्रश्न’। ‘जाँच करने वाले प्रश्न’ पाठ के प्रारम्भ तथा अन्त में किये जाते हैं। प्रारम्भ में इसलिये जिससे नवीन विषय को समझने के लिये बालक तैयार हो जाय। इनसे विषय समझने की भूमिना वध जाती है। ये प्रश्न अन्त में इसलिये किये जाते हैं जिससे यह पता चल जाय कि बालक विषय को समझ गये हैं, या नहीं। ‘ज्ञान देने वाले प्रश्न’ नई बातें सिखलाते समय किये जाते हैं। इन प्रश्नों द्वारा बालक का मस्तिष्क नई बातों को स्वेच्छा से चल पड़ता है। आगर शिशुरु देरे कि विद्यार्थी अभी विषय को समझने की तरफ ठीक ठीक नहीं चला, तो छोटे-छोटे तथा सख्त प्रश्नों द्वारा उसे ठीक दिशा की तरफ ले जाने का प्रयत्न करना आवश्यक हो जाता है।

शिशुर के लिये यद भी जानना आवश्यक है कि प्रश्न कैसे हो ? प्रश्न सख्त भाषा में पूछे जाने चाहिये, उनके अनेक उत्तर न होकर एक ही उत्तर होना चाहिये, छोटे होने चाहियें, एक प्रश्न में एक ही वार्ता पूछनी चाहिये, प्रश्न में ही उत्तर नहीं आजाना चाहिये, हां-ना में ही उत्तर नहीं आना चाहिये, प्रश्न

न विद्यार्थियों के बुद्धि-स्तर से बहुत ऊचे ही होने चाहियें, न बहुत नीचे ही, उनका उत्तर सोचने में बुद्धि को कुछ जोर लगाना पड़े इतने कठिन अवश्य होने चाहिये, और प्रश्न स्पष्ट तथा निश्चित होने चाहिये ।

इसके अतिरिक्त शिक्षक के लिए यह भी जानना आवश्यक है कि प्रश्न किस ढंग से पूछने चाहियें । एक ही विद्यार्थी से बार बार प्रश्न नहीं करना चाहिए, सारी कक्षा से प्रश्न करना चाहिए ताकि उत्तर देने के लिए सभी तेयार रहें, फिर भले ही किसी से भी पूछ जिया जाय, प्रश्न बरते हुए किसी एक विद्यार्थी की तरफ संयेत कर देने से दूसरे मोचना छोड़ देते हैं इसलिए प्रश्न पूछने से पहले किसी की तरफ संयेत नहीं करना चाहिए, प्रश्न बरते हुए कठोरता नहीं धारण करनी चाहिए, इस ढंग से प्रश्न करने चाहियें जिससे निन विद्यार्थियों को विषय नहीं आता उन्हें भी स्पष्ट होता जाय ।

प्रश्नों के उत्तर (Ans vers) —

प्राय बालक मुह मुह में ही उत्तर दे जाते हैं, वे इतना अस्पष्ट उत्तर देते हैं कि पास खड़े हुए को भी मुनाई नहीं देता । इसका कारण यह है कि उन्हें अपने उत्तर के ठीक होने का भरोसा नहीं होता । जो बालक जितना ठीक जानता होगा वह उतना ही स्पष्ट और जोरदार उत्तर देगा । अगर बालक ऐसा उत्तर दे जा आधा ठीक, आधा गलत हा, उसे सर्वथा गलत यह देना ठीक नहीं, जितना उत्तर ठीक हो उतना ही ठीक, जितना गलत हो, उतना ही गलत यत्तेजना चाहिए । विद्यार्थियों से यह भी अभ्यास करना चाहिए कि उत्तर देते हुए क्रम-यदृ चिचार-धारा में उत्तर दें, यूँ ही असम्यद्व रूप से न बोलते जॉय । अगर उनसे भारतीय स्वतन्त्रता पर नियन्त्र लिखने को, या

अपने विचार प्रकट करने को कहा जाय, तो शिक्षक के लिए यद्युदेखना आवश्यक है कि विद्यार्थी किसी क्रम से अपने विचारों को प्रकट करता है, या युँ ही जो विचार आता जाता है उसे लिखता या कहता चला जाता है। उत्तर देते हुए अपने विचारों को किसी क्रम में प्रकट करने की आदत विद्यार्थी में डालनी चाहिये।

उदाहरण (Illustration) —

किसी चीज को समझने के लिए उस चीज को दिखा देना या उससे मिलती-जुलती चीज को दिखा सकना शिक्षा में बहुत उपयोगी है। मॉडल, चित्र, ड्राइड से हम उस चीज के असली रूप को नहीं तो उससे मिलते-जुलते रूप को दिखा सकते हैं। सब से अच्छा तो यह है कि उस पत्तु को ही दिखा दिया जाय, उसे न दिखा सके तो उसके मॉडल बना कर दिखाना चाहिये, यह भी न हो सके तो उसमा चित्र दिखा दना चाहिए, चित्र भी न मिले तो अपने हाथ से उसकी ड्राइड बना कर दिखा देना चाहिए क्योंकि अस्त्रों द्वारा जो वस्तु देखी जाती है उससे अधिक सष्टुति होता है। जहाँ तक हो सके चित्रों में अशुद्धि नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगर याजक अशुद्ध चित्र को देख कर कोई विचार बना लेगा तो उसी को ठीक समझने लगेगा।

व्याख्या तथा वर्णन (Explanation and Description) —

कहुँ याते अध्यापक की व्याख्या तथा उसके विशेष वर्णन के विना विद्यार्थियों को सपष्ट नहीं होती। शिक्षा की पुस्तक में यही 'भीनीटर पद्धति' राख आ गया। इनसे से विद्यार्थी को क्या पढ़ा लग सकता है? शिक्षक को इसकी व्याख्या करनी होगी। कभी-कभी व्याख्या के अविविक्त किसी भारत का वर्णन भी

करना होगा। पढ़ाते-पढ़ाते 'अमरीका की राज्य-क्रान्ति' का कही उल्लेख आ गया। यहां व्याख्या से काम नहीं चलेगा क्योंकि व्याख्या तो शब्द के अर्थ का खुलासा करती है; यहां 'अमरीका की राज्य-क्रान्ति' का छोटा-मोटा वर्णन कर विद्यार्थियों को समझना होगा।

लिखित-राय (Written Work) —

अध्यापक विद्यार्थियों को लिखित कार्य देने हैं, परन्तु अगर वे उसे जानते नहीं तो यह-सब बेकार है। जाँचने पर भी अगर विद्यार्थी को यह पता नहीं लगता कि उसने क्या अगुद्धि की है, तथ भी लिखित कार्य देना बेकार है। प्राय देखा जाता है कि विद्यार्थी एक ही अगुद्धि को बार-बार करते हैं। इसका यही कारण है कि लिखित कार्य किसी ढंग से नहीं चलता। कई अध्यापक इतना लिखित-कार्य देते हैं जिसे जाँच नहीं सकते; उई अध्यापक इतने सुस्त होते हैं कि कार्य देकर भी उसे नहीं जाँचते। सबसे अन्धा यह है कि अध्यापक लिखित-कार्य देसकर मोटी-माटी अगुद्धियाँ नोट कर ले और सबको रुक्का में समझ दे ताकि विद्यार्थी वैसी अगुद्धियाँ आगे से न करें। यह भी अन्धा है कि जिसकी कापी हो उसी में अपने सामने जाँच कराये और उसी से प्रश्न कर-फरके शुद्ध कराये ताकि वह आगे से वैसी अगुद्धि न करे।

यह कार्य (Home Work) —

प्राय विद्यार्थी पुस्तकों का थेले-का धेला घर ले जाते हैं। प्रत्येक अध्यापक उन्हें भरपूर कार्य घर फरने के लिए दे देता है। काम इतना हो जाता है कि या तो विद्यार्थी पुढ़ करके ही नहीं लाते, अगर लाते हैं तो सब बेसिया। जलदी-जलदी में हो भी क्या सकता है। भारतीय परिस्थिति में तो कई बालक ऐसे

भी हैं जिन्हें स्कूल में जाकर पढ़ना होता है, घर में आकर मार्ग-पिता का घर के काम में भी हाथ बटाना होता है। उनके लिये वो स्कूल ने दिया हुआ गृह-कार्य कर सकना असम्भव हो जाता है। गृह-कार्य की समस्या को हल करने के लिये आवश्यक है कि अध्यापकों का आपस में सहयोग हो। एक दिन एक अध्यापक कार्य दे, दूसरे दिन दूसरा। इस उद्देश्य से एक ही कक्षा के अध्यापकों का परस्पर मिल कर सम-कुछ तथा कर लेना आवश्यक है, तभी गृह-कार्य देने में कुछ लाभ हो सकता है और यह समस्या हल हो सकती है।

पाठ्य-पुस्तक (Text Book) —

आजकल इस बाब पर बल दिया जाता है कि पाठ्य-विधि ने 'पाठ्य-पुस्तक' न रखकर 'पाठ्य विद्यार्थी' का निर्देश कर देना चाहिए, और अध्यापक तथा विद्यार्थी को अनेक पुस्तकों में से तथा मेहनत करके भिन्न-भिन्न विषयों का पढ़ना चाहिए। बाब भी ठोक है, जब विद्यार्थी भिन्न-भिन्न पुस्तकों में से किसी विषय को तैयारी करेगा तथा उसका ज्ञान एक ही पाठ्य-पुस्तक में से सम-कुछ पढ़ जाने को अपेक्षा अधिक होगा। परन्तु हमारा दुर्भाग्य है कि अभी हमारे शिक्षक भी इस योग्य नहीं जो भिन्न-भिन्न पुस्तकों में से अपने विषय की तैयारी करके विद्यार्थियों द्वारा पढ़ायें। कालेज के प्रफ़्रेसरों के लिए वो यह बाब ठोक है कि वे एक ही पाठ्य-पुस्तक पर निर्भर न कर सब जगह से संप्रह करके एक विषय को विशद करने का प्रयत्न करें, परन्तु अभी भूल में जो असत्य है उसे देखते हुए पाठ्य-पुस्तकों की आवश्यकता से इन्हार नहीं किंग जा सकता। हाँ, अच्छा यही है कि विद्यार्थियों में इतनी योग्यता उत्पन्न कर दी जाय जिससे वे अपने प्रधन से 'पाठ्य-पुस्तक' पर निर्भर न रह कर 'पाठ्य-विषय' को भिन्न भिन्न

प्रभ्यों से बटोर सकें। छोटी कच्चाथों के लिए तो हर हालत में पाठ्य-पुस्तकों की ही आवश्यकता रहेगी और उन्हें ऐसे ढङ्ग से लिखना होगा जिससे बाजक उन्हें आमानी से समझ सके।

श्यामपट (Mach Board) —

शिक्षक श्यामपट को भेज-कुर्सी की तरह स्कूल का फर्नीचर-मात्र समझते हैं, शिवा में इसके महत्व को नहीं समझते। मनो-विज्ञान का यह नियम है कि ज्ञान जितने भी अधिक द्वारों से आता है उतना ही मस्तिष्ठ पर गहरा प्रभाव छोड़ता है। कान से सुनने के साथ-साथ आँख से देखना ज्ञान को स्पष्ट तथा निश्चित बनाता है। शिक्षक को श्यामपट का अधिक-से-अधिक उपयोग करना चाहिए। जो कुछ पढ़ाता जाय उसका निचोड़ श्यामपट पर लिखता जाय ताकि विद्यार्थियों के लिए सब कुछ स्पष्ट होता जाय। लिखने हुए शुद्ध लिपि में लिखना आवश्यक है, नहीं तो अध्यापक के टेड़े मेड़े अच्छों की नकल करने के गरण विद्यार्थियों के अच्छे भी बिगड़ सकते हैं। श्यामपट का प्रयोग करते हुए शिक्षक को एक तरफ खड़े होकर लिखना चाहिए, कई शिक्षक बोर्ड के सामने खड़े होकर लिखने लगते हैं, श्यामपट ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ से सब विद्यार्थी देख सक, जहाँ पर्याप्त प्रकाश हो, जहाँ चौंध न पड़ती हो; श्यामपट पर इतनी ही बातें लिखनी चाहियें जो उसे इतना न भर दें कि यह किताब-सी बन जाय; पुराने निशान मिटा देने चाहियें; श्यामपट पर समय-समय पर स्थानी मिरवा लेनी चाहिए ताकि यह ठोक काम दे सके; पट को ठीक रखने की विद्यार्थियों की बारों बाँव देनी चाहिए।

भ्रह्मानय, बाचनालय, पुस्तकालय—

स्कूल से बाहर जो संप्रदालय (Museums), बाचनालय (Reading Rooms) तथा पुस्तकालय (Libraries) हैं

उनका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। स्कूल के भीतर भी संप्रदालय, पाचनालय तथा पुस्तकालय का होना आवश्यक है। भूगाल, जीव-विज्ञान आदि के अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को अपना सम्प्रदालय बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, स्कूल का अपना सम्प्रदालय तो होना ही चाहिए। स्कूल के पाचनालय तथा पुस्तकालय में ऐसी पुस्तकें रहनी चाहिएं जो विद्यार्थियों के सामान्य-ज्ञान को बढ़ाएं। पाठ्य पुस्तकों की कई-कई प्रतिवाँ रहनी चाहिए ताकि गरीब विद्यार्थी उनमें लाभ उठा सकें। प्रायः देखा जाता है कि स्कूल विद्यार्थियों से पुस्तकालय के नाम से कीस लेते रहते हैं, परन्तु विद्यार्थियों में पुस्तक पढ़ने का शीरू पैदा नहीं करते। जिस किसी तरह हो कीस जमा हो जाय, रुपया आ जाय, यह हमारे उद्देश्य नहीं होना चाहिए। शिक्षकों का कर्तव्य है कि यालक जिस स्तर का हो उसे वैसी पुस्तक पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। बचपन में कहानी की पुस्तक पढ़ना सभक्ष में आता है, परन्तु उन्हें भर कहानी-कहानी पढ़ते रहना सिद्ध करता है कि हमने अपने यालकों में उत्तम पुस्तकें पढ़ने वा शीरू पैदा नहीं किया।

३—स्कूल से सम्बद्ध शिक्षा के अन्य साधक-अंग

(प्रशानाध्यापक)

हमने लिखा था कि स्कूल में 'यालक' 'अध्यापन' तथा 'अध्यापक' ये तीन मुख्य हैं जिनमें से 'यालक' पर तो हम 'शिक्षा मनोविज्ञान'-नामक विद्युत पन्थ लिन्व चुके हैं, 'अध्यापन' के सम्बन्ध में आवश्यक यातों वा हम अभी उल्लेख कर चुके, अब हम 'अध्यापक' के सम्बन्ध में कुछ मोटी-मोटी बातें लिखेंगे।

'अध्यापक' के मार्ग में मुख्य काम 'प्रशानाध्यापक' का है। 'प्रशानाध्यापक' को स्कूल क्या प्रबन्ध करने के लिये अनेक

वातों करनी होती हैं परन्तु हम यहाँ नम्न वातों पर ही कुछ लिखेंगे, अन्य वातों पर पुस्तक में जहाँ तहा वहाँ विस्तार और कहीं संक्षेप से लिखा ही गया है —

- (क) प्रधानाध्यापक के वर्तीय समझना
- (ख) समय प्रभाग को जाना
- (ग) छात्रा ने माता पिताश्री से सहयोग
- (घ) छात्रावास का प्रबन्ध रखना

प्रधानाध्यापक (Headmaster) —

‘प्रधानाध्यापक’ के सम्बन्ध में पुराना विचार यह था कि यह एक जट्टाद है, हाथ में घेत लिये घूमता है विद्यार्थी और अध्यापक दोनों उस से डरते थे। मीठा पड़ने पर अध्यापक उसे सहयोग देने के स्थान में उसके विरुद्ध ऐसे पड़यन्त्र रखते थे जैसे आतंकी राजा के विरुद्ध प्रजा रखती है। यह डरता या तो सिर्फ इंसेक्टर से, और इसी से नहीं। अब ये सब विचार बदल गये हैं। ‘प्रधानाध्यापक’ के लिये आवश्यक है कि वह अपने जीवन तथा आचरण से अन्य अध्यापकों तथा विद्यार्थियों के लिये आदर्श बन कर रहे; इस बात को समझे कि परीक्षा में पास कर देना मात्र उसका लक्ष्य नहीं है, विद्यार्थियों की शिक्षा के साथ उनके आचार-व्यवहार को बनाना भा उसका काम है; अपनी प्रतिष्ठा बनाये रखे परन्तु उसके साथ ही हरेक के साथ सहानुभूति का वर्तीन करे, दूर समय द्वृग्मत ही न चलाये, इस प्रकार यहें कि अपनी तरफ से प्रार्थना करे तो दूसरे उसकी प्रार्थना दा आङ्गो की तरह पालन करें; साथ ही अध्यापकों का सहयोग पाने के लिये उन्हें भी सहयोग दें; पाठशाला की शाति भंग बरने वाले तत्वों को उत्पन्न ही न होने दें, हो जाय तो उनमा शीघ्र प्रतिश्वार करें; इंसेक्टर से दरने के बजाय उसे अपना मित्र

समके; माता-पिता के सड़योग को पाने का प्रयत्न करे; विद्यार्थियों के सामने ही अचापकों की ब्रुटि प्रशिक्त न करे, जो-कुछ चहना हो अलग बुला कर कहे, विद्यार्थियों के खेल आदि में भाग ले, स्वयं खेल न सके तो उनके खेलों में उपस्थित अवश्य रहे।

समय-विभाग-चक्र (Time-Table) —

‘प्रधानाध्यापक’ को चाहिए फि समय-विभाग बनाते हुए कठिन विषयों को ऐसे समय में रखे जब बालकों के नस्तिष्क राजे हों। स्कूल के अन्तिम घटकों में गणित के प्रश्न इल चरना असरलवा को निमन्त्रित करना है। स्कूल लगाने के दूसरे अन्तर में विद्यार्थी कान के लिए बहुत अधिक तैयार होता है क्योंकि पहले अन्तर में तो अभी वह बाहर से आया ही होता है, दूसरे अन्तर तक वह अपने को स्कूल के बातावरण के लिए बिल्कुल तैयार कर चुका होता है। विषयों में विविधता का ध्यान रखना भी आवश्यक है। जगन्निति के पीछे ही योजनागणित आ जाना ठीक नहीं। समय-विभाग ऐसा भी नहीं बनाना चाहिए जिससे एक दिन विद्यार्थी को पाँच विषयों में गृह-कर्य करना पड़े, एक दिन सिर्फ दो विषयों में। गृह-कर्य के साथ समय विभाग को नेत्र खाना चाहिए। छोटे बालक ३० मिनट से ज्यादा ध्यान नहीं जमा सकते, उनके अन्तर ३० ही मिनट के होने चाहिएं, बड़ों के ४५ मिनट के, परन्तु जिस विषय को कम समय निलगा चाहिए उसे कम ही देना चाहिए, परीक्षणों वथा हाय के काम दो ज्यादा निलगा चाहिए अतः उन्हें ज्यादा ही समय देना चाहिए। प्रत्येक छह में ‘समय-विभाग’ की प्रति रहनी चाहिए। ‘प्रधानाध्यापक’ के रुपरे ने दीन तरह का समय-विभाग रहना चाहिए। एक ऐसा जिससे नालूम पड़ जाय कि इस समय द्वान सो भेड़ों का चर्चा चर्चा कर रही है; दूसरे ऐसा जिससे नालूम पड़ जाय कि इस समय चीन अव्यापक क्षमा

कार्य कर रहा है, तीसरा ऐसा जिससे मालूम पड़ जाय कि इस समय किस अध्यापक का अन्तर चाली है। इससे प्रबन्ध में बहुत सुविधा होती है।

माता पिताओं से सहयोग (Parental co-operation) —

इस समय अवस्था ऐसी है कि प्रधानाध्यापक की शक्ति एक दिशा में लग रही है, माता पिताओं की उसने विरुद्ध दिशा में। अध्यापक चाहता है कि बालक पढ़े, माता-पिता चाहते हैं कि बालक पढ़ने के साथ साथ घर का भी काम काज करे, ब्याह-शादियों में भी जाय। अध्यापक का काम तभी ठीक में चल सकता है जब अध्यापक, बालक तथा माता पिता एक ही दिशा में शक्ति लगायें।

इसमा उपाय यही है कि माता पिता अध्यापक के हाइकोण को समझने का प्रयत्न करें और अध्यापक माता-पिता के साथ सहानुभूति-पूर्ण सर्व स्वापित करके उन्हें अपना हाइकोण समझायें। अध्यापक के लिए प्रत्येक माता पिता से वैयक्तिक तौर पर मिल सकता तो सभव नहीं है, परन्तु बालकों द्वारा वह माता-पिता को अच्छी तरह प्रभावित कर सकता है। चतुर अध्यापक इस दृग से काम करता है कि बालक घर जाकर अपने माता पिता से 'मास्टरजी' की ही चर्चा किया रखता है। कई अध्यापक अपनी असाधुशालता से अपने को लड़कों का उपहासास्पद बना लेते हैं, कई लड़कों की प्रतिष्ठा के केन्द्र बन जाते हैं। बालकों द्वारा ही अध्यापक तथा माता पिता का परिचय होता है। अगर अध्यापक बालकों को ठीक तरह से प्रभावित कर सकेगा तो उसे बालकों की प्रेरणा से स्वयं माता-पिता का सहयोग प्राप्त होगा। इसमें अतिरिक्त जब माता-पिता मिलने आये तब उनसे सहानुभूति से मिलना माता पिता के सहयोग का सबसे बड़ा साधन है।

छात्रावास का प्रबन्ध (Hostels)—

आचीनकाल में तो सब विद्यार्थी छात्रावासों में ही रहते थे, उन्हें 'गुरुकुल' कहा जाता था। आज विद्यार्थी घरों में रहते हैं वाचारों के वातावरण में उनके सम्मान दूरित हो जाते हैं। अच्छी शिक्षा के लिये छात्रावासों का होना आवश्यक है, परन्तु 'छात्रावास' बना देना ही प्रयाप नहीं है, उन्हें ठीक से चलाना और भी व्याप्र आवश्यक है। छात्रावासों की आम शिक्षण रहनी है कि वहाँ सभई नहीं रहती, भोजन अच्छा नहीं मिलता, संगत युरी होती है। इन्हीं को दूर करने के लिये तो 'छात्रावास' बनाये जाते हैं, केवल छात्रों की सुविधा के लिये नहीं बनाये जाते। आधनाव्यक्ति का कर्तव्य है कि सबं सारी सभई देते—'यहीं जाते तो नहीं, चहीं नस्यन पर धाच-पृच तो नहीं डगने लगा, टाइंगों खफ हैं या नहीं ? भोजन का प्रबन्ध लड़कों के हाथ में ही दे देने से भोजन की समस्या बहुत-दुष्क दृश हो जाती है। युरी संगत से वहों को बचाना बहुत आवश्यक है। याहर के छिसी व्यक्ति को छात्रावास में कभी नहीं रहने देना चाहिये, भले ही वह उसी तूल का छात्र रहा हो, छिसी का निव हो, काग-सन्ध्यन्धी हो, कहीं विद्यार्थियों को यत तो याहर रहने की आशा देनी चाहिये। 'छात्रावास' के बालकों को कभी शहदों पर, कभी सिंतना में, कभी बाजार में जाने की आशा देना 'छात्रावास' की विगड़ देता है। इस दृष्टि से गुरुकुल-शिल्प-प्रश्नली की उरक अभी हमारी सरकार का व्यवहार जाने की आवश्यकता है।

६

शिक्षा के आधार-भूत सुत्र (MAXIMS OF METHODS)

चालकों को क्या शिक्षा दी जाय, यह तो राज-शक्ति के आधीन है। जैसा शिक्षा देश के कर्ता प्रता लोग देना चाहेंगे शिक्षक को वैसी ही शिक्षा चालकों को देनी होगी। वहों, उस शिक्षा ने किस प्रकार चालकों के हड्डय तथा मस्तिष्क में देठा दिया जाय, यह कार्य शिक्षक द्वारा संकलन है। इस सम्बन्ध में शिक्षण-मनोविज्ञान को आधार बनाकर राजा-शासियों ने कुछ सूत्र, कुछ नियम दनाये हैं जिनके अनुसार पढ़ाने से चालक इत्येक विषय को असरी से समझ सकता है। वे सूत्र निम्न लिखित हैं—

१. विश्लेषण से स्थलेपण की तरफ जाओ (From Analysis to Synthesis)
२. शब्दरी से शब्दव व की तरफ जाओ (From Whole to Part)
३. पार्टिक्यल की अरेका मनोवैज्ञानिक क्रम की तरफ जाओ (From Psychological to Logical order)
४. परिवर्त से सामान्य की तरफ जाओ (From Particular to General)
५. स्पृन से गूदन की तरफ जाओ (From Concrete to Abstract)
६. शत से अशत की तरफ जाओ (From Known to Unknown)
७. सरल से जटिल की तरफ जाओ (From Simple to Complex)

६२ 'शिक्षा शास्त्र'—सिद्धान्त, विधि, विधान, इविहास

c. अनिश्चित से निश्चित की तरफ जाओ (Indefinite to Definite)

d. परीक्षणों से परिणामों की तरफ जाओ (Empirical to Rational)

विश्लेषण से सहजता की तरफ—

प्रायः समझ जाता है कि हमारा ज्ञान भिन्न-भिन्न अवयवों से मिल कर बनता है। पेड़ के ज्ञान का अभिप्राय है, टहनियों, पत्तों, फूलों तथा फलों का अलग-अलग ज्ञान। परन्तु बालक का ज्ञान इस प्रकार किसी वस्तु के अलग-अलग अंगों से मिलकर नहीं बनता। वह वृक्ष को देखता है, और टहनियों, पत्तों, फूलों, फलों वाली जो चीज़ सामने खड़ी है उस सम्पूर्ण वस्तु को वृद्ध बदला है। वृक्ष के भिन्न भिन्न अंगों का ज्ञान तो उसे बाद में होता है। परन्तु ज्ञान का अस्तीती रूप तो तभी प्रकट होता है जब किसी वस्तु के सब अंगों का अलग-अलग ज्ञान हो, उन अंगों के परस्पर सम्बन्ध का भी ज्ञान हो। क्योंकि शुरु शुरु में बालक को यह ज्ञान नहीं होता इसलिए उसका ज्ञान 'अस्पष्ट', अनिश्चित तथा असवद होता है। शिक्षक का काम 'बालक के ज्ञान' को स्पष्ट, निश्चित तथा सम्बद्ध बनाना है।^{१५} इसका क्या उपाय है? इसमा उपाय यह है कि बालक को वृक्ष का 'विश्लेषण' करके बतलाया जाय, और विश्लेषण करने के बाद उसके सम्मुख उन्हीं अंगों का 'प्रश्लेषण' करके वृक्ष को खड़ा कर दिया जाय। इस प्रकार 'विश्लेषण' होने के बाद जब 'सहजता' होता है तब बालक का ज्ञान स्पष्ट, निश्चित तथा सम्बद्ध हो जाता है। अगर किसी ने वृक्ष की ओर सरेत करके उसे बता दिया है कि यह आम पेड़ है, तो वह दोनों पेड़ को आम क्या ही पेड़ समझता है। यह इसलिए कि वयोंकि दोनों पेड़ की आहूति लगभग एक सी होती है। इसी अस्पष्टता को दूर करने के लिए आवश्यक है कि आम के पेड़ के सम्बन्ध में उसके ज्ञान क्या उसके समुत्तर विश्लेषण किया

जाय। जब वालक विश्लेषण करके पता लगायेगा कि आम के पेड़ पर तो ऑविया आती हैं, शीशम के पेड़ पर नहीं, तब वह शीशम के पेड़ को आम का पेड़ नहीं बहेगा, और तब उसके ज्ञान में अनिश्चितता और अस्पष्टता भी नहीं रहेगी। ‘विश्लेषण’ से ‘संश्लेषण’ करके किसी वस्तु के व्यार्थ रूप को प्रकट कर देने से वालक को उस वस्तु के भिन्न भिन्न अंगों, अवयवों का आपस का सम्बन्ध भी मालूम हो जाता है इसलिये उसका ज्ञान असम्पूर्ण, वेमेल भी नहीं रहता।

‘अवयवों’ से ‘अवयव’ की तरफ—

इसने अभी कहा था कि वालक का जो ज्ञान होता है वह अवयवी का होता है, अवयव का नहीं। मनोविज्ञान की परिभाषा में इस सिद्धान्त को ‘अवयवी वाद’ (Gestalt theory) कहते हैं। बालक जब किसी चीज़ को देखता है तब वह वस्तु अपने संपूर्ण रूप में उसके सामने आती है, अपने भिन्न भिन्न अंगों के रूप में नहीं। ‘अवयवी’ का वालक को ज्ञान होता है अतः ‘अवयवी’ से ही उसे समझना शुरू करना चाहिये, जौर ‘अवयवी’ (Whole) से प्रारम्भ वरके ‘अवयव’ (Part) की तरफ आना चाहिये। इसी सिद्धान्त के आधार पर आजकल पढ़ले ‘शब्दों’ का ज्ञान पराया जाता है, फिर अच्छरों का। इस सिद्धान्त का यह अर्थ नहीं है कि भूगोल पढ़ाते हुए ‘पृथिवी’ के ज्ञान से पढ़ाई शुरू करनी चाहिये, अपने देश या गाव से नहीं। इस सिद्धान्त का अभिशय यह है कि वालक जिस ‘अवयवी’ (Whole) को जानता है उससे पदाई शुरू करनी चाहिये, और क्योंकि इस दृष्टान्त में वालक के लिये पृथिवी ‘अवयवी’ नहीं है, अपितु उसके इर्दगिर्द जो भू-भाग है वही उसका ‘अवयवी’ है, अतः उसीसे उसे भूगोल का ज्ञान शुरू करना चाहिए।

'गाइक-क्रम' की अपेक्षा 'मनोवैज्ञानिक क्रम' की तरफ—

हम वचों को पढ़ना सिखाते हैं। पहले अथा इई सिखाया जाय, या पहले 'आम' पढ़ना सिखा दिया जाय, और फिर 'शब्द ज्ञान' के बाद 'अक्षर-ज्ञान' सिखाया जाय? हमने अभी वहां था कि 'अवयवी' से 'अवयव' की तरफ आना चाहिये क्योंकि 'अवयवी' को बालक जानता है, 'अवयव' को नहीं जानता। इसीलिये हमने यह भी कहा था कि पहले 'शब्द' सिखाने चाहिये, पौछे 'अदर'। इसी भाव को दूसरे शब्दों में चढ़ कर कर प्रकट किया जाता है कि वचों की शिक्षा मनोवैज्ञानिक-क्रम (Psychological order) से चलना चाहिये, तात्त्विक (Logical order) से नहीं। तात्त्विक दृष्टि से वो अक्षरों से शब्द बनते हैं, अतः अक्षर पहले सिखाने चाहियें। परन्तु नहीं, सिखाने में हमें तात्त्विक क्रम को सम्मुख नहीं रखना, यह देखना है कि बालक के ज्ञान प्रहण का मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है। इतिहास पढ़ाते हुए तात्त्विक क्रम तो यह है कि ससार के प्रारंभ से इतिहास पढ़ाना शुरू किया जाय, परन्तु बालक को ससार के प्रारंभ में क्या रुचि हो सकती है? बालक तो यह जानना चाहता है कि अपने देश में क्या हो रहा है? कौन प्रधान मन्त्री है, कौसा विधान बन रहा है, चुनाव कैसे होता है? इसलिये ससार के प्रारंभ से इतिहास पढ़ाना शुरू करने के न्याय में अपत्ते देश का इतिहास पहले पढ़ाना हो। मनोवैज्ञानिक क्रम है। 'विद्युत' से 'सामान्य', की तरफ—

हमापन सम्पूर्ण ज्ञान सामान्य का ही ज्ञान है। हम देवदत्त, यज्ञदत्त, यज्ञदत्त को देरा कर 'मनुष्य' के ज्ञान पर पहुंचते हैं, अगर हमें देवदत्त, यज्ञदत्त, ब्रह्मदत्त का ही ज्ञान हो, 'मनुष्य' का ज्ञान न हो, तो हम भवदत्त के सामने आने पर यहूं तुम्हारा

सके कि यह क्या यता है। यज्ञदत्त आदि कई 'विशेष' रूपों को देख कर हम जान जाते हैं कि ऐसे ही व्यक्ति को 'मनुष्य' कहा जाता है, और जब वैसा कोई व्यक्ति दिखाई देता है तो हम भट से उसे भी 'मनुष्य' कह देते हैं। 'मनुष्य'—इस 'समान्य' विचार तक पहुँचने के लिये अनेक 'विशेष' मनुष्यों को देखना आवश्यक है। आम का पेड़, शीशम का पेड़, घट का पेड़—इन 'विशेष' पेड़ों को देखकर पेड़ का 'समान्य'-ज्ञान होता है। पढ़ाने का नियम यही है कि वज्रों को भिन्न-भिन्न चीज़ें दिखाकर, भिन्न भिन्न उदाहरण देकर एक 'समान्य' नियम का ज्ञान करा दिया जाय, और 'समान्य'-नियम को फिर भिन्न-भिन्न स्थानों पर घटा कर भी दिया दिया जाय। केवल 'समान्य'-नियम का ज्ञान करा देना पर्याप्त नहीं है, उसे घटा कर दिखाना उससे भी ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि जब वालक 'विशेष' से 'समान्य' तक पहुँच जाता है, तब उस 'समान्य' को फिर अन्य 'विशेषों' पर घटा कर अपने ज्ञान को अधिक परिपूर्ण बना लेता है।

'स्थूल' से 'सूक्ष्म' की तरफ—

इस स्थूल वात को आसानी से समझते हैं, सूक्ष्म रूप कठिनता से। एजा दरिचन्द्र ने अपना पचन निवादने के लिये अपने को बेच दिया—यदि किस वालक को समझ गे नहीं आवा। अगर दरिचन्द्र को कथा सुनाये विना वालकों को इतना ही कहा जाय कि 'स य' के लिये मध्य-सुख करना चाहिये, तो वे खुब नहीं समझेंगे। जो ब्याख्याता-कथा-कहानी मुनाता है उस की वात से कोई ऊरता नहीं, जो सिक्ख फलासकी छाँटता है उसके ब्याख्यान में आधे से अधिक उठ जाते हैं। कथा-कहानी मुनाकर उसे फिसी सूक्ष्म सत्य पर घटाया जाय, तो सर वडे प्रसन्न होते हैं, इसके विना सूक्ष्म-सत्यों के निरूपण को नीरस

कहा जाता है। उपनिषदों की वर्णन-शैली 'स्थूल' से 'सूक्ष्म' की तरफ चलती है। कहाँ 'ब्रह्म' का निरूपण और कहा कथा-कहानी, परन्तु उपनिषदों के ग्राहियों ने कथा-कहानी से हो ब्रह्म-ज्ञान को रोचक बना दिया है। जब वड़ों के लिये उदाहरण, दृष्टान्त, किस्से आवश्यक हैं, जब वे स्थूल के बिना सूक्ष्म की तरफ नहीं जा सकते, तब वडों का तो यहना ही क्या है ?

'विशेष से सामान्य' तथा 'स्थूल से सूक्ष्म'—इन दोनों सूत्रों में भेद यह है कि 'विशेष से सामान्य' में वो हम एक 'नियम' का पता लगाते हैं, 'स्थूल से सूक्ष्म' में यह आवश्यक नहीं कि 'नियम' का ही पता लगाया जाय। अहिंसा, सत्य, अस्तिय, दया, परेपक्षार आदि सूक्ष्म 'विचार' हैं, जो 'विशेष से सामान्य' द्वारा नहीं परन्तु 'स्थूल से सूक्ष्म' की तरफ चलने से प्राप्त होते हैं।
 'शाव' से 'अशाव' चो तरफ—

जो वात-वालक के लिए विलकुल नहीं है उसे यदि समझ नहीं सकता, समझते के लिए आवश्यक है कि वह वात-उसके पहले प्राप्त किए हुए ज्ञान से (मलतों-जलतों हो)। पद्मला प्राप्त किया हुआ ज्ञान ही नए ज्ञान को प्राप्त करने में सहायक होता है। पद्मित के लिए वेद के मन्त्रों का कुछ अर्थ हो सकता है, एक जुलाहे के आगे येदि-मन्त्रों को व्याख्या करने वाला ही मूर्त्ति कहता है।

वालक का यह स्वभाव है कि यह विलकुल नहीं यस्तु को प्रहण नहीं करता, इसलिए उसे जो कुछ सिखाया जाय वह उसके लिए विलकुल नया नहीं होना चाहिए, साथ ही वालक अस्थन्ति परिचित यस्तु को भी पार-चार नहीं सुनना चाहता, इसलिए जो कुछ पढ़ाया जाय उसमें नवीनता का अर्थ होना भी आवश्यक है। 'शाव' से 'अशाव' की तरफ जाने का यदि अर्थ नहीं है कि अध्यात्म अस्ति प्रिय में नर्पीनता फ़ा सचार न करे। नवीनता

ही तो वालरु की रुचि उत्पन्न करती है, नयोन वात को जानने के लिए ही तो वालरु उत्सुक रहा करता है, अत 'ज्ञात' से 'अज्ञात' की तरफ जाते हुए जहाँ एकदम 'अज्ञात' से प्रारम्भ नहीं करना चाहिए वहाँ 'नवोनता' को भी ध्यान में रखना चाहिये। 'मरल' से 'विषम' की तरफ—

जो वाते एकदम समझ में आ जाय वे सरल हैं, जिन्हे समझने में देर लगे वे विषम हैं। 'सरल' से ही 'विषम' को समझा जा सकता है। जो शिक्षरु छोटी-छोटी बातें समझ कर आगे बढ़ता है, वह कठिन-से-कठिन बातों को समझ लेता है। यह से मुख्य वात यह है कि वालरु को जो कुछ पढ़ाया जाय वह उसे समझ जाय। जब वालरु किसी वात को समझ जाता है तब उसमें आत्म-गौरव की भावना उत्पन्न होती है, उत्साह होता है, आगे पढ़ने में रुचि होती है, और यह आगे बढ़ने लगता है। जब उसे कुछ समझ नहीं पड़ता तब वह हिम्मत ही हार बैठता है, और पढ़ाई में पछड़ने लगता है।

हाँ, अध्यापक के लिए यह ध्यान रखना आवश्यक है कि जो उसके लिए सरल है वह वालरु के लिए विषम ही सकता है। 'सरल' से 'विषम' की तरफ जाने का अर्थ यह नहीं है कि अध्यापक जिसे सरल समझे वह सरल है, जिसे विषम समझे वह विषम है। सरल और विषम वालरु की इष्टि से होता है, और वालरु के लिये भी एक आयु में जो विषम है वह दूसरी आयु में सरल हो जाता है।

'अनिश्चित' से 'निश्चित' की तरफ—

वालरु का मानसिरु विचास किस प्रकार होता है ? पहले उसका सम्पूर्ण ज्ञान अनिश्चित-सा होता है, फिर धीरे-धीरे निश्चित होता चला जाता है। गणित की सख्ति से वह यद्दी

समझता है कि कोई 'वहुत यड़ी संख्या' है, भूगोल का ज्ञान उसका अपने ईर्द-गिर्द के इलाके के अनिश्चित से ज्ञान के रूप में होता है। मद्रास के लोगों से जब कहा जाता है कि हम देहरादून से आ रहे हैं तो वे कहते हैं, यही देहरादून जो लाद्दौर के आस-पास है। शिक्षक का बाम इस 'अनिश्चित' को हाथ में लेकर एक चतुर कला-विज्ञ की तरह 'निश्चित' का निर्माण करना है।

'परीक्षणों' से 'परिणामों' की ताफ़—

प्रायः देखा जाता है कि पानी के जो नलके जमीन में गड़े नदी रहते वे भयहर सर्व पढ़ने पर फट जाते हैं। यह एक घटना है, इसे देखकर बालक स्वाभाविक तौर पर जानना चाहता है कि ऐसा क्यों होता है। दूँड़वे-दूँड़ते बह जान जाता है कि पानी जम कर फैलता है। क्योंकि नलक्ष सब तरफ से बन्द है, अन्दर का पानी जम कर फैल गया है, अन्दर फैलने को जगह नहीं थी, अतः नलमा फट गया है। इस प्रकार संसार में हो रही घटनाओं का दख बर या सबंध परीक्षण करके बालक जब किसी परिणाम पर पहुँचता है तब वह उस विषय के ज्ञान को प्राप्त लेता है। शिक्षक का कर्तव्य है कि वह बालकों को परीक्षण परने में प्रोत्साहित करे ताकि वे सबंध परिणाम नियमित सकें।

७

आगमन तथा निगमन पद्धति

(INDUCTIVE AND DEDUCTIVE METHOD)

पिछले अध्याय में हम शिक्षा के जिन आधार भूत सूत्रों का वर्णन कर आये हैं, उन्हें 'आगमन' तथा 'निगमन'—इन दो में गिमक्त किया जा सकता है। क्योंकि उन सब का इन दोनों से सम्बन्ध है अतः इस अध्याय में हम इन दोनों का वर्णन करेंगे।

मनुष्य किसी विचार पर दो मार्गों से पहुँच सकता है। इस मार्ग तो यह है कि कोई दूसरा हमें रास्ता बता दे, इसर्य यह है कि हम यह ही रास्ते का पता लगायें। उदाहरणार्थ, हम 'भाषा' सीखना चाहते हैं। एक उपाय यह है कि भाषा का व्याखरण हमें पढ़ा दिया जाय, भाषा के नियम हमें बता दिये जाय, और ज्यों ज्यों हम भाषा सीखते जाय, उन नियमों को धटा कर देखते जाय। इसरा उपाय यह है कि हम छोटे-छोटे वाक्यों की सरस्वर तुलना कर भाषा के नियमों का स्पष्ट पता लगायें। पहला 'निगमन' (Deduction) का मार्ग है, दूसरा 'आगमन' (Induction) का मार्ग है। भूगोल पढ़ते हुए एक उपाय यह है कि इमारे हाथ में पाठ्य पुस्तक देंदी जाती है, उसमें पृथिवी, सूर्य, मूर्ख-रेता आदि के लक्षण दिये गये हैं, हम उन्हें स्मरण कर लेते हैं, और उनके बाद पृथिवी के भिन्न भिन्न भागों का अव्य-

यन करते हैं, एशिया, योरूप आदि का भूगोल पढ़ते हैं। दूसरा उपाय यह है कि जिस परिचयिति का हमारे साथ निकटतम सम्बन्ध है उसका हमें ज्ञान करा दिया जाता है हमें अपने गांव का फिर चिले का, फिर प्रान्त का, फिर देश का, फिर एशिया का, फिर योरूप का, और फिर भू-मण्डल का ज्ञान कराया जाता है। पहला 'निगमन' (Deduction) का मार्ग है, दूसरा 'आगमन' (Induction) का मार्ग है। वालक को पढ़ना-लिखना सिखाते हुए एक उपाय यह है कि पहले अच्छर सिखा दिये जायें; फिर उन्हे भिजाना सिखाया जाय, फिर शब्द और फिर वाक्य सिखाये जायें। दूसरा उपाय यह है कि वालक जिन वाक्यों को बोलता ही रहता है उन वाक्यों से ही पढ़ाना शुरू किया जाय, वाक्यों से शब्द, शब्दों में अच्छर सिखाये जायें। पहला 'निगमन' (Deduction) का मार्ग है; दूसरा 'आगमन' (Induction) का मार्ग है। ज्यामिति पढ़ाते हुए परिभाषाएं याद करायी जा सकती हैं, या पहले उदाहरण देकर परिभाषाएं बनायी जा सकती हैं; रसायन शास्त्र आदि सब विज्ञानों में या अध्यापक पहले सब कुछ बता दे, या विद्यार्थी से परीक्षण कर जो कुछ बताना है उसी ने निरूपयादे। विचार नह पहुँचने के बे तो ही मार्ग है, और इन शेनों को तर्क-शास्त्र में 'निगमन-शास्त्र' (Deductive Logic) तथा 'आगमन शास्त्र' (Inductive Logic) कहते हैं।

'निगमन-पद्धति' (Deductive Method) —

'निगमन'-पद्धति में नियम पढ़ले बता दिया जाता है। नियम को मन्त्रत में, 'व्याप्ति' कहते हैं; अतः 'निगमन'-पद्धति को 'व्याप्ति-पूरक अनुभान' कहा जाता है। 'निगमन' में विचार निम्न तीन क्रमों में गुजरता है:—

(१) पहले तो हमारे सामने जो 'प्रश्न' है उसे हमें ठीक तौर पर समझ लेना चाहिये। हम क्या जानना चाहते हैं, कौन सी समस्या दूल करना चाहते हैं। उदाहरणार्थ, हम जानना चाहते हैं कि पहाड़ पर आग लगी हुई है, या नहीं?

(२) इस प्रकार समस्या के स्पष्ट हो जाने पर हम देखता_चाहते हैं कि इस समस्या पर कौन-मा 'नियम' लाग जानते हैं, 'जहाँ जहाँ धुआँ होता है वहाँ-वहाँ आग होती है।' यह एक नियम है, एक सत्य है, एक मिद्दान्त है। हमारे सामने जो समस्या है वह इस नियम से दूल होने वाली है।

(३) इस नियम को लेकर हम पहाड़ के विषय में 'अनुमान' कर लेते हैं कि क्योंकि जहाँ-जहाँ धुआँ होता है वहाँ-वहाँ आग होती है, पहाड़ पर धुआँ दीख रहा है, अत वहाँ भी आग अवश्य होगी। 'निगमन' में यह तीसरा क्रम है। इन तीनों को क्रमशः 'समस्या' (Problem), 'नियम' (Generalisation) तथा 'अनुमान' (Inference) कहते हैं।
‘आगमन-पद्धति’ (Inductive Method)—

'आगमन-पद्धति' में दृष्टात पद्धते बताये जाते हैं, अत. समूल में इस पद्धति को 'दृष्टात पूर्वक अनुमान' कहा जाता है। 'निगमन' की तरह 'आगमन' में भी विचार तीन क्रमों में से गुजरता है:-

(१) जिस नियम को बताना हो उसे सीधा न बताकर, अपने मन में ही रखकर, शिक्षक पहले अनेक उदाहरण बतलाता जाता है। अध्यापक ने चालकों को यह बतलाना है कि 'जहाँ जहाँ धुआँ होगा वहाँ-वहाँ आग अवश्य होती है', परन्तु यह उन्हें सीधे तीर पर यह नहीं बताता। इस विचार को तो यह मन में रखता है, और उन्हें बतलाता है कि देरो, रसोई में धुआँ होता

है, वहाँ आग भी होती है, इंजिन से धुआँ निरुलता है, वहाँ भी आग होती है; सिगरेट से धुआँ निरुलता है, वहाँ भी आग है, इंट के भट्ठे से धुआँ निरुलता है, यहाँ भी आग है।

(२) इतने दृष्टात, उदाहरण, देरर वह बालकों से कहता है कि इन सब जगह तुम्हेक्षा नियम देख रहे हो? ये अपने-आप कह उठते हैं कि इन सब स्थानों को देररर हम समझते हैं कि 'जहाँ-जहाँ धुआँ निरुलता है, वहाँ वहाँ आग अवश्य होती है।'

(३) फिर वह इस नियम का मौजूदा समस्या पर घटाता है। हमारे सामने समस्या यह है कि पहाड़ पर धुआँ दिखाई दे रहा है। हम जानना चाहते हैं कि वहाँ धुआँ क्यों है? बालकों ने जिस नियम को 'आगमन-पद्धति' से स्वयं निकाला है उसे ये वर्तमान समस्या पर घटाफ़र स्वयं परिणाम निकाल लेते हैं कि क्योंकि जहाँ-जहाँ धुआँ होता है वहाँ वहाँ आग होती है, पहाड़ पर भी धुआँ दिखाई दे रहा है, इसलिए पहाड़ पर आग अवश्य है।

'निगमन' तथा 'आगमन' में भेद —

(१) 'निगमन' (Deduction) में सीधा नियम बता दिया जाता है, 'आगमन' (Induction) में बालक स्वयं नियम को निकालते हैं; ^१'निगमन' में अपने ज्ञान को हम एरु नई जगह पर घटाते हैं, 'आगमन' में हमें नया ज्ञान मिलता है, ^२'निगमन' में नियम पहले ही निकाला होता है, ^३'आगमन' में नियम बाद को निकालता है; ^४'निगमन' में हम नियम के लिए दूसरों पर आधित हैं, 'आगमन' में हम स्वयं अनुसंधान करते हैं; ^५'निगमन' वहाँ का तरीका है, 'आगमन' छोटों का तरीका है, ^६'निगमन' में प्रायः सारा काम अभ्यासक को करना होता है, 'आगमन' में प्रायः सारा काम विद्यार्थी को करना होता है।

आगमन-निगमन पद्धति (Inductive-Deductive Method)—

ऊपर जो सुझ कहा गया है इस से स्पष्ट हो गया होगा कि शिक्षा में इन दोनों पद्धतियों का सम्मिश्रण करने से ही वाम चक्र सुरक्षा है। छोटे बालकों को उदाहरण देकर समझना ही ठीक रहता है, परन्तु जो वालक ऊची श्रेणियों में पहुच चुके हैं उनका समय बार-बार उदाहरण देकर निष्ठा करना ठीक नहीं। वज्रों के लिए 'आगमन पद्धति' (Inductive Method) तथा वज्रों के लिए 'निगमन पद्धति' (Deductive Method) ही ठीक है।

१८८८ शताब्दी में जर्मनी में हर्बर्ट नामक शिक्षा शास्त्री हुआ जिसने शिक्षा के क्षेत्र में आगमन तथा निगमन पद्धति का मैल कर दिया थीं और वालक री शिक्षा के 'पञ्च सोवान' (Five Steps of Herbart) का प्रति पाठन किया। इनमा वर्णन हम पहले कर आये हैं। भारत के नर्स-शास्त्रियों ने भी इन्हीं पाँच का यद्युत पहले वर्णन किया था। इन्हें ये प्रतिक्षा, इतु, उदाहरण, उपनय तथा निगमन कहते थे। हर्बर्ट के 'पञ्च सोवान' तथा तर्क शास्त्र के 'पचावयव' निम्न लिखित हैं :—

प्रतिक्षा—Preparation (प्राप्ति)

उदाहरण |— Presentation

उपनय—Comparison and Generalisation

निगमन—Application

८

स्वयं-ज्ञान पद्धति

(HEURISTIC METHOD)

इसने पिछले अध्याय में कहा था कि 'आगमन-पद्धति' (Inductive Method) का अर्थ यह है कि बालक अपने आप नियम निकले। इसी अपने आप ज्ञान प्राप्त करने को मायना को आधार बनाकर आसंग्माण ने एक विशेष पद्धति को जन्म दिया है जिसे 'हुरिस्टिक-मैथड' या 'स्वयं-ज्ञान-पद्धति' कहा जाता है। प्रीर भाषा में 'हुरिस्टो' शब्द का अर्थ है—'मैं मालूम करता हूँ', इसी से 'हुरिस्टिक' शब्द बना है। 'हुरिस्टिक' पद्धति के अनुयायियों का कथन है कि बालक की रिक्षा में दो बातों का ध्यान रखना चाहिये। पहली यह कि बालक हरेक बात को स्वयं मालूम करे, दूसरी यह कि समार ने जिस क्रम से जिस बात को जाना है उसी क्रम से ज्ञान प्राप्त करे।

(१) इस पद्धति के पृष्ठ पोषण पहली बात यह कहते हैं कि बालक को इस प्रश्न की परिस्थिति से घेर देना चाहिये जिससे स्वयं अन्येषण कर सके, परिज्ञान की हर बात को स्वयं जान सके।

कर सके, अध्यापक की तरफ से उसे बुद्ध बनाना चाहिए। जब कोई वालठ किसी सिद्धान्त का स्वयं पता लगाता है तब उसमें एक अद्वय उत्साह भर जाता है, उसकी शक्ति रूप कोई डिक्कना नहीं रहता, सीखने में जा निज्जन-वाधाएँ हैं वे एकदम समाप्त हो जाती हैं।

(२) दूसरी बात वे यह कहते हैं कि वालठ को पढ़ाते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसे पढ़ले वे ही विषय पढ़ाये जायं जो मनुष्य के विकास में पढ़ले थे, वे पीछे पढ़ाए जायं जो उसके विकास में पीछे आये। इसी प्रकार वालठ किसी बात को ठीक समझ सकता है, और इसी प्रकार वह उनका स्वयं ज्ञान प्राप्त कर सकता है। उनका यह कथन विज्ञास-ग्राद के आधार पर है। विकासवादियों का कथन है कि प्राणी विद्धिली पीड़ियों में जिन जिन अवस्थाओं में से गुजरा है, वे सभी इस जन्म में कुछ कुछ देर के लिए वचन में प्रकट होती हैं, और उनमें से गुजर कर ही हम वे होते हैं। गर्भावस्था में शिशु भिन्न भिन्न शर्कों में से गुजरता है जो लगभग पशुओं से मिलती-जुलती हैं। गर्भस्थ शिशु की मछली, मेंढक, कुत्ता आदि की शर्क बनती हैं। इस सिद्धान्त को 'पुनरायुक्ति' (Recapitulation) का सिद्धान्त कहा जाता है। इस पांडी में विद्धिली सब पीड़ियों का मानो सचित्र 'उपसंहार', उनकी सचित्र 'पुनरायुक्ति' हो जाती है। अगर शरीर के विकास में इस प्रकार की 'पुनरायुक्ति' होती है, तो मन के विषय में भी ऐसी 'पुनरायुक्ति' मानवा असंगत नहीं है। इसी सिद्धान्त हो रिखा के चेत्र में घटाते हुए 'इतिहासिक पद्धति' के समर्थकों का कथन है कि वालठ को उसी क्रम से सिखाना चाहिए जिस क्रम से जाति जै सीखता है। इसी सिद्धान्त को 'कल्चर ईयर थियोरी' (Culture Epoch Theory) कहा जाता है।

जाति अपने विकास में सम्भवता के जिन युगों में से निरूली है वालक सक्षिप्त तौर पर उन्हीं युगों में से गुजरता है। इस सिद्धान्त के अनुसार पहले फिसे-रहानियाँ, फिर साहित्य, और फिर विज्ञान का जाति ने विकास किया, वालक भी इसी क्रम में से गुजर कर सुगमता से ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इस विचार-प्रक्रिया का द्वार्दी ने प्रतिपादन किया। इसी विचार को शाधार बनाकर द्यूरिस्टिक पद्धति के समर्थक आर्मस्ट्रॉग का कथन था कि विद्यार्थी को उस सब प्रक्रिया में से गुजरना चाहिये जिसमें से गुजरते-गुजरते पिछले विचारकों ने किसी नियम का आविष्कार किया था, वालक को आविष्कारक की मानसिक-प्रक्रिया में से गुजर देना चाहिये।

'स्वयं ज्ञान पद्धति' का वर्तमान रित्ता पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ रहा है। गणित में पहाड़े रखने के खान में बालकों से पहाड़े बनवाये जाते हैं। वे 'दो_अट्टे सोलह'- बाद करने के स्थान में दो क्षी_आठ_चार जोड़ते हैं, और इस प्रकार_स्वयं_पदा लगाते हैं कि दो_अट्टे_सोलह क्यों, और कैसे होते हैं। इस प्रकार जिस वात को वे_स्वयं_कर के देख लेते हैं उसम्बद्ध के_मस्तिष्क_पर_स्थायी प्रभाव तो_पड़ ही जाता है, साथ ही_जिस वात का_वे_पदा लगाते हैं उसम्बद्ध भी जाते हैं। स्वयंकारण-भाव जान कर जो वात_द्विमाण_में_वैठती है वह_मस्तिष्क के सम-विश्वस के लिये ठीक भी है।

परन्तु इस पद्धति पर बहुत अधिक दब देना ठीक नहीं। हर विद्यार्थी हर वात का स्वयं नहीं मालूम कर सकता। कोई कोई प्रोत्तमाशाली विद्यार्थी ही आविष्कारक की स्थिति में आ सकता है। अनेक वातें विद्यार्थी को बतानी हो पड़ती हैं, नहीं तो सभी विद्यार्थी का स्वयं हल दूँढ़ता दूँढ़ता वह सलत हल भी निराल लेता

है, और ज्ञान बढ़ाने के स्थान में शालत ज्ञान में भी उलझ सकता है। साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी के पास इतना समय भी नहीं है कि पह द्वार बात का स्वयं ही पता लगाना रहे। अगर स्वयं ही पता लगाना है तो पिछलों का पता लगाना ही बेकार हो जाता है। हाँ, इस पद्धति का इतना ही अर्थ है कि विद्यार्थी को स्वयं ज्ञान प्राप्त करने में उत्तेजित किया जाय, और सब युद्ध शिल्प को तरक्क से ही उसके मन में न भर दिया जाय।

निरीक्षण तथा सरस्वती यात्राएं (OBSERVATION AND EXCURSIONS)

हमने देखा कि विद्या-प्राप्ति का सर्वोच्चम साधन अपने-आप
किसी वात का पता लगाना है, गुरु मुख से मुन्दर चाढ़ कर लेना
ही नहीं। प्राचीन तथा नवीन शिळ्षा-प्रणाली में यह आधार-भूत
भैद है। अगर विद्यार्थी ने हर वात के अपने आप पता लगाना
है, तो उस के दो ही प्रकार हो सकते हैं। पहला से यह कि वह
दूरेक वात का निरीक्षण करे, उसे देखे, उसे समझे; दूसरा यह कि
वह अपने नियास के आस-पास घूमे फिरे, और दूरेक वस्तु की
जिसे वह न जानता हो, जॉच-पड़ताल करे, धन और समय हो
तो सरस्वती की आराधना के लिए दूर-दूर की यात्राएं करे, हा
सके तो विदेश में जाकर अपनी ओँतों में हर चान्दो देख कर
क्षान प्राप्त करने का प्रयत्न करे। इस दृष्टि से 'निरीक्षण' तथा
'सरस्वती यात्राएं' भी विद्या प्राप्त करने की विधियाँ ही हैं।

१—निरीक्षण

'निरीक्षण' (Observation) क्या है? वालरु हाथी को
आगे हुए देखता है, उसने हाथी पहले कभी नहीं देखा, भैसा देखा

है। यह एरुदम चिह्ना उठता है, देखो कितना बड़ा भैंसा आ रहा है। परन्तु फिर बहता है, इसके सींग तो हैं ही नहीं। पहले उसने 'समानता' देखी, फिर 'भिन्नता' भी देख लो। यह कहता है, मैंने जो काला काला भैंसा देखा था, उससे यह मिलता है, पर उसके सींग थे, इसके सींग नहीं, इसलिये उस से नहीं मिलता। 'अपने' पूर्व अनुभव के साथ 'समानता' (Similarity) तथा 'भिन्नता' (Dissimilarity) को देख लेना 'निरीक्षण' के कारण होता है। यदि वालक ने हाथी और भैंस के भैंड का पता लगा लिया, यह देख लिया कि इस के तो सूँड है, भैंसे का सूँड नहीं, इस के तो सींग नहीं, भैंसे के सींग हैं, यह तो बहुत बड़ा है, भैंसा तो इससे बहुत छोटा होता है—तब हाथी और भैंसे की 'यिभिन्नता' को यह जान जाता है। इसी को 'विश्लेषण' (Analysis) कहते हैं। 'विश्लेषण' के बाद सब 'विभिन्नताओं' का यह 'सश्लेषण' (Synthesis) कर लेता है, सब 'विभिन्नताओं' को इस्टा कर लेता है। पिचार की इसी प्रक्रिया को 'निरीक्षण' (Observation) कहा जाता है।

'निरीक्षण' तीन प्रकार होता है : 'प्रयोजन पूर्ण' (Purposeful), 'प्रयोजन-रहित' (Non-Purposive) तथा 'प्रयोजन-प्रेरणा' (Purposive)। 'प्रयोजन पूर्ण' निरीक्षण तर दोता है जब हमें मालूम हो कि हम किस प्रयोजन से निरीक्षण कर रहे हैं। हम जड़ी-चूटियों का ज्ञान प्राप्त करने जगल से निरूपित, यह 'प्रयोजन-पूर्ण' निरीक्षण है। हम व्याख्यान मुन रहे हैं, इतने में एक मोटर गुजारी, सब उधर देराने लगे, यह 'प्रयोजन रहित' निरीक्षण है। हम जंगल में जड़ी-चूटियों सोज रहे हैं, इवने में एक हरिण निरूपित आया, विद्यार्थियों को हरिण के सम्बन्ध में जानने की उत्कृष्ट इच्छा हो गई, सब उधर देखने लगे, अध्यापक ने भी यह देखकर

कि इनकी इस समय की जागृत जिज्ञासा का लाभ ढाना चाहिए, उन्हें हरिण के सन्ध्यन्त में अनेक बातें चरला दो। यह 'प्रयोजन-प्रेरक' निरीक्षण है। निरीक्षण का मुख्य प्रयोजन यह नहीं था, बीच में आ पड़ा, परन्तु आ पड़ने पर भी ज्ञान में कुछ बढ़ि ही कर गया। शिक्षा की दृष्टि से 'प्रयोजन पूर्ण' तथा 'प्रयोजन-प्रेरक' निरीक्षण ही उपयोगी हैं, 'प्रयोजन-रहित' सर्वथा निर्स पयोगी हैं।

बालक को भिन्न-भिन्न आवु को हाथे ने रख कर शिशु-वर्ग तथा लोअर प्राइमरी, अपर प्राइमरी एवं मिडिल क्लाओं का पाठ्य-क्रम निश्चित किया जाता है। अध्यापक का करन्त्र है कि बालक की भिन्न-भिन्न आवु में उसके अनुकूल सामग्री उपस्थित करता रहे ताकि वह 'निरीक्षण' की सान पर बुद्धि की धार को तेज करता रहे।

शिशु-वर्ग तथा लोअर प्राइमरी के लिये—

दोटे चबों के निरीक्षण के लिए जो मुख्य चुना जाय वह उन के घर, पाठ्याला के आस-पास होना चाहिये, उससी उनके जीवन से अत्यन्त निपटता होनी चाहिये। वे घर के कुच्छे, अपनी गाँव में सविज्ञों के सब्द में निरीक्षण कर अपना संघइ वज्यार कर सकते हैं। घर में खेतों हा वा साग-सबजों, फूल-बच्चों के पिपल में निरीक्षण कर सकते हैं। गर्मी, सर्दी, वर्षा में क्यान्क्या श्रुतु परिवर्तन होता है—अपने निरीक्षण के आधार पर इसमें भी संघइ बना सकते हैं।

अपर प्राइमरी के लिये—

कुछ वडे बालकों को स्वतन्त्र रूप से निरीक्षण करने पर प्रेरित करना चाहिये। गेहूं, चना, चरखों के बीज पोस्त, प्रत्येक दोप्पे के अंतर पूटने, बन्ध निम्बलने, बद्दने, सूखने के सभी इतिहास को

सिलसिलेवार लिखने की उन्हें प्रेरणा करनी चाहिये। प्राणियों में मेढ़क के जीवन का इतिहास वहाँ महत्वपूर्ण है। वह विग्रह क्रम की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में से गुज़रता है। अपर प्राइमरी के घंटों से मेढ़क के सपूर्ण जीवन का निरीक्षण कराना चाहिये, और उनसे उस इतिहास को क्रम-बद्ध लिखने को रुद्धना चाहिये। शहतूत के पत्तों पर रेशम के कीड़े छोड़कर उनकी भिन्न भिन्न अवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए विद्यार्थी बहुत कुछ सीख जाते हैं।

मिडिल कच्चा के लिये—

मिडिल कच्चा के विद्यार्थियों से विज्ञान के साधारण नियमों को स्पष्ट करने वाली घटनाओं का निरीक्षण कराना चाहिये। भौतिकी, रसायन-शास्त्र, यानिकी, चुम्बक, विद्युत् आदि के सिद्धान्तों को स्पष्ट करने की घटनाओं का निरीक्षण किया जा सकता है। अगर निरुट कोई पानी से विजली पैदा करने वाला मान्ट हो तो वालों को वहाँ ले जाकर उसका निरीक्षण कराना चाहिये। उच्च अणियों के लिये—

इसमें भी ऊँची अणियों के विद्यार्थियों के लिये अनेक ऐसे प्रयोग कराये जा सकते हैं, जिन से 'निरीक्षण' करते-करते वालक अपनी इन्द्रियों को साथ सरें, और साधते-साधते अनेक कियात्मक वातें सीख जायें। युद्ध प्रयोग नीचे निये जाने हैं:—

(१) वालों से पाठशाला में सञ्चियों का एक वर्गीया बनाया जाय। वे हर मीसाम की शाक भाजी पैदा करें, और उस से जो आय हो वह उनके खाते में जमा की जाय।

(२) उनसे भूमि सम्बन्धी प्रयोग खाये जायें। एक जगह गहरा गढ़ा रोड़कर दियाया जाय कि कितनी तहे दीरत पड़ती हैं। वर्षा होने के बाद पानी के घटाव को देखकर भौगोलिक नक्शा

बनवाया जाय। भिन्न-भिन्न मिट्टियों में पानी किवनी जल्दी या देर में प्रविष्ट होता है—इस पर परीक्षण तथा निरीक्षण किया जाय।

(३) मौसमों का निरीक्षण किया जाय। समय या ज्ञान करने के लिए छड़ी गाड़ कर उसकी छाया का निरीक्षण करके घड़ी बनाई जाय। छाया की सहायता से दिशाओं का पता लगाय जाय। बायु-नापक यन्त्र बनाया जाय।

(४) वृक्षों का अध्ययन किया जाय। किन्हीं वृक्षों का ऐही तरा होता है, किन्हीं के दो, किन्हीं के अनेक। अपने निरीक्षण से वालक वृक्षों के नाम लिखकर उनका वर्गीकरण करें।

(५) इसी प्रकार पशुओं, पक्षियों, कीटों, परवनों का निरीक्षण करके उन्हें अपनी नोट-बुकों में लिखना तथा उसके आधार पर परिणाम निकालना विद्यार्थियों को क्रियात्मक यत्नमें बहुत सहायक है।

(६) पाठ्यालय में 'जलाशय' (Aquaria) बनाकर उसमें जल-जन्तु तथा जल-वृक्ष रखे जा सकते हैं। कांच के बड़े चर्चन में भी इसी प्रकार का संम्बालय तैयार किया जा सकता है। इन सब का 'निरीक्षण' करना चाहिए।

'निरीक्षण' के आधार पर वालों को भूगोल, विज्ञान आदि अनेक विषय पढ़ाये जा सकते हैं। निरीक्षण की हुई चलते या वर्णन करने को, उसे लिखने को कहा जा सकता है। इस प्रकार 'निरीक्षण' अन्य विषयों के लिए भी सहायक है।

२—सरस्वती यात्रा

फोइ समय था जब कि पाठ्यालयों में 'पत्तु-पाठ' पढ़ाया जाता था, और इसमें जड़-चेतन दोनों का पाठ होता था। जड़ ने इंट, पत्तर, पहाड़, नदी-नाले तथा वृक्ष, फूल, फल, पच्ची; पेन्नत ने भनुप्प-पशु-पक्षी। इन पाठों ने चित्रों, द्राइग तथा मॉडल बना कर वालों

को वस्तु का परिचय कराया जाता था। परन्तु चित्रों, द्राइग तथा मॉडल की अपेक्षा भी वस्तु ने अपनी प्राकृतिक अवस्था में देख फर, उसका निरीक्षण करके, जो ज्ञान प्राप्त होता है वह प्रत्यक्ष ज्ञान है, और प्रत्यक्ष ज्ञान सब ज्ञानों से उत्कृष्ट है। जीराफ़ का चित्र देखो, उस रा मॉडल बनाओ, सुव-कुछ फरो, परन्तु सच-मुच के जीराफ़ को देखना और बात है, और चित्र को देखना दूसरी बात है। हम तो यहाँ तक कहगे कि चिह्नियाघर के जीराफ़ को देखना और जगल मु मस्त फिर रहे जीराफ़ को देखना इन दोनों में भी महान् भेद है। आजमल की शिक्षा 'वस्तु-पाठ'

(Object Lesson) तथा 'प्रकृति पाठ' (Nature Lesson) में भी ऐसा परती है। 'वस्तु पाठ' पढ़ाते हुए हम निससन्देह आम को लाकर पाठशाला में बालकों को दिखाते हैं, परन्तु अगर हम बालकों को गोव के बगीचे में ले जायें, वहाँ उन्हें आम का बाग दिखायें, आम से लदे हुए, कोई पके, रोई अध-पके, कोई रुचे आम के फल पेड़ों पर लट्ठ रहे हों—इस 'प्रकृति पाठ' से, प्राकृतिक पारस्पात में वस्तु जिस रूप में है, उसका 'निरीक्षण' करने में बालक जो कुछ सीख जायगा, वह स्कूल में आम लाकर दिखा देने से नहीं सीखेगा। बालक पढ़ाने से उतना नहीं सीखता जितना निरीक्षण से सीखता है, और निरीक्षण का यर्थात्तम उपाय यही है कि उस गाय के आस पास घूमन को ले जाय जाय, वहाँ जो कुछ है वह उसे देसे, और सभव हाता उसे दूर-दूर 'सरस्वती यात्राओं' (Excursions) के लिये ले जाय जाय।

बालकों को सरस्वती यात्रा पर जाने का जय भी अवमर मिलता है तो वे एकदम चेतन हा जाते हैं, उत्साह से भर जाते हैं। परन्तु यह यात्रा साधक हो, 'प्रगाजन-पूर्ण' हो, इस के लिये शिक्षकों को बड़ी साधानी वरतनी चाहिये। यात्रा का काई विशेष

उद्देश्य, प्रयोजन होना चाहिये। मुख्य बादशाहों ने दिल्ली के आस-पास कीन-सी इमारतें बनवायी—इस उद्देश्य से दिल्ली की यात्रा की जा सकती है। सब से अच्छा यह है कि अध्यापक पहले ही उन स्थानों पर हो आये जहाँ यात्रा करनी है ताकि वह हर बाव में बालकों को ठीक दिशा की तरफ निर्देश दे सके। इस बात पर ध्यान देना अत्यन्त आवश्यक है कि यात्रा में बालक अपना सभव यों ही नष्ट न कर दें। एक अध्यापक के साथ २० से अधिक बालक नहीं होने चाहियें। बालकों के पास नोट-बुक हो जिसमें वे सब-कुछ लिखते जायें। इन यात्राओं से ही पता लगता है कि औत्सर्व रखता हुआ भी अन्या कौन है और कान रखता हुआ भी बढ़ा कौन है? अगर गांव के आस-पास की जड़ी-बूटियों की जानमारी के लिये यात्रा की गई है तो फूल-पत्ती के नमूने रखना चाही रहती है। इन सरखती-यात्राओं से बालकों की 'निरीक्षण-शक्ति' तोड़ होती है, और यह निरीक्षण की आदत विज्ञान के विद्यार्थी को एक महान् वैज्ञानिक, साहित्य के विद्यार्थी को एक महान् साहित्यमार तथा मनुष्य-समाज की गति-विधि के विद्यार्थी को एक महान् नेता बना देती है।

१०

व्यक्ति तथा 'कक्षा'-शिक्षण पद्धति

(INDIVIDUAL AND CLASS-TEACHING METHOD)

बालक को किस प्रमाणर शिक्षा दी जाय, इसके अनेक उपाय हमने देरे। अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि उसे व्यक्ति रूप में इकले को शिक्षा दी जाय, या कई बालकों को इकट्ठे? व्यक्ति रूप से एक एक बालक पर अलग अलग ध्यान देकर शिक्षा देना 'व्यक्ति शिक्षण पद्धति' (Individual Teaching Method) है; अनेक बालकों को इकट्ठे एक समान शिक्षा देना 'कक्षा शिक्षण-पद्धति' (Class Teaching Method) है।

१—व्यक्ति-शिक्षण-पद्धति

'व्यक्ति शिक्षण पद्धति' के दो रूप हो सकते हैं। या तो एक बालक के लिए एक अध्यापक रूप जाय, या अनेक बालकों के रहेत हुए भी उन सब को अलग अलग ही पढ़ाया जाय। इस बालक के लिये अलग अलग शिक्षक इत्यना संभव नहीं है। राजा-महायजा ऐसा कर सकते, सब ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, अनेक बालकों के एक साथ रहते हुए भी उन पर अलग-अलग ध्यान दिया जा सकता है। योरोप तथा भारत में प्राचीन काल में इसी

प्रकार की शिक्षण-पद्धति प्रचलित थी। एक अध्यापक होता था, भिन्न-भिन्न पाठ पढ़ने वाले अनेक विद्यार्थी होते थे। वडे विद्यार्थी छोटों को पढ़ाते थे, और वडे विद्यार्थी अध्यापक के पास पढ़ते थे। अध्यापक ने जिस विद्यार्थी को पढ़ाना होता था, उसे अपने पास चुलाऊ पढ़ा देता था। क्योंकि इस शिक्षण पद्धति में एक ही अध्यापक सब विद्यार्थियों को सब विषय स्वयं या अपने शिष्यों की सहायता से पढ़ा लेता था, इसलिए यह सस्ती तो थी परन्तु इसमें निम्न डोप थे :—

(१) क्योंकि स्कूल के छोटे वडे सब विद्यार्थी एक ही कमरे में होते थे ताकि अध्यापक सब पर दृष्टि रख सके, इसलिए व्यवस्था के स्थान पर अव्यवस्था ज्यादा रहती थी। निस समय अध्यापक किसी वडे वालक को अपने पास चुला दर पढ़ा रहा होता था। उस समय दूसरे वालक दोर भजाने के मिलाव उछन्न करते थे।

(२) क्योंकि वडे लड़के छोटों को पढ़ाते थे, इसलिए पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं हो सकती थी। अध्यापक के पढ़ाने और विद्यार्थी के पढ़ाने में अन्तर तो रहता ही है।

(३) इसटे पढ़ाने पर एक-दूसरे का मुराचिला करने, एक-दूसरे से आगे बढ़ने आदि के गुण विद्यार्थियों में नहीं उत्पन्न होते थे।

२—कक्षा-शिक्षण-पद्धति

इस पद्धति के गुण—

'ठग्गी-शिक्षण-पद्धति' के उक्त दोपों को देखकर इंग्लॅण्ड में १८६८ में यह नियम बनाया गया कि स्कूल को भिन्न-भिन्न कक्षाओं में विभक्त किया जाव, प्रत्येक कक्षा की अलग-अलग पाठविधि

हो, उसका अलग अध्यापक हो, और एक स्तर के विद्यार्थी एक साथ पढ़े। तभी से 'कक्षा-शिक्षण-पद्धति' (Class teaching) का प्रारम्भ हुआ। इस पद्धति के निम्न गुण हैं—

(१) बालक स्वभाव से अपनी आयु के बालकों के साथ रहना पसन्द करता है। घर में भी वड़ी आयु का बालक अपने से छोटी आयु के भाई बहन के साथ रहने के बजाय अपनी आयु के दूसरे बच्चों को साथी बना लेता है। उनके साथ वह ऐसा अनुभव करता है जोनों अपनों के बीच में हो। यह मत्र इसलिये होता है क्योंकि बालक इस सब की तरह एक सामाजिक प्राणी है, वह माना अपना समाज हूँड लेता है। 'कक्षा' एक समाज है, इसलिये इस समाज में उसका अपने को घर का सा अनुभव करना स्वाभाविक है।

(२) जब मनुष्य समाज में बैठता है तब उसकी विद्या शक्ति तथा अनुभव शक्ति पहले से बढ़ जाती है। इसला गाने में 'प्रीर संकड़ी व्यक्तियों के साथ देश-भक्ति का गीत गाने में फिल्म अन्तर है! जब सब मिल कर एक साथ झोई काम रखते हैं तब प्रत्येक व्यक्ति की शक्ति अलग अलग भी बढ़ी हुई होती है। एक का उत्साह दूसरे को, ओर दूसरे का तीसरे से स्फूर्ति देता है।

(३) इसके अतिरिक्त सामूहिक कार्य में प्रतिस्पद्यों के जारी एक दूसरे से आगे निरलने की प्रवृत्ति आ जाती है और विद्यार्थियों में हर समय उत्साह बना रहता है।

(४) जैसे अन्य विद्यार्थियों के बीच में अपने को पाहत प्रत्येक विद्यार्थी में रहति, इत्साह पृष्ठ पढ़ता है, यैसे ही अध्यापक भी एक विद्यार्थी का पढ़ाने हुए उनना उत्साह नहीं अनुभव कर सकता नितना एक कक्षा के समूल अनुभव करता है। अच्छा व्याख्या भरी सभा में बोलता हुआ अपने से बहुत ऊचे उठ-

जाता है; अच्छा अध्यापक भी भरी कक्षा को पढ़ाता हुआ बहुत ऊँचा उठ जाता है। सर्वही अध्यापक को जब मालूम है कि कक्षा में कोई भी विद्यार्थी कैसा भी प्रश्न फ़र सकता है तब उसे पाठ तैयार करना ही पड़ता है।

इस पद्धति के दोण —

'कक्षा-शिक्षण पद्धति' पर्याप्त समय रुक चल चुकी है, अतः अब शिक्षा विद्वानों का ध्यान इस पद्धति के दोणों की तरफ आकृष्ट हुआ है। इस पद्धति के निम्न दोष कहे जाते हैं :-

(१) इस पद्धति में विद्यार्थियों के वैयक्तिक भेड़ों को सम्मुख नहीं रखा जाता, सब भेड़ों को एक ही लाठी से हाँसा जाता है। अध्यापक अपनी एक चाल से चलता है, विद्यार्थियों की अनेक चालें होती हैं। एक ही रक्षा में कोई गणित में तेज, और एक कमज़ोर, कोई विज्ञान में तेज, कोई कमज़ोर। किसी की आलेदग में रुचि, किसी की साहित्य में, किसी की इतिहास में। जिसकी विज्ञान में भूचि है, उसके लिए विज्ञान के प्रणटे पढ़ाने नहीं जाते, जिसकी भूचि नहीं उसके लिए घटाये नहीं जाते। विद्यार्थियों के व्यक्तिगत भेड़ों में सब से मुख्य भेड़ उनका तेज श्रीरामजोर होना है। अगर अध्यापक तेज बालकों की रफ्तार में चलता है तो कमज़ोर के पल्ले कुछ नहीं पढ़ता, अगर कमज़ोरों की रफ्तार से चलता है, तो तेज लड़के ऊँज जाते हैं, शरारतों में लग जाते हैं।

(२) इस पद्धति में अधिकतर काम अध्यापक ही ढरता है। वह कक्षा में आया, और व्याख्यान देने लगा। आध पट्टा, पीन पट्टा बोलता रहा, विद्यार्थी चुप-चाप सर-कुद्र भजता रहा, विद्यार्थी को स्वतन्त्रता पूर्वक कुछ करने की तुली छूट नहीं होती। यहाँ सारा शिक्षा शास्त्री अध्यापक छो इतनी नुर्झी छूट देने के स्थान

में विद्यार्थी को कुछ देना चाहते हैं, विद्यार्थी पुस्तक-पाठ करे, वह परीक्षण करे, जो कुछ करना हो वह करे, अध्यापक न करे, क्योंकि जो करेगा वही सीखेगा, सीखना विद्यार्थी को है, अध्यापक को नहीं।

(३) इस पद्धति में गुरु-शिष्य का नो कोई सम्बन्ध ही नहीं रहता। अध्यापक को पढ़ाने से मतलब, कित को पढ़ा रहा है, इससे मतलब नहीं। शिक्षक के व्यक्तित्व की छाप विद्यार्थी पर पड़े, ऐसा-कुछ इस पद्धति में नहीं होता। गुरु शिष्य को एक दूसरे को जानने का, एक दूसरे को समझने का अवसर हो नहीं मिलता। अनेक अध्यारोहिता अपने विद्यार्थियों के न नाम जानते हैं, न उन्हें पढ़ानते हैं; वे 'कक्षा' को जानते हैं, 'व्यक्ति' को नहीं।

३—नवीन शिक्षण-पद्धतियाँ

'कक्षा शिक्षण-पद्धति' के उक्त दोपो के कारण शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान किस 'व्यक्ति शिक्षण पद्धतियों' (Individual Teaching) की तरफ जारी है। हां, इस बार यह वैयक्ति-शिक्षण प्राचीन शाल के वैयक्ति-शिक्षण से भिन्न है। व्यक्ति की मिन्नताओं को सम्मुख रखते हुए जो नवीन शिक्षण पद्धतियाँ खल रही हैं उनका धर्णन आगे फिया जायगा। मुख्य-मुख्य 'व्यक्ति-शिक्षण पद्धतिया' निम्न लिखित हैं :—

- ✓ (क) विषयार्थ या चालीदान शिक्षा ✓
- ✓ (ख) मौटीघो-पद्धति ✓
- ✓ (ग) प्रीग्रेट पद्धति ✓
- ✓ (घ) डार्टन पद्धति ✓
- ✓ (ङ) बेट्टि गिरा पद्धति

१९

सानुवन्ध-शिक्षा

(METHOD OF CORRELATION OF STUDIES)

व्यावहारिक दृष्टि—

विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में अनेक विषय पढ़ाये जाते हैं। पढ़ाई, लिखाई—ये दो विषय हैं; इतिहास, भूगोल—ये दो विषय हैं। अरु-गणित, वीज-गणित, ज्यामिति—ये तीन विषय हैं; सुलेख, शाप्र-लेख, व्याकरण, निवन्ध, साहित्य—ये पाँच विषय हैं। इस प्रकार विषयों को गिना जाय तो उनकी संख्या बीस के लगभग हो जाती है। इनमें विषयों को धोड़े-से समय में कैसे पढ़ाया जाय—यह शिक्षक की सब से बड़ी समस्या है। अनु-कथा पाठ्यपुस्तक में वे सब विषय अलग अलग हैं। जरा प्याज देने से प्रतीत होगा कि इन विषयों में से अनेक वा आपस में सम्बन्ध है, इनमें सम्बन्ध कि एक को पढ़ाने जैसे दूसरा ज्ञान पढ़ाया जाता है। पढ़ाई लिखाई एक ही विषय में आ जाते हैं; इतिहास-भूगोल एक-दूसरे के साथ रखे भिले हैं; सुलेख शीघ्रलेख साथ साथ रहते हैं; व्याकरण-नियन्ध साहित्य को धोया जा सकता है। भिन्न-भिन्न विषयों का एक-दूसरे के साथ सामायिक संबन्ध है। विषयों को एक दूसरे के साथ बौध बढ़ाना ही 'सानुवन्ध-शिक्षा' (Correlation of Studies) कहायी है।

शिक्षक १५-२० विषयों को कैसे पढ़ाये—इसी समस्या को हल करने के लिये 'सानुवन्ध-शिक्षा' (Correlation of Stud-

ies) के सिद्धान्त का प्रतिपादन नहीं किया जाता, इम सिद्धान्त के आधार में मनोवैज्ञानिक तथा दार्शनिक विचारधारा भी गमु कर रही है।

मनोवैज्ञानिक दृष्टि—

‘मनोवैज्ञानिक-दृष्टि’ से विचार किया जाय तो बालक का ज्ञान भिन्न-भिन्न विषयों का अलग अलग ज्ञान नहीं होता, उसमें ज्ञान एक समूचे जगत् का ज्ञान है; ‘अनुयायी’ का ज्ञान होता है, ‘अवयव’ का नहीं, ‘अवयव’ का ज्ञान ‘अनुयायी’ के ज्ञान के बाहर होता है। गाना तुनवे हुए मधुर सगीत का ज्ञान होना है, उसके बाल और लड़का ज्ञान तो घटुत मेहनत से प्राप्त किया जाता है। शिशुक ना कर्त्तव्य है कि बालक के मन की रचना के अनुसार चले—जब उसके मन में ज्ञान अलग अलग भागों में नहीं बैठा है तब उसी प्रकार चलने से वह ज्ञान को आसानी से प्राप्त कर लेता है। बालक के लिये सब विषय एक है, ज्यों ज्यों वह विकसित होता जाता है त्यों त्यों वह एकता से अनकृता का अनुभव करता जाता है। शिशुक को भी इसी प्रकार चलना होगा। पहले सब विषयों को एक साथ रखा मिला कर बालक के सम्मुख रखना होगा, और ज्यों-ज्यों वह विकसित होता जायगा त्यों त्यों उन विषयों को एक-दूसरे से अलग अलग करना होगा।

दार्शनिक दृष्टि—

‘दार्शनिक-दृष्टि’ से विचार किया जाय तो भी मनुष्य का ज्ञान एक अभिन्न इकाई है। ज्ञान में विविधता नहीं, परस्ता है। जब एक कोई नहीं वात मन में आकर मन की पुण्यनी नियत वातों के साथ अपन्य रुद्धी-न रुद्धी तरह का सम्बन्ध नहीं बांध लेनी तब वह यह अलग पड़ी रहती है, अतरती है, मन का द्विसमानदी धनती। द्वारा घर में कोई अतिथि आये तो उसे द्वारे या द्वारे

सगे सम्बन्धी मित्रों के साथ कोई-न कोई सम्बन्ध बहलाना होगा तभी उसे घर में आभ्रय मिलेगा। इस्ते में चलते फिरते को कोई अपने घर में स्थान नहीं देता। वही विचारों का दाल है। जिन विचारों ने मन में पहले घर किया हआ है, नवे विचारों को उनके साथ किसी न किसी प्रकार का संबंध जोड़ना होगा। सबथ जुइ जायगा तो उनका स्वागत होगा, नहीं जुड़ेगा तो उन्हें वहाँ स्थान नहीं मिलेगा। इसी विचार को जर्मनी के प्रसिद्ध दार्शनिक दया शिक्षा शास्त्री हर्वार्ट ने अपनी विचार-धारा में पुष्ट करके 'केन्द्रीकरण' (Concentration) तथा 'सातुबन्ध शिक्षा' (Correlation of Studies) के सिद्धान्तों को जन्म दिया।

केन्द्रीकरण का सिद्धान्त—

हर्वार्ट न कथन था कि 'मन' का 'विश्लेषण' किया जाय तो कुछ नहीं रहता, परि मुक्त 'विचार' रह जाते हैं। विचारों के 'संश्लेषण' का नाम ही मन है। जैसे इंटों को जोड़ने से पर बढ़ता है वैसे विचारों को जोड़ने से मन बढ़ता है। परन्तु इंटों को छिपी भी कम से रख देने से तो घर नहीं बढ़ता, इंटों का ढेर बन जाता है; विचारों को भी छिपी भी प्रशार भर देने से 'व्यवस्थित मन' नहीं बढ़ता, विजित मन बन जाता है, व्यवस्थित मन तभी बढ़ता है जब इन विचारों को किसी क्रम से इखा जाय, उन्हें आपस में एक दूसरे से वांछ दिया जाय। विचारों को इस प्रशार क्रम से बाधने से मानो एक 'विचारों का चक्र' (Circle of thought) बन जाता है। जैसे सुन्दर चुत चारों तरफ से गोल होता है, कहीं में उभरा, कहीं से चपटा नहीं होता, इसी प्रशार क्रम से पड़े हुए और आपस में स्वाभाविक शृंखला में बधे हए विचार एक विचारों के 'चक्र' का निर्माण रखते हैं। जिस वर्गिति के विचार 'जितने शृंखला में दूपे होते हैं, उसमें उत्तम सुन्दर 'विचार चक्र' (Cu-

cle of thought) बनता है, और विचार का जितना सुन्दर 'वृत्त' होता है उतना ही उस व्यक्ति का मन सुब्बयस्थित होता है, सुव्यवस्थित मन से ही मनुष्य में 'व्यवसाय शक्ति' (Will power) उत्पन्न होती है, 'व्यवसाय शक्ति' से ही वह किसी कार्य के वरने में सफल होता है। 'विचार वृत्त' के बनने का अभिप्राय यही है कि मन में जो पुछ प्रवेश करे वह पहले के विचार के साथ अपना सम्बंध स्थापित कर ले। वृत्त में जैसे एक केन्द्र होता है, केन्द्र से ही वृत्त बाहर को फेजता है, वैसे 'विचार वृत्त' का भी कोई केन्द्र होना चाहिये। इस केन्द्र के साथ प्रत्येक विचार से जोड़ कर मन का सुन्दर विग्रह होता है। आगर सदाचार को 'विचारों के वृत्त' का केन्द्र बना कर उसे विस्तृत किया जाय तो सम्पूर्ण जीवन चरित्र मय बन जाता है। ऐसा 'विचार वृत्त' का केन्द्र विन्दु सदाचार है, दूसरे सभी विचार इसी से गुण हुए हैं इससे बिना जुझ कोई भी विचार नहीं, तब दुरुचार का विचार मन में आकर अपने सरीरा कोई विचार न हो सकता अतदृष्टि ही नहीं सकता। प्राय देखने में आता है कि सुशिक्षित व्यक्ति भी दुरुचारी होते हैं, अशिक्षित भी सगचारी होते हैं। इस रूप कारण यहाँ है कि सुशिक्षित होते हुए भी उस व्यक्ति के विचारों के वृत्त का विग्रह सगचार के केन्द्र से जहा हुआ, और अशिक्षित होते हुए भी दूसरे व्यक्ति के विचारों के वृत्त का विग्रह सदाचार के केन्द्र से हुआ है। शिला के लेन में इस सिद्धान्त को घटान को ही 'केन्द्रारुपण' (Concentration) का सिद्धान्त कहा जाता है। जेस 'विचारों के वृत्त' का एक 'केन्द्र' है, सर 'विचार' उसो से जुड़े रहने हैं वैसे अन्यायन में भी किसी विषय को 'केन्द्र' घनाचार अन्य सर विषय का उसके साथ जोड़ देना मन का सुब्बयस्थित बना देना है। द्वार्ट ने इतिहास का केन्द्र वर्तने

अन्य विषयों को उसके साथ पिरो दिया था। इतिहास को केन्द्र बनाने का कारण यह था कि इस से महान् पुरुषों का चरित्र पद कर विद्यार्थी ऊँचे चरित्र का भी बनता जाता है, और इतिहास के साथ जुड़ा साथ ज्ञान भी प्राप्त करता जाता है। साहित्य में ऐतिहासिक दब्ब नाटक, गणित में प्राचीन सेनाओं के सिपाहियों की सख्त्या, वेतन आदि का हिसाब, भूगोल में जिन जिन मार्गों ते आक्रमणों को गुजराना पड़ा ढनज वर्णन, जिज्ञास में नुदों के समय वदूर आदि का वर्णन करके सब विषयों को इतिहास के इर्द गिर्द साथ दिया जाता है। अमेरिका में हवाई के अनेक अनुयायियों ने 'इतिहास' के स्थान में 'प्रृथिवी पाठ' (Nature Study) को सब विषयों का केन्द्र बनाने का प्रयत्न किया है। 'निरीक्षण चर्चा सरखती यात्रा' के अध्याय में हम देख चुके हैं कि इस तरह 'प्रृथिवी पाठ' को केन्द्र बनाकर अन्य विषय पढ़ाये जा सकते हैं।

अनुभव शिक्षा का विदात—

'केन्द्री-करण' (Concentration) में अर्थ है-इसी एक विषय को केन्द्र बना कर पढ़ाना, 'सम्बन्ध' या अर्थ है-उस केन्द्रीय विषय के साथ अन्य विषयों का सम्बन्ध जोड़ कर बढ़ाना। किसी विषय को केन्द्र बनाने का उद्देश्य यही है कि उस केन्द्र के साथ अन्य विषयों का सम्बन्ध जोड़ा जाय, इसलिये 'केन्द्री-करण' (Concentration) 'अनुभव' (Correlation) स्थापित रूप के लिये ही है। भारत में जिस वेसिक शिक्षा प्रणाली पर चोर दिया जा रहा है उसमें सुझाव आदि इसी तात्त्व को 'केन्द्रीय विषय' (Central Subject) बना कर अन्य विषयों का उसके साथ 'अनुभव' (Correlation) अर्थात् सम्बन्ध स्थापित करना ही उद्देश्य है।

‘केन्द्री करण’ के विषय में यह आपत्ति की जाती है कि सब विषयों को एक ही विषय के साथ नहीं ढाँका जा सकता, परन्तु ‘अनुवन्ध’ स्वापित करते जाना, एक विषय का दूसरे के साथ सम्बन्ध जाहंत जाना तो कोई विट्ठन काम नहीं है। यह डीक है कि जहाँ सम्बन्ध न हो यहाँ भी जखंदाती किसी न रिसी तरह सम्बन्ध जोड़ने का प्रयत्न करना ठीक नहीं। परन्तु जहाँ सम्बन्ध हो यहाँ सम्बन्ध दिखाजा। ‘व्यावहारिक’, ‘भजोवैज्ञानिक’ तथा ‘दार्शनिक’ दृष्टिकोण से सर्वथा उचित है।

१२

क्रिया द्वारा शिक्षा की पद्धति

DYNAMIC OR ACTIVITY METHOD IN EDUCATION

पुहुने और नवे शिक्षा-शास्त्र में यह भेद है कि पहले 'अपने-आप करके सीखने और सेल द्वारा सीखने' (Learning by doing and learning by play) को शिक्षा का अङ्ग नहीं माना जाता था। जो कुछ करता था शिक्षक करता था, बालक नहीं; शिक्षक परीक्षण करके दिखाता था, बालक देखता था; शिक्षक पाठ पढ़कर सुनाता था, बालक सुनता था। आजकल यह समझ जाता है कि बालक परीक्षण करे, शिक्षक देरे, जहाँ अशुद्धि हो वहाँ बता दे; बालक पाठ पढ़े, शिक्षक सुने, जहाँ अशुद्धि हो वहाँ बता दे। जिवनी नवीन शिक्षा-प्रणालियाँ निम्नलिखी हैं—‘प्रोजेक्ट’, ‘डाल्टन’, ‘फडरगार्डन’, ‘मान्टीसरी’, ‘चेसिर’—सभ के आधार में ये दोनों इष्टिन्होए काम कर हैं। इस अध्याय में हम ‘क्रिया’ द्वारा, और अगले अध्याय में ‘सेल’ द्वारा शिक्षा देने का बर्णन करेंगे।

‘शिक्षा’ एक विशेष प्रकार की ‘क्रिया’ का नाम है। बालक जिसका है, हम कहते हैं, यों न लिखो, यों लिखो; यह पढ़ता है, हम कहते हैं, यों न पढ़ो, यों पढ़ो; यह जो कुछ करता है, हम कहते हैं, यों न करो, यों करो—याज्ञक ‘क्रिया’ कर रहा है, हम उस ‘क्रिया’ को ठीक दिखा दे देते हैं, यही ‘शिक्षा’ है।

अगर बालक के भीतर चल रही अपनी किया—‘आभ्यन्तर-क्रिया’—(Self-activity) न होती, तो शिक्षा का प्रश्न एक ‘मनोवैज्ञानिक’ प्रश्न न होकर एक ‘चान्त्रिक’ प्रश्न होता। ईंट-पत्थर में अपनी कोई ‘आभ्यन्तर क्रिया’ (Self-activity) नहीं है, उनसे हम जैसा मकान चाहे खड़ा कर देते हैं; बालक की ‘आभ्यन्तर क्रिया’ क्योंकि अपनी ही ऐसी दिशा की तरफ जा रही है इसलिए उस ‘क्रिया’ को ध्यान में रख कर चलना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। या तो जिस दिशा की तरफ उसकी ‘आभ्यन्तर-क्रिया’ जा रही है हमारी किया भी उसी दिशा की तरफ चले, या उस क्रिया को रोकना कोई दूसरी दिशा दे। अगर हमारी किया बालक की क्रिया की दिशा में ही चलती है तब तो बालक हसी-चुशी से हमारी बात का स्वागत करता है, अगर उसके विरोध में चलती है, तब बालक और शिक्षक की क्रियाओं में संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। वर्तमान शिक्षा शास्त्र यही कहता है कि शिक्षक को बालक की ‘आभ्यन्तर-क्रिया’ (Self-activity) का पता लगाकर, उसके साथ चलना, उसे ठीक दिशा देनी चाहिए, और आवश्यकता पड़ने पर ऐसी ‘आभ्यन्तर-क्रिया’ उत्पन्न कर देनी चाहिए जिसमें वह ठीक दिशा की तरफ स्वयं चल पड़े।

हम सङ्कर पर चले जा रहे हैं, इतने में कोने से एक चोर निकला। हमने उसे अपनी तरफ बुलाया, वह भाग खड़ा हुआ। ठीक इसों समय एक दूसरा आदमी दिखाई दिया, वह भूत्ता था, उसे भी हमने पुकारा, वह झटके बढ़ कर आगे आ गया। क्या बारण है कि पुकारने से एक आदमी भाग गया, दूसरा निकट आ गया? कुच्छा भूत्ता है, हमने चाली हाथ आगे करके उसे पुनर्सारा, वह चलना हुआ आग, वह भूम्या नहीं है, हमने हाथ

में होती लेकर उसके सामने आयी, उसने हनारी बरक देख भी नहीं क्या कारण है कि यही कुच्चा एवं हालत में नागला आया है, इन्हीं हालत में हमें पहचानता नहीं नहीं ? इन सदृश यही कारण है कि सत्तार ने 'विषय' (Stimulus) के सामने आने ही मननाही 'प्रतिक्रिया' (Response) नहीं उत्पन्न होती, इसलिए नहीं होती क्योंकि जिस 'ज्युक्टि' (Organism) ने प्रतिक्रिया करती है उसकी घटना किया—'आव्यन्तर द्वितीय'—(Self-activity) भी चल रही होती है, और उसकी भोवती क्रिया और हनारी दी हुड़ क्रिया के परिणाम से जो क्रिया हो सकती है वही क्रिया उत्पन्न होती है। वही क्रियाओं ने परिणाम कीन-सी क्रिया होगी इनमें निश्चय करने में 'ज्युक्टि' के भोवत चल रही क्रिया का सबसे मुख्य प्रभाव पड़ता है।

बालक शान्त नहीं, क्रिया शोल होता है, उसके भोवत उझी भारी क्रिया चल रही है, उसे वाँध दर वैद्य देना उसे मानो ज़ेल में डाल देना है। चतुर विचार के हाथ में बालक को यह असीन 'क्रिया शोलता' न साज़े य चान करती है जिससे चतुर यज दो भाँति यह एक भव्य भवन का निर्नायक देवा है। यह देखा गया है कि बालक दिन में १५ घण्टार शब्द तो बाल ही डालता है, उसका शब्द-कोप बहुत परिमित है, परन्तु एक ही नाम दो घार-घार बोलता जाता है। अपने शरीर के द्वारा साधारण ज्युक्टि से ५ गुना ज्यादा शारीरिक गत करता है। वचन में एक-एक 'ज्ञान'-वाहक तन्तु' (Sensory Nerve) के लिए एक एक 'चेष्टा-वाहक-तन्तु' (Motor Nerve) होता है, क्योंकि उस चनर क्रिया-ही क्रिया करनी होती है, पीछे जाकर कई 'चेष्टा-वाहक तन्तुओं' के स्थान में एक एक 'चेष्टा-चेत्र' (Motor area) का जाता है क्योंकि उस भव्य उत्तमी आंशिक क्रिया की आवश्यकता नहीं

रहती। यालक शान्त थेटे हैं तो भी कुछ न तुछ बोलते ही जाते हैं। उनमें किया ना यह अवस्था भरना इसीलिय फृटा पड़ता है क्योंकि यालक ने किया द्वारा ही सब-कुछ सीखना होता है। यालक रहते पहले हैं, साचन पीछे हैं, बढ़े होने पर पहले सोचते हैं, पर करते हैं। जब तक यालक इसी काम को करके नहीं सीखता तब तक वह उसे पूरी तरह सीख ही नहीं पाता। किडर-गार्डन तथा मॉन्टीसरी पद्धति में यालक भी किया शीलता में ही लाभ उठाया गया है, जबकी शिक्षा नहीं ही जाती। 'किया द्वारा भीतरने' (Learning by Doing) की पद्धति को मन विषयों में प्रयोग किया जा सकता है। थॉनेटाइक ने इसके सम्बन्ध में कुछ नियमों ना प्रतिपादित किया है जिनका यण्णन हम 'शिक्षा भीतोविज्ञान' में कर सकते हैं। ज्याहारिक गणित पढ़ाने ना पुराना तरीका बढ़े बढ़े प्रश्न इस फरवाने का या जिन्हें यालक तुछ नहीं समझता था। नवीन प्रणाली के अनुसार यालक से खारीदना-येचना फरवाया जाता है, रूल में अपना बैंक खोला जाता है, यालकों का उस में टिसाव रहता है, वे चेक गाठते हैं, रूल में ढोटे-छोटे बाजार लगाते हैं, लाभ दृष्टि की समस्याओं को 'किया पद्धति' द्वारा स्वयं सीख जाते हैं। आजकल 'विचार मरु' (Theoretical) के साथ-साथ 'किया-मरु' (Practical) पढ़ाई पर विशेष ध्येय दिया जाता है। लड़के परीक्षण करते हैं, लाटक बेलते हैं, यालचर घनते हैं, बढ़ाई और जिलदसाखी ना नाम भीरते हैं, यह सर इसलिये स्थानी आज सी शिगण प्रणाली ने शिक्षा में दृष्टि से नाम करने के तत्व नो समझ लिया है।

प्रत्यन होता है कि यालक के मन में क्या चीज़ है जो उसे हर समय किया शील बनाये रखती है? भूत्या कुत्ता रोटी देतासर फौंसी उछल कर आता है, चोर हमें देतासर क्यों भाग जाता है?

यह इसलिये कि कुत्ते को 'भूख' लगी है, चोर को 'भय' लगा है। क्रिया-शीलता की आधार यही 'भूख'-'भय'-'जिज्ञासा' आदि 'प्राकृतिक शक्तियों' (*Instincts*) हैं, यही हमारे भीतर वैठी-न्वैठी हमें इधर-से-उधर चलाया करती हैं। जिस समय ये हमें प्रेरणा दे रही होती हैं, हमें क्रिया के लिये वाधित कर रही होती हैं, तब इन्हे 'प्रेरक-कारण' (*Urges, Motivations*) कहा जाता है। ये 'प्रेरक कारण' हो हम से 'क्रिया' (*Activity*) कराते हैं। शिव्वर का काम पढ़ाते हुए 'प्रेरक-कारण' उत्पन्न कर देना या उन्हे प्रथल कर देना है। कत्ता में आकर यह कदर पढ़ाना कि आज हम अमुक-अमुक पाठ पढ़ेगे पढ़ाने का उत्तम तरीका नहीं है। पढ़ाने का तरीका यह है कि बालकों की 'क्रिया शीलता' को उचेन्जित करने वाले 'प्रेरक-कारणों' (*Motivations*) की सहायता से उसे काम में इस प्रकार लगा दिया जाय कि यह उससे चिपट जाय, और फिर काम को पूरा करके ही दम ले। 'मॉन्टोसरी'-'प्रजेक्ट' आदि पद्धति में इसी विचार को दृष्टि में रखा गया है। बालक के मन में 'प्रयोजन' (*Purpose*) उत्पन्न करके उसे उसके हल करने में लगा देने से वह काम करेगा, उससे थकेगा नहीं, और करते-करते यहुत कुछ सीख जायगा।

१३

खेल द्वारा शिक्षा की पद्धति (PLAY WAY IN EDUCATION)

कोई समय था जब खेलना पाप समझ जाता था। मातापिता भ्रायः कहा करते थे, यद्या हर समय खेल में लगा रहता है, पढ़ने में इसका दिल ही नहीं। जर्मनी के प्रो० कार्ल प्रूस ने यहाँ त्रिखेलना पाप नहीं, खेलना तो प्राणी को शिक्षा देने का एक साधन है, इसलिये प्रश्नति ने इसे सुरक्षित रखा हुआ है। जो चीज़ बेग़र है वह सासार में टिकती नहीं—यह नियम है। सासार के प्रारम्भ दिन से आज तक यद्या खेलता ही चला आया है, आज से लास्तों साल पड़ले जगली का यद्या हो, आज के बादराह का यद्या हो—सभी खेलते हैं। खेल का प्रश्नति में कोई नारी उपयोग है, तभी तो, हमें निकम्मी-सी जचने वाली यह चीज़ आज तक यनी दुर्ई है। पिछले अध्याय में हमने देखा था कि 'क्रिया शोलगा' (Activity) की उपयोगिता 'शिक्षा' के लिये है, इसी प्रधार 'खेल' की भी उपयोगिता यही है कि इस से पशु वथा मनुष्य का बाल्फ सीखता है, भावी जीवन में जो-तुछ उसे करना है उसके लिये खेल द्वारा अपने को तैयार करता है। 'क्रिया-शोलगा' ही इसी पिरोप बात को सीखने के लिये 'खेल' पर रूप धारण कर लेती है। जिन प्राणियों को तुछ सीखना नहीं ये खेलते भी नहीं। मच्छर को, सटमल को क्या सीखता है?

खाना और जीना इन दो के सिवाय उनमा कोई काम नहीं, इन दोनों को ये जन्म से ही जानते हैं, इसलिए उनके जीवन में खेल का कोई स्थान नहीं। जिस प्राणी को जीवन-यात्रा के लिए अधिक सीखने की आवश्यकता है वह उतना ही अधिक खेलता है, जिसे जितना कम सीखने की आवश्यकता है वह उतना ही कम खेलता है। खेलना तो सीखने का भारी साधन है।

खेलना बालक के लिये सीखने वा साधन क्यों है? वह इसलिए कि सिर्फ सीखना तो एक 'काम' हो जाता है, कोई भी 'काम' बालक के लिए बराने वाली चीज हो जाती है। बालक 'खेलना' चाहता है, 'काम' नहीं करना चाहता, हा, खेलने का अगर इस प्रभार उपयोग कर लिया जाय जिस से वह खेलता खेलता काम भी कर ले तब उसे कोई आपत्ति नहीं होती। वह क्यों 'खेलना' चाहता है, और क्यों 'काम' नहीं करना चाहता, इसके लिए 'खेल' और 'काम' के भेद को स्पष्ट रूप में समझ लेना आवश्यक है। 'खेल' और 'काम' मेरे भेद हैं। —

(१) 'खेल' का उद्देश्य खेलमात्र होता है, 'काम' का उद्देश्य काम नहीं होता, कुछ और होता है। बालक गेंद मेरेल रहा है, खेलने के अतिरिक्त उसका क्या उद्देश्य है? चक्रील वसालत कर रहा है। वह वसालत इसलिए करता है क्योंकि इससे पैसा पेश होता है। 'खेल' में उद्देश्य सिद्ध होगा या नहीं होगा, यह भावना नहीं बनी रहती, क्योंकि बालक के मन मेरेल के अतिरिक्त कोई उद्देश्य ही नहीं होता, 'काम' में उद्देश्य सिद्ध होगा या नहीं होगा, यह भावना बनी रहती है, 'खेल' में परिणाम की चिन्ता नहीं, 'काम' में परिणाम दी चिन्ता है, इसलिए 'खेल' में बालक लगा रहता है, 'काम' से भी चुपता है।

(२) 'खेल' अपनी इच्छा पर आश्रित है, 'काम' दूसरे की

इन्हीं पर। यालक खेलता है, कभी इधर भागता है वभ उधर, वह 'स्वतंत्र' होता है। अगर खेल में पन्थन भी हैं तो अपने बच्चों के हुए, या अपने माने हुए। जो बुद्ध है अपनी इन्हीं से है। याम में तो भनुष्ठर बधा रहता है न इधर ढिल सस्ता है, न उधर। जो यात अपनी इन्हीं पर निर्भर करती है उसम् दिलचस्पी यनी रहती है, उसे आदमी देर तक करता चला जाता है, जो दूसरे की इन्हीं पर निर्भर करता है उसे देर तक नहीं पर सकता। दुमनदार की मर्जी है जब चाढ़े दुमन सोले, जब चाढ़े ब-ड कर दे। दुमनदार की इस स्वतंत्रा पर बहन्हे नाकरा परण आहू भय करते हैं। वे २०१ हैं, यही बच्चों का याता है तो क्या आलादी हो नहीं है। दुमनदार अपने काम से जो नहीं चुराता, वे जी चुराते हैं। अध्यायक पदान आता है तो साचता है, जब सूक्ल पन्द्र हो ओर यथ वह पर भागे, लक दफ्तर आता है तो सोचता है जब चार पंजे आर यह छठे। यही लोग जब अपना काम अपनी मर्जी से परे लगाते हैं तो दिन रात करते हुए नो नहीं थका। यह दूसरा क्यरह ऐ कि यालक खेल में लगा रहता है, 'क्यम' में नहीं। यही बारण है कि जब 'खेल' याजकों के लिए आवश्यक कर किया जाता है तब खेल के लिए जान देने पाले यालक नो खेल से जी चुपन लगते हैं तथ उनक लिए 'खेल' की 'क्यम' पन जाता है।

(३) 'ये १' में आनन्द आता है, 'क्यम' में नहीं। 'खेल' में इसने पर भी यालक दबल्य पूरा-इसा करते हैं, 'क्यम' में तो आनन्द तभी आता है जब सस्ता हो। जो सफल नहीं है, उस घेचारे को भी क्यम तो करना ही पड़ता है, जो नार कर क्यम करना पड़ता है क्योंकि बुद्ध किए परौर गुजारा नहीं। यह तासरा क्यरण है जिसने यालक 'खेल' से जुट रहते हैं, यद्कर चक्कनाचूर हो जाने

पर भी क्योंकि आनन्द ही आ रहा है इसलिये खेलने से नहीं धकते, और घोड़ा-सा 'शाम' करने पर ही क्योंकि आनन्द नहीं आ रहा इसलिये काम से उब जाते हैं।

हमने देखा कि 'परिमाण की चिता क्या न होना', 'स्वतंत्रता' तथा 'आनन्द' ये तीन चाते हैं जिनमें बालक सेल में लगा रहता है, उससे धकता नहीं। यह स्पष्ट है कि अगर इन तीनों को 'शाम' के साथ जोड़ा जा सके तो बालक शाम में भी लगा रहेगा, उससे धकेगा नहीं। 'शाम' के साथ इन तीनों भावनाओं का सम्बन्ध जोड़ देना ही 'शाम' को 'भवेन' बना देना है, और इसी को 'खेल द्वारा शिक्षा देना' कहा जाता है।

अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि 'खेल' द्वितीय प्रकार में है, और उन्हें 'शाम' के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है?

रार्लप्रस ने गेलों को ५ भागों में विभक्त किया है:—

- (१) परीक्षणात्मक खेल (Experimental Plays)
- (२) दौड़ धूप बाले खेल (Movement Plays)
- (३) स्वनामक खेल (Constructive Plays)
- (४) लड़ने-चढ़ाने बाले खेल (Fighting Plays)
- (५) मानसिक खेल (Intellectual Plays)

'परीक्षणात्मक खेल' में हैं जिनमें बालक चीजों रो ढाने-धरने में लगा रहता है। इसमें यह भावी जीवन की तैयारी कर रहा होता है। परं भी ऐसे खेल सेलते हैं। पिछों क्या वशा दिसी भी चीज को कभी दूधर से पकड़ता है, कभी उधर से—यह भानों चूटे के शिकार क्या अभ्यास कर रहा होता है। कुत्ते का पिछा दूसरे पिछ्ले पो खेल-खेल में दातों से घर ढौबता है। उसे भी वो बड़े होकर शिरार खेलन्ह होता है। इस प्रकार के नेतृत्व से प्राणी को वस्तु के बाहर प्रकार, रण रूप क्या ज्ञान हा जाता है।

ऐसे गंगल बालक व्यक्ति रूप से, इकले रेला रहते हैं। मान्टीसरी पद्धति में परीक्षणात्मक-'रेल' को 'शिक्षा' के साथ जोड़ दिया है। बालक ने यस्तुओं को उठाना-धरना तो ही ही, किर उसके गिर्द ऐसे उपकरण क्यों न रख दिये जाँय जिनसे वह इनके साथ खेलता रेलता यस्तुओं के आकार प्रगार, रग-रूप आदि के विषय में व्यवस्थित रूप में छुट्ट सीख भी जाय। मान्टीसरी स्कूल में जाने वाले बच्चे से हमने एक बार पूछा, तुम यहाँ क्या पढ़ते हो ? उसने कहा, हम पढ़ते नहीं, रेलते हैं। बान भी ठीक है, वे खेलते हैं, और रेलते-रेलते पढ़ जाते हैं।

'दीड़-धूप याले रेल' वे हैं जिनमें बालक एक-दूसरे के पीछे भागते हैं, पत्थर उठाकर फेंकते हैं, वे यूँ ही इधर-उधर फिरा करते हैं, कुछ-न-कुछ घोला रहते हैं। ये रेल बालक इकले भी रेलते हैं, दूसरों के साथ भी, साथ रेलने से इन रेलों में तीव्रता और चेंग आ जाता है। इन रेलों से उनके शरीर का गठन हठ होता है, शरीर के भिन्न-भिन्न अंगों वा पारस्परिक सहयोग बढ़ता है। किंडरगार्टन पद्धति में इसी भावना को ओत प्रोत किया गया है, यहाँ तक कि माता से भी यह आशा की जानी है कि यह बालकों के साथ रेल सके। इस प्रगार के रेलों से बालकों में सहयोग, सहानुभूति आदि यी भावनाओं को उत्पन्न किया जा सकता है।

'रचनात्मक-रेलों' में बालक मट्टी का घर बनाते हैं, स्टार्टिंग मीरते हुए पुल बनाते हैं, हाथ से काम करते हुए पुस्तकों की अपेक्षा बहुत अधिक सीख जाते हैं। ये रेल यहाँ के हैं। बालचर संस्था रचनात्मक रेलों का सबसे अच्छा दृष्टाता है। बालक जंगल में जाते हैं, कैम्प लगाते हैं, हाथ से लड्डी बाटते हैं, रोटी बनाते हैं, और यह सर-नुद्र करते हुए यहुत-नुद्र सीख जाते हैं। प्रोजेस्ट-शिक्षा-प्रणाली में बालक किसी रचनात्मक कार्य को सामने रखता

खेल खेल मेर कर डालते हैं और पुस्तके जो नुब्र नहीं सिखा सकती 'प्रोजेक्ट' उन्हें सिखा देते हैं।

'लड़ने भागड़ने के सेल' कपड़ी, कुर्ती, हाथी, फुटवॉल आदि हैं। ये बड़ों के खेल हैं, समृद्ध में खेले जाते हैं और इनसे बालक इतना हुद्दा सीख जाता है जो दूसरी किसी तरह सीख ही नहीं सकता। मिलकर काम कैसे करना चाहिये, हार फर भी कैसे हँसवे रहना चाहिये, जीवन फूलों की शाप्या ही नहीं है, उसमें काढ़े भी हैं, परन्तु कॉटों में उलझ कर भी उन्हें कैसे सुलभता चाहिये—ये गुण कपड़ी, कुर्ती आदि खेलों से ही सीखे जाते हैं। नैलसन ने याटरलूका युद्ध क्रिंगर के मैदान में जीता था। कैसे? क्योंकि युद्ध में जिन गुणों की आपश्यकता है, उसने वे खेल के मैदान में पाए थे।

'मानसिक रोल' तीन तरह के हैं : पहले, 'विचारत्मक' (Intellectual), जैसे, शतरंज, गारा, ड्राफ्ट। शब्द-रचना का खेल खेलते खेलते बालक शुद्ध हिज्जे सीख जाता है, शतरंज से युद्ध की चालों समझ में आ जाती है। दूसरे, 'उद्गोगत्मक' (Emotional), जैसे, नाटक खेलना। आजकल नाटक का शिक्षा में बड़ा स्थान है। इतिहास सिखाने का सर्वोत्तम उपाय ऐतिहासिक नाटकों को खेलना है। नाटक खेलने हुए घटनाएं बालक के मस्तिष्क पर अमिट छाप छोड़ जाती हैं। इसके साथ उने स्पष्ट वया उच्च स्तर से योजना पड़ता है, योर, रीढ़, हस्त्य रस के भावों को अभिन्नकरता पड़ता है। इससे बालक स्पष्ट योजना सीख जाता है, भिन्न भिन्न भावावंशों को प्रकट करना उसे अनावास आ जाता है। तीसरे, 'हृत्यात्मक' (Volitional), जैसे, कोई हँसाने वाली कहानी कह कर न हँसने की शर्व लगा दी जाय, जो हस पड़े, वह हारा समझ जाय, जो न हँसे, वह जीवा। इस से अपने छो निर्यागित करने वा अभ्यास हो जाया है।

यालकु रो ग्रेल ग्रेल म सब कुछ सिखाने के प्रियम कड़ लाग आपत्ति रहते हैं, और कड़ते हैं कि यह 'मृदु शिक्षा विज्ञान' (Soft Pedagogy) है, ग्रालकु को हमन जीवन म कठिनाइया का सामन बरन याम्य बनाना है, न कि इरण्ह बात को आसान बना कर उसे रठिन कार्य रखने के मर्यादा अयाम्य बना देना है। कठिन कार्य बरन का अभ्यास रा रर हम उसमें रठिन भाय बरन की 'शक्ति' उत्पन्न करनी चाहिए ताकि यह सब रठिन कार्यों को कर सके। परन्तु यह बात ठीक नहीं। आजमल का भगोविज्ञान मनुष्य के मन की इस प्रकार भी भिन्न भिन्न 'शक्तियाँ' (Faculties) रो नहीं मानता, इसलिए यह यह भी तहीं मानता कि रठिन भियों के अभ्यास से कठिनाई रा सामना बरन की बोई 'शक्ति' उत्पन्न हो सकती है। अमल बात तो यह है कि हमने यालकु को शिक्षा देनी है और शिक्षा को ग्रेल मे जोड़ देना शिक्षा देने का सहल उपाय है। सब मे पद्धते कॉल्डवेल कुक (Caldwell Cook) ने 'कीझा पद्धति' (Play way) शब्द का प्रयोग किया था। उसने देरा कि अपेक्षी पढ़ाते हुए लड़कों का ध्यान पाठ भी तरफ नहीं होता था। उसने शोरस्वीयर के नाटकों को बालकों से उत्थाना शुरू किया। फिर क्या था, अपेक्षी पढ़ना उनके लिए ग्रेल हो गया। इसी पद्धति को आज शिक्षा के दूर दून्ह में घटाया जा रहा है, और ग्रेल को शिक्षा के साथ जोड़कर अनेक शिक्षा प्रणालियों प्रचलित हो रही है। हम आगे अध्यायों में उन्हीं मे रिंडर-गारटन, मार्टीसरी, प्रोजेक्ट तथा बेसिन शिक्षा प्रणालियों रा वर्णन करेंगे।

१४

किंडर-गार्टन पद्धति

(KINDERGARTEN METHOD)

जर्मनी के शिक्षा-शास्त्री फ्रेडरिक फ्रोबेल (१७६२-१८३२) ने 'क्रिया द्वारा शिक्षा' (Learning by doing) तथा 'खेल द्वारा शिक्षा' (Learning by play way) के सिद्धान्तों को आधार बनाकर 'किंडर गार्टन' पद्धति का निर्माण किया। उस का कथन या कि पाठशाला एक 'उद्यान' (garten) है जिस में 'वालड़' (kinder) रूपी पौधा शिक्षक रूपी माली को देख-रेख में बढ़ता है। पौधे का विकास उसके आन्तरिक नियमों से होता है, इसी प्रभार वालड़ का विकास भी उसके आन्तरिक नियमों से होता है। शिक्षक का काम तो माली की तरह पौधे को उसके आन्तरिक नियमों के अनुसार बढ़ने देने में सहायता देना है।

वे नियम क्या हैं? इन नियमों के सम्बन्ध में चियेचना करते हुए फ्रोबेल ने एक दार्शनिक विचार-धारा को जन्म दिया था। उसका कथन था कि:—

फ्रोबेल की दार्शनिक विचार-धारा—

(१) विश्व में 'एकता' (Unity) का नियम काम कर रहा है। 'ईश्वर' (God), 'जीव' (Spirit) तथा 'प्रकृति' (Nature) में आधार-भूत तत्त्व 'एक' ही है। यद्य प्रकृता का तत्त्व 'ईश्वर' है। 'ईश्वर' से ही 'जीव' तथा 'प्रकृति' का विकास होता है, यद्यो

सब का आदि स्रोत है। भारत के वेदान्तियों का भी यही सिद्धान्त है।

(२) 'एकता' के अतिरिक्त दूसरा नियम 'विकास' का, 'पूर्द्धि' (Development) का नियम है। प्रत्येक वस्तु अपने आन्तरिक नियमों के अनुसार विस्तृत होती हुई उसी 'एकता' की तरफ जा रही है। 'एकता' से 'अनेकता' उत्पन्न होती है, परन्तु फिर इस 'अनेकता' की गति 'एकता' की तरफ हो रही है, ससार 'पूर्णता' की तरफ, 'व्रज्ञ' की तरफ गतिमान है।

(३) यह 'पूर्द्धि' (Development), यह 'पूर्णता' के से होती है? इस 'पूर्द्धि' का आधार 'आभ्यन्तर गति' (Self-activity) है। इम 'खेल द्वारा सीखने' के अभ्याय में लिख आये हैं कि मनुष्य जन्म से ही ऐसी 'प्रेरणाओं' (Urges, Mouvavons) से लेकर पैदा होता है जो उसे हर समय कुछ न कुछ करने के लिये वापिस करती हैं। यह 'आभ्यन्तर-गति' मनुष्य को 'विकास' की तरफ, 'पूर्णता' की तरफ, 'व्रज्ञ' की तरफ जै जाने के लिये है—यह फ़ोरेल वा कथन है।

(४) 'आभ्यन्तर-गति' (Self activity) के पूर्ण विस्तृत होने का साधन 'समाज' (Social Institutions) है। परिवार में, स्कूल में, समाज में ही 'आभ्यन्तर-गति' अपने को विस्तृत करने के लिये उत्तेजित होती है, इकलौतन में 'आभ्यन्तर-गति' का चंग नहीं मिलता।

बालक को जब स्कूल में दूसरे बच्चों के साथ रखा जाता है तब उस की 'आभ्यन्तर गति' का उत्तेजना मिलती है। यह गति अपने को 'खेल' द्वारा प्रकट करती है। 'आभ्यन्तर गति' (Self activity) तथा 'खेल' (Play) द्वारा बालक का 'विकास' (Development) करना और उसे परमार्थ 'एकता' (Unity)

की तरफ हो जाना ही रिक्त है। इस दृष्टि से क्रौंचेत ये शिव
सबधी मुख्य सिद्धान्त बालक की 'आनन्दन्तरगति' (Self-
acuity) को शिक्षा में मुख्य ध्यान देना है। इस के बजाय कि
शास्त्रक अन्ते की मुख्य रस्ते, उसे बालक को मुख्य रस्ता चाहिए,
और बालक की 'आनन्दन्तरगति' को ठोक दिशा देने में लक्षणक
दोनों चाहिए। बालक जो कुछ करे अपने आप करे, और अपने
आप करके सीखे।

इस उद्देश्य ने क्रौंचेत ने बालकों के लिये कुछ सेवने की
चीज़ें बनारी थीं जिन्हें वह 'उपहार' (Gifts) कहता था। इन
'उपहारों' (Gifts) से बालक सेवने लगता था। इन सेवों को वह
बालक की 'क्रीड़ा' (Occupation) कहता था। इस प्रम्भर इन
'उपहारों' के साथ खेल में लगे रहने से उसे परिमात्रा, रंग, रूर,
गिनती आदि का ब्रान न्यरं सेवन-सेवन हो जाता था।

क्रौंचेल के 'उपहारों' (Gifts) की संख्या २० है, परन्तु उन
में मुख्य ७ हो हैं और उनमें 'लम्ब-गोल' (Cylinder), 'गोल'
(Sphere) और 'घन' (Cube)—इन तीन आध्यात्मियों के
ही निम्न भिन्न रूप हैं।

साडे उपहार (Gifts) निम्न हैं—

(१) पहले 'उपहार' में क्ष: रंगार उन को गोदे हैं जो ल्पल,
पीले, नीले, न्यरगी, हरे, वैज्ञानी रंग को होवी हैं। इन के साथ
'क्रीड़ा' (Occupation) का अर्थ है बालक इन गोदों के साथ
खेले। इस खेल में उसे रंग, रूर, गति, दिशा न्यरं ये
स्थान हो जाता है।

(२) दूसरे 'उपहार' में किसी कड़ी उत्तु के 'गोल' (Sphere),
'घन' (Cube) तथा 'लम्ब गोल' (Cylinder) इन जाने
हैं जिन ने उसे 'घन' की रिपरवा तथा 'गोल' की गति-रोकना

का परिचय प्राप्त होता है, और 'लम्ब गोल' में वह 'स्थिरता' तथा 'गति' दोनों को देता है। इस 'उपहार' से उसे 'समानता' और 'भिन्नता' देखने का अभ्यास भी हो जाता है।

(३) तीसरे 'उपहार' में एक बड़ा 'घन' दिया जाता है जो द छोटे छोटे समान घनों से मिलकर बनता है। इन से वह अनेक उपयोगी उपकरण बनाता है, वेच, सीढ़ी, दरवाजा, पुल बनाने लगता है। इस से उसे योग और ऊरु के प्रारम्भिक विचार भी मिल जाते हैं।

(४) चौथे 'उपहार' में बालक को एक 'घन' दिया जाता है जो द छोटे छोटे 'प्रिज्म' के मिलने से बनता है। 'प्रिज्म' आर छोटे छाटे 'घनों' के मेल से वह कई चीज़ें बनाना सीख जाता है, आर उसके ज्ञान में नवीनता आ जाने के कारण स्पष्टता आती जाती है।

(५) पाचवें 'उपहार' में एक बड़ा 'घन' दिया जाता है जो द छोटे छोटे घनों से भिल कर बनता है। इनमें से तीन घन फिर आधे आधे हिस्सों में, और तीन घन चौथाई हिस्सों में कटे होते हैं। इतना सामान हा जाने पर बालक भिन्न भिन्न रचनाएँ बनाता है, और 'आरूहि' तथा 'सम्बन्ध' के ज्ञान म बहुत जल्दी उन्नति करता है। यह तीसरे 'उपहार' से लगभग मिलता है।

(६) छठे 'उपहार' में एक बड़ा 'घन' दिया जाता है जो १२ बड़े और ६ छोटे 'विषम चतुर्भुजों' (Oblongs) से मिलकर बनता है। इससे आरूहियों की विविधनाका उसे ज्ञान हो जाता है।

(७) सातवें उपहार में यर्ग तथा 'प्रिभुज' दिये जाते हैं जिनसे दह ग्रामति रो भिन्न भिन्न शर्करे बनाना सीख जाता है। कोबल जानता था कि छोटे यर्गे 'रेत' (Play) रो, और बड़े बालक 'काम' (Work) को प्रसन्न करते हैं। इसलिये यर्गों के ग्रेलों के अंतरिक्ष उसने बड़े बालकों के लिए कागज काटना,

धागे में मनके पिरोता, चटाई बुनना, टोकरी बनाना, मिट्टी से भिन्न भिन्न आळतियाँ बनाना वथा खेती करने को भी 'उपहारों' में सम्मानित किया है। शिक्षक को चाहिए कि लालकों से काम कराये, और काम कराते हुए जैसा काम हो उसके सम्बन्ध में कोई गाना गाये, गाने के भाव को प्रकट करने वाली क्रियाएं करता जाय, क्रियाओं को भी भाव-भद्री से जानदार बनाता जाय।

यद्यपि आज कोवेल के 'उपहारों' का प्रयोग नहीं किया जाता, लो भी कोवेल ने शिक्षा के त्रैव में सदा के लिए स्थान बना लिया है। जगह-जगह किंडर गार्टन स्कूल खुले हुए हैं। आज जो हाथ से काम करने पर, खेल द्वारा बिल्डसाझी, चमड़े, राराज, मिट्टी के काम सिखाने पर, खेल द्वारा शिक्षा देने पर चोर दिया जाता है, स्कूल में बालकों से चरीचे लगायाये जाते हैं—यदू सब कोवेल की ही विचारधारा का फल है। कोवेल प्रकृति को परमात्मा का ही एक रूप समझता था, और प्रकृति-पाठ को परमात्मा तक पहुँचाने का साधन मानता था। इसीलिए उसने 'प्रकृति पाठ' (Nature Study) पर बल दिया, और उसी बल देने का परिणाम है कि आज हमारी पाठ-विधि में 'प्रकृति-पाठ' एक मुख्य विषय बन गया है।

मॉन्टीसरी शिक्षा-पद्धति

(MONTESSORI METHOD)

मेरिया मॉन्टीसरी (१८७०-१९५२) इटली की रहने वाली थी। उन्होंने 'हीन-बुद्धि' (Feeble-minded) बालकों की शिक्षा को हाथ में लिया और अपनी पद्धति के अनुसार शिक्षा दी। उन्होंने देखा कि जो बालक 'हीन-बुद्धि' कहे जाते थे, 'मॉन्टीसरी प्रणाली' के अनुसार शिक्षा पाने पर वे 'अच्छे-भले' (Normal) लड़कों के समान काम करते थे। उनके हृदय भे प्रश्न हुआ कि 'अच्छे-भले' घरलडों के साथ उनकी प्रणाली का प्रयोग किया जाय तब तो शायद वे और भी ज्यादा काम करेंगे। यह सोचकर उन्होंने अपनी पद्धति का 'अच्छे भले' बलकों पर प्रयोग शुरू किया और देखा कि इसमें बालक को शिक्षा देने में चमत्कार-पूर्ण प्रभाव था।

१—मॉन्टीसरी के शिक्षा-सिद्धान्त

मॉन्टीसरी ने कोबल की 'कीजा रथा किया' (Play and Activity) को आधार बना कर चलने वाली किडर गार्टन-पद्धति को ही परिमार्जित कर उसे नवीन रूप दिया। 'मॉन्टीसरी-पद्धति' के शिक्षा-सिद्धान्त निम्न हैं :—

(१) शिक्षा, 'विकास' (Development) का नाम है। बालक के जन्म-काल से ही उसके भीतर अपने पूर्ण विकास का सामर्थ्य रहता है, ठीक इस तरह जैसे वृक्ष के रूप में विकसित

होने का सामर्थ्य बीज में रहता है। बीज अपनी 'आन्तर्गति' से बढ़ता है, बालक भी उसी 'आन्तर्गति' से प्रसिद्ध होता है। माली का काम पौधे को पकड़ कर बढ़ाना नहीं, शिक्षा का काम भी बालक को जबड़स्ती ठोक-पीट कर पड़िव बनाना नहीं। उसका अन्दर से विकास हो रहा होता है, और शिक्षा उस विकास में सहायक मात्र है।

(२) विकास 'स्वतंत्रता' (Freedom) पर आधिर है क्योंकि बालक के विकास का बीज उसके भीतर भौजूद है, इस लिए उसके विकासित होने के लिए उसे पूर्ण 'स्वतंत्रता' मिलनी चाहिए, नियन्त्रण का योग डाल कर उसके स्वतंत्र विकास को रोकना नहीं चाहिए। परन्तु स्वतंत्रता किस प्रकार की ती जाय इसे भी मॉन्टीसरी ने साट किया है। बालक में जो मूलभूत 'प्राकृतिक-शक्तियाँ तथा प्रवृत्तियाँ' (Instincts and Tendencies) हैं उनके अनुसार उसे स्वतंत्रता-पूर्वक चलने देना, और उन प्रवृत्तियों को दबाने के स्थान पर उन्हें शिक्षा का आधार बनाना ही वास्तविक स्वतंत्रता है। पाठ्याला में बालक को घर की-सी स्वतंत्रता मिलना चाहिए तभी उसका विकास उस दिशा की तरफ होगा जिसकी तरफ चलने के लिए उसका जन्म हुआ है।

(३) बालक के 'व्यक्तित्व' (Individuality) का ध्यान रखना हमाय मुख्य कर्तव्य है। अगर बालक का स्वतंत्र विकास होने दिया जाय तो प्रत्येक बालक का अपने पृथक्-पृथक् 'व्यक्तित्व' के अनुसार पृथक्-पृथक् विकास होता है। आज समूह में शिक्षा देकर उसके 'व्यक्तित्व' को कुचल दिया जाता है। जिस समय पाठ्याला में सब बालकों को एक लकड़ी से हाँचा जा रहा था उस समय मॉन्टीसरी ने बालक के 'व्यक्तित्व' की आवाज उठाकर एक नवीन दिशा की तरफ मंकेन किया।

(४) मॉन्टीसरी ने 'आत्म शिक्षण' (Auto-education, Self-education) पर चला दिया। शिक्षक बालक के विकास में इतना अधिक हस्तक्षेप करता है कि बालक के लिए आत्म विज्ञान अमर्भार सा हो जाता है। इस पद्धति में शिक्षक को स्थान नहीं है, बालक अपने-आप शिक्षा प्रदण करता है, शिक्षक तो उसके सामने सिर्फ़ उपराण रख देता है। मॉन्टीसरी ने इन 'शिक्षाप करणा' (Didactic apparatus) का निर्माण इस दृष्टि से किया है कि उनका प्रयोग एक ही प्रकार से ही सकृता है, दूसरी प्रकार से नहीं। एक लकड़ी में तीन छेद हैं। प्रत्येक छेद में एक ही परिमाण की खूटी आ सकती है। अगर वह वडे छेद में पतली खूटी ढाल देता है, तो अन्त में छाटे छेद के लिए मोटी लकड़ी बच रहती है जो उसमें नहीं आ सकती—भट्ट वह अपनी गलती समझ ऊर उसे सुधार लेता है। इन उपराणों की सहायता से बालक सभ्य अवना गुरु बन जाता है।

(५) 'कर्मेन्द्रियों की शिक्षा' (Muscular training) पर भी मॉन्टीसरी बहुत चल देता है। बालक के अंगों की भिज्ज-भिज्ज मास-पेशियों को जब तक साधा न जाय तब वह उसे सभ कार्मों में रुठिनाई प्रतीत होती है, इनके साधने से लिपना, चलना, दौड़ना आसान हो जाता है, और वह छोटी ही आयु में सभ उद्ध सीख जाता है।

(६) 'शानेन्द्रियों की शिक्षा' (Sense training) भा क्षान के लिए आवश्यक है। शानेन्द्रियों ही तो हमे शान पहुँचाने के मार्ग हैं, ये कमज़ोर हुई तो शान में अस्पष्टता रहती है। मॉन्टी सरी का कथन है कि ७ वर्ष की आयु में बालक को शानेन्द्रियों बहुत क्षिया-शील रहती हैं और इसी समय वह बहुत सा शान बटोर लेता है। इन्द्रियों का साधने के लिए उस से ऐसे अभ्यास

'नेत्रेन्द्रिय' को साधने के लिए एक ही आमार प्रश्नार ची निन्न-
भिन्न रंगों की टिकियां बनायी जाती हैं, जो और सब बातों में
एक-सी। सिर्फ़ रंग में भिन्न भिन्न होती हैं। एक रंग को टिक्की
उसे दे दी जाती है, और वैसी ही दूसरी निकालने गे कहा जाए
है। इस प्रश्नार अन्य ज्ञानेन्द्रियों को साधा जाता है।

मान्दीसरी का कथन है कि इस प्रश्नार इन्द्रियों को साधने
के दो उद्देश्य हैं। एक तो यह कि प्रत्येक इन्द्रिय को ठीक-ठीक
ज्ञान प्राप्त करने का अभ्यास हो जाता है। इनारे ज्ञान में अदूरंग
इसलिए रहती है क्योंकि हम इन्द्रियों से अधकचण ज्ञान प्राप्त
करने के आवी हैं। दूसरा लाभ यह है कि इन्द्रियों को साधने
से सिर्फ़ इन्द्रियों ही नहीं सधरी, मनुष्य की समूर्ह बुद्धि य
विचार होता है; एक इन्द्रिय की सधी हुई 'शक्ति' (Faculty)
चर इन्द्रियों को, बुद्धि नाम को 'शक्तिशान' चरती है। यह एक
रहद क्य बोहिक व्यापार है।

नाम की शिक्षा—

भाषा की शिक्षा में 'लिखन' तथा 'पढ़ना'—ये दो चीजें
आती हैं। मान्दीसरी का कथन है कि 'लिखन' पहले लिखन
चाहिए। लिखने में दो बातें हैं कलम पेसल आदि लिखने
के साधन को पकड़ कर उसे ठीक-ठीक चलाना चौखना, और
अचर लिखना। कर्मन्द्रियों की शिक्षा से बालक की मांसभेरियों को
ठीक गति करने का अभ्यास तो पहले ही करना जा तुम्हें
होता है, अब उसके दायर में पेसल देकर ज्यानिति के उपचरणों
के बीच के भाग में पेसल फेरने को कहा जाता है।
क्योंकि उपचरणों के बीच में निश्चित स्थान होता है
इसलिए बालक उतनी ही पेसल फेरता है जिसके पेसल खेलने
के लिए स्थान है, यो ही इधर उसे नहीं बदला।

छोटे उद्यान। इन पर्तों में बालक की कर्मेंट्रियों को साधने की सब शिक्षा ही जाती है। चलने किरने जैसी छोटी छोटी वातों से लेकर, अपने से सम्बन्ध रखने वाली, तथा दूसरों से सम्बन्ध रखने वाली सभी कियाएं सिखा ही जाती हैं। कपड़ा पहनना, उतारना, अपनी हरेक चीज को प्रम से, सभालकर रखना, साना परोसना आदि सब काम वहाँ अपने आप सीख जाते हैं, और तीन वर्ष की आयु में इस चतुराई से करने लगते हैं जो यड़ी भी नहीं कर सकते। कहा जाता है कि मॉन्टीसरी सूक्ष्म के अदाई वर्ष के बालक भी चाय परोसते हुए भरे हुए प्याले की चाय न गिरने देते हैं, न प्याला तोड़ते हैं।

शानेन्द्रियों की शिक्षा—

‘शानेन्द्रियों’ की शिक्षा के लिये मॉन्टीसरी ने ‘शिक्षोपरकरण’ (Didactic apparatus) बनाये हैं जिनसा निर्माण इस ढंग से हुआ है कि एक उपरकण से एक ही प्रशार का काम हो सके, दूसरा न हो सके। इससा परिणाम यह होता है कि बालक को कहने की आवश्यकता नहीं होती, ऐसा न करो, ऐसा करो। उपरकण स्वयं उसे कह देता है, ऐसा करो। ये ‘उपरकण’ प्रौद्योगिकी के ‘उपरकणों’ के परिपूर्ण रूप के हैं।

‘संर्वेंट्रिय’ को साधने के लिए एक छिन्ने में ऊनी, रेसामी, मधुमली, रट्टर के दो-दो रूमाल रख दिये जाते हैं। सब का रंग-रूप आकार प्रशार एक सा रहता है, इससे बालक का ध्यान स्पर्श की तरफ ही जाता है, दूसरी तरफ नहीं। उसे एक रूमाल निशाल कर दे दिया जाता है और वैसा ही दूसरा रूमाल निशालने से पहला जाता है। यह स्पर्श से वैसा ही रूमाल निकलता है, इससे स्पर्श-शक्ति सध जाती है।

'नेत्रेंट्रिय' को साधने के लिए एक ही आकार प्रश्नार की भिन्न-भिन्न रंगों की टिकियां बनायी जाती हैं, जो और सब बातों में एक-सी, सिर्फ रंग में भिन्न भिन्न होती हैं। एक रंग की टिकी उसे दे दी जाती है, और वैसी ही दूसरों निकालने को च्छा जाता है। इस प्रश्नार अन्य ज्ञानेन्द्रियों को साधा जाता है।

मॉन्टीसरी का कथन है कि इस प्रश्नार इन्द्रियों को साधने के दो उद्देश्य हैं। एक तो यह कि प्रत्येक इन्द्रिय को ठीक-ठीक ज्ञान प्राप्त करने का अभ्यास हो जाता है। हमारे ज्ञान में अपूर्णता इसलिए रहती है क्योंकि हम इन्द्रियों से अधकचरण ज्ञान प्राप्त करने के आदी हैं। दूसरा लाभ यह है कि इन्द्रियों को साधने से सिर्फ इन्द्रियों ही नहीं सधीं, मनुष्य को सम्पूर्ण बुद्धि का विश्वास होता है; एक इन्द्रिय की सधी हुई 'शक्ति' (Facuity) सब इन्द्रियों को, बुद्धि भाव को 'शक्तिदान' करती है। यह एक तरह व्याख्याता व्याख्याता है।

भाषा की शिक्षा में—
—

भाषा की शिक्षा में 'लिखना' तथा 'पढ़ना'—ये दो चीजें आती हैं। मॉन्टीसरी का कथन है कि 'लिखना' पढ़ाने सिखाना चाहिए। लिखने में दो बातें हैं, कलम पेसल आदि लिखने के साधन को पकड़ कर उसे ठीक-ठीक चलाना सोखना, और अप्सर लिखना। कर्मेन्द्रियों की शिक्षा में बालक की मांस-मेशियों को ठीक गति करने का अभ्यास दो पढ़ाते ही करवा जा चुक्क होता है, अब उसके हाथ में पेसल देकर ज्यामिति के उपकरणों के बीच के भाग में पेसल फेरने को च्छा जाता है। क्योंकि उपकरणों के बीच में निरिचत स्थान होता है इसलिए बालक उतनी ही पेसल फेरता है जितना पेसल फेरने के लिए स्थान है, यो ही इधर उधर उसे नहीं चलाता।

जब पेंसन्फेर्टे-फेर्टे उसकी मार्स-पेशियाँ सध जाती हैं, और यह पेंसल परदना सीख जाता है, तब उसे अच्छर लिखना सिखाया जाता है। शिक्षित उसके सामने गत्ते का बना अच्छर रख कर उस पर उगली फेरने को कहती है। यह डंगली फेरता जाता है, और उसी समय यह उस अच्छर को बोलती जाती है। अच्छर को लिखना सीराने में हाथ काम कर रहा होता है, आँख काम कर रही होती है, भान भी काम कर रहा होता है। इन तीनों इन्हियों के इस्टुड्या काम करने का परिणाम यह होता है कि लिखना तो यह सीख ही रहा होता है, पढ़ना भी यह उसी समय सीख जाता है। एक तरह से विना सिखाये पढ़ना सीरा जाता है। मॉन्टीसरी का रुथन है कि यह एक आश्चर्य ही बात है कि उसकी पद्धति के अनुसार बालक 'लिखना' सीख रहा होता है, 'पढ़ना' नहीं, परन्तु लिखना सीखने-सीखते यह एकदम पढ़ना स्वयं भी सीख जाता है।

मॉन्टीसरी पद्धति के आलोचकों का कथन है कि 'शिक्षोप-करण' (Didactic apparatus) इतने महंगे हैं कि उन्हें हर स्कूल नहीं रख सकता। इसके अतिरिक्त मॉन्टीसरी का 'योद्धिक-व्यायाम' का विचार 'शक्ति मनोविज्ञान' (Faculty Psychology) का विचार है जिसे आज का मनोविज्ञान भी भार नहीं यरता। इस सम्बन्ध में हमारे 'शिक्षा मनोविज्ञान' का पृ. २६ २७ पढ़ें। अन्यथा यह पद्धति बच्चों की शिक्षा के लिए बहुत उपयोगी है।

३—किंडर-गारटन और मॉन्टीसरी पद्धति की तुलना समानता

किंडर-गारटन-पद्धति

१—दीन से सात वर्ष के बालकों १—दीन से सात वर्ष के बालकों

मॉन्टीसरी-पद्धति

की शिक्षा का प्रबन्ध किया जाता है।

२—बालक के आन्तरिक विकास के लिए 'उपहार' (Gifts) का प्रयोग होता है।

३—शान्त्रयों की साधना (Sense training) पर बल दिया जाता है।

की शिक्षा का प्रबन्ध किया जाता है।

२—बालक के आन्तरिक विकास के लिए 'शिक्षोपकरण' (Didactic apparatus) का प्रयोग होता है।

३—इलिये, ची, सायम, पर बल दिया जाता है।

भिन्नता

१—बालक को 'सामाजिक' वातावरण में, दूसरे वच्चों के साथ शिक्षा दी जाती है।

२—फोबेल के 'उपहारों' के बिना भी वैसे उपकरण बना कर शिक्षा दी जा सकती है और दी जाती है।

३—'खेल' इस शिक्षा का आधार है। 'संगीत' (Song), 'गति' (Movement) तथा 'भाव-गति' (Gesture) द्वारा खेल अभिव्यक्त होता है।

१—बालक को 'वैयक्तिक' रूप में शिक्षा दी जाती है।

२—मॉन्टीसरी के 'शिक्षोपकरणों' के बिना शिक्षा नहीं दी जा सकती।

३—'खेल' पर विशेष बल नहीं दिया जाता। 'शिक्षोपकरण' ही ऐसे बनाये गये हैं जिनमें बालक लगभग दबका है, और वे ही उसकी चलती उसे बता देते हैं।

१६

JMK

योजना-पद्धति (PROJECT METHOD)

इम पहले एक अध्याय में 'कार्य सिद्धि वाद' (Pragmatism) का उल्लेख कर आये हैं। जीवन में सत्य क्या है यह निरिचित रूप से कौन कह सकता है ? हाँ, जो यात उपयोगी सिद्ध हो, काम दे, वह सत्य अवश्य है, क्योंकि उससे कोई प्रयोजन सिद्ध होता है, मतलब निरुलता है, किया सिद्ध होती है। इस 'वाद' के मुख्य समर्थक अमरीका के जॉन ड्यूइं (Dewey) हैं। उनके अनुयायी क्लिपेट्रिक (Klipatrick) ने शिक्षा के क्षेत्र में कार्य सिद्धि-वाद को पटाहर 'योजना-पद्धति' (Project method) को जन्म दिया है।

१— योजना-पद्धति का मनोवैज्ञानिक आधार

इस पद्धति का समर्थन करने वालों का कथन है कि प्रचलित शिक्षा का जीवन के साथ कोई सम्बन्ध नहीं दिखाई देता, कोई उपयोगिता नहीं दिखाई देती। स्कूल में गणित के घड़े घड़े प्रश्न छल करने पर भी इमारे वाकाह बनिये से सीदा खटीदते हुए ढीक हिसाब नहीं लगा सकते, शारीरिक तत्त्व-विवेचना करने पर भी पोस्ट आक्रिस से पार्सल भेजना नहीं जानते। शिक्षा अव्यावहारिक होती चली जा रही है, उसका जीवन से कोई सम्बन्ध दिखाई

नहीं देता। इस समस्या को हल करने के लिये उन्होंने 'योजना-पद्धति' (Project method) का आविष्टार किया है। उनका कथन है कि हम दो प्रकार में काम करते हैं, या तो पहले से 'योजना' बनाकर, या बिना किसी योजना के। जो काम हम पहले से 'योजना' बनाये बिना करते हैं, वे ठीक से नहीं हो पाते, जिनके लिये हम योजना बना लेते हैं, वे ठीक से हा जाते हैं। 'योजना' खाले काम भी हो तरह के हैं। एक तो वे जिनमें 'योजना' का हमारे अपने जीवन की किसी समस्या को हल करने से सम्बन्ध नहीं होता, दूसरे वे जिनका जीवन की वात्तविक समस्या को हल करने के साथ सम्बन्ध होता है। पाठशाला में लड़कियों को कावना सिखाया जाता है। वे सीख तो जाती हैं, परन्तु आधी से ज्यादा रुई स्खराब कर देती हैं, धागे जगह-जगह से तोड़ देती हैं। अब अगर उन्हें कह दिया जाय कि जो रुई वे कातेगी उसकी उन्हें अपने लिये साढ़ी बनवा दी जायगी, 'तो उतने ही समय में वे पहले से चौमुनी रुई काढ़ लेंगी, एक-एक धागा सभाल रख रखेंगी, और बहुत जल्दी सीख जायेंगी। कारण यह है कि पहली 'योजना' का जीवन की किसी समस्या के साथ सम्बन्ध नहीं या, दूसरी 'योजना' का जीवन की वात्तविक समस्या के साथ सम्बन्ध जोड़ दिया गया। जब कोई 'योजना' (Project) जीवन की वात्तविक समस्या के साथ जुड़ जाती है, तब यह हम में एक अपूर्व शक्ति दत्तन कर देती है, और हम उस 'योजना' को पूरा करके ही हम लेते हैं। इस के निन्न मनोवैज्ञानिक कारण हैं:—

१—'योजना' में 'प्रक्षेपन' (Purpose) रहता है।

२—'याद-से-आनंदना' (Spontaneity) रहता है।

३—काम में 'सार्पकता' (Significance) दीखती है।

४—ज्ञान में 'चर्चा' (Interest) उत्तम हो जाती है।

‘प्रोजेक्ट’ (Purpose, Motive)—

किसी काम को करते समय अगर मन में ‘प्रयोजन’ उत्पन्न हो जाय तो मनुष्य उसे हल करने में जीवन से जुट जाता है, यह मनोपेशानिक नियम है। ‘प्रयोजन’ का उत्पन्न करने का अर्थ है जीवन की इसी ‘समस्या’ (Problem) का उत्पन्न कर देना। यह स्मरण रखता चाहिये कि जो समस्या जीवन की वास्तविक समस्या होगी, कालनिक नहीं होगी, वही व्यक्ति को सिर से पैर तक हिलार काम में भूत की तरह लगा देगी। मैराहूगल का कथन है कि जब मन में कोई वास्तविक समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो मनुष्य उसका कोई न कोई हल हांदा ही करता है। यह समस्या जीवन में एक विषमता उत्पन्न कर देती है। चलते फिरते, सोते-जागते हम अपनी परिस्थिति से अपने को कटा हुआ सा अनुभव करते हैं। हमारे और हमारी परिस्थिति के बीच यह सदा ‘अटङ्गव’ के रूप में बनी रहती है। मनुष्य इस ‘विषमता’, इस ‘अटङ्गव’ को दूर करके ही शान्त हो सकता है। ‘योजना’ (Project) में ‘प्रयोजन’ (Purpose, Motive) का उत्पन्न हो जाना एह ‘विषमता’ का, एह ‘प्रश्न’ का, एह ‘समस्या’ का उत्पन्न हो जाना है, और मनुष्य का यह स्वभाव है कि ऐसी परिस्थिति में समस्या को हल करने के लिए उसमें अभूत-पूर्वी शक्ति उत्पन्न हो जाती है। ‘योजना-पद्धति’ (Project method) में इसी कारण यात्र के सम्मुख एह ऐसा ‘प्रयोजन’ (Purpose) दिया जाता है जिससे जीवन के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध होता है, फिर यह उसे अपनी ‘समस्या’ समझता है, और उसके हल करने में दिन घर एह कर देता है।

‘आपने धार-नना’ (Spontaneity)—

जब कोई समस्या वास्तविक समस्या होती है तब उसके

हल करने में किसी बाहर की प्रेरणा की आवश्यकता नहीं रहती, तब मनुष्य अपने-आप उसमें जुटा रहता है। स्कूलों में लड़कियों से विनाई सिखाने के लिये स्वेटर विनवाये जाते हैं, वे उसमें बीस हील हुज्जत करती हैं, परन्तु अपने घरपालों के स्वेटर चोरी-चोरी स्कूल के घटों में ही विनती रहती हैं। एह ही काम है, परन्तु जब तक यह स्कूल की तरफ से कराया जाता है, वे नहीं करतीं, जब अपना समझ कर करती हैं, तब मना करने पर भी नहीं मानतीं। 'योजना-पद्धति' (Project method) में भी बालक अपनी 'योजना' (Project) अपने आप बनाते हैं उसे स्वयं चुनते हैं, इसलिये भी वे उस में लगे रहते हैं।

'सार्थकता' (Significance) तथा 'रुचि' (Interest)—

जब हम अपनी चुनी हुई 'समस्या' को हल करने में लगे होते हैं तब हमें अपना काम 'सार्थक' दिखाई देता है। आज हमारे बालक जो कुछ पढ़ते हैं उन्हें समझ नहीं पड़ता कि वे उस विषय को क्यों पढ़ते हैं? उन्हें पढ़ाया जाता है इसलिये वे पढ़ते हैं। जब बालक को मालूम हो कि यह फिसी काम को क्यों कर रहा है, तब उसकी सम्मूर्खी शक्ति उस काम को करने में केन्द्रित हो जाती है, और वाम करने में 'रुचि' भी उत्पन्न होती है। गहरी दृष्टि से विचार किया जाय तो 'प्रयोजन' का उत्पन्न होना ही अपने-आप 'सार्थकता' तथा 'रुचि' को उत्पन्न कर देता है।

२—'योजना' बनाने के आवश्यक अंग

'योजना-पद्धति' में पाच बाँड़ों पर ध्यान देना आवश्यक है :—

क—बालकों के उम्मुक्त मिठ-नित्र परिस्थितिया उत्पन्न करना
जिनमें से वह अनेक योजनाएँ बना सकें।

ख—इन अनेक योजनाओं में से किसी एक को चुनना।

ग—चुनने के बाद उसे पूर्ण करने का कार्य-क्रम बनाना।

घ—फिर पूर्ण करने में लग जाना।

झ—पूर्ण करने के बाद यह निश्चय करना कि 'योजना' ठीक तौर पर पूरी हुई है या नहीं।

भिन्न-भिन्न परिस्थिति उत्पन्न करना—

हम वालों को नुमाइश में घुमने ले गये, वे लीटकर कहने लगे, हम तो स्कूल में नुमाइश करेंगे। महाराष्ट्र प्रवाप का जीवन-चरित्र सुनते सुनते यालों के हृदय में भावना उठी, हम तो प्रवाप का नाटक खेलेंगे। भिन्न भिन्न परिस्थितियों से ये भिन्न भिन्न 'योजनाएं' (Projects) वालों के मन में अपने-आप उठी। शिशुक का काम वालों के सम्मुख ऐसी परिस्थितियों उत्पन्न रह देना है जिनसे उन्हें 'योजनाएं' स्वयं सूझें।

भिन्न-भिन्न योजनाओं में से किसी एक को चुनना—

इन योजनाओं में से किसी एक को चुनने का काम वालों का है। प्रायः अध्यापक योजना चुनने के प्रलोभन में पड़ जाते हैं। यह 'योजना पद्धति' के नियमों के विरुद्ध है। वालक जितना यह अनुभव करेंगे कि 'योजना' उनकी अपनी नुनी हुई है उतना ही उसे पूरा करने गे वे समय हो जायेंगे। वालों को ही अपनी योजना चुनने के लिए प्रोत्साहित करना पाहिये। अध्यापक को यह देत लेना चाहिए कि जिस 'योजना' को वालक चुने उसका उनके जीवन से कोई वाताविक सम्बन्ध हो, नहीं तो उस 'योजना' को ये बीच में ही अधूरा छोड़ देंगे।

'योजना' को पूर्ण करने का कार्य-क्रम बनाना—

'योजना' यह जाने के बाद उसे कियान्वित करने का कार्य-क्रम यनाना होता है। अध्यापक के लिए यह देतना आवश्यक है कि प्रत्येक वालक को कोई-न-कोई फाम मिले, ऐसा न हो कि

कई वालक तो सप-कुछ करते जाय, कई जाली बारते ही रहें। प्रत्येक वालक को जो कार्य करना हो वह उसे लिखा देना चाहिए।

‘योजना’ को पूर्ण करने में लग जाना -

प्रत्येक वालक को उसकी योग्यता के अनुसार काम देना चाहिये। कभी-कभी शिक्षक समय बचाने के लिये अधिक काम वालक के स्थान में स्वयं करने लगता है, ऐसा नहीं करना चाहिये। ‘योजना पद्धति’ में वालक ‘क्रिया द्वारा सीखने’ (Learning by doing) के सिद्धान्त से संतुष्ट रहा दर्शा रहा है। अगर शिक्षक ही सप-कुछ करने लगे तो वालक क्या सीखेगा? ‘योजना’ को पूर्ण करने में ही सप से अधिक समय लगता है। अधिक समय लगता देख कर शिक्षक को उतारला नहीं होना चाहिए। ‘योजना’ को पूर्ण करने में वालक जिवनी देर तक लगे रहेंगे उन्होंने ही कुछ-कुछ सीखते रहेंगे।

‘योजना’ का निर्णय—

‘योजना’ पूर्ण होने के बाद सब वालकों को उस पर अपनी सम्मति प्रस्तु करनी चाहिए—अपना ‘निर्णय’ देना चाहिए, ‘योजना’ जैसी चाहिए धी वैसी बनी, या नहीं बनी, क्या ढोप रह गये, ‘योजना’ को पूर्ण करते-करते उन्होंने और क्या कुछ सीख लिया।

इस सम्बन्ध में यह लिख देना आवश्यक है छिसी भी ‘योजना’ को पूर्ण करते-करते वालक एक नहीं, अनेक वारं सीस जाते हैं। हम पहले ‘सानुबन्ध रिक्षा’ (Correlation of Studies) पर लिख आये हैं। ‘योजना-पद्धति’ में ‘सानुबन्ध रिक्षा’ का सिद्धान्त यहुत अधिक स्पष्ट होता है। बाजार लगाने की ‘योजना’ का पूर्ण करने में वालक खरोदने-बेचने का हिमाय रखने

से गणित, उस सब का वर्णन लिखने से नियन्त्रण-लेखन, एवं बाज़ार से सम्बन्ध रखने वाली अनेक वार्ते सीख जाते हैं।

३—‘योजना-पद्धति’ का उदाहरण

श्रीगुरु रटोन ने पोस्ट आफिस से पासल भेजने की एक योजना का उन्नेस्च किया है, जिसमें समझ आ जायगा कि इस पद्धति द्वारा किस प्रकार वालक सीखते हैं। यहुत वाद विद्यालय के बाद वालकों ने तय किया कि किसी अनाथालय के वालकों को भेट के रूप में बुद्ध पार्सल भेजेंगे। इधर से कान सिलाने के घटे में उन्होंने काराच मोइना, पार्सल पर ठीक से लपेटना, तांगे से बॉनना आदि सीखा। सब लोग ठीक से पार्सल भी तो नहीं बाध सकते। भाषा सीखने के अन्तर में उन्होंने पते लिखना सीखा। गणित के अन्तर में पार्सल को तोकना, रितने वजन पर कितना टिकट लगता है, विदेश भेजने में कितना व्यय होता है, सबारी गाड़ी, माल गाड़ी या हवाई जहाज से भेजने में क्या भेद है, कितने पैसे लगेंगे, कितने वच रहेंगे—यह सब बुद्ध सीखा। जहाँ जहाँ पार्सल भेजना है, यह शादर किस जिले में है, यह भूगोल के अन्तर में सीखा। अनाथालय के वशों को किसी ने मिट्टी में रिलीने बना कर, किसी ने स्टेटर बना कर भेजे, किसी ने टिकटे इरुटी करके भेजी। इन चीजों को बनाना, इरुटा करना वे अपने-अपने अन्तर में सीख गये। अनाथालय के वालकों को उन्होंने पत्र लिखे, उनमें उत्तर माँगा। लिखने के अन्तर में उन्होंने पत्र लिखना सीख लिया।

इस पद्धति ने शिक्षा को जीवन की समस्याओं के साप जोड़ कर व्यावहारिक बना दिया है, जो बुद्ध पढ़ाया जाता है उसमें आपस में सम्बन्ध भी बाध दिया है, परन्तु इसके समाजोच भी यह

१२८ ‘रीक्षा-शास्त्र’—सिद्धान्त, विधि, विधान, इतिहास

कथन है कि इस प्रकार सिखाने से शिक्षा में कोई कम नहीं रहता, जो ‘योजना’ बनती है उसमें वे ही वार्ते सिखायी जा सकती हैं जो उसमें काम आवी हैं, दूसरी नहीं। ऐसी अनेक वार्ते हैं जो शिक्षा का अंग हैं, परन्तु ‘योजना’ में नहीं आती। इस पद्धति के समर्थक इसका यही उच्चर देते हैं कि ऐसे विषयों की अलग-से शिक्षा देने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं।

‘योजना-पद्धति’ छोटे बालकों के लिए प्रयोग में लायी जाती है, वडे बालकों के लिए इसी पद्धति के आधार-भूत नियमों को लेकर ‘डाल्टन-पद्धति’ का निर्माण हुआ है। अगले अध्याय में हम ‘डाल्टन-पद्धति’ की चर्चा करेंगे।

१७

डाल्टन-पद्धति

(DALTAN PLAN)

अमेरिका के डाल्टन नगर में मिस्रोलेन पार्कहस्ट ने १९१३ में इस पद्धति को जन्म दिया। 'समूह शिक्षा' (Class teaching) में जिन दोषों का हम पहले पर्यान पर आये हैं उन्हें दूर करने के लिए 'समूह शिक्षा' के प्रति विद्रोह के रूप में, 'व्यक्ति-गत' (Individual) छिक्षा देने के लिए इस पद्धति का निर्माण हुआ। 'डाल्टन-पद्धति' के आधार भूत सिद्धान्त निम्न हैं : -

(१) वालक को रुक्षा के बन्धन से मुक्त कर दिया जाय। जिस चीज़ में उसकी सच्चि हो उसे पढ़े, जब चाहे पढ़े, जितना चाहे पढ़े, उसके लिए कृपा पा बन्धन नहीं, विषय पा बन्धन नहीं, समय विभाग पा बन्धन नहीं। इससे जिम्मेदारी अध्यावक्ष १८ ज एट और विद्यार्थी पर आ पड़ती है। मनुष्य का सम्भाव है कि 'स्वतंत्रता' न मिलने पर यह 'उच्छ्रुति' हो जाता है, 'स्वतंत्रता' मिलने पर अपने को बन्धन में बाधने लगता है। इसलिये डाल्टन रूलों में नियन्त्रण पा प्रश्न नहीं होता।

(२) कृपा के बन्धन से मुक्त होकर वालक के 'व्यक्ति वा' का विसास दोता है, परन्तु 'व्यक्तिश्व' के विसास के साथ साथ उसका अन्य सभी साथ मिलता, उनके सहयोग से काम करना वी सीरना है, इसलिए अपेक्षाय समय उन्हें इत्ता साम रखने से रक्षा

जाता है, वाकी आधे समय में वे मिलकर काम करते हैं। 'छनूद-शिक्षा' में 'प्रतिस्पर्धा' (Competition) से बालक काम करता है, 'व्यक्ति-गत शिक्षा प्रणाली' के आधार पर वही 'डाल्टन-पद्धति' में वह दूसरों के 'सहयोग' (Co operation) से काम करना सीखता है।

(३) 'डाल्टन-पद्धति' में बालक के सम्मुख 'लक्ष्य' पिल्कुल स्पष्ट करके रख दिया जाता है। जैसे 'चोजना-पद्धति' में 'समस्या' को सामने रखकर उसे समझा दिया जाता है, इसी प्रकार 'डाल्टन-पद्धति' में 'समस्या' समन्वयकर, स्पष्ट करके बालक के सम्मुख रख दी जाती है। 'समस्या', 'प्रसन्न', 'लक्ष्य' को सामने देखकर बालक उसे हल करने में जुट जाता है, यह भनोवैज्ञानिक नियम है।

डाल्टन-प्रणाली

'डाल्टन प्रणाली' से किस प्रकार फार्म होता है, इस चार को समझने के लिये निम्न शब्दों को समझ लेना आवश्यक है :—

- १—पाठ का टेक्स्ट (Contract)
- २—निर्दिष्ट-पाठ (Assignment)
- ३—इकाई (Unit)
- ४—प्रयोग-यालाए (Laboratories)
- ५—गति-सूचक रेसो-वित्र (Graph)
- ६—सम्मेलन (Conference)
- ७—शिर्म-सभा (Assembly)

पाठ का टेक्स्ट—

प्रत्येक बालक को वर्ष अर में एक निर्दिष्ट पाठ तथ्यार करना होता है। इस पाठ को एक एक मास के द्वितीय से १२ द्विसप्तों में पोट दिया जाता है। एक मास में जितना पाठ तथ्यार करना होता

है, उसने का विद्यार्थी को 'टेका' करना होता है, और लियर फर्डेना होता है कि यह महीने भर म अपनी मुविधा के अनुसार अपने 'टेके' को पूरा फर्डेगा।

निर्दिष्ट पाठ—

प्रत्येक मास में टेके का जो पाठ होता है उसे उच्च भागों में पॉट दिया जाता है। शिशुक लियरर देता है कि इस मास में अमुक अमुक पुस्तक को पढ़ना है, अमुक अमुक चित्र देते हैं। टेके के इन निर्देशों से 'निर्दिष्ट पाठ' (Assignment) बहा जाता है। महीने भर के क्षम को 'टेका' और प्रत्येक सप्ताह के कार्य को 'निर्दिष्ट पाठ' (Assignment) भी चार ही होते हैं। महीने भर का निर्दिष्ट पाठ लियरर बाज़क को देता शिशु का काम है।

एक इ—

प्रत्येक निर्दिष्ट पाठ (Assignment) को 'भाग' (Part) कहा जाता है। महीने में चार निर्दिष्ट पाठ इते हैं अत चार ही 'भाग' रहते हैं। प्रत्येक भाग (Assignment or Part) के पाँच उपभिभाग (Minor part) किये जाते हैं, और एक एक उप उपभिभाग से 'इकाई' (Unit) कहा जाता है। महीने भर के टेके (Contract) में ४ निर्दिष्ट पाठ (Assignment), और एक एक निर्दिष्ट पाठ म ५ इकाईयाँ (Units) रहती हैं, इस प्रमाण सारे टेके में, २ गुणा ५, अथात् २० इकाईयाँ होती हैं।

प्रयोगशाला—

डाल्टन विधि में कक्षा के रूपरें नहीं होते। इसके स्थान में प्रयोग शालाएँ होती हैं। गणित, इतिहास, भौगोल आदि ही 'प्रयोग शाला' होती हैं जिनमें वर्त प्रशार ही महानक मानवा

उपस्थित रहती है। किसी विषय का कोई अन्तर निश्चित नहीं होता। बालक अपनी इच्छा और सुविधानुसार जिस 'प्रयोग-शाला' में जब चाहे जा सकता है। प्रयोगशाला में प्रत्येक कक्षा का अलग-अलग स्थान रहता है, दृढ़ों उसी कक्ष के लिए सदृश रूप सामग्री मीजूट रहती है। वहां पर उस विषय का एक विशेषज्ञ विद्वान् उपस्थित रहता है। बालक को जो बठिनाई हो वह उससे पूछ सकता है।

प्रगतिशूल रेखा चित्र—

विद्यार्थीने कितनी उन्नति की है, इसे जानने के लिए तीन प्रकार के रेखा-चित्र प्रयोग में लाए जाते हैं। एक रेखा-चित्र विद्यार्थी के अपने पास रहता है, जिससे उसे पता चलता रहता है कि उसने २० में से पाठ की कितनी 'इकाइयाँ' (Units) करली। दूसरा रेखा चित्र उस विषय के विशेषज्ञ के पास रहता है, जिसकी प्रयोगशाला में जाकर विद्यार्थी ने नाम लिया। इनसे पता चलता है कि उस विषय में उसने कितनी इकाइयाँ करली। तीसरा रेखा-चित्र कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी की कितनी-कितनी इकाइया समाप्त हो चुकी हैं, कितनी रहती हैं, यह दर्शाता है। महीने भर में २० इकाइयों को पूर्ण कर लेने पर 'ठेक्का' समाप्त होता है।

'सम्मेलन' वथा 'विमर्श-सभा'—

पाठशाला के समय को दो भागों में बटोटा जाता है। प्रातः-काल विद्यालय में आवे ही शिक्षक वथा विद्यार्थियों द्वा 'सम्मेलन' (Assembly) होता है। यह मिलना डालटन-पद्धति का आवश्यक अग है। इस सम्मेलन में शिक्षक सभा को जो-कुछ कहना हो, फह देता है। सायद्वाल द्वा सभा बालक इतिहास, भूगोल अथवा किसी अन्य विषय की 'विमर्श-सभा' (Conference) में इस्टे-

होते हैं और अपने-अपने 'अनुभव सुनाते हैं। 'सम्मेलन' में शिक्षक विद्यार्थियों को निर्देश देता है, 'विमर्श सभा' में बालक अपने-आप अपने अनुभवों की चर्चा करते हैं।

योजना-पद्धति में सब विषयों का 'अनुबन्ध' (Correlation) ख्याल में रखकर पढ़ाया जाता है। डाल्टन-प्रणाली में एक-एक विषय के विशेषज्ञ के आधीन बालक काम करते हैं अतः इस प्रणाली में सानुबन्ध-शिक्षा (Correlation of studies) का सिद्धान्त काम में नहीं लाया जाता—यह इस प्रणाली का दोष है। प्रत्येक विषय के लिए प्रयोगशालाएँ बनाना भी सब शूलों के लिए सम्भव नहीं है, न प्रत्येक शिक्षक में इतनी योग्यता या लगन होती है कि वह 'नियन्त्रण-पाठ' (Assignment) बनाने की मेहनत कर सके। अगर ये सब बातें सम्भव हों तो १२ से ऊपर की आयु के बालकों की शिक्षा के लिए इससे अच्छी कोई पद्धति हो नहीं सकती।

१८

‘बुनियादी-तालीम’ या ‘वर्धा-योजना’ (BASIC EDUCATION AND ITS METHOD)

भारत का सब से बड़ा प्रश्न प्राथमिक शिक्षा का प्रश्न है। अप्रेजों को सब भारतीयों को शिक्षित करने की आवश्यकता न थी, उन्हें अपना काम चलाने के लिए इने-गिने पढ़े-लिपे चाहिए थे, डसलिए अन्य उन्नत देशों के विपरीत यहाँ उच्च-शिक्षा देने वाले विश्व विद्यालयों का निर्माण पहले हुआ, प्राथमिक-शिक्षा की तरफ ध्यान पीछे गया। जब देश में हलचल हुई, जातीयता की भावना जाग्रूत हुई, तब सब वज्रों की शिक्षा का प्रश्न उप हो उठा। महात्मा गांधी (१८६६-१९४८) ने इस शिक्षा की तरफ चिरोप ध्यान दिया और जब अप्रेजों के रहते पहली बार काप्रेस मन्त्री मण्डल बने तब मुख्यतया प्राथमिक शिक्षा के प्रश्न को हल करने के लिए वर्धा योजना अध्यया बुनियादी-तालीम के विचार को जन्म दिया। १९३७ में महात्मा गांधी के समाप्तित्व में वर्धा में एक शिक्षा-सम्मेलन हुआ जिसमें निम्न प्रस्ताव स्वीकृत हुए :—

(१) इस सम्मेलन की सम्मति में देश भर में प्रत्येक बालक को ५ वर्ष तक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा देने का प्रबन्ध होना चाहिये।

(२) शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिये।

(३) यह सम्मेलन महात्मा गांधी के इस विचार की पुष्टि करता है कि प्राथमिक-शिक्षा के काल में किसी उत्पादक ‘हस्त-कला’ को केन्द्र बनाकर शिक्षा देनी चाहिए और अन्य जो भी शिक्षा दी जाय वह इस ‘केन्द्रीय हस्त कला’ (Central handi-craft) के साथ अनुबंध अथवा समन्वय (Correlate) करके दी जानो चाहिए। केन्द्रीय हस्त कला चुनते हुए इस बोत का व्यान रखना चाहिए कि यह बालक की परिस्थिति के अनुकूल हो।

(४) यह सम्मेलन आशा करता है कि इस पद्धति से शिक्षा देने पर अभ्यासकों के बेतन पर जो व्यय आयेगा वह विद्यार्थियों द्वारा बनाये [हुए हस्त कला के सामग्रन भी विक्री से पूरा हो जायगा]।

वर्धा सम्मेलन के प्रस्तावों के आधार पर डॉ. जाकिरहुमैन की अभ्यक्षता में ‘जाकिर-हृसैन कमेटी’ यनायी गई, जिसने इन प्रस्तावों पर महात्मा गांधी के सम्मुख १६३७ के अन्त-तथा १६३८ के बीच गे दो रिपोर्ट पेश की। इन रिपोर्टों में जो विस्तृत पाठ्यिधि बनाई गई, उसी का नाम वर्धा योजना अथवा बुनियादी-तालीम है।

बुनियादी तालीम के मूल-सिद्धान्त

‘वर्धा सम्मेलन’ तथा ‘जाकिर हृसैन कमेटी’ की दोनों टिपोटों के आधार पर ‘बुनियादी तालीम’ की जो योजना बनी, उसके अनुसार प्रथम तथा मुख्य स्थान ‘केन्द्रीय हस्त-कला’ को, द्वितीय इस योजना के ‘स्थायिकम्’ होने को, तृतीय उ वर्ष तक ‘नि शुल्क तथा अनियार्य’ यित्ता को, चतुर्थ ‘मातृभाषा’ द्वारा शिक्षा देने को प्राप्त है। अब हम इन चारों पर क्रमशः विचार करेंगे।

'केन्द्रीय हस्त-कला' —

'बुनियादी-तालीम' का सबसे मुख्य सिद्धांत यह है कि चिठ्ठी 'हस्त-कला' (Craft) को केन्द्र बनाकर शिक्षा दी जाए। कई लोग यह समझते हैं कि जिस स्कूल में भिट्ठी, लकड़ी, चमड़े आदि का कोई नाम खिलाया जाता है वहाँ बुनियादी-तालीम चल रही है। यह भ्रम है। पढ़ाई के अन्य विषयों के साथ-साथ हस्त-कला को चलाना बुनियादी-तालीम नहीं है। बुनियादी-तालीम में तो 'हस्त रखा' ही मुख्य विषय है। अगर दिन में साडे पाँच घण्टे शिक्षा दी जाए, तो उसमें नीन घण्टे योस निनट 'हस्त कला' की ही शिक्षा दी जाएगी। बुनियादी स्कूल में बालक जो चीजें बनायेंगे, वे सिक्क स्कूल के अनामन घर में रखने की नहीं होंगी, वे उन पर इतनी भेदनव लगेंगे कि बाजार में वे अन्य चीजों का मुकाबिला फर सकेंगी। बालक जब हस्त-कला सोलेंगे तब चार बातों पर विशेष ध्यान दिया जायगा :—

- १—यह उनकी परिहिति के अनुकूल हो।
- २—यह 'हस्त-कला' उत्पादक होनी चाहिये।
- ३—उससे बुद्धि का उत्तेजना मिले।
- ४—अन्य सब विषय उसने समर्पित किए जाय।

परिस्थिति की अनुकूलता वया उत्पादकता को टाट्टि में रखते हुए 'हाँप' (Agriculture), 'कठाई उनाई' (Spinning and Weaving) वया 'लकड़ी का यम' (Wood work) या 'केन्द्रीय हस्त-कला' (Central handicraft) बनाया गया है। हाँप सिसाने का यह अभिप्राय नहीं कि माली से सीखा जाए, कठाई उनाई सीखने का यह अभिप्राय नहीं कि जुल्पे से सीखा जाए, लकड़ी के यम सीखने का यह अभिप्राय नहीं कि बढ़ि से सीख लिया जाए। ये लोग यन्त्र चलाना खिला सकते हैं हस्त-कला

द्वारा बुद्धि को उत्तेजित नहीं कर सकते। इन विषयों को पढ़ाने के लिए ऐसे विशेषज्ञ शिक्षक तैयार करने होंगे जो कृपि, इताई-बुनाई के साथ साथ बुद्धि को उत्तेजित कर सकें, महात्मा गान्धी के शब्दों में, बढ़ई चालक को बढ़ई ही नहीं इंजिनीयर बना सके। फिसी ‘कला’ को, ‘योजना’ को आशार बनारस शिक्षा देना ‘योजना-पद्धति’ (Project method) है, और ‘हस्त रसा’ को आधार बना रस शिक्षा देना ‘किया द्वय शिक्षा’ (Learning by doing) के सिद्धात का ही पालन करना है—‘वर्धा योजना’ में इन दोनों को आधार बनाया गया है। इसके साथ-साथ ‘केन्द्रीय इस्ल-कला’ में गणित, भूगोल, इतिहास, चित्ररसा आदि का जोड़ देना ‘सानुभन्ध शिक्षा’ (Correlation) का सिद्धात है। इन सर सिद्धान्तों को ‘युनियादी-तालीम’ में ले लिया गया है। रिक्षा का ‘स्वायत्तम्बो’ होना—

‘युनियादी-तालीम’ के ‘स्वायत्तम्बी’ होने के दो अर्प हैं।—

(क) विद्यार्थी का ऐसी ‘हस्त-कला’ को सीखना जो उसे आनामी जीवन में अपने पैरों पर लड़ा होने योग्य बता दे।

(ख) स्कूल में जो सामान बने उसे येवहर अ-गरुड़ रा घेरन निकल आये, ऐसा प्रबन्ध करना।

यदि तो ठीक है कि आजकल हमारी शिक्षा विद्यार्थी का घटुत अधिक समय नष्ट रुदेरती है, उसमें व्यावहारिकता नहीं होती। इसी दृष्टि से ‘योजना-पद्धति’ (Project method) में इस बात पर अधिक ध्ल दिया जाता है कि जो भी ‘योजना’ बने वह जीवन की फिसी-न फिसी वास्तविक समस्या को हल करने वाली होनी चाहिए, और इसी बात में ‘युनियादी-तालीम’ ने ले लिया है। सब से बड़ी समस्या तो शिक्षा प्राप्त करके आजीविका कमाना ही है, अतः ‘युनियादी-तालीम’ में इस बात पर चोर दिया जाता

है कि बालक प्रारंभ से ही ऐसी शिक्षा पढ़ते हों कि जिससे आगे उन्होंने जीवन में वह स्थायी बन सके। हाँ, बालक के बनाये स्थान वही विक्री से पाठ्यात्मक के अप्पायद्वारे वह छर्च भी उत्तम वह अव्याद्यारिक थात है। जिस समय भट्टाचार्य गांधी ने यह स्थीर रखी थी उस समय उन्होंने २५ सप्तवार्षीय प्रायग्निक अप्पायद्वारे वह बेवन सोचा था परन्तु यह बहुत कम था।

शिक्षा का निःशुल्क तथा अनिवार्य होना—

म्यूर्मिसपल तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्डों में शिक्षा ‘निःशुल्क’ तथा ‘अनिवार्य’ थी, जिस भी उनकी तथा ‘उनियादी वालीन’ की शिक्षा में निम्न भेद था :—

ए—बोर्डों के नियम के अनुसार ५ वर्ष, परन्तु ‘उनियादी-वालीन’ के अनुसार ७ वर्ष की शिक्षा ‘निःशुल्क’ तथा ‘अनिवार्य’ है।

स—बोर्डों के अनुसार ५ से १० वर्ष की आयु का, परन्तु ‘उनियादी-वालीन’ के अनुसार ७ से १५ वर्ष की आयु वह बालक अवश्य स्कूल में होना चाहिए।

ग—बोर्डों के अनुसार यह समझ जाता है कि बालक पर में दें शिक्षा अद्यता ५ ही जाता ; ‘उनियादी-वालीन’ के अनुसार यह समझ जाता है कि पहले उठने पर में ‘प्रायग्निक-शिक्षा’ अद्यता ७ ही जाती है, ५ वर्ष से १० वर्ष तक केवल ‘प्रायग्निक-शिक्षा’ दी जाती है, ५ वर्ष में दी जाए इतनी ही ज्ञान की है ; ‘उनियादी-वालीन’ के अनुसार प्रायग्निक तथा नाप्यनिक दोनों शिक्षाएँ दी जाती हैं।

इ—बोर्डों ने शिक्षा के अनुसार शिक्षा का व्यय कुछ नहीं लिया जाता ; ‘उनियादी-वालीन’ के अनुसार बालक चामान बनाते हैं, और उन्होंने शिक्षा से अप्पायद्वारों का बेतन दिया जाता है।

उपर दिये गये विवेचन से स्फूर्त है कि 'युनियादी तालीम' में शिक्षा का स्तर बोडी में दो जाने वाली शिक्षा से ऊँचा कर दिया गया है। केवल प्रारम्भिक पाँच वर्ष ही शिक्षा देने से बालकों के फिर सब-युवा भूल कर अपड़ हो जाने की सभावना रहती है, अतः शिक्षा-काल ५ से चढ़ाकर ७ वर्ष कर दिया गया है। ७ से १४ वर्ष की आयु ऐसी होती है जो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से महत्व पूर्ण है, इस समय दी हुई शिक्षा जीवन पर छा जाती है। इसलिए ५ से १० वर्ष के स्थान में अनियार्थ शिक्षा का समय ७ से १४ वर्ष कर दिया गया है। कॉर्प्रेस नरस्वरों ने बोडी की प्रारम्भिक-शिक्षा में 'युनियादी-तालीम' को ही प्राप्त सत्र प्रान्तों में जारी कर दिया है। मारुनाम द्वारा यहाँ—

'युनियादी तालीम' ने मारु भाषा को यद स्थान दिया गया है जो अब तक अप्रेजी को मिलता रहा है। अब तक प्रत्येक विषय अप्रेजी के माध्यम से पढ़ाया जाता रहा है। इतने बड़े देश में सिर्फ गुरुकुलों के संचालकों ने उच्च से-उच्च शिक्षा मारु भाषा द्वारा दी है, नहीं तो पट्टे-बड़े ठिक्का-धुरन्घरों का भगव भी इधर नहीं गया। वर्तमान शिक्षा संचालकों का कर्तव्य है कि गुरुकुलों के सहयोग से मारु-भाषा द्वारा शिक्षा देने में सहायता लें। जिन शब्दों अनिर्भाव हन लोग करना चाहते हैं, वे गुरुकुलों ने अनेक यथां से पत्त रखे हैं। युनियादी तालीम ने मारु-भाषा के याद दिन्दु-सानी को स्थान दिया गया है, यद एक प्रभार से प्रत्येक प्रात की ग्रितीय भाषा मानी गई है, इसमें अप्रेजी को कोई पिरोग नहर्वर्ण स्थान नहीं है।

२—'युनियादी-तालीम' और 'योजना-पद्धति'

इन दृष्टि द्वारा होते हैं कि युनियादी-तालीम में योजना-पद्धति (Project method) से बहुव-युवा लिया गया है। हाय-

से करके सीखना, योजना का जीवन के साथ यात्रिक संबन्ध होना तथा विषयों का एरु दूसरे के साथ सम्बन्ध होना 'योजना-पद्धति' से ही लिए हुए सिद्धान्त हैं। 'योजना पद्धति' को भारतीय परिस्थिति के अनुकूल बनाकर ही बुनियादी-तालीम की रचना की गई है। फिर भी इन दोनों में भेद है। योजना-पद्धति में योजना (Project) शिक्षा देने का साधन-मात्र होती है, उससे शिक्षा का काम चल गया तो उसे वही छोड़ बालू एक नई योजना में लग जाते हैं। बुनियादी तालीम में हस्त-कला तो जीवन का अग बन जाती है, वह शिक्षा का ही साधन नहीं, आगामी जीवन में जीवित्य का भी उससे चलती है। जहाँ तक किसी हस्त-कला (Craft) को बेन्द्र बनाने का विचार है, वह बहुत उत्तम है, परन्तु यद्य इससे बालू के आगामी जीवन तथा अध्यापक की आजीवित्य को समस्या को हल करने का प्रयत्न किया जाता है तब इसके अनेक समालोचक खड़े हो जाते हैं। बालू छोटी आयु में जीवन भर के लिए किसी दस्त-कला को कैसे चुन सकता है? अध्यापक बालू के बनाये लिलीनों की विक्री पर आजीवित्य चापन करता हुआ क्या अनुभव कर सकता है? इस विक्री से इतनी आय भी हो सकती है या नहीं कि उसका खर्च चल सके?—ये ऐसे विचार हैं जिन का सर्वोप जनक उत्तर नहीं मिलता।

१९

वर्गीकरण

(CLASSIFICATION)

इस समय जिस प्रणाली से वालकों को पढ़ाया जाता है उसका नाम 'समूह-शिक्षा' (Class-teaching) है। 'समूह-शिक्षा' में सब वालकों ने एक ही दृग से पढ़ाया जाता है। परन्तु सब वालक एक ही तरह के तो नहीं होते। कोई तीव्र बुद्धि, रोई गणित तथा विद्यान में रुचि रखने वाले, कोई साहित्य में रुचि रखने वाले, जिनमें कक्षा में वालक उतने उनके भेद। इसी कठिनाई को हल करने के लिए 'डाल्टन-पढ़ति' आदि नवीन शिक्षा-प्रणालियाँ प्रचलित हुई हैं जिनमा आधार 'वैव्यक्तिक शिक्षा' (Individual teaching) है। परन्तु 'वैव्यक्तिक शिक्षा' भी वब तक पूर्ण नहीं कही जा सकती जब तक एक वालक के लिए एक एक शिक्षक द्वारा प्रकर्षन किया जाय, क्योंकि रोई से दो वालक एक से नहीं होते। ऐसी अवस्था में मुन्नगध्यापक के सम्मुख समस्या यह है कि वह 'समूह-शिक्षा' तथा 'वैव्यक्तिक शिक्षा' दोनों प्रकार सम-वय रहे। इस प्रत्येक वालक के लिए एक-एक शिक्षक नहीं रख सकते, फिर क्या किया जाय? किस प्रधार 'समूह शिक्षा' को चलाते हुए प्रत्येक वालक की

१४३ 'शिक्षा शास्त्र'—संस्कृत, विधि, विद्यान, इतिहास

पृथक् सचि का, पृथक् प्रकृति का, उसके पृथक् व्यक्तित्व का ध्यान रखा जाय ?

इस समस्या को हल करने के लिये तीन बातों पर ध्यान रखना आवश्यक है :—

१—विद्यार्थियों का 'पृथक्-व्यक्तित्व' (Individuality)

२—योग्यता के अनुसार चड़ाना-उतारना (Promotions and Degradations)

३—वैयक्तिक छनि के अनुसार विषयों का चुनाव ।

१—विद्यार्थी का 'पृथक् व्यक्तित्व'

प्रत्येक अध्यापक जानता है कि एक ही आयु के एक वालक का दूसरे वालक से महान् भेद होता है। क्योंकि कुछ वालक एक ही आयु के हैं, इस आधार पर उन्हे एक ही श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। किसी भी विषय को पढ़ण करने का उनका सामर्थ्य छलग अलग होता है। एक वालक एक विषय में कमज़ोर है, दूसरे में एकदम चमक उठता है। इन सब भेदों का परिणाम यह होता है कि शिक्षक अगर तेज वालकों की चाल से चलता है, तो कमज़ोर वालक देखते रह जाते हैं, ये अपना पढ़ने आना ही बेकार समझने लगते हैं, और अगर यह कमज़ोर वालकों की चाल से चलना है, तो तेज वालक एक ही बात को यार-यार सुनकर ऊँच जाते हैं, पढ़ाई में ध्यान देना बन्द कर देते हैं। व्यक्तिगत भेदों के बारण शिक्षक के लिए सबको एक चाल से पढ़ाना फठिन हो जाता है, भिन्न-भिन्न प्रकृति के विद्यार्थियों के लिए एक ही चाल से चलने वाले शिक्षक से पढ़ना फठिन हो जाता है। इती समस्या को हल करने के लिए 'श्रेणी' (Class) के भीतर अवान्वत थोण्याँ बनाई जाती हैं, जिन्हें 'भाग' (Section) तथा 'पर्स' (Person) कहा जाता है।

'ओं शुभी'-'भाग'-'वर्ग'—

विद्यालय में जितने विद्यार्थी आते हैं, इस उनकी परीक्षा लेते हैं, और मोटे तौर से उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें भिन्न भिन्न श्रेणियों में बॉट देते हैं। एक तरह की योग्यता के विद्यार्थियों को एक श्रेणी में, दूसरी तरह की योग्यता के विद्यार्थियों को भिन्न श्रेणी में रख देते हैं। श्रेणियों में बॉटना भिन्नता में एकता लाने का यत्न करना है ताकि शिक्षक एक चाल से चल सके, और विद्यार्थी एक ही योग्यता के होने के कारण एक साथ समझ सके। परन्तु एक ही श्रेणी में भी तो बहुत भिन्नता होती है। कई बालक रोगी रहने के बारण देर तक विद्यालय से अनुपस्थित रहते हैं, और श्रेणी के साथ नहीं चल सकते। कई दिसी प्रभाव-शाली व्यक्ति के लड़के होते हैं, अत्यन्त कमज़ोर हैं, योग्यता के कारण नहीं, माता पिता के प्रभाव के बारण, किसी की सितारिश के कारण ऊपर की कक्षा में पड़ रहे हैं। कई छूपारु मिलने से उत्तीर्ण हुए हैं, केल होते होते ही यचे हैं, कई १०० में से १०० अंक लेकर चढ़े हैं। इस समस्या को हल करने के लिये श्रीयुत स्टो के ऋषनानुसार 'श्रेणी' को 'भागों' (Sections) में बाँटा जाना आवश्यक है। एक ही श्रेणी में जो प्रथम विभाग में उत्तीर्ण हुए हैं, उनका 'क' 'भाग', जो द्वितीय विभाग में उत्तीर्ण हुए हैं, उनका 'ख' 'भाग', और जो तृतीय विभाग में उत्तीर्ण हुए हैं, उनका 'ग' 'भाग' कर देने से शिक्षक को किर भिन्नता में एकता मिल जाती है, और एक ही श्रेणी के तीनों भागों में शिक्षक तथा बालक ठीक चाल से चल सकते हैं, एक ही पाठ को तीन तरीकों से एह सदरते हैं। 'भागों' को केवल संखग के आधार पर बाँट देना ठीक नहीं। एक ही श्रेणी में १२० बालक शिक्षा पा रहे हैं, इसलिये चालीस-चालीस के बीच ही 'भाग' बना देना, और 'भागों' में बाँटते हुए विद्यार्थियों की बारता पर भ्यान

न देना, बास्तविक सुमन्या का हल करना नहीं है। 'भागों' में भी जो भिन्नता है उच्चा इलाज करने के लिये श्रीयुत बैंगन्तर ने 'वर्ग' रचना (Drafts) के विचार को जन्म दिया है। उनका कथन है कि बोन्हता के अनुसार, एक ही 'भाग' के विद्यार्थियों को पॉच-पॉच, इच-इच के 'वर्ग' (Drafts) में वॉट देना चाहिए, और शिक्षक को सम्पूर्ण श्रेणी को पड़ाते हुए उस 'वर्ग' की अलग-अलग देख-रेख रखना चाहिये।

इतनी एकता लाना उचित है, या नहीं, इस पर शिक्षा-शास्त्रियों की भिन्न-भिन्न सम्मति है। एकता लाने का उद्देश्य शिक्षा में 'बदक्षिणत-भेद' को सामने रखना है, परन्तु कई लोगों का व्यवहार है कि यहुत अधिक एकता लाने से विद्यार्थियों की संख्या यहुत कम हो जायगी, और वे इसने एक-समान हो जायेंगे कि उनमें विषयक के बारे प्रतिस्पर्धा, एक-दूसरे से यद्देने की इच्छा नहीं रहेगी। ऐसुपर का स्वभाव है कि जब वर्ष मुझमें विद्या न हो तब वर्ष उसने द्वितीय-सीलता उत्पन्न नहीं होती। इसलिए 'श्रेणी'—'वर्ग'—ग्रन्थ एकता लाने हुए भी भिन्नता बनारे रखनी चाहिए वाली विद्यार्थियों में 'प्रतिस्पर्धा' (Emulation) की भावना बनी रहे। 'सनूद-शिक्षा' में यह गुण है कि छात्रों की संख्या अधिक होने के बारे उनमें 'प्रतिस्पर्धा' बनी रहती है, 'चैरक्षिक शिक्षा' में सरल रूप होने के बारे 'प्रतिस्पर्धा' नहीं रहती। दोनों के गुण समझ से बनाये रखने के लिए यह उचित है कि 'श्रेणी'-'भाग'-'वर्ग' न यहुत बड़ा ही हो, न यहुत छोटा ही हो, न यिल्लुल एक-सा ही हो। पवीस महग तक तो शिक्षक 'सनूद शिक्षा' के गुणों के साथ-साथ प्रत्येक चालक पर व्यक्ति इस से भी ज्ञान दे सकता है, परन्तु विद्यार्थियों की संख्या २५ से अधिक जितनी बढ़ती जानी उत्तम ही 'सनूद शिक्षा' के लाभ पटने गुहर हो जायेंगे, और ४३

वर्गान्वितण

सख्या के बाद तो विलक्षण ही जाते रहेंगे, अत 'प्रतिसंधर्भ' आदि 'समूह शिक्षा' के गुण बनावे रखने के लिए 'श्रेणी' के फिसी 'भाग' नी सख्या २५ से ऊम और ३० से अधिक नहीं होनी चाहिए।

२— योग्यता के अनुसार चढ़ाना-उतारना

बालक के माता पिता ने हाथि राणु म तथा शिक्षक के हाथि बाण मे एक भारी भेड़ यह है कि माता पिता तो बालक के अनुच्छीण हो जाने पर भी यही चाहते हैं कि उसे चढ़ा दिया जाय, शिक्षक यह चाहता है कि वह जिस श्रेणी के योग्य है उसी मे रहे ताकि आगे उन्नति कर सके। जिस विद्यालय मे सिवारिशो से बालक चढ़ते रहते हैं उसमे अन्त मे जाकर सर्वेनि रक्षा मे इन्हे अयोग्य विद्यार्थी इकट्ठे हो जाते हैं कि पार्सिक परीक्षा मे वहुन भारी सख्या मे वे अनुच्छीण हो जाते हैं। मुख्याध्यापक का यह कर्तव्य है कि योग्यता की ठीक ठीक जाच करे। इस नालरु परीक्षा मे अनुच्छीण हो जाने हैं, परन्तु शिक्षकों सी हाथि मे उन्हे उच्छीण होना चाहिए था। ऐसो को उपरलो श्रेणी मे चढ़ा देना ही ठीक है। कई बालक घोटकर, नम्ल फरके, या परीक्षक की शिखिलता, मे परीक्षा मे उच्छीण हो जाते हैं, परन्तु शिक्षक की हाथि मे उन्हे अनुच्छीण होना चाहिए था। ऐसो को उपरलो कक्षा मे इस शर्त पर चढ़ाना चाहिए कि अगर कुछ समय बाद शिक्षक की सम्मति न हो उपर की श्रेणी के योग्य न समझे गये तो उन्हे किर बापम दुला लिया जायगा। हाँ, ऐसा निर्णय रखते हुए यह भी ठीक मे जाच लेना चाहिए कि शिक्षक उस नालरु के प्रति अन्याय न रख रहा हो। परीक्षा को ही बालक ने चढ़ाने-उतारने की अनिम इसीटी न समझ लेना चाहिए, चढ़ाना उतारना इस हाथि से चाहिए निस से पड़ते हुए अध्यापक यह अनुभव न करे कि उसके मामने अत्यन्त विषम योग्यताओं के विद्यार्थी बेठे हैं।

जो विद्यार्थी चढ़ जाते हैं उनमें से कई बहुत तेज़ भी हो सकते हैं, वे एक ही पर्प में दो साल का काम कर सकते हैं। ऐसे वालक ही समाज की सम्पत्ति हैं। उन्हें बेकार सुस्त वालों के साथ जोते रखना उनका नाश करना है। उनकी समस्या का हल करने के लिए कई शिक्षा शास्त्री यह कहते हैं कि विद्यालय में दो परीक्षायें होनी चाहिए—वार्षिक तथा परमासिक। पारमासिक परीक्षा में ऐसे विद्यार्थियों को छॉट लेना चाहिए जो एकदम अगली भ्रेणी में चढ़ाए जा सकते हैं, ऐसे दो-चार ही होंगे तो क्या, उन्हीं से तो पाठशाला की शान है। यह ठीक है कि छः महीने तक अगली भ्रेणी की आधी से ज्यादा पढ़ाई हो चुकी होगी, और नये विद्यार्थियों के आज्ञाने से जहाँ इन के लिये पिछली पढ़ाई करना कठिन होगा वहाँ अध्यापक के लिये अन्य विद्यार्थियों के साथ इन्हे लेफर चलना कठिन होगा। इप कठिनाई का समाधान यूँ किया जा सकता है कि पाठविधि को दो हिस्सों में बॉट दिया जाय। पहले छः महीने टो तिहाई कर्हाई जाय, अगले समय में एक तिहाई, और उस समय में एक-तिहाई पाठ के साथ-साथ पिछले छः महीने के टो-तिहाई पाठ को मोटी तीर पर दोहरा दिया जाय। जिन कुशल-बुद्धि वालों को छः महीने में आगे चढ़ा दिया गया है वे शोष ही पिछला पाठ पफड़ लेंगे। जिन वालों को इस शर्त पर चढ़ाया गया था कि वे सन्तोष-जनक कार्य करें तो आगे चलते रहेंगे, नहीं तो उतार दिये जायेंगे, उन्हें ठीक काम न करने पर उतार देना चाहिए। जो मुख्याध्यापक इस प्रस्तार के 'वर्गीकरण' को अपना कर्तव्य नहीं समझता वह प्रत्येक वालन के साथ, माता पिता के साथ, अध्यापकों के साथ अन्याय चरता है।

कम ग्रोर वालरों के लिए 'विशेष-कक्षाओं' (Special Classes)

का प्रबन्ध होना चाहिए। 'विशेष कक्षाओं' का यह अभिप्राय नहीं कि एक ही श्रेणी के कमज़ोर वालों को इकट्ठा करके एक शिक्षक के सिपुर्द कर दिया जाय। इतने शिक्षक कदाँ में मिलेंगे? इसका यह अभिप्राय है कि वई श्रेणियों के भिन्न भिन्न वालों को स्कूल के सबसे योग्य शिक्षक के सिपुर्द किया जाय, और वह सब में व्यक्ति रूप से बाम कराये। हरेक की निर्धलता को देखे, उसी पर जोर दे, और दूर हो जाने पर जिस कक्षा के योग्य वह वालक हो उसे पढ़ने के लिए पिर उसमें भेज दिया जाय। 'विशेष कक्षाओं' में परीक्षा का भय नहीं रहता, वालक अपनी मनचाही चल से चलता है, शिक्षक उसे रास्ता दिखाता जाता है, जब वह किसी श्रेणी में ठीक से चलने योग्य हो जाता है, तब उस नाले को नदी के प्रवाह के साथ आगे आगे बढ़ने के लिए समिलिन बर दिया जाता है।

३—स्त्रि के अनुसार विषयों का चुनाव

इस समय विद्यार्थी को पढ़ाने के तीन प्रकार चल रहे हैं। पहले प्रकार में एक साल तक एक विद्यार्थी को एक श्रेणी में रहना पड़ता है। सब विषय पढ़ने पड़ते हैं। जिनमें तेज है उनमें तबा जिनमें कमज़ोर है उनमें उतना ही समय देना पड़ता है। यह 'एक कक्षा प्रश्नार' (Single class system) कहता है। इसमें विद्यार्थी को अपनी स्त्रि के अनुसार पढ़ने की स्वतंत्रता नहीं होती। सालभर एक कक्षा में पढ़ने के बाद उसे परीक्षा लेकर अगली कक्षा में चढ़ा दिया जाता है। इसमें बहुत उपेक्षा नहीं करनी पड़ती, यह 'वर्गीकरण' या सब से आसान तरीका है। दूसरा 'बहु-कक्षा प्रश्नार' (Manifold system) है। इसमें प्रत्येक वालक भिन्न-भिन्न विषयों को अपनी स्त्रि और योग्यता के अनुसार निम्न भिन्न कक्षाओं के साथ पढ़ता है। किसी विषय को प्रथमी के सार, किसी को उम्री के साथ पढ़ना है। इसमें विद्यार्थियों को म्बन-इता ढोती

है, परन्तु उस की पढ़ाई की देव-रेख कर सकना कठिन होता है। 'धर्माकरण' के इस दोष को दूर करने के लिए 'परमर्थ गति' अध्यापकों की नियुक्ति स्वरूपी पड़ती है जो सम्पूर्ण अन्यायन काल में विद्यार्थी की देख रेख करते हैं, उसे परमर्थ देते रहते हैं। तीसरे में इन दोनों को मिला दिया गया है, यह 'मिथ कक्षा प्रग्राम' (Mixed system) बदातः है। इस में प्रत्येक विद्यार्थी अपनी-अपनी कक्षा में ही रखा जाता है, जैसे पढ़ाए प्रकार के संबंध में रहा जा चुका है, परन्तु गणित, विज्ञान आदि बुद्धि विषयों के सम्बन्ध में उन्हें अपनी सच्च रथा योग्यता के अनुसार डैंची या नीची कक्षा में पढ़ने की स्वतंगता होती है।

इस तीन प्रकार के 'वर्गाकरण' के अतिरिक्त विषयों ना एक और 'वर्गाकरण' भी किया जा रहा है जिस के विषय में युवा विस्तृत विवेचन करना आवश्यक है।

उम्हें ने १६८६ में सर हेनरी हेडो की अध्यक्षता में त्रिवा वालों की शिक्षा के सम्बन्ध में एक कमेटी का निर्माण हुआ जिसने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि ११ या १२ वर्ष की अवस्था में प्रत्येक युवक की नसन्नस एक नई लहर से भर जाती है, यह अवस्था 'फिशोयवस्था' (Adolescence) बहाती है। समुद्र में जन लहर ढठे तभी उसे पकड़ लेने से बेहक तर जाता है, फिर इस लहर से क्यों न पकड़ा जाय? इस लहर को पकड़ लेने से, इस अवस्था में वालक के जीवन को नई दिशा दे देने से यह बुद्धि-दा-बुद्धि यन सकता है। इस ट्राइट से कमेटी ने प्रस्ताव किया कि ११-१२ वर्ष की अवस्था में वालक की शिक्षा को एक नवीन दिशा देने लिए उसके पढ़ाए मार्ग को तोड़ देना चाहिए। अगर यह समझ जाय कि तीन वर्ष की आयु में वालक 'शिशु शाला' (Nursery school) में प्रवेश करेगा तो ३ में ५ वर्ष की आयु तक दो वर्ष

यह उसमें रहे, ५ से ७ वर्ष की आयु तक दो वर्ष 'बाल शाला' (Infant School) में रहे, ७ से १२ वर्ष की आयु तक ४ वर्ष 'जूनियर स्कूल' (Junior School) में रहे, ११ से १५ वर्ष की आयु तक ४ वर्ष 'सीनियर स्कूल' (Senior School) में रहे। इस प्रकार लगभग ११ वर्ष की आयु में प्रत्येक बालक 'नूनियर' तक पैदौच चुका होगा, 'सीनियर' में जाने वाला होगा। 'शिशु शाला' 'बाल शाला' 'जूनियर स्कूल'-'सीनियर स्कूल' के आपस में कोई सम्बन्ध नहीं होगा। अनेक 'शिशु शालाओं' के बालक एक 'बाल शाला' में जायेंगे, अनेक 'बाल शालाओं' में पड़ चुके बालक एक नवीन 'जूनियर स्कूल' में जायेंगे, अनेक 'जूनियर स्कूलों' के छात्र एक नवीन 'सीनियर स्कूल' में जायेंगे, जिनमें साथी छलग, शिशु अलग मरान अलग, सब कुछ पहले से भिन्न होगा। इसका बालक के पितास पर चहुत अच्छा अनुभव होगा। यिहाँ 'शिशु शालाओं' से छूट कर 'बाल शालाओं' में पढ़ूचेंगे, 'बाल शाला' से छूट कर 'नूनियर स्कूलों' में पढ़ूचेंगे, यहाँ से छूट कर 'सीनियर स्कूलों' में पढ़ूचेंगे जिनका उपर पहुँचेंगे उनकी छाट होती जायगी, उनका 'यगार्मस्त्रण' होता जायगा, अनेक बालकों में उनकी प्रकृता निकलनी जा रही। क्याकि 'जूनियर स्कूल' से उत्तीर्ण होने के बाद लगभग ११ वर्ष की आयु में बालक के जीवन में एक नवीनता ज्या जाती है, उसकी स्थियों जाग जाती है, नस नस पड़कर लगती है, रोई गाता है, काँदे गंगल में रमने लगता है, और यह विज्ञान की विज्ञा सी तरफ चल देता है, अत इस आयु में बालक को भिन्न भिन्न विशालों में जाने का वार्ग मिल जाना चाहिए। ११ वर्ष की आयु के बाड़ 'सीनियर स्कूल' में पढ़ूनने पर उसकी भिन्न भिन्न स्थियों के पितास के लिए उसे भिन्न भिन्न प्रकार के स्कूल मिलने चाहिए जिनमें अनन्त स्थिर, अनन्त

योग्यता के अनुसार वह पढ़ सके। जिस देश में जितना अधिक 'शिशु-शालाएं' होंगी उतनी अधिक और उतनी ही अच्छी छाँट, उतना ही अच्छा वर्गीकरण 'वाल-शालाओं' के लिए हो जायगा, जितनी अधिक 'वाल शालाएं' होंगी उतना अच्छा वर्गीकरण 'जूनियर स्कूलों' के लिए हो सकेगा, और जितने अधिक 'जूनियर-स्कूल' होंगे उतना अच्छा वर्गीकरण 'सीनियर-स्कूलों' के लिए हो सकेगा। दस-बीस में से एक तरह के 'वालक' छाँटना उतना आसान नहीं जितना सौ, दो-सौ में से, और सौ, दो-सौ में से भी एक-से बाज़ छाटना उतना आसान नहीं जितना हजार-दो हजार में से। इस प्रस्तार छंटते छटते, उनका वर्गीकरण होते-होते, जब वालक लगभग ११ वर्ष की आयु में पहुँचेंगे तब शिक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बात तो हो चुकी होगी। हजारों वालकों का 'वर्गीकरण' हो चुम्हा होगा, कौन तेज़ है, कौन कमज़ोर है, कौन आगे चल सकते हैं, कौन नहीं चल सकते, किस की गणित और विज्ञान में रुचि है, किसकी साहित्य में रुचि है? वालकों का वर्गीकरण होते ही अगर उन्हें उस आयु में अपनी रुचि और योग्यता के अनुकूल विषयों का चुनाव करने का अवसर मिल जाय, तो पिर वे क्या-से-क्या नहीं बन सकते? यह आयु धोड़े पर चढ़ कर सरपट शीड़ने की है, प्रत्येक वालक जीवन की धुड़ी-बूँद के लिए मानो व्याकुल हो रहा होता है। ऐसे समय वालक की रुचि के अनुकूल विषय न देकर यूँ ही पढ़ाते जाना भौके को चूक जाना है। इसीलिए 'सर हेनरी नेडो कमटो' ने यह मुगाव रखा कि पाठशालाओं का इस दृष्टि से पुनः संगठन किया जाय और 'सीनियर स्कूल' के बाद वालकों के वर्गीकरण के साथ विषयों का भी वर्गीकरण किया जाय। बचपन से 'सीनियर स्कूल' तक जिन वालकों की साहित्य में ही रुचि हो वे साहित्य की धारा में बहने वाले हैं, जिनकी विज्ञान में

रुचि हो वे विज्ञान की धारा में बढ़ने वाले हैं। भिन्न भिन्न स्कूलों की साहित्य धारा, विज्ञान धारा वहाँ हुई 'सीनियर स्कूल' की 'साहित्य धारा' और 'विज्ञान धारा' में आ मिले। इस उद्देश्य से 'सीनियर स्कूल' के ४ मालों के लिए उन्होंने भिन्न भिन्न विषयों के 'विभागों' (Groups) का निर्देश किया। व्यापार, साहित्य आदि भिन्न भिन्न विषयों के 'विषय विभाग' बनाफ़र वालकों को मुहिधा दी जाय ताकि वे ११ वर्ष की आयु के बाद, उस आयु के बाद जब उनके भीतर सचमुच एक परिवर्तन उठ सज्जा होता है, अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार विषयों का चुनाव फ़रें।

'हैदो कमेटी' की इसी विचार धारा को अब भारत में भी अपना लिया गया है। १६४८ से द वी थ्रेणी उत्तीर्ण कर लेन के बाद ही थ्रेणी से वालकों के लिए विषयों के ४ 'विभाग' (Groups) निरिचित कर दिये गये हैं, जिनमें से वह अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार किसी एक 'विभाग' को चुन सकता है। वे हैं—'साहित्य विभाग' (Literary Group), 'विज्ञान-विभाग' (Scientific Group), 'रचनात्मक विभाग' (Constructive Group) तथा 'रस्ता विभाग' (Art Group)। क्योंकि इन भिन्न भिन्न विभागों के विषयों से वा साल में पूर्ण नहीं किया जा सकता इसलिए 'इन्टरमीजियेट' के दो मालों को 'सीनियर स्कूल' के दो सालों में मिला कर इन स्कूलों का नाम 'हायर सेन्डरी स्कूल' रख दिया गया है, और इनका पाठ्य रम दो साल के बना दिया गया है। इस प्रधार विषयों वा 'वर्गांकरण' वालकों के 'रार्फिक्युरण' के आधार पर किया गया है, अत माता-पिता तथा शिशुकों का कर्तव्य है कि वालकों को किसी 'विभाग' (Group) को दिलगाते हुए अपनी रुचि का नहीं, वाचकों की रुचि का ध्यान रखें, तभी विषय वार इस नीन वर्गांकरण से कुछ लाभ होगा।

परीक्षाएँ

(EXAMINATIONS)

परीक्षाएँ दो तरह की हैं। एक जो शिवरु न्ययं विद्यार्थियों की योग्यता जाँचने के लिए समय-समय पर लेता रहता है। पढ़ाने हुए यह जानने के लिए कि विद्यार्थी समझ रहे हैं, या नहीं, परन करते जाना शिक्षा का आवश्यक अंग है। शिवरु जो परीक्षाएँ लेता है वह इन प्रश्नों का ही एक विशेष रूप हैं। ऐसी परीक्षाएँ लेते ही रहना काहिये, परन्तु परीक्षा का एक और भा. विशेष रूप है। साल भर पढ़ाने के बाद विद्यार्थियों की परीक्षा ली जाती है। इस परीक्षा में विद्यार्थी उत्तीर्ण हो जाय, तो उसे उपरली खेणी में चढ़ा विद्या जाता है; अनुच्छीर्ण हो जाय, तो नहीं चढ़ाया जाता। तूल की शिक्षा समाप्त कर लेने पर कालेज में जाने के लिये भौतिक की परीक्षा होती है, कालेज में बी० ए०, एम० ए० की। ये परीक्षाएँ शिवरु भी ले सकते हैं, बाहर के परीक्षरु भी ले सकते हैं, परन्तु प्रायः बाहर के परीक्षरु ही लेते हैं। ऐसी परीक्षाएँ विद्यार्थी और शिवरु दोनों के लिए ही आ बनता आता है क्योंकि इनमें उत्तीर्ण-अनुच्छीर्ण होने पर ही विद्यार्थी आगे कदम रख सकता है, और शिवरु बुद्ध पदाता रहा है या नहीं, इसकी भी परीक्षा हो जाती है। ये परीक्षाएँ जिनमें विद्यार्थी एक खेणी से दूसरी खेणी में जाता है,

किस दफ्तर से होनी चाहिये—यही परीक्षा के सम्बन्ध में सब से बड़ा प्रश्न है। ऐसे भिज्ञ-भिज्ञ देशों में भिज्ञ भिज्ञ दफ्तर से ली जाती हैं। आगे बढ़ने से पहले हम संदेश में यह दिखलायेंगे कि किस देश में ये परीक्षाएँ वस दफ्तर से ली जाती हैं।

इस्लैंड तथा भारत में परीक्षा प्रणाली—

भारत में प्राय आम्ल-परीक्षा प्रणाली प्रचलित है। प्रश्न पर अध्यापक नहीं यानावा, परोई दसरा यानावा है ताकि यालरों को युद्धी न पड़ा दिया जाय। पर्योक्त अध्यापकों की बेतन पृष्ठि इस बात पर आभित रहती है कि उनके ददाये वित्तने विद्यार्थी उच्चीर्ण होते हैं अतः परीक्षा के यल यालरों की नहीं, अध्यापकों की भी जांच है, और इसीलिए अध्यापकों के हाथ में परीक्षा का नाम नहीं पड़ा जाता। इस बात का विवरण प्रदत्त किया जाता है कि परीक्षक तथा विद्यार्थी में किसी प्रकार का परिचय न हो, परीक्षक पो विद्यार्थियों का और विद्यार्थियों को परीक्षक का नाम नहीं पता गया जाता। ३८ठे में ६७ प्रश्न दरने को दिए जाते हैं जिनमें ५० से १०० पूर्णकृद होते हैं, जिसी निरिचत अतिशय से उपर अङ्ग लेने पर विद्यार्थी उच्चीर्ण याना जाता है। परीक्षक के घर उपर पर भेज दिये जाते हैं और परीक्षा का लगभग दो अङ्गाई महीने याद परि अनिवार्य है, इस दीच में विद्यार्थी माँस रोके परिए। म वी तरफ टिकटिकी पांच बैठ रहता है। इस्लैंड तथा भारत में अनिवार्य परीक्षा प्रणाली की यही रूप रेखा है।

यह प्रणाली अत्यन्त दोष पूर्ण है। परीक्षा का अर्थ यह समझ जाता है कि यादूर के परीक्षक ने जिसे उच्चीर्ण कर दिया यह उच्चीर्ण होने के बोय है, जिसे अनुत्तीर्ण किया है तद अनुत्तीर्ण होने के बोय है, अनुभव स दता चलता है कि ऐसा होता नहीं। परीक्षकों के नियंत्रण में इतनी नियन्त्रण, इतनी विप्रभवा पायी जाती

है कि एक जिसे उत्तीर्ण कर देता है, दूसरा उसी को अनुचौर्ण कर देता है; एक जिसे सर्व प्रथम ठहराता है, दूसरा उसे सब से नीचे ला पटकता है। एक ही उत्तर के विषय में भिन्न भिन्न परीक्षणों के निर्णय में जमीन-आसपान का भेद होता है। स्टार्च तथा इलियट ने अपेक्षी के उत्तर-पत्र की १४२ अध्यापकों से जाँच कराई, और किसी ने ६४ अक्ष दिये, तो किसी ने ६८ दिये; इतिहास में ७० अध्यापकों से जाँच रखाई, किसी ने ४२ अक्ष दिये, तो किसी ने ६० दिये। डा० बलार्ड ने ७ विद्यार्थियों के उत्तर पत्रों की एक सर्वत्र परीक्षण से जाँच कराई, उसने उन्हें १०० में से ४० से लेकर ६० तक अक्ष दिये। किंतु उन्हीं जाँच किए हुए उत्तर-पत्रों की उसने अन्य १३ परीक्षकों से जाँच कराई और उन्हें कहा कि इन्हें योग्य के अनुसार पहला-दूसरा इत्यादि स्थान दे दें। परिणाम यह हुआ कि एक उत्तर-पत्र को तो पहले से लेकर सातवें तक सभी कठनों में रखा गया, दो छः कठनों में आये, बाढ़ी चार को पाँच कम मिले—अर्थात् किसी ने एक उत्तर-पत्र को पहला रखा, तो किसी ने उसी को दूसरा, किसी ने तीसरा, किसी ने चौथा, और किसी ने अन्तिम। डा० बलार्ड ने एक और परोक्षण का उल्लेख किया है। १६२० में अमरीका में इतिहास की परीक्षा में छः प्रोफेसरों को परीक्षक घनाया गया। उन छः के पृथक् पृथक् अङ्कों के आधार पर विद्यार्थी का उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण होना निर्भर था। उत्तीर्ण होने के लिए १०० में से ६० अक्ष लेना आवश्यक था। उन्हीं प्रोफेसरों में से एक ने उन्हीं प्रश्नों का एक उत्तर-पत्र लिखा जिसे यह अपनी टाट्टि में आड़शे उत्तर समझता था। चालती से यह उत्तर-पत्र भी विद्यार्थियों के उत्तर-पत्रों में सम्मिलित हो गया। दूसरे प्रोफेसरों ने उसे किसी विद्यार्थी का उत्तर-पत्र समझ कर ही जाँचा और किसी ने ५० तो किसी ने ८० तक अक्ष दिये। क्योंकि

६० अंक पाने से विद्यार्थी उत्तीर्ण समझ जाता था इसलिए ४० अंक पाने के कारण यह प्रोफेसर भी अनुत्तीर्ण हो गया।

उत्तर-पत्रों को जाँचने में इतनी भिन्नता के अनेक कारण हैं। ये, पाँच-सो उत्तर पत्रों में ८-१० प्रत्येक लापी में जाँचते-जाँचते परीक्षक यह निश्चय नहीं कर सकता कि किम परीक्षार्थी को किस प्रश्न पर ७ अंक देने चाहियें, किसे ६ और किसे ८ अंक। एक धार पंजाब विश्वविद्यालय ने एक परीक्षक के पास मर उत्तर भेजने के स्थान पर भिन्न भिन्न परीक्षार्थियों ने एक ही प्रश्न का उत्तर जाँच करने के लिए भेजा ताकि उसके निर्णय में विपरीता न हो सके, परन्तु इतने उत्तरों को देखते-देखते परीक्षकों ने अनुभव किया कि जड़ों १०-१५ उत्तर देते, उनके लिए इतने उत्तरों में तुलना करना असम्भव सा हो गया। परीक्षक किसी समय प्रसन्न है तो ५-१० अंक ज्यादा दे जाता है, किसी समय लिना है तो ५-१० अंक कम दे डालता है। अंक देने की विपरीता हो देखते हुए यह कह सकता कि जिसे १०० में से ३० अंक मिले हैं, वह उत्तीर्ण होने योग्य है, और जिसे २८ अंक मिले हैं वह अनुच्छीर्ण होने योग्य है, असम्भव है।

इसके अतिरिक्त इस प्रणाली में स्मृति की ही परीक्षा होती है। विद्यार्थी सर-कुछ रट लेते हैं। कोई-कोई तो गणित के उत्तर भी रट लेते हैं। साल भर कुछ नहीं पढ़ते, परीक्षा से पहले दिन तात्पर कर के अपना स्वास्थ्य बरता कर लेते हैं। जो रट नहीं मरते वे परीक्षा पर धुराने के साधन दू देते हैं, परीक्षा में नहीं करने हैं, परहड़े जाते हैं। परीक्षा पढ़ाई के लिए नहीं होती, पढ़ाई परीक्षा के लिए समझी जाती है। विद्यार्थी तथा शिक्षक दोनों एक यही दृष्टि-कोण रहता है।

इस प्रश्नाली में उपादान अपनी 'प्रस्ताव लेखन' की होती है। जो उच्छ्वा लिखना जानता है, अपने भार्यों को ठांक दण से प्रकट कर सकता है, वह तुल्य न-तुल्य लिखकर इच्छीर्ण हो जाता है। इतिहस, भृगोल, स्थाहित्य—सभी में—इस पर प्रस्ताव लिखो, उस पर प्रत्याव लिखो, उस पर प्रस्ताव-ही-प्रस्ताव लिखनामें जाते हैं।

इस प्रश्नाली का रूपसे विषय हो यह है कि विद्यार्थियों में यह अनन्त दूल दिला देती है, उन्हें इतना घबड़ा देती है कि कभी कभी अच्छे विद्यार्थी भी केल हो जाने हैं। यालमों या मत्तिएक कभी कभी परीक्षा के धक्के को बर्डास्त नहीं कर सकता। परीक्षा के समर इदूर पागल हो जाते हैं, और परीक्षा में केव होने के बारण इदूर आत्म-हत्या कर दैठते हैं।

यह ठीक है कि शिक्षा के साथ साथ परीक्षा भी जुड़ी ही रहेगी, परन्तु इस पहुंच में जो दोर है उन्हें दूर करना ही होगा। अब तो भारत में दोर हो गया है, अब आधश्वक नहीं कि अपेक्षों की पैटी लकड़ना फर्कीर बनार चला जाय। भारत सरकार दो एक कमीशन भिन्न भिन्न देशों की शिक्षा-प्रणालियों से अध्ययन करने के लिए भेजना चाहते हैं, अब अन्य देश जैसे इन समस्याओं का दल निराल रहे हैं, यैसे हमें भी निरालना चाहते हैं।

अपनी मेरीक्षा प्रणाली—

जमीनी ने इस्लैंड वथा भारत दी तरह मासिक, परमार्थिक तथा पारिंग परीक्षाएं लेने का रियाद नहीं है। साल दो ढीन भागों में बाँट दिया जाता है। प्रत्येक भाग के अन्त में अध्यापक अपने विषय के पिंगार्धी के सम्बन्ध में अपनी सम्बति एक रजिस्टर में इस कर देता है। इन सम्बतियों को यह १, २, ३ या इसी संख्या में प्रकट करता है, जो इन के बीच में हों बढ़े +२, +३ या -२, -३

आदि के रूप में प्रकट रहता है। वर्ष के अन्त में मुख्याध्यापक शिक्षकों के परामर्श तथा इन रजिस्टरों के आधार पर विद्यार्थी से चढ़ा देता है। जिन विद्यार्थियों को नहीं चढ़ाया जाता उन ने सद्या १० प्रतिशत से अधिक नहीं होती। साल भर विद्यार्थी पर भागी ध्यान दिया जाता है, दियार्थी तथा उसके माता पिता को लगानार उसमी प्रगति के विषय में चेतावनी दी जाती है, परन्तु परीक्षा पर विद्यार्थी के भाग्य का निर्णय करने के ब्यान पर साल भर उस ने जो बाम दिया है, उस पर निर्णय दिया जाता है। प्रत्येक खूल में रेल, अड्डा पालन, सदृश्यवदार, शिष्याचार, यद्यपि आदि पर भी अफ दिये जाते हैं। खूल की अन्तिम परीक्षा जिसे पास कर चह युनीवर्सिटी में जाता है, अध्यापकों ही द्वारा उस इलाके के इन्स्पेक्टर ने देख रेख में ली जाती है। परीक्षा लिखित भा होती है, मौत्तिक भी—प्रत्येक विषय में केवल एक प्रश्न दिया जाता है, प्रश्नों की भरमार नहीं की जाती। उस एक प्रश्न के उत्तर में यि वर्षीय नियन्त्रण लिखता है। अध्यापक तीन नियन्त्रिकों के विषय नियंत्रण रहता है, जिसमें इन्स्पेक्टर इसी एक ने चुनवर विद्यार्थियों को दे देता है। जो विद्यार्थी लिखित परीक्षा में अनुकूल हो जाते हैं, उनमी मौत्तिक परीक्षा ली जाती है, और इस में उच्चार्थ होने पर नहीं चढ़ा दिया जाता है। भाषा का परीक्षा में शब्द शोपों के प्रयोग की आज्ञा रहती है। सर विपर्णा द्वारा परीक्षा नहीं होती, केवल मुख्य विषय विपर्णे की परीक्षा होती है। युनीवर्सिटी में वोई परीक्षा नहीं होती, वयल अत में एक परीक्षा होती है जिसे 'डाक्टर' द्वारा परीक्षा कहा जाता है। परीक्षा के लिए प्रोफेसर विद्यार्थी का विसी नियंत्रण विषय पर नियन्त्रण को रखता है, ममत समय पर उसमी तत्त्वार की हुई सामग्री की जांच करता रहता है, उसे नई-नई प्राप्तके पढ़ने का परामर्श देता है। इस मुख्य

इस प्रणाली में उदाहरण यहीं का 'प्रस्ताव लेखन' की होती है। जो अच्छा लिखना जानता है, अपने भावों को ठाठ टग से प्रस्त कर सकता है, वह युछ न-कुछ लिखकर उत्तीर्ण हा जाता है। इतिहास, भूगोल, साहित्य—सभी में—इस पर प्रस्ताव लिखो, उस पर प्रस्ताव लिखो, वह स प्रस्ताव-ही-प्रस्ताव लिखवाये जाते हैं।

इस प्रणाली का सबसे बड़ा दोष यह है कि विद्यार्थियों को यह आमूल दूल हिला देती है, उन्हें इतना घबड़ा देती है कि कभी कभी अच्छे विद्यार्थी भी केल हो जाते हैं। यालसों का मन्त्रिपक्ष इभी कभी परीक्षा के धक्के को वर्दाशत नहीं नर सकता। परीक्षा के समाप्त कई पारल हो जाते हैं, और परीक्षा में केत होने के कारण इंड आत्म-हृत्या रर बैठते हैं।

यह ठीक है कि शिक्षा के साथ साथ परीक्षा भी जुड़ी ही रहेगी, परन्तु इस पद्धति में जो दोष हैं उन्हें दूर स्वर्णा ही होगा। अब तो भारत सरकार हो गया है, अब आवश्यक नहीं कि अप्रेज़ों की पंडी लकड़ करीर बनकर चला जाय। भारत सरकार को एक कमीटी भिन्न भिन्न देशों की शिक्षा-प्रणालियों का अध्ययन करने के लिए भेजना चाहिये, अर अन्य देश जैसे इन समस्याओं का ढल निराला रहें हैं, वैसे हमें भी निरालना चाहिये।

अर्ननी में परीक्षा प्रवानी—

अर्ननी में इस्लैंड तथा भारत की तरह मासिक, परमासिक तथा वापिस परीक्षाएँ लेने का रिकाउ नहीं है। माल हो तीन भागों में बाट दिग्गज जाता है। प्रत्येक भाग के अन्त में अध्यापक अपने विषय के विद्यार्थी के सम्बन्ध में अपनी सम्मति एक रजिस्टर में दर्ज कर देता है। इन सम्मतियों को यह १, २, ३ की संख्या में प्रस्त करता है, जो इन के चौंक में हाँ उन्दे +१, +२, +३ या -२, -३

परीक्षाएः

आदि के लूप में प्रकृत रहता है। वर्ष के अन्त में मुख्याध्यापक शिक्षकों के पाठमर्श तथा इन रजिस्टरों के आधार पर विद्यार्थी को चढ़ा देता है। जिन विद्यार्थियों को नहीं चढ़ाया जाता उन १० सख्त छात्रों के प्रतिशत से अधिक नहीं होती। साल भर विद्यार्थी पर राफ़ी ध्यान दिया जाता है, विद्यार्थी तथा उसके माता पिता को लगातार उसकी प्रगति के विषय में चेतावनी दी जाती है, परन्तु परीक्षा पर विद्यार्थी के माध्य पा निर्णय बरने के स्थान पर साल भर उस ने जो बाम बिया है, उस पर निर्णय किया जाता है। प्रत्येक खूल में खेल, अक्षा पालन, सदृच्यवहार, शिष्याचार, पर्याय आदि पर भी अक बिये जाते हैं। खूल की अन्तिम परीक्षा जिसे पास पर यह युनीयसिंटी में जाता है, अध्यापकों ही द्वारा उस इलाके पे इन्स्पेक्टर की देस रेस में ली जाती है। परीक्षा लिखित भा होती है, मीरिक भी—प्रत्येक विषय में केवल एक प्रश्न दिया जाता है, प्रश्नों की भरमार नहीं की जाती। उस एक प्रश्न के उत्तर में यि १०० पक नियन्प लिखता है। अध्यापक तीन नियन्पों के विषय निर्दिष्ट रहता है, जिनमें से इन्स्पेक्टर इसी एक को चुनौपर विद्यार्थियों को दे देता है। जो विद्यार्थी लिखित परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, उनकी मीरिक परीक्षा ली जाती है, और इस में उत्तीर्ण होने पर उन्हें चढ़ा दिया जाता है। भाषा का परीक्षा में शब्द रैपा के प्रयोग की आशा रहती है। सर विषयों की परीक्षा नहीं हाती, पेडल मुख्य मुख्य विषयों की परीक्षा होती है। युनीयसिंटी में बोई परीक्षा नहीं होती, बगल अत में एक परीक्षा होती है जिसे 'डाक्टर' की परीक्षा कहा जाता है। परीक्षा के लिए श्रोफेसर विद्यार्थी ३। इसी निर्दिष्ट विषय पर नियन्प लिखने तो बहता है, ममय समय पर उसकी तट्ट्यार वी हुई स्पष्टीयी की जाय रहता रहता है, उसे नई नई पुस्तकों पद्धन का पर्यामर्श देता है। इस मुख्य

विषय के साथ उसे कोई-से दो और विषय लेने होते हैं। तीन विषय होने के कारण उसकी जाँच के लिए तीन परीक्षा निरिचत किये जाते हैं, जो उसकी निवन्ध के अतिरिक्त मौखिक परीक्षा लेते हैं। वे उसे पूछते हैं कि किस किस विषय पर प्रोफ़ेसर के कितने व्याख्यान उसने सुने हैं, कौन-कौन से सुने हैं, क्या क्या पुस्तकें पढ़ी हैं। यह मौखिक-परीक्षा लिखित परीक्षा की अपेक्षा भी अधिक गहराई में जाती है। लिखित परीक्षा से तो प्रायः निवन्ध लिखन की शक्ति की जाँच होती है, मौखिक से विद्यार्थी ने विषय को कितना पचा लिया है, वह पता लगता है। बूनिय-सिटी की 'डाक्टर' की परीक्षा के लिए भी इसी प्रकार की जाँच होती है। परीक्षा का परिणाम विद्यार्थी को उसी समय दिया जाता है।

प्राप्त में परीक्षा प्रणाली—

फ़ास की परीक्षा-प्रणाली इम्लैंड और जर्मनी से भिन्न है। परीक्षापर्य में दो वार होती है; एक पर्य के अन्त—जून-जुलाई में, दूसरी पर्य के प्रारम्भ—अक्टूबर में। जो जून-जुलाई में अनु-क्षीण हो जाते हैं, तथा जो रोगी होने अवश्य अन्य छिसी कारण से उस परीक्षा में नहीं बैठ सकते, वे अक्टूबर में परीक्षा देते हैं। परीक्षाओं के घर उत्तर-पश्च नहीं भेजे जाते। परीक्षाओं की परीक्षा-केन्द्र में आसर रहना होता है, और जब तक पर्यां की जान न कर लें तब तक यहीं रहना पड़ता है। परीक्षा के प्रथम दिन से १२ दिन के अन्दर-अन्दर परिणाम सुना देता रहता है, विद्यार्थियों से देर तक दुष्यिता में नहीं रखा जाता। मौखिक परीक्षा में लिखित की अपेक्षा दुगुने गुण रखे जाते हैं, और उसे लिखित की अपेक्षा अधिक महत्व दिया जाता है। पिछले तीन साल तक की शिक्षा की समति को भी परीक्षण को ज्ञान में रखना होता

है। लिखित परीक्षा में सब दो परीक्षक नियत किए जाते हैं, दोनों की सम्मति से अक दिये जाते हैं। लिखित परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न पत्र में तीन प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से सिर्फ़ एक का उत्तर देना होता है। भाषा की परीक्षा में विद्यार्थी शब्द कोप का प्रयोग कर सकते हैं।

इटली में परीक्षा-प्रणाली—

जगनी म शिक्षक ही अपनी ऐणी के विद्यार्थियों की परीक्षा लेता है; प्राप्ति में शिक्षक भी ले सकता है, बाहर का परीक्षक भी; इटली में यह अपने विद्यार्थियों की नहीं, परन्तु दूसरे विद्यार्थियों की अपने विषय में परीक्षा ले सकता है। उत्तर पत्रों की जाच परीक्षा केन्द्रों में होती है, परीक्षकों के घरों पर नहीं, और एक सप्ताह या ज्यादा से-ज्यादा दस दिन में परिमाण निकाल देना होता है। उत्तर पत्रों की जाच बरते हुए अक नहीं दिए जाते, परीक्षक अपनी सम्मति नोट बरता है, और मीसिक परीक्षा के समय इस सम्मति को भी ध्यान में रखा जाता है। मीसिक परीक्षा पा परिणाम तो उसी समय सूचत कर दिया जाता है। जो विद्यार्थी एक या दो विषयों में अनुकूलीण होते हैं उन्हें अवनूयर की परीक्षा में बैठने पा अपसर दिया जाता है। यूनीवर्सिटी में परीक्षा होती ही नहीं। साल भर याद सब उपरली ऐणी में चढ़ा दिए जाते हैं, किन्हीं किन्हीं यास विषयों में परीक्षा देनी होती है जो वे यूनीवर्सिटी के अध्ययन काल में, साल में जो दो बार परीक्षाएं होती हैं, उनमें जब चाहे दे सकते हैं।

अमरीका में परीक्षा प्रणाली —

अमरीका में परीक्षा को सबथा समाप्त कर दिया गया है। अमेरिकन विद्या-विद्यालयों में अन्तिम परीक्षा को ही होती ही नहीं। विद्यार्थी की योग्यता का माप 'प्रमाण-प्रदा' (Credit system)

से किया जाता है। पहली ऐसी से हावटर दो उपाय लेने वह दिवार्थी अपने अध्याद्यों से इस दाव के 'अनाल' (Credit) लेता जाता है, जिन से किंद्र हो कि यह पड़ने में निष्पत्ति-पूर्वक रहा है औ ज्ञान में पढ़ता रहा है, जो पाठ पर परने को दिया जाता रहा है उसे कर के लेता रहा है, पढ़ावे हुए जो प्रश्न पूछे गए उनमें सभ्वोप-जनक उच्चर देता रहा है। एक ऐसी से दूसरी में जाने के क्रिए जितने 'अनाल' (Creditus) आवश्यक हैं उनमें इच्छे हो जाने पर वह चढ़ा दिया जाता है, इतने समय में ही ये 'अनाल' (Credit) एकत्रित हो सकते हैं, अधिक में नहीं—ऐसा क्यों क्यों क्यों नहीं है। विद्यार्थी कलाते भी हैं, और अध्याद्यों से 'अनाल' (Credit) भी इच्छे करते रहते हैं, और इस प्रवार ऊंची-मे-ऊंची उपाधि विद्या परीक्षा दिये प्राप्त दर लेते हैं। ये 'अनाल' ये एक सात या इस सात जितने समय में हुमियामुत्तर प्राप्त न होते, प्राप्त दरते हैं, और पढ़ाई के बोच में दृढ़ जाने पर किर ढने जारी दर सहते हैं।

नवीन परीक्षा प्रणाली

परीक्षा प्रणाली के दोषों से दूर रहने के लिये जर्नलों, क्रून, इत्यादि, अनरीरा ने अपने दोसों में जो प्रणालियां प्रचलित थीं हैं उनमें इल्लेस्ट हमने किया। इन प्रणालियों के अविरुद्ध इन सभ दोशों में एक नवीन प्रणाली चल निकली है जिसका प्रारम्भ ऑउट चलाई ने किया।

थानान् नव्यादं स उपन है कि प्रचालित प्रणाली ने विद्यार्थी के दिव्यों प्रिय के अन दो उपर्याह नहीं होती जितनी इन दाव की परीक्षा होती है कि यह निष्पत्ति लित्तने में दिव्यता दीया है। इससे अविरुद्ध परीक्षा यह नहीं कह सकता कि विसे उपर्याह १६ में से ३ अंक दिए हैं उनमें पृथ्यः खदों नहीं

दिये, यह नाप तोल कर अरु नहीं दे सकता, और इसीलिए एक ही उत्तर पर भिन्न-भिन्न परीक्षक भिन्न-भिन्न अंक देते हैं। साथ ही यहुत से प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें प्रियार्थी अटकल से काम लेते हैं, निशाना ठीक बैठ गया तो अक मल गये, नहीं बैठा तो रह गये। इन सर दोषों को दूर करने के लिए ही नवीन परीक्षा-प्रणाली या चलन हुआ है।

इस प्रणाली में लगभग ३५ प्रश्न के प्रश्न दिये जाते हैं जिनमें से ७८ प्रकार प्रचलित हैं। इन प्रश्नों के प्रश्न निम्न हैं :—

- (१) साधारण-भूति के प्रश्न (Questions of simple recall)
- (२) पूरक-प्रश्न (Completion exercises)
- (३) हाँना, नीक गला बताना (Yes / No Tests)
- (४) सम्बन्ध गतक प्रश्न (Association tests)
- (५) सर्वोत्तम उत्तर (Best answer)
- (६) परिवर्तन प्रश्न (Transformation tests)
- (७) तर्क गृहक प्रश्न (Reasoning tests)

'सत्यापद आ-दोलन के ज-मद्दात्र इन नाम हैं ' इस प्रश्न का उत्तर है, महात्मा गार्डी। उत्तर में ५ अच्छार हैं, पांच ही विन्दु दे दिये हैं, जिसमें प्रियार्थी समझ सके कि उत्तर ठाक है, या नहीं। इस प्रश्न से 'माधारण भूति' के साथ साथ प्रियार्थी के स्थानान्वय शून्य ही भी परीक्षा हो जाती है। 'भारतर्पर' के प्रधान मन्त्री ने सोऽस समा में - 'इस - इस रास्तर से पूरा करना पूरक प्रश्न बहाता है। 'देहादून म जो वस्तुप पदा हाता है उनमें से मुख्य चार, लद्दी, रजरी, चूना, लोहा, मोना, राढ़ी हैं' - इस वाक्य में ठीक रालत पर हा'—'ना' लिखने को कहा जाता है। यह 'हा-ना प्रश्न' कहाता है। एक तरफ माता, दखल घना शब्द लिखस्तर दूसरी तरफ भतीजा, गाना, रिता जैसा

से किया जाता है। पहली श्रेणी से डाक्टर की उपाधि लेने तक विद्यार्थी अपने अध्यापकों से इस बात के 'प्रमाण' (Credit) लेता जाता है, जिन से सिद्ध ही कि वह पढ़ने में नियम पूर्वक रहा है और ज्ञान से पढ़ता रहा है, जो पाठ घर पर करने को दिया जाता रहा है उसे कर के लाता रहा है, पढ़ते हुए जो इन पूछे गए इनमें सन्तोष-जनक उत्तर देता रहा है। एक श्रेणी से दूसरी में जाने के लिए जितने 'प्रमाण' (Creditus) आवश्यक हैं उतने इन्हें ही जाने पर वह चढ़ा दिया जाता है, इतने समय में ही ये 'प्रमाण' (Credit) एकान्त हो सकते हैं, अधिक में नहीं—ऐसा कोई वर्धन नहीं है। विद्यार्थी कमाते भी हैं, और अध्यापकों से 'प्रमाण' (Credit) भी इन्हें करते रहते हैं, और इस प्रसार ऊंची से-ऊंची उपाधि विना परीक्षा दिये प्राप्त कर लेते हैं। ये 'प्रमाण' वे एक साल या इस साल जितने समय में हृषिकेश सार प्राप्त कर सकें, प्राप्त करते हैं, और पढ़ाई के बीच में दूट जाने पर फिर उसे जारी कर सकते हैं।

नवीन परीक्षा प्रणाली

परीक्षा प्रणाली के दोपों को दूर रखने के लिये जर्मनी, फ्रांस, इटली, अमरीका ने अपते-अपने देशों में जो प्रणालियां प्रचलित थीं उनमें इलेक्शन मन्त्रियों ने इन प्रणालियों के अतिरिक्त इन सभी देशों में एक नवीन प्रणाली चल निकली है जिसमें प्रारम्भ थीयुन बलार्ड ने हिता।

थीयन्स बलार्ड ना कहन है कि प्रचलित प्रणाली में विद्यार्थी के नियमित विषय के ज्ञान की उत्तरी परीक्षा नहीं होती जितनी इस बात की परीक्षा होती है कि वह नियम लिखने में दिनांक बीए देता है। इसके अतिरिक्त परीक्षारूप यह नहीं कह सकता कि नियम दसन १८ में में ३ अंक दिए हैं उसे ४ या ५ क्यों नहीं

दिये, वह नाप तोल कर अरु नहीं दे सकता, और इसीलिए एक ही उत्तर पर भिन्न-भिन्न परीक्षक भिन्न भिन्न अंक देते हैं। आध दी वहुत से प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें विद्यार्थी अटस्टल से काम लेते हैं, निशाना ठीक घैठ गया तो अक मिल गये, नहीं घैठा तो रह गये। इन सब दोषों को दूर करने के लिए ही नवीन-परीक्षा-प्रणाली का चलन हुआ है।

इस प्रणाली में लगभग ३५ प्रश्न के प्रश्न दिये जाते हैं जिनमें से ७८ प्रश्न प्रचलित हैं। इन प्रश्नों के प्रसार निम्न हैं—

- (१) साधारण-भूत के प्रश्न (Questions of simple recall)
- (२) पूरक-प्रश्न (Completion exercises)
- (३) हां ना, थी-न-गलत बताना (Yes-No True-false)
- (४) उत्तराखण्ड प्रश्न (Fill-in-the-blanks)
- (५) उत्तराखण्ड उत्तर (Best answer)
- (६) परिवर्तन प्रश्न (Transformation tests)
- (७) तर्क गूढ़क प्रश्न (Reasoning tests)

‘सत्यापद आद्वौलन के जन्मदाता रा नाम है……’। इस प्रश्न का उत्तर है, महात्मा गांधी। उत्तर में ५ अक्षर हैं, पाँच ही विन्दु दे दिये हैं, जिससे विद्यार्थी समझ सक कि उत्तर ठाकुर है, या नहीं। इस प्रश्न से ‘माधारण भूति’ के साथ साथ विद्यार्थी के सामान्य ज्ञान की भी परीक्षा हो जाती है। ‘भारतवर्ष के प्रधान मन्त्री……..’ ने लोक सभा में “इस”—इस वास्तव से पूरा करना पूरक प्रश्न कहता है। ‘इहादून म जो वस्तुएँ पैदा होता हैं उनमें से मुख्य चाय, लड्डी, नजरी, चूला, लोदा, मोना, चारी हैं’—इस वाक्य में ठीक गलत पर हा—‘ना’ लिखने से कहा जाता है। यह ‘हाँ-ना-प्रश्न’ कहाता है। एक तरफ माता, पत्नी, चन्दा गवर्नर लिखकर दूसरी तरफ मनीना, गाना, सिंह गवर्नर

लिखे जाते हैं और विद्यार्थियों को इन्हें एक-दूसरे के सम्बन्ध में रखने को कहा जाता है। अगर यह माता के साथ पिता, बाबात के साथ कलम और चचा के साथ भर्तीजा रखता है, तब ठीरु, नहीं तो उत्तर अशुद्ध हो जाता है। यही ‘सम्बन्ध धोतक’ प्रश्न है। एक ही प्रश्न के जब कई उत्तर हो सकते हों, तो वे लिख दिये जाते हैं, उनमें से विद्यार्थी को जो सबसे अच्छा जंचे उस पर चिढ़ बनाने को कहा जाता है, यह ‘सर्वोच्चम उत्तर’-सूचक प्रश्न है। ‘भारत के उच्चकोटि के छीन-से चार नेवा हैं, कम से लिखो’—यह पूछना ‘परिणाम सूचक’ प्रश्न है। जिन प्रश्नों से विद्यार्थी की तर्क शक्ति प्रकट हो वे ‘तर्क-सूचक-प्रश्न’ कहाते हैं।

इस प्रणाली में प्रश्न का उत्तर एक ही हो सकता है, दूसरा नहीं, सक्षिप्त ‘हाँ-ना’ में ही ही सकता है, विस्तोर में नहीं, अतः इस में नाप-तोल कर अंक दिये जा सकते हैं। इस प्रणाली में सृष्टि को परखने के लिये ‘सृष्टि’ के, नियन्त्र-ज्ञेयन को परखने के लिये ‘परिणाम’ के, तथा तर्क-शक्ति को परखने के लिये ‘तर्क-सूचक-प्रश्न’ रखे गये हैं। एक-एक मिनट में बालक विद्यार्थी प्रश्नों के उत्तर दे सकता है, और उसकी योग्यता का ठीक अन्वाच हो सकता है। यह ठीक है कि इस में परीक्षक को बहुत परिष्रम करना पड़ता है, परन्तु परिष्रम करना तो उसमा कर्तव्य ही है। इस प्रणाली को छोटे बचों, हाई-स्कूल तथा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की परीक्षा के लिये भी प्रयुक्त किया जाता है।

भारत में वर्तमान प्रचलित परीक्षा-प्रणाली अत्यन्त दोष पूर्ण है। दमाप कर्तव्य है कि हम इस प्रगतिशील युग में इसी प्रणाली को सिर्फ़ इसलिये न छलते रहने दें क्योंकि यह चली आ रही है। इस में जो परिवर्तन अभीष्ट हो उसे शोधने में रोम्प करना चाहिये।

२१

Muk

अनुशासन (DISCIPLINE)

अनुशासन का अर्थ—

'शिष्य' को 'शिष्य' इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने 'अनुशासन' में रहना होता है, 'शिष्य' तथा 'अनुशासन' दोनों 'शब्द' पात्र से बने हैं जिसमें अर्थ है, 'नियन्त्रण'। अप्रेजी में भी 'टिप्पाइप्लिन' और 'डिसिप्लिन' एक ही भाव को प्रचट करते हैं। 'अनुशासन' का नमूना सेना में दिसाई ढेता है। जो व्यक्ति सेना में भर्ती होता है उसे अपनी इच्छा ताक में रख देनी होती है, आज्ञा घलन ही उसका एक नाम कर्तव्य हो जाता है। सेना के 'अनुशासन' का अर्थ है, यिना ननु नच किये, जो उद्य कद्य जाय उसे करते जाना। जो सिगरी चव जाते हैं उन्हें सन्दर्भ में कूदने की आज्ञा दी जाय, तो वे जान की पर्यानही करते, इह जाने हैं। जो पर्यान करने लगते हैं, वे सर्वे हुए सिगरी नहीं कहे जाते। इसी प्रधार 'शिष्य' को इम प्रधार साध लेना छि भाता निया, तथा गुरु जो आज्ञा दें उन्हें यह बिना ननु नच के कहे, यही 'अनुशासन' में, 'नियन्त्रण' में रहता है।

अनुशासन का उद्देश्य—

सेना का 'अनुशासन' इसी उद्देश्य से होता है। देश पर दातु

ग्रन्थमहारु तो सिनाही च्य कर्त्तव्य है कि उसे जो आज्ञा में जाय वैला हो करे, इसी प्रभार देश की रक्षा हो जाएगी है। रिपर के लिए भी 'अनुशासन' च्य कोई उद्देश्य होना चाहिए। नह उद्देश्य क्या है?

इसमें कोई दो सम्भावियाँ जहाँ हो जाएँगी कि 'शिक्षा' ये 'अनुशासन' ने रखने का उद्देश्य उन गुणों को धारण अनें चोन्य बनाना है जिनसे वह आगामी जीवन में उच्चता नागरिक बन सके। देश की उन्नति के लिए आवश्यक है कि इसके नागरिक चबे हों, इमानदार हों, पक्षदूतरे के अग्रिमारों च्य आदर मरे, लड़ाई मजाजा न करें। ननुप्य ये समाव तो अपने 'स्वार्थ' च्य सिद्धि है। वह अपन दो केन्द्र बना कर लड़तान्जाइता है, चर्ण-लड़ मार देना है, सर छुड़ अपने पास जोड़ लेना चाहता है। उसे ननमानी रखने दो छोड़ दिया जाय, तो वह दूनरे के हाँस्ट-कोए दो नहीं देन्यन्य चाहता। देश तथा समाज की उन्नति में घातक इन प्रदृचियों को रोक दर ठीक उत्तर पर लगा देना ही 'अनुशासन' कहाना है। ननुप्य केन्द्र स्वार्थी हो नहीं है, नह ही सामाजिक प्राणी भी है, इसलिए उनकी सामाजिक भावन ये आवार बनाकर उसे 'स्वार्थ' ने 'निस्त्वार्थ' की तरफ भी ले जाना जा नहता है। अगर उसे समाज में रहना है, इस्तेही नहीं रहना, तो अपने को ही केन्द्र बनाकर चलने से अन नहीं चलेग, इसलिए समाज में रहने की उसकी इच्छा को उचेनित दर उसे समाज दिखेगी भागों ने इटाकर समाज के अनुदूत भागों पर चलाया जा नहकता है। जिस उचाव से चलाया जा जाएगा है उसी को 'अनुशासन' यहते हैं।

ये बात का प्रमुख फल—

'अनुशासन' तो प्रभार च्य है। 'मैनिक अनुशासन' योर

'स्वतंत्र अनुशासन'। दोई समय या जद 'दलद शास्ति प्रजा सर्वा' का घोल गला था। डडा दिल्लीओ तो कोई घोल नहीं सकता था। योरोप में 'लॉह'-नानक शिक्षा शास्त्री हुए हैं। उनका कथन या फिं ढंडे के बिना मालहों को बस में नहीं रखा जा सकता। इस पिचार के अनुयायी कहते थे कि यालक को जब कोई शत वार-पार कराई जाती है, अभ्यास में, वह उस से अग बन जाती है। जैसे वार-वार के अभ्यास में शरीर की नास पेरिया पुष्ट होती है, वैसे ही वार वार उन गुणों के अभ्यास करने में जिन्हें हम यालक में डालना चाहते हैं वे गुण पुष्ट हो जाते हैं। अगर उस समझते हैं कि दृप पोंगा यालक के लिए डिवर है, तो वह चार-न चाहे उसे चबर्दस्ती दृप पिलाना चाहिए, ढंडे के चार में, उस प्रमम कर, हर तरह से पिलाना चाहिए। यही 'सैनिक अनुशासन' (Military discipline) है। परन्तु मनोवै-शानिक दृष्टि से यह उपाय ठोक नहीं है। जब यालक को तोई भी क्षम ढंडे के चोर से कराया जाता है तब यह रिट्रॉट रह दठगा है। यह यालक का ही नहीं, अनुष्ट मात्र या स्वभाव है, और इसी कारण समाज में ब्रान्तियाँ हुआ करती हैं। प्राचान फ़ाल में जब एक याजा या अलद शासन पा तक गुलों में भी 'मैनिक शासन' को अधिकार यतारर गुरु लोग शिक्षा पर 'अनुशासन' किया खरने थे; जैसे यजा के एक तर शासन में ब्रान्तियाँ हुईं और वह हो हैं, वैसे गुरु के कठोर 'अनुशासन' से शिष्यों में भी दिक्षाद मचवा था, और नच रहा है। इसी मरण 'अनुशासन' के सम्बन्ध में एक नवीन 'मनोवैशानिक' दिवार-पारा ने जन्म लिया है। यह 'स्वतंत्र अनुशासन' (Free discipline) रहा जाता है। उक्त में इसके मर्यादप्रमाण समर्पक 'हिंदू गारदन'-पद्धति है प्रदान कीमें हुए हैं। उनमें पर्याप्त था कि पर्याप्त हो एक आगा,


या भावी नागरिक समझकर चलना चाही गलती है। 'बालक' वो बालक है, और बालक समझ कर ही उसकी शिक्षा होनी चाहिए। बालक रेलना चाहता है, दीड़-धूप करना चाहता है, रसतंत्र चाहता है। प्रकृति ने उसमें ये प्रवृत्तियाँ उसे विगड़ने के लिए नहीं, उसे बदलने के लिए रखी हैं। बालक को दबा कर नहीं, डरा-प्रभाव कर नहीं, उसे स्वतंत्र छोड़ कर, रेलते-रेलते, ये सब गुण सिखाये जा सकते हैं जिन्हे हम जवर्दस्ती सिखाना चाहते हैं, और सिखा नहीं पाते। 'स्वतंत्रता' और 'परतंत्रता' में यही तो भेद है। जिस काम को हम जवर्दस्ती सिखाना चाहते हैं उसमें बालक अपने को परतंत्र अनुभव करता है, इसलिए सीरने के स्थान में यह विद्रोह कर उठता है; जिसे उसकी इच्छा पर छोड़ देते हैं, परन्तु समझ देते हैं कि यह उसके लिए हितकर है, उसमें क्योंकि यह अपने को स्वतंत्र अनुभव करता है, इसलिए उसे सोस जाता है, विद्रोह नहीं करता।


विस्तृत तथा रुचित अनुशासन—


'अनुशासन' पर विस्तृत तथा संकुचित—दो दृष्टियों से विचार किया जा सकता है। विस्तृत दृष्टि तो यह है कि हम बालक को समाज के लिए दैर्घ्यार कर रहे हैं, इसलिए समाज का सपल नागरिक होने के लिए जो गुण आवश्यक हैं उन्हें हम बालक को मिटाने हैं। हमका सबमें उसम उपाय तो यह है कि शिक्षक अपने आचरण में बालकों को मिखाये। जो शिक्षक सबसे समय पर नहीं आता, सबसे भूत बोलता है, यह बालकों को समय पर आने और सत्य बोलने की शिक्षा दे, तो उसका युद्ध प्रभाव नहीं पढ़ सकता। विस्तृत दृष्टि से तो बालक को अपने जीवन से ही प्रभावित किया जा सकता है, परन्तु शिक्षक का असरी प्रहन तो चूल का नियंत्रण है। यही संरूचित दृष्टि से 'अनुशासन'

वा प्रश्न है। शिक्षक अपने सूचन के संतुचित संग्रह को दिन दिन और घड़ी घड़ी की समस्याओं को केसे हल कर ?

अनुशासन में शिक्षक का क्तव्य—

सूचन में 'अनुशासन' ठारु रखने के लिए शिक्षक से निम्न वातों पर ध्यान रखना चाहिए - 

(१) वालकों पर 'सुझेत' (Suggestions) का बड़ा भारी प्रभाव होता है। वालक में 'सुझेत' प्रदण रखने की असीम शक्ति होती है। अगर अध्यायक की भाव नगी से, उससी हर वात से वालक पर यह प्रभाव पड़े कि उसे परिश्रम रखना चाहिए, तो यह परिश्रमों हो जाता है, अगर वालक का जहु सा भी शारीर वा इरार मिल जाय तो यह भट्ट से शारीर रखने लगता है। यह अध्यायकों के इरारों से कभी नभी सूचनों में हड्डियों हुआ करती है। 

(२) नियन्त्रण प्राप्त शारीर का कारण हुआ करता है। जो वालक हर समय किसी उपयोगा राम में लगे रहते हैं उन्ह 'अनुशासन' भंग करने को फुरसत ही नहीं मिलते। नियन्त्रण कायम रखने के लिए यह छिक्कों चाहिए कि प्रत्येक विद्यार्थी से विसी-न विसी वात में लगाये रहे। 

(३) नियन्त्रण ठोक रखने के लिए अध्यायक से अद्दने अन्तर 'सानसिक स्टिलिटा' (Emotional stability) पाठ्य बननी चाहिए। अगर विद्यार्थी से पता हो कि उस भी वात से मास्टर सहव शुश्रा दो जाते हैं, उसी वात में नायजु, नो लड़के ही मास्टर को बनाने लगते हैं। रिडर को भट्ट में, यिता वात के कोष में और विद्या वात के ठट्टु मार कर इसने देस्तहर वालक को पता नहीं रहता कि यह किस पानी में हैं, शिशु उसके साथ न्याय कर रहा है, या अन्याय। जहाँ वालक पर यह

प्रभाव पड़ा कि शिक्षक उसके साथ अन्याय रख रहा है, वही अनुरागत नंग का बीज योगा गया।

(४) वालर पर जब यह प्रभाव पड़े कि अध्यापक अपना रोप जमाने के लिए कई चेक्सर आज्ञाएँ देता है, तो वह भी जान-बूझ रख उन आज्ञाओं को भग करने लगता है। आज्ञा तो, परन्तु साथ ही उस आज्ञा की सर्वक्षमता को पूरी तरह से डेट्स लो, उसमें कुछ भी मत आने तो, उसकी निर्धनता सिद्ध हो जाय, तो उन्ने रापस ले लो।

(५) जैना पढ़ले रहा जा चुका है, उहने ने करने का अधिक प्रभाव पड़ता है। कई अध्यापक अपने जीवन में हर नियम औ उल्लङ्घन करते हैं, वालरों में किसी नियम का उल्लङ्घन होते देख कर आगच्छा हो उठने हैं। ऐसे अध्यापक अपनी ऊनबोटी के बारण या तो वालरों को नियन्त्रण में रखते ही नहीं, रखने लगते हैं तो रख नहीं सकते, उपर्युक्ती करते हैं, तो विद्रोह सदा रह लेते हैं।

उपर जा चाहें कही गई हैं उनका अधिकार शिक्षक के साथ सम्बन्ध है। ‘अनुशासन’ के लिए कई ऐसी शब्दों पर ध्यान देता नहीं आपसक है नित ज्ञा नियार्थ के माध्य सम्बन्ध है, आर उन में नव ने बड़ी यात्रा ‘अनुशासन में स्वतन्त्रता’ (Free discipline) है।

मूल में ‘रक्षन-प्रशुशन’—

यह शब्द ‘जन-तन्त्र’ का तुग है, इसी भावना ने अनुरागत-प्रणाली में भी प्रवेश कर लिया है। जिस दृश्य में नियम अधिक नोडे जाते हैं उनस्य वही कारण होता है कि जनता उन नियमों से प्रमुख नहीं करती। जिन नियमों के पीछे जनता को आयात दोती है उन्हें नोडने की टिप्पत भी दिसी में नहीं होती। सूक्त में

भी अगर विद्यार्थी अनुभव करें कि जो नियम चल रहे हैं उन्हीं के अपने बनाये हुए हैं, तो वे उनसा उल्लंघन नहीं करेंगे। अध्यापक का काम विद्यार्थियों के सामने सारी स्थिति को इस प्रकार स्पष्ट रख देना है जिससे वे स्वयं उन नियमों को बनायें जिन्हें अध्यापक बनाकर, उनपर धोपजा चाहता है। यह ठीक है कि अब तक मुख्याध्यापक तथा अध्यापक ही नियम बनाते रहे हैं, इन नियमों को बनाने में उनसी योग्यता भी विद्यार्थियों से बहुत अधिक होती है, परन्तु अब जन-तत्त्व ये युग में यह अनुभव किया जाने लगा है कि विद्यार्थियों द्वा रखूँ ल के शासन-प्रबन्ध में हाव छोने से अनुशासन वा कार्य आसान हो जाता है।

छोटे वर्षों तक अध्यापकों में तो जमीन-शासन का अन्तर होता है इसलिए वे तो अपना शासन स्वयं नहीं रख सकते, परन्तु यहें बल्किं नवा अध्यापकों में इतना भारी अन्तर नहीं होता, वे नियमों पा महत्व समझ सकते हैं, अपना शासन भी अपने-आप रख सकते हैं, उन्हें चिम्मेश्वारी के काम भी दिये जा सकते हैं। जब पालकों के अपने वर्षों पर चिम्मेश्वारी आ पड़ती दै तब अनुशासन में रहना वे स्वयं सीख जाते हैं, अध्यापकों नवा विद्यार्थीयों में आये दिन का संवर्ण स्वयं दूर हो जाता है। विद्यार्थीयों अपना प्राइफ (Prefect) स्वयं नहीं, अपने शासन के नियम स्वयं बनायें, उन नियमों पा जो उल्लंघन करे उसे स्वयं खंड है—इस प्रारं 'अनुशासन' की समस्या को बद्रुन-पुद दल किया जा सकता है।

प्रश्नावली में वार छव—

'अनुशासन' का यास्तविक अनिप्राय यह है कि जो नियम बनाये जाते हैं उनस्य पालन इसी याद्य बनान के कारण न हो, अन्तरिक्ष प्रेरणा से हो। इसके बजाय उस मारा शिवा वा शुद्ध के

कहने से बालक रिसी काम को करे, अगर यह आन्तरिक प्रेरणा से उस काम को करेगा, तो उस काम में उसे स्पष्ट आनन्द आयेगा। 'अनुशासन' बाहर का न रहे, अन्दर का होने लगे, इसके लिए 'अनुशासन' चार क्रमों में से गुजरता है। वे क्रम निन्न हैं —

- (१) प्रहृति द्वारा निर्दिष्ट कार्य-कारण के सम्बन्ध में अनुभव से बताकर का नियंत्रण।
- (२) वही द्वारा पुस्तधार तथा दड का भय विचार नियंत्रण।
- (३) समाज द्वारा निर्दिष्ट कारण स्तुति के कारण नियंत्रण।
- (४) श्रावण सम्मान के स्थायी-भाव ज्ञ जाने पर नियंत्रण।

जब बालक छोटा ही होता है तब उसे यह अनुभव होने देना आवश्यक है कि अगर वह उल्टा काम करेगा तो प्रहृति ही उसे दड़ दे देगी। इस अवस्था में वह अपने अनुभव से बहुत-कुछ खोख जाता है। इम सब व्यवहार में आग से रोलते-रोलते अपने अनुभव से जान चुके हैं कि आग से हाथ जल जायगा। रुसो और सेंसर का कथन था कि बालक जो दड़ नहीं देना चाहिए, दड़ देने का काम प्रहृति पर छोड़ देना चाहिए, और दड़ देना हो तो ऐसा देना चाहिए जिसमें कार्य-कारण का साधन स्पष्ट दियाँ देता हो। इम देखते हैं कि आग से रोलने से हाथ जल जाता है, चाहू से रोलने से हाथ फट जाता है, कोई चीज सो जाय तो उसके रोये जाने का दुख यन्ह रहता है। सूक्ल में भी अगर बालक देर में आये तो उसे रुज़ के बाद रोके रखना, अगर गम्भे कपड़े पहने तो सूक्ल में ही कपड़े भुलना कर भेजनी में बैठने देना कार्य-कारण के सम्बन्ध को सामने रख कर 'अनुशासन' करना है। यह क्रम व्यवहार का है, सूक्ल में जाने से पहले का है।

परन्तु यालक को प्रहृति के ऊपर ही नहीं छोड़ा जा सकता। स्वयं परीक्षण करते-करते यालक अपने को नुसार सान भी पहुँचा सकता है। उसे यह चताना आवश्यक है कि कौन सी यात ठीक है, कौन-सी गलत। अगर यह कहे के अनुसार न करे तो उसे 'दण्ड' देना आवश्यक हो जाता है, बाम करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 'पुरस्कार' भी देना होता है। यह कम बचपन के बाहर नहीं है। इसके विषय में अगले अध्याय में लिखा जायगा।

'अनुशासन' में तीसरा कम समाज द्वारा निन्दा तथा सुनिश्चित है। जब यालक दण्ड तथा पुरस्कार से ऊपर उठ जाता है तब वह नियमों का पालन परते हुए निन्दा तथा सुनिश्चित को ध्यान में रखता है। रक्तूल इवयं एक समाज है। शिवरु का कर्तव्य है कि रक्तूल का मानन्दण्ड इनका ऊपरा मनाये रखे जिससे कोई भी विद्यार्थी ऐसे बाम को करता दुष्टा लगा अनुभव करे जो रक्तूल के ऊपरे सार के प्रतिकूल हो, जिससे सूल की अवतिष्ठा होती हो, जिससे वह दूसरों की निन्दा पा जाता याने।

'अनुशासन' में सउ से ऊपरी अवस्था तब आती है जब यालक इसी दूसरे के पटने से नहीं, किसी दूसरे को सन्तुष्ट करने के लिए नहीं, अपने आत्मा के सन्तोष के लिए इसी नियम पर उद्घदन नहीं परता। यह अवस्था तब आती है जब यालक में 'आत्म समान औ स्थायी-भाव' (Self-regarding sentiment) ये निर्माण हो जाता है। इस अवस्था में 'अनुशासन' पाप नहीं रहता, आनंदिक हो जाता है, माता पिता, गुरुओं का स्थायी वर्णन के सन्तोष के लिए नहीं होता, अन्वरात्मा के सन्तोष के लिए होता है।

२२

दण्ड तथा पुरस्कार

(PUNISHMENTS AND REWARDS)

‘अनुशासन’ वा ‘दंड’ तथा ‘पुरस्कार’ के साथ विशेष सम्बन्ध है, विशेषतया रकूल के ‘अनुशासन’ के साथ। सब से अच्छा ‘अनुशासन’ वो यह है कि बालक इसी नाम को दसलिए करें क्योंकि यह काम अच्छा है, उसके न करने या करने में ‘दण्ड और पुरस्कार’, ‘निन्दा और स्तुति’ को ध्यान में न रखें; परन्तु ऐसा होता नहीं है। ‘दंड’ या ‘निन्दा’ के भव से बालक चुरे क्यों से रुके रहते हैं, ‘पुरस्कार’ वा ‘स्तुति’ की खुशी से अच्छे चान करते हैं। इम पूले ‘दण्ड’ और पिर ‘पुरस्कार’ पर विचार करेंगे।

१—दण्ड

दण्ड के उद्देश्य—

दण्ड के तीन उद्देश्य हो सकते हैं: ‘वदला’ (Retribution), ‘मुधार’ (Reformation) तथा ‘प्रतिरोध’ (Prevention); जिस समय समाज अत्यन्त निचली अवस्था में था, जगली था, उस समय बदला लेने की भावना से ही दंड दिया जाता था। आज भी फँसी का दण्ड ‘बदला’ लेने के लिए ही दिया जाता है। दण्ड का अस्ती उद्देश्य व्यक्ति का ‘मुधार’ तथा आगे से वह या दूसरा

कोई वैसा अपराध न के, इस प्रकार का 'प्रतिरोध' करना है। सूक्ष्म में तो 'उचार' तथा 'प्रतिरोध' ही दण्ड वा उद्देश्य हो सकता है, 'वदला' नहीं।

दण्ड की निरापत्ताएँ—

दण्ड वैसी हो, इस सम्बन्ध में अनेक विचार प्रकट किये गये हैं जिनमें से वेन्यम के विचार प्रामाणिक माने जाते हैं। वेन्यम ने दण्ड की विशेषता प्रों का वर्णन करते हुए समाज को व्याप में रखा है, परन्तु सूक्ष्म के सम्बन्ध में भी ये विचार वैसे ही ठीक हैं। वे विचार निम्न हैं :—

(१) दण्ड अपराध के 'अनुगत' में (Proportionate) होना चाहिए। किसी अपराध के लिए कोई निरिचित दण्ड नहीं होना चाहिए, परिस्थिति तथा अपराधों की मनोवृत्ति के अनुसार उसमें ऐसा परिवर्तन किया जा सकता चाहिए जिससे अपराध और दण्ड में अनुगत बना रहे। सूक्ष्म में देर से आने पर एक रुपया जुर्माना होगा—इस निश्चित नियम बनाने का परिणाम यह होग कि जो बालक किसी ऐसे काम से देर में आग दें जिसे समझने पर अध्यादक भी आवश्यक समझ सकता है उसे भी जुर्माना होगा, और विद्यार्थी को सूक्ष्म के नियन्त्रण में अन्याय दीर्घ रहेगा। जो बालक उत्तराप ढर रहा हो उसे भी नियमानुसार निरिचित दण्ड देना विचार-गूण्य कार्य है। शारीरिक दण्ड, जुर्माना, निःसूक्ष्म आदि ऐसे दण्ड हैं जिन्हें परिस्थिति तथा व्यक्ति की मनोवृत्ति के अनुसार घटाया-बढ़ाया जा सकता है, और इन का इसी प्रमार उपयोग भी करना चाहिए। योड़ी-सी बात पर जुर्मान आसमान एक बर देना शिक्षण के लिए अपनी अपेक्षा सिद्ध कर देना है।

(२) दण्ड अपराध के 'अनुरूप' (Characteristic)

होना चाहिए। विद्यार्थी को समझ आ जाना चाहिये कि इस अपराध के लिए ऐसा ही दण्ड क्यों दिया गया। देर में आने वाले को देर से जाने देना, भैले बपड़े याले से स्कूल में ही कपड़े पुलवाना, अनुरूप डरड हैं; देर में आने पर कान पकड़वाना, भैले बपड़े होने पर चेत मारना प्रतिरूप दण्ड हैं, ऐसे दण्ड हैं जिनका कोई कार्य-सारण सम्बन्ध नहीं है, और न वालक व्यं समझ में ही आ सकता है।

(३) दण्ड ऐसा होना चाहिये जिससे दूसरे भी वैसा अपराध करने सं रुकें। यह उनके लिये 'उदाहरण-हृषि' (Exemplary) हो। इस उद्देश्य से दण्ड सबके सामने देना चाहिए या नहीं, इस बात का निश्चय भिन्न व्यक्तियों के सम्बन्ध में भिन्न भिन्न करना होगा।

(४) दण्ड ऐसा होना चाहिये जो अपराधी का 'सुधार' करने वाला (Reformatory) हो, उसकी नीच वृत्तियों को दबावे और उच्च-वृत्तियों को उभारे। अपराधी को जितना ही विधास होता जायगा कि उसे बदले की भावता से दण्ड नहीं दिया जा रहा उतना ही वह सुधारता जायगा।

(५) दण्ड ऐसा होना चाहिये जिससे अपराधी ने जो तुलसान पहुंचाया है उसकी 'क्षति-पूर्ति' करने वाला (Compensatory) हो।

(६) दण्ड ऐसा होना चाहिये जो 'सर्व-प्रिय' (Popular) हो, जिसे दूसरे भी ठीक कहें, ऐसा न हो जिससे सब विद्यार्थियों द्वारा सहानुभूति शिक्षक के साथ होने के स्थान में अपराधी के साथ हो जाय।

दण्ड के प्रकार—

इन टॉपियों से चिचार किया जाय तो दण्ड को दो भागों में

चाटा जा सकता है—‘मृदु’ तथा ‘कठोर’। एकान्त में या सब के सामने भिड़क देना, अपमानित करना, अरु बाट लेना, लुट्री के समय राक लेना, जुर्माना करना आदि ‘मृदु’ दंड हैं, मारना पीटना ‘कठोर’ दंड हैं। सबसे अच्छा तो यह है कि दंड देने की आवश्यकता ही न पड़े। जिस सत्था में जितना अधिक दंड दिया जाता है उसकी शासन व्यवस्था तबनी ही निरन्मी है, परन्तु अगर दंड देने की आवश्यकता पड़े भी तो उम सेकम, मृदु-स-मृदु, हल्के से हल्का दंड देना चाहिए, जब इनमें से इसी उपाय से काम न चले तभी कठोर दंड देना चाहिए।

भिड़कना (Reproof)—अगर गुरु शिष्य में प्रेम सञ्चन्ध हो तो गुरु का शिष्य को अपराध के लिए भिड़क भर देना पर्याप्त होता है। कई अभ्यापक चण्ड-सो चात पर भिड़कने लगते हैं, उन्हें इस यात का शान नहीं होता कि अपराध दबा दखड़ में ‘अनुपात’ होना चाहिए, ऐसा न हो कि ढोटासा अपराध और चाटा सा दंड, एवं पड़ा-सा अपराध और छाटा-सा दंड हो। नहीं अंति के द्वारे से व्यक्त चल जाय यद्हीं भिड़कना भी उचित नहीं, चालक के स्वभाव को दरमहर जद्हीं सब के सामने भिड़कना आवश्यक हो यद्हीं सबके मामने भिड़कने से नृष्णना भी उचित नहीं।

अपमानित करना (Disgrace)—कभी-कभी बालक को सबके सामने अपमानित करना आवश्यक हो जाता है। हरेक अपनी प्रतिष्ठा पाहता है, इनकिए बालक ऐसे यामों में बचाना चाहता है जिनसे अपमान सहन्य पड़े। कोने में सहारे घरना, चच पर रहा कर देना ऐसे ही दंड हैं, परन्तु इन सबके द्वेषे हुए भ्यान रत्नन्य चाहिए कि याचक चर यह प्रभाव न पड़े कि अभ्यारह उससे इसी प्रकार या परालय ले रहा है, उससे अन्याय पर यह है,

१७६ 'शिक्षा शब्द'—सिद्धान्त, विधि, विधान, इतिहास

सीमा से अधिक दंड दे रहा है, या ऐसा दंड दे रहा है जिसे अपराध के साथ किसी प्रकार जोड़ा ही नहीं जा सकता।

अंक काट लेना (Loss of marks)—सदाचार आदि के सम्बन्ध में विद्यार्थी को साल के शुरू में ५० अक्ष दिये जा सकते हैं, और ज्यों-ज्यों वह अपराध बरता जाए त्यों-त्यों उसके अक्ष काटे जा सकते हैं। गुरुतुल कागड़ी तथा कन्या गुरुतुल देहरादून में यह प्रथा है, और इसे 'प्रताभ्यास' कहा जाता है। 'प्रताभ्यास' के अकों को माता पिता के पास भेजना चाहिए जिससे वे भी शिक्षणों के साथ बालक को समन्वय में सहयोग दे सकें।

छुट्टी के समय रोक लेना (Detention)—इस सूखों में अपराधों के दण्ड रूप में बालकों को छुट्टी के समय रोक लिया जाता है, और उनसे कोई काम कराया जाता है। एक लड़के ने दूसरे को मारा, उसे छुट्टी में रोक लिया गया और सस्कृत के दस वाक्य लिखने को कहा गया। मारने का और सस्कृत के याक्य लिखने का कोई सम्बन्ध नहीं, अतः यह दण्ड अपराध के अनुच्छ नहीं है। ऐसे दण्ड देने का परिणाम यह होता है कि जो कान उससे कराया जाता है उसके साथ उसके मन में पृष्ठा का सम्बन्ध हो जाता है। दंड देने के लिये विद्यार्थी को रोक लेना अनुचित नहीं है, परन्तु उस समय उससे कोई ऐसा घन करना चाहिए जिससे पश्चात् न हो उसे पृष्ठा न हो जाय।

जुमाना (Fines — अपराध के लिए जुमाना)—रता बालकों को नहीं, माता पिता का दण्ड देना है। जा जुमला है सकते हैं वे जुमनि की पर्ती नहीं उठते। जुर्माना कम से-कम करना चाहिए।

शारीरिक दंड (Corporal punishment)—उत्तर जिन दण्ड का बहुत फिल गया है, वे 'मृदु' दण्ड हैं। मारना-दंटना

येंत जगाना 'कठोर' नहीं है। कठोर दण्ड देते हुए भी यह देरना आवश्यक है कि दण्ड अपराध के 'अनुरूप' है या नहीं, दण्ड तथा अपराध एक दूसरे के 'अनुरूप' हैं या नहीं, उनका कार्यपारण का सम्बन्ध जुड़ सकता है या नहीं, क्या दण्ड देने से दूसरों के सामने ऐसा 'उदाहरण' उपस्थित हो जाता है जिससे उनमें से कोई वैसा अपराध न करे, क्या इससे अपराधीका 'मुधार' होता है, क्या ऐसा कठोर दण्ड तो नहीं दिया जा रहा जिससे सब चिना दियों की 'सहानुभूति' अपराधी के साथ ही हो जाय, यह चिना दियों का 'हीरो' बन जाय।

शारीरिक दण्ड के विषय में दो विचार धारणा याम कर रही हैं। पुछ लोगों का व्यवहार है कि शारीरिक दण्ड विलुप्त नहीं देना चाहिए, उछलोग बहते हैं कि इसके विना कई लड़कों को सीधा रखा ही नहीं जा सकता। प्राय बालक देरना चाहते हैं कि विना रहते के बंदहाँ तक शारारत में आंगे बड़े सकते हैं। ऐसे घालडों को जनतरु यह न दिल्ल जाय कि शहरत का मार्ग कठोर दण्ड पा मार्ग है तकतरु ये शहरत में आंगे ही-आंगे बढ़ते जाते हैं। हाँ, यदि ठीक है कि शारीरिक दण्ड देते हुए अध्यापक को यह सच समझ लेना चाहिए कि यह क्षोष में तो दण्ड नहीं दे रहा, बदले से तो दण्ड नहीं दे रहा निर्मम-भाव में दण्ड दे रहा है। ऐसे ही गुरुओं के लिए यहा गथा है, 'सामृते पाणिभिर्नन्ति गुरुयो न विग्रोचते'- गुरु जब मारते हैं तब अमृतमय दायों से मारने हैं, विष सने छायों से नहीं।

२—पुरस्कार

दण्ड या आपार दुसर है, पुरस्कार या आपार सुध है। दण्ड की तरह पुरस्कार की भी कई विशेषताएँ हैं जो निम्न हैं—

२७८ 'शिवा शास्त्र'—सिद्धान्त, विधि, विधान, इतिहास

पुरस्कार की विशेषताएँ—

(१) पुरस्कार ऐसे होने चाहिए जिनसे वालक का सम्पूर्ण चरित्र प्रभावित हो। भिन्न भिन्न विषयों में प्रथम आने पर पुरस्कार देने की अपेक्षा सब विषयों में प्रथम आने वाले को पुरस्कार देना अधिक अच्छा है, इसले वालक का सीमित विकास होने के स्थान में सर्वांगीण विकास होता है।

(२) पुरस्कार प्राप्त करना ही वालक का लक्ष्य नहीं हो जाना चाहिए। बचपन में वालक पुरस्कार के लिए मेहनत करे इसमें कोई दोष नहीं, परन्तु ज्यों ज्या वह बड़ा होता जाव, त्यों-त्यों पुरस्कार के बिना वार्च करने की आदत ढालनी चाहिए, नहीं तो जब तक उसे कुछ लाभ नहीं दीखता वह काम करना नहीं चाहता, यह एक तरह की रिस्वत का रूप पारण कर लेता है।

(३) पुरस्कार दैनिक जीवन की साधारण वातों पर ही देना चाहिए, जीवन के मूल तत्वों पर नहीं। नियम-सालन, सराई, मेइनत, हरेक चीज को समाल कर यथा-स्थान रखना आदि साधारण वातें हैं, इन पर पुरस्कार देना ठीक है, जीवन में भी इन वातों पर ध्यान देने से कुछ प्राप्ति ही होती है, परन्तु सत्य बोलना, नप्रचर्य स्थ पालन रखना, दूसरों की सेवा करना आदि जीवन के मूल तत्व हैं, इन का पुरस्कार के साथ सम्बन्ध जोड़ देन्य ठीक नहीं, इन्ह वो वालक जो बिना पुरस्कार के करना सीखता चाहिए। नृठ बोलने पर दूर्ल देना ठीक है, परन्तु स उपोक्तन पर पुरस्कार देना ठीक नहीं, क्योंकि सत्त्व तो बिना पुरस्कार के ही बोलना चाहिए। रेहमानी करने पर दूर्ल देना ठीक है, परन्तु ईमानदारी पर पुरस्कार देना ठीक नहीं, क्योंकि यैवकिंक धृति नी हो जाए, ईमानदारी वो शरतनी ही चाहिए।

(५) जिन यालकों में जन्म सिद्ध कोई विशेष गुण हैं उनके लिए पुरस्कार देना अन्य यालकों को निरुत्साहित करना है, पुरस्कार न भी दिया जाय तब भी जिसमें जो गुण है वह तो ही ही, बिर उस पर पुरस्कार देने का दूसरों को निरुत्साहित करने के अतिरिक्त कोई दूसरा असर नहीं हो सकता। अगर एक यालक ६ फीट लम्बा है, और दूसरा ४ फीट है, तो लम्बाई पर पुरस्कार दरमा ४ फीट यालों को निरुत्साहित करने के सिवाय काई लाभ नहीं पहुँचा सकता क्योंकि जो ६ फीट का है वह, पुरस्कार मिले न मिले, ६ फीट का रहेगा ही।

पुरस्कार के प्रकार—

पुरस्कार दो प्रकार के होते हैं। या सो पुरस्कार के रूप में इम यालकों को पुस्तक, पेसल आदि 'चीजें' देते हैं, या उनसी 'प्रशंसा' करते हैं। इनाम में चीजें देने से याजकों का उत्साह बहुत बढ़ता है, यह चहरी नहीं कि उस चीज़ का भूल्य बहुत अधिक ही हो। अस्ल में इनाम में कोई धीज मिल जाने से यालक अपनी प्रतिष्ठा को बड़ा हुआ पाता है, इसलिए मूल १. प्रशंसा ही सब में अच्छा पुरस्कार है। 'प्रशंसा' के रूप में शिशुह के हाथ में एक ऐसा घपन है जिसका यालक को आगे पढ़ाने में वह पहा भारी उत्पोग फर सकता है। जैसे छिड़क देने से यालक अपराप से रह जाता है, पैसे प्रशंसा फर देने से उसकी शक्तिगती बीम हो उठती है। शिशुह का अन्तिम घेय यह होना चाहिए कि याजक इसी धीज को पाने या प्रशंसा के लिए, अपार्ट पुरस्कार के लिए कोई भाव न करें, जो गुद्ध करे अपना फर्तंध छढ़भढ़ करे।

२३

पाठशाला तथा स्वास्थ्य-रक्षा

(SCHOOL HYGIENE)

प्रायः शिक्षा च्य उद्देश्य बालक का नानसिक-विकास करना समझ जाता है, शारीरिक नहीं। स्कूल में इतना पढ़ाया-लिखाया जाता है कि बालक का शारीर क्षीण होने लगता है। परन्तु उही शिक्षा का काम बालक के मन के साथ साथ उसके शारीर च्य भी पूर्ण-पूर्ण ध्यान रखता है। इस दृष्टि से इच्छा सुचाल होने के दो कर्तव्य हो जाते हैं। पहला तो 'पाठशाला' के स्थान, दातु, जल, नालियाँ, टाटियाँ, स्थान गृह, चबड़े आदि का स्वास्थ्य प्रदान करना है। दूसरा 'बालक' के इन सहन, कपड़ा, सरँड़े आदि का ध्यान रखता है; पहले में 'पाठशाला' की स्वास्थ्य-रक्षा तो प्रत्यक्ष जाता है, दूसरे में 'बालक' की स्वास्थ्य-रक्षा वा प्रश्न आ जाता है। हम इस अध्याय में 'पाठशाला' की स्वास्थ्य-रक्षा पर प्रधारा ढालेंगे, अगले अध्याय में 'बालक' की स्वास्थ्य रक्षा पर।

१—पाठशाला का स्थान तथा उभीन

पाठशाला का स्थान चुनते हुए अन्य यातों के साथ चारों ओर की 'परिस्थिति' तथा 'उभीन' च्य ध्यान अवश्य रखना चाहिए।

स्थान अथवा परिस्थिति —

पाठशाला ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ भरपूर प्रकाश और पानुआती हो, शार, वृद्धि गुरुर्था और दुर्गम्भ न आती हो, जारी तरफ हरियाचल, बारा यातीचे हों। 'र्घेताजामुपाधे नदीजा क समझे पियो विषा अजायत' वर्तमान के निष्ट, नदियों के छिनारे विद्याभ्ययन करने में जो आनन्द आता है वैसा दूसरी जगह नहीं आता, यही धीमान विश्र वैग होते हैं। परिस्थिति के अनियन्त्रित उभीन वा ठाठुठीक चुनाव यहुस आवश्यक है।

उभीन टीक होना पाइए —

(१) उभीन के दो हिस्से होते हैं 'उपरि भूर' (Surface soil) तथा 'अप भूर' (Subsoil)। 'उपरि भूर' में 'सानिज' (Inorganic) तथा 'ऑर्गेनिक' (Organic) पदार्थ रहते हैं। 'ऑर्गेनिक' पदार्थों में पशुओं की हाँड़ी, पशुपतियों आदि होती हैं, इसी पारण 'उपरि भूर' में 'बैक्टी' (Bacteria) रहते हैं। 'अप भूर' में केवल सानिज (Inorganic) पदार्थ रहते हैं अतः इसमें 'बैक्टी' नहीं रहते। पाठशाला का भवन उनाते हुए इस प्रकार का भूजन रखना पाइए कि उपरि भूर ५८ मध्य जगह रोड़ी गुटपानी जग्य काढ़ि किमी प्रश्यर के रुमियों का डर न रहे।

— (२) 'उपरि-स्लेट' भी दो तरह यह हो सकता है—'द्विद्रुगुक्त' (Porous) तथा 'द्विरप्स्ल' (Imperious)। उर्गी के समय 'द्विद्रुगुक्त' भूर में पानी उभीन के भोतर रिम जाता है, और हुमियों तथा उभीन की खद्यन आदि को 'अप भूर' (Subsoil) में भी पहुँचा देता है। जब गर्भी के गारे उभीन में भूर गढ़वा है तब उसके गर्भ गारे पहुँची गयी हैं—इसी वजह पूर्णता—नी उभर आती है, अतः उभीन 'द्विरप्स्ल' (Porous) नहोस्तर 'द्विरहित' (Imperious) होनी पाए।

(३) 'छिद्र-युक्त' जमीन से जो पानी नीचे को रिपता है वह 'छिद्र रहित' स्तर के आ जाते पर और अधिक नीचे नहीं उसकता, यह 'भू-जल' (Ground water) कहाता है। किसी भी जगह के कुएँ को देख कर पता लगा सकते हैं कि वहाँ यह 'भू-जल' कितनी दूर पर है। स्वास्थ्य-प्रद भूमि के लिए आनंदरक दें कि वहाँ का 'भू-जल' पृथिवी के 'उपरि-स्तर' से कम से कम १० फीट नीचे हो, इससे ऊपर नहीं।

(४) जिस प्रकार पृथिवी के नीचे जल है, इसी प्रकार भूमि में वायु भी रलो मिली रहती है। 'छिद्र-युक्त' (Porous) भूमि में ५० प्रतिशत वायु का मिश्रण रहता है। इस वायु को 'भू-वायु' (Ground air) कहते हैं। 'भू-वायु' में २ से ८ प्रतिशत तक 'राखन डाइ ऑक्साइड' रहता है, इसमें 'बॉक्सीजन' साधारण वायु से बहुत कम रहता है, 'छिद्र-युक्त' होने के कारण इसमें 'उपरि-स्तर' के 'ऐन्ट्रोगिक' (Organic) पदार्थ पृथिवी रहते हैं, उनके साथ-साथ 'कूमि' (Bacteria) भी 'उपरि-स्तर' से 'निम्न-स्तर' में जाते रहते हैं। जब जमीन के जल की सतह बहुत घटा होती है, या गर्मी आदि के कारण वायु पैलती है, तब यह 'भू-वायु' ऊपर उठ आती है, और 'राखन डाइ ऑक्साइड' को फैलाकर अनेक वीमारियों को पैदा रख देती है। इसलिए भी ऐसी जमीन मा चुनाव करना चाहिए जो 'छिद्र-युक्त' न हो, और जहाँ पानी बहुत नीचे हो।

२—वायु का स्वतंत्र गमनागमन

वायु वा जीवन पर अत्यधिक प्रभाव पहता है अतः यह देखना आवश्यक है कि यालों में गुद-वायु मिलती है या नहीं। गुद-वायु में निम्न असा होते हैं—

नाइट्रोजन ७६ प्रतिशत ।

आमीन २००६ प्रतिशत ।

कार्बन डाई-ऑक्साइड ०८ प्रतिशत ।

सूक्ष्म में ऐडे हुए वालसो के फेफड़ों से जो यागु वाहर निकलती है उसमें निम्न अंश होते हैं । —

नाइट्रोजन ७६ प्रतिशत ।

आमीन १९ प्रतिशत ।

कार्बन डाई-ऑक्साइड ८८ प्रतिशत ।

वापर आदि यह ६ प्रतिशत ।

इस प्रगति द्वारा कि शुद्ध यागु में और सूक्ष्म की यागु में यहा भेद है। शुद्ध यागु में '८८ प्रतिशत 'कार्बन डाई-ऑक्साइड' होतो है, सूक्ष्म की यागु में ४४ प्रतिशत 'शुद्ध यागु में २००६ प्रतिशत 'आमीन' होती है, सूक्ष्म की यागु में १६ प्रतिशत 'शुद्ध यागु में फेफड़े से निकले दुर्गंध-युक्त अत्यधिक नहीं होते, सूक्ष्म की यागु में होते हैं । तीत्यर्थं यह दे कि सूक्ष्म की यागु में कार्बन अधिक तथा आमीन रूप होतो है। इसके अतिरिक्त फेफड़ों से जो यागु निकलती है उसमें जल का अंश भी रहता है । यह अलोध-अर्द्ध-सूक्ष्म की हवा में ऐत जाता है जिसमें परिणाम यह होता है कि गरीब का पुमीना उतना नहीं सुन पाता जितना तप सूरता अगर यागु मरक्कत में जलीय भरा न होता। शुद्ध यागु तथा सूक्ष्म की यागु में सब से यहा भेद 'कार्बन डाई-ऑक्साइड' का है, यही तो जीवन के लिए एवं विवरक है । यह देखा गया है कि १०० प्रति शत शुद्ध यागु में '०८ शत शुद्ध 'अमीन डाई-ऑक्साइड' और जिन्होंने जाय तो उसमें भगाल्य पर पूर्ण अधिक युग्म भरा नहीं होता । इस उपर्युक्त में सूक्ष्म की यागु में स्थापात्य अवध्या और अनेक अथवा स्थापात्य अवध्या और अनेक

१०४ 'रिक्ता शास्त्र'—सिद्धान्त, विधि, विधान, इतिहास

जगह मे '०२ घन कुट 'कार्बन डाई-ऑक्साइड' सहन की जा सकती है, अधिक नहीं। यह देखा गया है कि एक वालक एक घटे मे '४ घन कुट 'कार्बन डाई-ऑक्साइड' पैदा करता है। ०२ घन कुट 'कार्बन' सहन करने के लिए १०० घन कुट शुद्ध वायु की आवश्यकता है, तो '४ घन कुट 'कार्बन' सहन करने के लिए २००० घन कुट शुद्ध वायु की आवश्यकता होगी। इसमा अभियाय यह है कि सूल मे एक घटे मे एक वालक को शुद्ध हवा देने का प्रयत्न करना हो तो उसे २००० घन कुट हवा मिलनी चाहिए। अगर सूल के कमरे मे एक वालक के लिए १०० घन कुट जगह मानी जाय, अर्थात् दृत से लेटर करी तक जितना चेत्रफल कमरे का बने उसमे से प्रत्येक वालक के हिस्मे १०० घन कुट जगह आये, तो एक घटे मे २० वार हवा को वक्तना चाहिए ताकि वालक को (100×20) अर्धात् २००० घन कुट शुद्ध हवा मिल सके। शुद्ध हवा न मिलने मे वालक घर जाने हें, उन्हें सिर दर्द होने लगता है, हृदय पर असर होता है, पढ़ाई ठीक मे नहीं कर पाते। इसी लिए लूटी हवा मे, यूचाँ के नीचे पड़ाना सबसे अच्छा है। अगर कमरों मे ही पड़ाना हो तो उसरे हवादार होने चाहिए, और दो-दो, तीन-तीन घटे के बाट सब छाँतों को कमरे से बाहर निकाल देना चाहिए ताकि शुद्ध हवा प्रवेश कर सके। दरवाजे और रिफ़्रिगरेशन का रखने चाहिए। माना बनाते हुए इस यात का ध्यान रखना चाहिए कि अगुद्ध हवा के निकलने और शुद्ध हवा के आने के लिए प्रयाम दोपहरदार और रिफ़्रिगरेशन हों। जैसा अभी पहा गया था, एक वालक को एक घटे मे छाँत कम २००० घन कुट शुद्ध हवा मिलनी चाहिए। अगर माना जाय कि हवा १ सेकंड मे ५ फट की गति मे चलती है, तो एक वालक के लिए २५ गंग इम्परेशन गन तथा रिफ़्रिगरेशन चाहिए, तब उसे २००० घन कुट शुद्ध

इया मिल सरेगी। अगर एह थ्रेणी में १८ विद्यार्थी हों तो प्रत्येक को २००० घन फुट इया देने के लिए ४५ वर्ग फीट रोशनदान तथा सिङ्हिया चाहिये।

३—जल-प्रबन्ध तथा नालियाँ

वालरों को बड़े आदमियों की अपेक्षा अधिक जल से आवश्यकता रहती है, अतः जल का पूरा प्रबन्ध होना चाहिए। अगर जल को भर कर रखा जाय तो जिस वर्तन में रखा जाय उसे सोल पर देता सकता चाहिए। जहाँ थोड़ा सोडने से ही पानी निरल आता है पद्धति जल से समय समय पर परोक्षा सर लेनी चाहिए कि पहले उसमें भूमि के 'ऊरी स्तर' से निम्नों रा प्रवेश तो नहीं हो गया। अगर वालह कुण का पानी पाने हैं, और नीरपिण्डार में कुएँ रा पानो निरलता नहीं रहा, तो भूल मुलने से पहले कुआँ साक रख लेना चाहिए। घरानामों में पानी रा इन्हों प्रबन्ध होना चाहिए जिसपे छाय अच्छी तरह स्थान कर सके, परन्तु माँग मर्द, और आपराह्ना पहने पर ऊँचे भी पांस के। इस प्रगति जो पानी यह निम्ने उसे नालियों द्वारा चर्तीचे में पहुँचाना चाहिए, कीचड़ नहीं होने देना चाहिए। मरानों के लिए जैमी नालिया पुनर्नी हृषीसी सूख में भी पड़नी चाहिए, पानी को ऊँचे ऊँचे नहीं होने देना चाहिए। तुली नालियों की ग्राहिं आमानों से हो जाती है, एवं तु अगर यद्य नालियों हो तो उन्हें डीक्से बताना चाहिए ताकि अप्रवाहा पहने पर उन्हें रात्रि नो जा सके।

४—टट्टियाँ, मूराज्य आदि.

प्रायः समय जाता है कि टट्टी, मूराज्य, जस्ते तो गन्दगी के लिए ही हैं, इन्हें साफ रखने की आवश्यकता नहीं। इसी अन्य

१८६ 'शिवा शम्भ'—सिद्धान्त, विधि, विधान, शिद्धास

सुरुच्याध्यपक की परत्व ही यह है कि उच्चे प्रवन्ध में टट्टों, नूडलों, न्यूलिंगों तथा चबूत्रों की क्या अपन्या है। इन्होंने मच्छर, नक्सी तथा तरह-तरह के दूनि उत्तम होते हैं। किन्तु आदि क्य भरपूर प्रयोग होना चाहिए। इसके अतिरिक्त सारे तूल की प्रतिदिन सर्वांह-होनी चाहिए, घोरों पर गन्द जम जाने से प्रकाश नहीं आता, उन्हें साक रखना चाहिए, डीवारों पर जारे नहीं लगने देने चाहिए, काँड़ देते हए इरचाजे, खिड़कियों खूले रखनी चाहिए। नहीं तो सारा गर्भ स्थिर वही आ बैठता है।

छात्र तथा स्वास्थ्य-रक्षा (PERSONAL HYGIENE)

छात्रों के स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए उनके घस्त्र, भोजन, शौच, सिर और पेट की स्थानों पर सामग्री लेना, निद्रा आदि पर विद्याएँ ध्यान देना आवश्यक है। इम इनमें से प्रत्येक पर सक्षिप्त वर्णन करेंगे :—

१.— घस्त्र

शरीर वा ताप-मूले हृदय दियी है। यह बाहर की दृश्या से ज्यादा है। इतना ताप रहने से शरीर टीक से कोम करता है। परन्तु शरीर में चरुरत में ज्यादा ताप इन्हीं न हो जाय इसलिए त्वचा, आस-प्रभास और मल-मूर से ताप नियन्त्रित भी रहता है। इससे प्रदोषों से और मल-मूर से नियन्त्रित न करते ताप का तो हम नियन्त्रण नहीं कर सकते, त्वचा द्वारा नियन्त्रित न करते ताप वा नियन्त्रण कर सकते हैं, और इसीलिए उन्होंने उपचार फिया जाता है। ताप का यह नियन्त्रण कि यह जहाँ अधिक हो जहाँ से एम ताप वाली पस्तु में पला जाना है। शरीर का ताप क्योंकि बाहर की वायु से अधिक होता है इतना शरीर में हर समय ताप-मात्रा में जाना रहता है। यह ताप चरुरत में एम नहीं जाए इसके लिए एस्ट्रों की

आवश्यकता है। कभी-कभी वह ताप से इतना अधिक रोक नहीं है कि शरीर में गर्भी घटना पड़ जाय, इसलिए पहले अधिक पत्तों का धारणा नहीं भी द्यानिकर है। यस्त्र दो प्रकार से हो सकता है। ‘याहक’ (Conductor) और ‘अयाहक’ (Non conductor)। सौदियों में उन आंदि ताप के ‘अयाहक’ यस्त्र धारणा करने चाहिए, जनियों में सूख आंदि ताप के ‘याहक’। इसके अंतर्में यस्त्र दृश्य होना चाहिए। उसका साधे बोन्ड रन्धे पर पड़ना चाहिए, कभी मैं इस प्रकार कस कर नहीं थांधा जाना चाहिए निचसे शरीर के भीतरी अङ्गों पर जोर पड़े, तुला होना चाहिए, बहुत तब नहीं होना चाहिए, वरसाती की तरह वित्तुल छिद्र-दीन नहीं होना चाहिए। सिर पर टोपी, जुहाओं के गार्डर, गले में चाला, देर के जूते कभी कभी यहाँ के रुधर के खत्तन्त्र द्याने जाने को रोच्चा है, अतः इनम्य सभल कर प्रगोग करना चाहिए। कई चालों के यस्तों से पसीने की यद्यु आती रहती है। उन्हें नट-में घोटालना चाहिए। यत के दपड़े अलग होने चाहिए, दिन के अलग। दपड़े कहे नहीं रहने चाहिए। शिल्क या बत्तेवा है कि इन सभी यांत्रों की तरक ध्यान देता रहे, क्योंकि मूल में जो आइते हैं तो सात जायेंगे, पै जावन भर साय बनी रहेंगे।

२—भोजन

इस बहले देश सुके हैं कि शरीर से हर समय गर्भी उत्तरान दोती और उच्च हो रही होती है। इनरों जो गर्भी कर्ज हो रही है इसे जापा गया है। जैसे जाग्याएँ नामने के लिए ऐ इन्हीं शर्पे देनाना है, वैसे यहाँ हो रही गर्भी जापते थे। इसमें यो ‘कैलोरी’ (Caloric) सहते हैं। धोटे याचमों के शरीर में प्रतिदिन १५०० और यह पानी के राहित से ३५०० ‘कैलोरी’ दरवाजे हो रहे हैं। अब पालमों को इतना भोजन निल जाना चाहिए जिसमें प्रोटीन का

१६०० और वहों को १५०० 'कैजोरो' मिल जाए। भिज-भिजे भोजनों में भिज भिज 'कैलोरी' उत्तर करने की शक्ति है। १ पौँच दूध में ३००, १ पौँच जई में १८८६, १ पौँच चायल में १६४६, और १ पौँच पनीर म २०११ 'कैलोरी' हातो है। भोजन का समय विभाग बनाते हुए प्रत्येक बालठ को कितनो 'कैलोरी' चाहिए, इससा ध्यान रखना आवश्यक है।

इसके आतरिक स्थग्न-पदार्थों को 'प्रोटीन', 'केटो', 'शुगर' और 'स्टार्च'- इन चार भागों में बांटा गया है। भोजन में प्रोटीन की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए। शरीर में जो दृट कूट होती रहती है उसे प्रोटीन से ही पूरा किया जा सकता है। 'एक युग्म को ५० प्रो० प्रोटीन निलंबित ही चाहिए। नदर में प्रोटीन २२ ६३ प्रतिशत, पनीर में १५-४ प्रतिशत है। हमारे भोजन में 'शुगर' और 'टार्च' ही डगड़ा होता है, 'प्रोटीन' और 'कूट' का होती है इस तरफ अधिक ध्यान देना चाहिए।

भोजन में एक और तत्व माना जाता है जिसे 'विटेनिन' कहा जाता है। वैसे तो छह 'विटेनिन' हैं, परन्तु ५ मुख्य हैं। इन्हें विटेनिन 'ए', 'बी', 'सी', 'डी' कहा जाता है। 'विटेनिन ए' वा क्यान श्यारीरिक युक्ति है। यह न हो सो रुक्तर रोगों का दुःखादिला जहो खें सकता, ताकून की कमी अनुभव होने लगती है। 'विटेनिन बी' वा वान श्यारीर की स्थनुतित यन्त्रणे रखता है, नुन्तिष्ठ को शाक्की पूछता है। नदर, गेहू के दिन ही अद्वितीय यह पर्याप्त पान जाता है। 'विटेनिन सी' सम्बर्टे, नरगो, नीबू ने चम्प जाता है, इसकी कमी में जन्मते फून आते हैं। 'विटेनिन डी' की कमी में होइने के बाये दो जाती हैं, दूध, इडी, नस्तन में यह पान जाता है।

है। भोजन के सम्बन्ध में इस बात का ध्यान इतना चाहिए कि यालक को अपनी आयु के अनुसार पूरा भोजन और सब प्रथा के 'विटेमिन' गिलते रहे। भिठाई, चटनी, चाढ़, अद्यार, मिठ्ये, मसाले, नाय, काशी की आदत यालकों को ढाल देना ढीक नहीं।

३—दौति

दौति तो तरह के होते हैं—दृध के दौति और पके दौति। वे मास की अवस्था में दूध के दूति निम्फलने शुरू होते हैं—सात-आठ वर्ष की अवस्था में उत्तरो स्थान पर पके दौति आने लगते हैं। पके दौति छी सबथा ३२ होती है। मसुड़े तक दौति की सहेदी से 'इनैमल' फहरते हैं, इसमें ज्ञान तन्तु नहीं होते, इसमल के नीति भीतरी हिस्से को 'डेन्टाइन' बदते हैं, इसमें ज्ञान तन्तु रहते हैं। 'इनैमल' सख्त होता है, 'डेन्टाइन' लोमज होता है।

मुख रा रस 'अलसली' होता है, परन्तु अगर मुख में भोजन के छोटे छोटे दुरुदे पड़े रहें तो सड़ कर 'अस्ल' उत्पन्न कर देते हैं। यही अम्ल 'इनैमल' को खा जाता है, और इसे दौतों में चीड़ा लगाना, या 'ट्रीज' कहा जाता है। 'इनैमल' के नष्ट हो जाने पर भीतर रा 'डेन्टाइन' वादर आ जाता है, स्वातं समय 'डेन्टाइन' के ज्ञान-तन्तुओं को सर्वों से, मीठा आदि लगाने लगता है। जो त्रूटि के दुरुदों के सड़ने से उत्पन्न हुए 'अस्ल' को रोकने के लिए 'सोदा चांद-रानी' या 'बोरैकस' का किसी 'फैटी-मेर्सिट्र' के साथ प्रयोग करने से मरम गहरा रहता है, दौति यहाँ नहीं होते। दूध के दौतों को भी मंजन में साफ़ करना आवश्यक है, कांस्ट्रिक्ट दुग दौति के पाद सदा दुधा दौति निम्फलने छी सम्भालना रहती है। नीम छी दानुर अच्छी है, इसमें मनु जाईद भी रीढ़ बना रखता है। प्रातः उठने हें बाद खोटोने से पहले दौति साफ़ कर लेता अच्छा है। बघों के दौतों की तरफ प्रातः अविकृष्ट भ्यात देने की आवश्य

कता है क्योंकि दाँत के दर्द को ठीक करने की अपेक्षा दर्द न होने देना अधिकुल बुद्धिमत्ता है।

४—सिर की सफाई

ऐसे तो सभी अगों की सफाई आवश्यक है, परन्तु यथों के सिर की सफाई या प्रश्न बहुत विश्वट है। लड़कियों और लड़कों के सिर जूँथों से भरे रहते हैं। पक्के जूँ की आयु तीन घार सप्ताह तक की है, और इस अरसे में वह सी अचाउदे दे देती है जिन्हें लीरा बहते हैं। एक से दूसरे तक पहुँचने में इन्हें देर नहीं लगती। यालकु सुजा सुजा कर तग हो जाते हैं। जिस यालकु के जूँए पाथी गाये उसे अन्य यालकों से पृथक् कर देना चाहिए और रात को सोने से पहले सायुन से सिर धोकर सिर में अच्छी तरह से 'पैरेशीन थायल' मल देना चाहिए। ये तीन रात लगातार सायुन से सिर धोकर 'पैरेशीन थायल' लगाने से जूँए मर जाती हैं, और पनजी कंपी फेरने से लीख निरल जाती है। कभी कभी गन्दे कपड़े इसने से 'रुपांडी जू' पैदा हो जाती है। इनसे इलाज ऐसे रुपांडी पर इर्पी बरा देना है। इर्पी की गर्भी से ये फर जाती हैं। जब तक विसी यालकु के सिर या कपड़ों में जूँए हो तब उसे दूसरों के साथ नहीं मिलने देना चाहिए।

५—पेट की सफाई

ठीक न होने से पाचन-शांति पर युग्म प्रभाव पड़ता है, जो यों क्य परम पेट को रुका पड़ा है। पाचन ठीक न होने में पेट स्थन नहीं होता, और यालकु को इन्हीं विस्तार रहती है। ठीक समय पर पेट या साक होता अस्थन्त आवायक है। गन्दी और सही हुई दवा से प्रीग्राम होती है, इसे मध्य कोई जानते हैं

परन्तु पेट में जो गन्धी और सड़ी हवा जगा रहती है उसमें तरह हमारा ध्यान नहीं जाता। श्राव-राल ठीक समय पर प्रतिदिन शिव जाने में उसी समय शोच जाने द्वा अन्यात हो जाता है, और आगे पर्यन्त वह अन्यात स्थाप्त नो ठोकु रगाये रखता है, और धियों की आवश्यकता नहीं रहती। पेट में दुनिहों तो चालक भौति हुए डोत दिटकिटाता है, उसके पेट में एहड़न ढूँ हो रहा है, कभी-कभी मूँगी अनें लगती है, ऐसे समय डाक्टर दो दित्तादर फोरन इलाज कराना चाहिये।

६—नैन ठीक-मे लेना

नाक वा धान मौन लेना है, परन्तु वर्द्ध याकूब मुस्लिम से चैन लेते हैं। मुख ने सान लेने वा नारण आइत भी हो सकती है, परन्तु प्रायः इससा बारण नाक वा रुक जाना है। नाक मूले के अनेक नारण हैं, चर्दी लग जाना, नाक की नित्य वा नोटा इह जाना, नाक में बटन, इक्कती आदि वा फैन जाना तथा 'ऐन्टनारड' से बच्चे मुख ने सॉस लेते लगते हैं। 'ऐन्टनारड' नाक की नींवरी सनठ पर, जहाँ नाक मुँह में ललती है, मोटे मोटे बानों के पैर दो जाने का जात है। श्राव-शम ने 'ऐन्टनारड' ठीक हो जाने हैं, युन बड़ जांघ तो उनमें आपरेशन रहा रहा अन्दर है। अन्यान्य को चार्दिए रह जो याकूब मुस्लिम में याँस लेते हैं उनमें ध्यान रखने।

फेफड़ों ने हम शुद्ध हवा लेते हैं। फेफड़ों द्वाय ही हवाऊं और सीजन रूपरेख में छिकवी और दाखिल गैम याकूब निर्दर्शन है। साधारणता हमारा साँस फेफड़ों के बहुत ज्यादा ही रहता है, फेफड़ों की शुद्धार्द तक नहीं पहुँचता, इसलिए सारे फेफड़ों में 'श्राव-सीजन' नहीं पहुँच पाती। गहरा नौन लेने में पूरे फेफड़ों में 'श्राव-सीजन' पूँच जाती है।

७—नीद

बालक की नीद कम करना उसका भोजन कम कर देने के समान है। ६ वर्ष से कम के बालक को १३ घण्टे सोना चाहिए, ७ वर्ष के बालक को १२ $\frac{1}{2}$ घण्टे, ८ वर्ष के बालक को १२ घण्टे, इस प्रकार १६ वर्ष तक आध-आध घण्टे कम करते हुए १६ वर्ष के व्यक्ति को ही घण्टे सोना चाहिए। कई लोगों वा विचार है कि मानसिक कार्य की अवधि को शारीरिक परिश्रम से दूर किया जा सकता है। यह गलत धारणा है। मानसिक तथा शारीरिक धक्कावट—दोनों पश्चापटें हैं, और धक्कावट की दूरी नीद से, विश्राम से होती है। प्रायः दरगत गया है कि कम नीद लेने पर बालक लिखने पढ़ने में ज्यादा अशुद्धियाँ करता है, वही बालक नीद ले लेने पर कम अशुद्धियाँ करता है। बालकों की वृद्धि वा अधिक भाग नीद लेते समय होता है, अतः नीद में कमी नहीं आने देनी चाहिए। छोटे बालकों का सूक्ष्म के समय भी सोने पा प्रवन्ध रखना चाहिए। इस के बजाय फि बालक सप्त अतरों में सोते रहें, या ऊंधते रहें, इसी पर्याप्त निहित समय पर आप घण्टे के लिए मुला दिये जाय, तो उनमें नय-जीवन आ जाता है। दीर्घावसारा वा महाव यहाँ है फि उस में अत्यन्त परिश्रम कर लेने के दृढ़ बालकों को आएम खरने वा समय मिल जाता है। हमारे बालकों को जितना मानिए परिश्रम रखना पड़ता है, उसके साथ दीर्घावसारा न हो तो कई बालकों वा स्वास्थ्य विलुप्त गिर जाय। दीर्घावसारा के समय को स्थल भर में पाठ देना अधिक उपरोक्ती है।

२५

बैठने-उठने का दंग

(POSTURES)

यालक मिज मिज ढगों से बैठते, सड़े होते हैं। यलत तरफ से बैठने और सड़े होने से शरीर के कई अंग पिछले हो जाते हैं, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है, और पर जोर पड़ने से वे कमजोर हो जाती हैं। क्योंकि यालक को अधिक समय पाठ-शाल में बैठे-बैठे बिताना होता है अतः उसके छंगों के पिछले हो जाने की अधिक चिम्मेवारी शिक्षक पर आ पड़ती है। प्रायः चार अवस्थाओं में बैठने आदि की आवश्यकता पड़ती है अतः इन चारों के समय यालक के शरीर के ढग पर ध्यान देना चाहिए—
 —(१) गुरु से मुनते समय, (२) स्वयं पड़ते हुए बैठना, (३) लितते-समय बैठना तथा (४) रवदा होते हुए छंगों का सम बोलन। इन इन चारों पर कुछ-कुछ विचार करें :—

गुरु से मुनत समय बैठने का ढग—

गुरु भे विद्या महण करते समय यालक को मुनना होता है। उस समय सबसे अच्छा बैठने का तरीका यह है कि फटि प्रदेश के नीचे का भाग गुरुर्णी पर सम रूप ने दिस दुश्य हो, और पीड़ की हड्डी सोधी रहें। ज्यादातर बैठने में रीढ़ की हड्डी पर ही जोर पड़ता है अतः उसे पर ध्यान देना आवश्यक है। सोया बैठने में पीड़ की हड्डी में चार प्रमाण पड़ते हैं। गले के पीछे पुमाव अदर का

द्वीपा है, कन्धों के पास आकर बाहर को, यहाँ से पेट के पीछे की तरफ अन्दर रो, और फिर बाहर रो । बालक जब रालत तरीके से बैठता है तब पेट के पीछे वा घुमाव अन्दर की तरफ होने के बजाय बाहर री तरफ आ जाता है । बार-बार इस स्थिति में आने से कमर भुखने लगती है । बालक की सीधा बैठना चाहिए ताकि रीढ़ को हड्डी भुखने न पाये । सीधा भी देर तक वह नहीं बैठ सकता इसलिए पीठ के पीछे ऐसा सहाया होना चाहिए जो उसे ठीक स्थिति में बैठने में सहायता पढ़ूचाये ।

सर्व पढ़ते समय बैठने का दंग—

पढ़ते समय भी सीधा बैठना चाहिये, पुस्तक आँख से १२ इन्च दूर रखनी चाहिये, नज़दीक रखने से नज़र छोटी हो जाती है, ख़रहरत से ज्यादा दूर तो बालक स्वयं ही नहीं रखता । पुस्तक ऊपर न तो आत के विलुल नीचे ही रखना चाहिए, न भिर मीधा पर किलुल उसकी सीध में, आत से ५५ अंग के कोण में पुस्तक रखकर पढ़ना चाहिये । प्रशारा याये रुप्ते के ऊपर में पुस्तक पर पढ़ना चाहिए, आत पर नहीं पढ़ना चाहिए । बालक कभी कभी यदुत अंगे भुखर पढ़ने लगते हैं । अंगे भुखने से छाना सरुभित हो जाती है, पेट पुर साये योक्त आ पढ़ता है, इत्य पर रुप्ता है इस प्रशार बैठने में यालकों को राखना चाहिए ।

तिथा समय बैठने का दंग—

बालक की रीढ़ का हड्डी पर सबसे अधिक बुध प्रभाव लियरे समय गलत बैठने का पड़ता है । लियरे से रीढ़ की हड्डी पर ऊपर पढ़ने से पहला ही तरुक भुख जाती है । शर्दू तरुक इसलिये ऊपर जाती है परंतु बालक शर्दू द्वारा से लिप्तता है, और लियरे सबसे दूषी तरुक ही यह अधिक भुखता है । मन्य तो एवं पढ़ने

से रीढ़ का बाबौ हिस्सा उभर आता है। लिखते समय बालक मानो शरीर की नोस-पेशियों से चुर्टी कर रहा होता है। इसी बालक को लिखते समय देखने से अपश्च हो जायगा कि यदि सिर स लेकर पैर तक सब अर्गों का प्रयोग करता है, कभी भी तजता है, कभी दाढ़े को होता है, कभी बायं को होता है, कभी फ़ल्ड्या बदलता है, कभी पेंसिल को ऊपर में, कभी नंचे में देखता है। इसमा यह अभिप्राय है कि जितना हम सतत हैं लिखना बालक के लिए उतना साधारण काम नहीं है, और इस असाधारण प्रक्रिया को साखते सीखत बालक के अग विहृत है जान की समाप्ति उत्तम हो जाती है। अगर हम ध्यान रखें कि शुरू में बालक (१) लिखना किस प्रकार सीख रहा है, (२) किस दृष्टि का लिखना सीख रहा है, (३) किस प्रकार पेंसिल, आदि को पढ़ता है, (४) बायं द्वाय मा प्रयोग करता है या नहीं, (५) लिखते समय वैसे बैठता है, तो लिखने से उत्तम होने वाले अनेक दृष्टियों को दृष्टिया-ग्रा-सम्भाला है।—

लिखना सीखने के प्रकार पर शिवा शास्त्रियों का स्थन है कि शुरू शुरू में एक साल तक थोटे अक्षर नहीं लिखने चाहियें। पहले-१८८ रुग्णीन चाक से कृष्ण पट पर भिज्ञ भिज्ञ, यवी यडी, गोल, अर्ध गोल, सांधो, टेदी लकीरे लगाने का अन्याम करना चाहिए। इसके बाद दो इच यडे अक्षर लिखने का अन्याम करना चाहिए। क्योंकि यह सब साँड़े खड़े होगा अतः इसी प्रियोप अग पर जार नहीं पड़ेगा। तीसरे दर्प पेंसिल और अत में क्लम द्वाय में दूनी चाहिए। लिखने के दूग पर शिवा-गाम्बिरों का स्थन है कि अज्जर योंपें कियने का अन्यास करना चाहिए, टेडे नहा। दूँड़े अद्दे लिखने में एक तरफ भुजना पड़ता है जिस में शरीर का द्वार एक नरक पड़ने में रीढ़ की दर्जे के झुक जाने-

का भय है। पेमिल आवि परहने के दूर पर तिज्हा-गास्त्रियों सा
फथन है कि लेखनों को इस प्रशार परहना चाहिए जिसमें हथेली
कीतली रहे, हाथ को कागज पर बिलुल उलटा फरके नहीं लिखना
पड़े। पाये हाथ के प्रयाग न करने में मारा योग शुरू
हाथ पर, और वायें हाथ से शरीर के वायें भाग पर पड़ता रहना
है। इसे दूर करने के लिए यायें हाथ में कागज का परहड़े रहना,
उसे लिपते समय आपरयरतानुमार ऊरर फरते रहना ठोक है।
कभी-कभी याये हाथ से लिखने का भी अभ्यास रखना चाहिए,
इससे शरीर को लाभ प्राप्त होता है। लिखने दूर पैठने समय
कागज चालक के बिलुल सामने रखना चाहिए। कई पार कागज
को दूर पहुँच रखकर लिखने लगते हैं। लिखने
समय पर जमीन पर मुझ झूँप से टिकाये रखना चाहिए। किमी
एक तरफ ज्यार नहीं पड़ना चाहिए।

४५ ॥ १ ॥ समय अगो जा गमतानन—

खड़े दोने में समय अच्छा तरह सा तो यह है कि दोनों हाथियों
एक दूसरे से जरा दूर, परन्तु आमने सामने रहें, और शरीर पा
साये योग्य दोनों टोगों पर परायर पड़ें, छातों उभरो रहें, मिर
सोधा, दोनों जरा आगे को रहें। परन्तु इस विधि में भी यालक
देर तक नहीं रह सकता। इस विधि रायालना हो तो एक टांग
पुछ आगे रखकर दुखरी टांग पर योग्य डाल देना चाहिए, आर
इस प्रशार टांग दो आगे पांच वर्षते रहना चाहिए। प्रथले यह
होना चाहिए कि समय अगा पर उनकी शण्डि के अनुमार ममान
योग्य पड़े, और अगर किमी चंगे पर देर तक योग्य पड़ता रहे,
वो उसे आयम सा समान भी मिल जाय। इसी का 'याग दूरान'
ने 'तत्र स्थिर-मुत्ते आसनम्' बदा दे—जिसमें आयम मिले रहा,
आसन है, यही पैठने उठने तरीक तरीका दे।]

२६

ब्राह्मण-काल में शिक्षा

[EDUCATION IN ANCIENT (BRAHMANIC) PERIOD]

‘शिक्षा’ की समझ कोई आज की ही समस्या नहीं है। जब मेरा माता-पिता वया पुत्र का सम्बन्ध दना है, तभी से माता पिता के लिए अपने पुत्र की शिक्षा की समस्या यहाँ रही है। आदि-कालीन माता-पिता के सम्बन्ध यह प्रश्न था कि उन तरु जो ज्ञान स छट रूप में पढ़चा है, अथवा जिन नड़ वातों का उन्होंने स्वयं पढ़ा लगाया है, उन्हें आगामी सन्तानि तक ये कैसे पढ़ूचायें? अगर ये वाप-वाप ने पाये हुए, और सचय उपादित किरे ज्ञान को किसी नुगम उपाय से अपनी सन्तानि को दे सकते हैं, तब तो मानव-समाज और उसके साप-साध उनकी सन्तान भी उन्नति परती जायगी, अगर नहीं दे सकते तब ननुप्प दर युग में दर चान् तो नये सिरे से हँडने में हो लगा रहेगा। इसी समस्या के दल को ‘शिक्षा’ का नाम दिया जाता है। जैसे इस समस्या के दल दम आज चर रहे हैं, वैसे ही मुद्राखूत में, श्रद्धालु-काल में, प्राचीन भारत के ऋषियों-मुनियों ने इस समस्या का दल निर्माण किया। यह दल क्या था?

'शिक्षा' तथा 'मरणाम्'—

भारत के प्राचीन शास्त्र शास्त्रियों ने 'बालक' को शिक्षा का केन्द्र माना था। आज एक लम्पे-चौड़े इतिहास में भै गुजरने के घाव युद्ध में 'बालक' को शिक्षा का केन्द्र माना जाने लगा है, नहीं तो शिक्षक, सूल और पाठ्य क्रम को ही मुख्य माना जाता रहा, बालक का यही पता भी नहीं था। प्राचीन भारत की पाठ्य प्रणाली में 'बालक' को इतना महत्व दिया गया था कि उसी के जन्म मुधार के लिए १६ मस्तारों ने कल्पना की गई थी। शृणियों का स्थन था कि 'बालक' पर निम्न तीन प्रशार के मस्तार प्रभाव दालते हैं—

१ अपने पिछले जन्म के मस्तार

२ माता-पिता के मस्तार

३ परिस्थिति से पहने बाल मस्तार ।

'बालक' की शिक्षा क्या है, मानो 'मस्तारों' का ही एक मंडल है। 'परिस्थिति के द्वाय पहने याले 'मस्तारों' से माता पिता द्वारा आने याले सस्तार प्रबल होते हैं; माता पिता द्वारा आने याले मस्तारों की अपेक्षा भी अपने पिछले जन्म से आने याले मस्तार प्रबल होते हैं। शिक्षा का प्रश्न मस्तारों का प्रश्न है। अगर अपने पिछले जन्म के मस्तार ही इस जन्म में प्रबल रहेंगे तब निम्ननिवेद शिक्षा पर प्रश्न एक अत्यन्त जटिल प्रश्न हो जायगा। भारत के प्राचीन शिक्षा-शास्त्री 'पुनर्जन्म' और 'कर्म' के सिद्धान्तों मानते हैं, इसलिए ऐसे यह भी मानते हैं कि शिक्षा द्वाय पिछले जन्म के मस्तारों से सर्वेषां नहीं पढ़ा जा सकता। क्योंकि उनके सम्मुख यह जटिल समस्या थी कि पिछले जन्म के मस्तारों के साथ हमें से टकरालें इसलिये उन्होंने 'मस्तारों' के प्रश्न को एक गम्भीर प्रश्न बना दिया, और जीवन को प्रारम्भ से अन्त तक यह मस्तारों के सरबत्ता पर निर्णय लिया था। मनुष्य वर्षों कि उन्हें जन्म

के तथा माता-पिता के संस्कारों का परिणाम होता है, इसलिये इस जन्म में उसे ऐसे वैसे संस्कारों से नहीं बदला जा सकता, जन्म भर उस पर संस्कार पड़ते रहने चाहियें, तब जातुर और प्रत्यक्ष परिणाम निकल सकेगा - इस हातिकोण को लेफ्ट प्राचीन ग्रन्थियों ने 'शिक्षा' के प्रश्न पर विचार किया है और इस जन्म में १६ संस्कारों का वर्णन किया है।

संस्कारों के दो भाग—

संस्कारों को दो भागों में वॉटा गया है। उत्पत्ति से पूर्व के (Pre natal), तथा उत्पत्ति के बाद के (Post natal)। उत्पत्ति के पूर्व के संस्कार हैं—गर्भाधान, पुन्सवन तथा सीमन्तोन्नयन। क्योंकि माता-पिता के संस्कार का बालक पर प्रभाव पड़ता है अतः 'गर्भाधान' संस्कार एक महत्वपूर्ण संस्कार है। माता-पिता को यह समझना चाहिये कि वे इसी ऊचों आत्मा का आङ्खान कर रहे हैं—यही इस संस्कार का उद्देश्य है। जब जीव माता के गर्भ से प्रवेश कर जाय और उसका शारीरिक-विश्वास होने लगे तब 'पुन्सवन' संस्कार किया जाता है। इसका अभिप्राय यही है कि माता पिता ऐसा अन्न खाये, ऐसा रुद्ध-सद्ध रखें जिसमें बालक का शारीरिक विश्वास ठीक उत्तरांचल सके। पुन्सवन के बाद छठे या आठवें मास में 'सीमन्तोन्नयन' संस्कार किया जाता है। सीमन्त में माता अपने सिर में तेल लगाती है, कंडा लगती है। यह यह समय है जब गर्भस्थ शिशु के मनिद्रुक का निर्माण होने लगता है। इस संस्कार का यह उद्देश्य है कि माता शिशु के मनिद्रुक के रूपुचिन विश्वास का भवन रखेगी। शिशु के उत्पन्न होने के अनन्तर जो संस्कार किये जाते हैं—ये बाद के (Post-natal)-संस्कार हैं। इनमें से कई संस्कार तो केवल स्थान्त्रिकी की दृष्टि में निरिचन किये गये हैं। अन्न-प्राशन, निष्कमण,

कर्ण वेद आदि सस्तारों का महत्व स्पाह्य रक्षा की हप्ति से कम नहीं है, और इन सब पर इतना बल देना सिद्ध करता है कि भारत की प्राचीन शिक्षा-प्रणाली में 'वाज्र' को अत्यन्त महत्व-पूर्ण व्यान प्राप्त था।^१ इन सस्तारों के बाद 'उपनयन' सस्तार आता है। उपनयन मंस्तार स्थ मीरा सम्बन्ध 'शिक्षा' से था। 'शिक्षा' के सम्बन्ध में प्राचीन द्रष्टि-होण अधिक स्पष्ट करने के लिये हम 'शिक्षा' के पाँच पहलुओं पर धिकार करेंगे। वे पहले छँउन लिखन हैं—

- १. परिस्थिति (Surroundings)
- २. शिक्षय अथवा ब्रह्मनारी (Pupil) ।
- ३. गुरु अथवा आचार्य (Teacher) ।
- ४. अभ्यासन के विषय (Curriculum) ।
- ५. अभ्यासन की विधि (Method of teaching) ।

'शिक्षा' तथा 'परिस्थिति'—

शिक्षा के लिए 'परिस्थिति' अत्यन्त आवश्यक है। परिस्थिति के तीन भाग दिये जा सकते हैं। भीनिन्, मानसिन् तथा आप्तिन् त्रिमुख। मानसिन् तथा आप्तिन् परिस्थिति के लिए तो शिक्षा सम्भव स्थ निर्माण होता ही है, वे लोग शिक्षा के लिए भीतिन् परिस्थिति को भी अत्यन्त आवश्यक समझते हैं। उनम्हरियार पर शिक्षा के नेन्द्र मानोदेवा शद्दरों के बाहर भृति की गोद में होने चाहियें। 'उपहरे गिरोणा संगमे च नदीना पियो पिप्रो अजाग्न्'—रुद्र को उत्त्वरा तथा नदी के तट पर पिय बनता है। प्राचीन ग्रन्त के शिक्षा नेन्द्र शुशिरों के आप्तमांस में होते पे, और वे आप्तम-शद्दरों से न होर बनामें होते पे। जगत में रहने के कारण वालक शहर के विद्वेले सम्पर्कों से बचे रहते पे।

वालक को भीतिन् टाटि से जहाँ शुद्ध परिस्थिति में रसा जाता था वहाँ मानसिन् टांट से भी वह प्रवत्त दिय जाया पा कि उसे

उसके मार्गसिक विचार के अनुकूल वाचनरह में रखा जाय। घर में भावा-पिता वाचक और शिवा पूर्णव ध्यान नहीं है सब्दे अतः उसे घर से बाहर छिपी दूसरे के पास भेजना आवश्यक है, परन्तु बाहर भेजने पर उसे घर का सा भावा-पिता व्यास न मिलने से उसमें उन्मुचित विचार न हो चुके थे तक उसका पर पर रहना आवश्यक है—इस समस्या का दूत दरने के लिए उन्होंने 'गुरुकूल पढ़ति' वा निर्भारु किया था। 'गुरुकूल' अर्थात् गुरु का 'कुल'। घर में शिवा ठीक प्रस्तार नहीं चल सकती। भावा-पिता लाइ प्यार में बालक को विनाश देते हैं, अतः बालकों को घर से बाहर ही भेज दिया जाय, परन्तु बाहर भेज दरअी एक घर से उसे दूसरे घर में दी भेजा जाय, एक 'कुल' से दूसरे 'कुल' में भेजा जाय, एक भावा-पिता से दूसरे भावा-पिता के पास भेजा जाय, एक परिवार से दूसरे परिवार में भेजा जाय—'गुरुकूल-शिवा प्रणाली' का यही आधार नव रख्या था। बालक शिवा प्रणाली के लिए अपने भावा-पिता को दोड़ कर गुरु के परिवार से भावा-पिता नाल कर जाया था और उसी के उत्तर से अपने कुल बना लेता था। इस तनाय भी देखने में अवश्य है छिपने को श्रद्धा, धृतिय या दैवत देखने वालों का एक ही 'गोप' पाया जाता है। वासिन गोप नामसे, जनियो नामे तैयारी सभी का हो सकता है। यह इसलिए है क्योंकि एक ही गुरु के पास सभी दर्तों के लिए शिवा पाने के लिए जावेंगे, और वहाँ रहते रहे जैसे उत्तर गुरु का ही अपना पिता भावा समझते थे, और आपस में एक दूसरे का भाई-भाई भावते थे। यह नालना वहाँ तक पहुँच दूर यो छिपने से एक ही भावा-पिता की नालन में विद्यालय करना चाहिए था। वैसे एक ही गुरु के शिष्यों में विद्यालय करना चाहिए था। उसी अनुभव-विपाद भावतों प्रया के प्रतिकूल है। एक ही अध्याध्यम में रहते

हुए शपथी विवाह की चर्चा न चल पड़े, विश्वार्यिणों का ध्यान पढ़ने लिखने में ही लगा रहे, ते गुरु पत्नों की अपनी माता, गुरु पुत्रों को अपनी बहन समझें—इस भावना से इन रुने के लिए सर्वोच्च विशाह को वर्जित ठहराया गया था, इसमें और कोई दूसरा कारण न था।

गुरु का 'कुल' शुद्ध अर्थों में 'कुल' होता था, इसलिए गुरु-कुलों में विद्या दान के माध्य-साध्य भोजन, रुपड़ा, रुद्रा—सभी उद्ध मुक्त होता था, छिसी बात के लिए छिसी प्रकार भी कोस नहीं ली जाती थी। धनी मानी मज्जन गुरुकुलों को गाँव या जायदाद लगा देते थे, समय समय पर दान देते थे, राजा-महाराजा एवं दोष से मदारता करते थे या विश्वार्यी लोग व्यव भित्ता वृत्ति से अपने वधा अपने गुरु का जीवन निर्वाह करते थे। भित्ता-वृत्ति से अर्द्ध भीत्त मागना नहीं था। 'भित्ता' देना प्रत्येक व्यक्ति अपना महान् आपदार मनकृता था। क्षमा भी यर्मा में इस भित्ता-वृत्ति की मुन्द्रता देसी जा सकती है। विश्वार्यी लोग अपने आधम से निरुक्त नहीं हैं। घर की देविया उन की गाह देस्ती भोजन तप्तार फर अपने दुखाड़ों पर सर्वी होती हैं। कभी इसी आध आप एवं विश्वार्यिणों की इन्तजार में सही रहती हैं। विश्वार्यी आने हैं और उन के भित्ता-साध में आगे यद-यद्यपि देविया एवं दूषा अन दासनी जाती है। इस भित्ता को ले जाते वे गुरु के समने रत्न देते हैं—गुरु भी अन महत्त छला है, शिष्य भी महत्त देते हैं। अपने परमें भित्ता से जाते की मनहीं थीं, न ही तो गुरु के परमें भित्ता के तिर जा सकता था। अपने दृश्य में निष्पालिये जो नाट्य रथी—देवीं थीं, उसे एवं अपना पुत्र स्नात हो आया होगा जो छिसी दूसरे दरिजार के दर्जावे पर सहा भित्ता एवं रथा होता था। महायात्र क्षमा सद्वास शास्त्र में जान भी

विद्यार्थियों की शिवा भिक्षा वृत्ति से ही चलती है, इसे 'मधुडी' कहा जाता है। विद्यार्थी किसी भी परिवार में जाता है, 'भवती भिक्षा देहि'—बोलता है, और पर की देवी उसकी मोही में तन्त्रर हृथा भोजन लाफर ढाल देती है।

सब विद्यार्थियों के मिलकर एहने तथा भिक्षा वृत्ति से जीवन-यापन का परिणाम यह होता था कि अमोर-गरीब का भेद विद्यार्थियों में नहीं रहता था। जैसे गरीब का लड़का भिक्षा मांगता था वैसे अमोर का लड़का भी मोही लेफर भिक्षा के लिए जाता था। गुरुल द्वारा समाजवाद की भावना प्रचंक द्वारा के जीवन में क्रियात्मक रूप धारण कर लेती थी। कृष्ण तथा नुदामा का यही गठ वयन होता था और समाज की ऊच-नीच की भावना को समाप्त कर दिया जाता था।

भिक्षा वृत्ति से जीवन-यापन का यह भी परिणाम पार्वतीशिवा-समी थी, दुरेक को प्राप्त हो सकती थी। आज शिवा को वापिद-तथा सर्व-व्यापी बनाने में सबसे बड़ी वादा उत्तम भारी वर्ष है। प्राचीन-काल में शिवा पर कोई व्यव नहीं होता था इसलिए सब कुल लिए शिवा प्राप्त कर सकता सम्भव था।

ऐष्ट व्यष्टवा व्यवाही—

'गुरुल' में जो विद्यार्थी भर्ती होते हैं उन्हें 'मद्दाचारी' कहा जाता था। 'मद्दाचारी' शब्द का अर्थ है, 'मद्दालि चरतीति मद्दाचारी'—जो ब्रह्म में विचरे यह 'मद्दाचारी' है। 'ब्रह्म' का अर्थ है, 'नहतु'। जीवन में द्वारा से यह होने जाना, महानिन से विद्युत देवे जाना, अर्थात् देव को बदाते जाना, आयं ही आप जलने जाना ही 'मद्द-पर्य' है। 'मद्दाचार' के ये विस्तृत अर्थ हैं। इनके संग्रहित अर्थ भी हैं। संग्रहित अर्थों में 'मद्दाचार' का अर्थ है—रीयं रक्षा करना। प्राचीन-काल में पर्वत-रक्षा पर वहाँ इल दिया जाता था। आज

कोई शिक्षणालय विद्यार्थियों को वीर्य रक्षा की शिक्षा नहीं देता, परन्तु गुरुगुल शिळा-प्रणाली में वीर्य रक्षा समस्या अधिक महत्व की पस्त् मममी जाती थी। २४ वर्ष तक वीर्य रक्षा करनेवाला विद्यार्थी 'यसु', २५ वर्ष तक 'वीर्य रक्षा' करनेवाला 'रुद्र', तथा २६ वर्ष तक वीर्य रक्षा करनेवाला 'आदिस्य' ग्राम्यनारी पहाना था।

गुरुगुल में भरती होते समय प्रत्येक ग्राम्यनारी ने 'उपनयन' संसार दाना था। 'उपनयन' का अर्थ है—'गुरुं समोप पदुचना'। शिक्षा क्षय है, गुरु के समीप पदुचना है, उसके अत्यन्त निष्ठ हो जाना है। 'उपनयन' संसार के मन्त्र में लिखा है, 'आवायं उपनयनमाम् ग्राम्यरिण् हुगुन गर्भमत तं रात्रोनित्य इतरं विभक्ति'—अथात् उपनयन संसार करते हुए माना आनन्दी जाता सनसइ ग्राम्यग्रामी को तीन रुप तक अपने गर्भ में धारण करता है। क्या गुरुशिष्य के सम्बन्ध में इसमें ऊँगभी रुद्र विद्य हुमनुहारे। जिससा उपनयन संसार का जाता है उस 'दूत' रुद्र जाता था। 'दूत' का अर्थ है, दूसरी बार पैदा हुआ। पहली बार यह लह मातृपिता से जन्म लेता है, यह शरीर का जन्म है, दूसरी बार गुरुगुल में जाटगुरुओं द्वारा यनाचर उसके गर्भ से जन्म लेता है, यह मानसिक जन्म है, इस जन्म द्वारा यह मनुष्य जनता है। 'उपनयन' संसार प्रत्येक यालह के लिए आवश्यक था। जिससा उपनयन नहीं होता था वह जात च्युत समाज जाता था। इससा यही अभिप्राय हो सकता है कि गुरुज्ञा के युग में प्रत्येक यालह के लिए शिक्षा प्राप्त करने जारी था, जिससा 'उपनयन' संसार नहीं होता था, अपार्वतों शिक्षा प्राप्त नहीं करता था, उसे समाज में वाई रखा थान न था।

इस समय का सपान घार भागों में विभक्त था—जिसे 'पल छुरस्या' कहा जाता था। छुरह, छिर, वैरवतया शुड—ये घार

वर्ण थे। पहले तीन वर्णों के घालकों का 'उपनयन' संस्कार होता था। वीदायन धर्म-सूत्र में लिखा है कि शृङ्क का भी उपनयन किया जाय। मतु तथा यात्रा मत्तु सूत्रमें श्रावण-वैशालीका ८ वर्ष में, शत्रिय के घालक वा ११ वर्ष में, और वैश्य के घालक वा १२ वर्ष में उपनयन संस्कार करने का विधान है। लोगोंकी स्मृति में यह आयु कमरा ७, ८ वर्ष तक है गई है। आपलन्त धर्म-सूत्र में लिखा है कि कोई भी वर्ण हो, अगर 'व्रद्धनचंस' उद्देश्य हो तो ७, 'आयु' उद्देश्य हो तो ८, और अगर 'तेज' अर्थात् शारीरिक-पुष्टि उद्देश्य हो तो ९ वर्ष ही आयु में 'उपनयन' होना चाहिए। जिस व्यक्ति ने शारीरिक-शृदि को मुख्य रूपमा ही उसे शिक्षादेश-प्रारम्भ करनी चाहिए—वही भिन्न भिन्न आयु के विधान का अभिन्न था।

जिनका 'उपनयन' नहीं होता था उन्हें 'साधित्री-परिवर्तित' तथा 'उत्तम' कहा जाता था। ऐसे लोगों के विषय में 'परिवर्तित' प्रयत्नतः—अर्थात् इनसे सदा यचे रहना चाहिए—ऐसा कहा गया है।—यसिप्ति यहि का कथन है कि जिनका 'उपनयन' न हुआ हो उनसे कोई व्यवहार न रहे। एक अन्य स्मृतिग्रन्थ का कथन है कि ऐसों के साथ विद्याइ-सम्बन्ध भी न करे—'अध्यापनं चाजनं च विद्याहादि च वर्गवेत्'। इस सारी कहाँदि का यही अभिशाय है कि भारत की प्राचीन शिक्षा-व्यवस्था में अरिंशित रहने से जोई स्थान ही न था, जो अशिति हो गया उम्रा समाज में ही यहिप्पार हो जाता था। ठीक भी है, जब समाज मन के लिए शिदा दी व्यवस्था लगादे तब अशिति रहने का कोई गाया ही नहीं रह जाता।

पर्वों को सम्मुख रखकर शिक्षा देने का यही अभिशाय था जो जित वर्ष के माता पिता को सम्मान है उसे उस प्रशार ही

शिक्षा में विशेष रुचि हो सकती है, और वह उस दिशा' में प्रवौहा हो सकता है। इसका अभिप्राय यह कभी नहीं था कि एक वर्ण का वालक दूसरे वर्ण की शिक्षा नहीं प्रदान कर सकता था। ग्रन्थिंद (६,११०) का एहु ग्रन्थि रहता है कि मैं कवि हूँ, मेरा पिता भिन्नोंहुँ है, मेरी माता गेहूँ पीसती है, हम नाना भी हैं, भिन्न-भिन्न प्रवृत्तियों के हैं, परन्तु एक ही परिवार के अन्दर हैं। जो किसी प्रसार की शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता था वही शुद्ध बहाता था। शुद्धों के अतिरिक्त उस समय के समाज में दास, दस्तु, अमुर और पिशाच भी थे जो अनार्य कहाते थे। इन अनार्यों को भी समाज में पचा लिया गया था और उन्हें भी वेद विद्या के अध्ययन तथा अन्य वैदिक सम्प्राचार फूरने का पूरा अधिकार था। शुग्रेद (१०-४२-६) में लिखा है 'जना यद्गिन अनयन्त पद्म'—अर्थात् प्राद्युम्ना, घटिय, वैश्य, शुद्ध तथा पाँचवे अनार्य ने अग्नि की परिचर्या की। वैदिक सम्प्रृत में इन अनार्यों को समाज का अन्दर यताने के लिए 'पद्म जन'—इस शब्द से रखा गया। शुग्रेद (६५-६-२०) में अग्नि को 'पद्म जनों' का ग्रन्थि रहा गया है—'अग्निं शुर्पि परमानुः पद्मचजन्य पुरांहितः'। युजुमनेयो सहिता (२६-२) में लिखा है : 'यद्यसा यानं कल्याणी आदरशानी जनेभ्य प्रद्य राजन्याभ्या शुद्धाय चार्यापूज स्याय चारणाय'—अर्थात् येदों के अध्ययन पर सबुकों समान करियाएँ। —

वालों के समान यानिसाओं को भी रिक्षा या पूर्ण अधिकार प्राप्त था। यह मैं रजमान के माथ यजमान पत्नी पूर्ण अधिकार के साथ नाग लेतों पी। शुग्रेद के मन्त्रों के जैसे 'शुर्पि' हैं, वैसे 'शुरियाएँ' भी हैं। रोमया, सोमाया, असाना, रुड़, विभगारा, पोषा, जुहू, गायग्नुहरी, दोलोमी, त्रिता, खद्दा, घमारनी, उर्यसी, रघुद्रा, यमी, इंद्राटी, गणिता, देव जामी, नापा, अरुष्टभाग,

सिफ्टा, निवाचरी तथा गौणग्रन्थ—ने येदों की ज्युपिकार्ड हैं। अर्थवं (११६) में लिखा है: 'ब्रह्मचर्येण कन्या गुरान् विन्दते परिम्'—अर्थात् ब्रह्मचर्य धारण भरके कन्या युवक पति को प्राप्त करती है। इस समय स्त्रियों 'ब्रह्म वादिनी' होती थी, उन्हे ब्रह्म का वस्त्र ही ज्ञान होता था जैसा किसी भी ब्रह्म ज्ञानी को होता है। दानदोष तथा वृद्धारण्यक उपनिषदों में मैत्रेयी का वर्णन आता है। जिस समय याज्ञवल्क्य घर द्वोऽप्तर सन्यास लेने लगे तभी उनका तथा मैत्रेयी का बद्धज्ञान सम्बन्धी वार्तालिपि हआ। जनक की सभा में जय याज्ञवल्क्य ने अपने को सबसे थेसु बद्धवेत्ता पोषित विया तब गार्गी ने उससी परीज्ञाली और याज्ञवल्क्य के विष्णु में अपना निरुप दिया। निरसन्देश यह बद्धवेत्ताओं में सबसे बड़ा चढ़ा है। मंदन मिथ्र की स्त्री ने शशीचार्य से शशीराधि किया था और अपने लैप्र में शशीस्त्रमी का हरा दिया था। इन स्वदृष्टियों से सिद्ध होता है कि प्रचीन भास्त्र में वास्त्रादधा-यात्रिकाओं को शिक्षा समान रूप से दी जाती थी—सिद्धों के लिए फोर प्राप्तिक्षण नहीं था।

गुरु अथवा आचार्य—

शिक्षा देने वाले को 'आचार्य' कहते हैं। 'आचार्य' का अर्थ है, 'आचार प्राह्यतीति आचार्य'—जो आचार विचार चर्चाये। आचार्य का—काम—शास्त्रान्तरेन-के साथ—बद्धचारी के—सशाचार द्वे बनाना भी था। विद्वार्थी को 'छात्र' बहा जाता था। पाणिनी ने 'छात्र' का अवक्षय है, जिसे छात्रा जाय, आल्लादिव दिग्नाय, सप्त प्रश्नार्की सिद्धपाठ्याओं से बचाया जाय। आचार्य का शाम वालक द्वे 'छात्र' लगभग २५, २६ लीय सननवर, उसे सप्त प्रश्नर के पासे से पश्चान्तर होता था। विद्वार्थी को 'कन्तेषामा' भी बद्ध गया है। 'कन्तेषामी' का अर्थ है, जो गुरु के अन्दर बसता है,

उसके हृदय में जा पहुँचे। 'उपनयन' का भी यही अर्थ है—'उप', अर्धांत 'समीप', और 'नयन', अर्धांत 'ले जाना'। आचार्य वालकु फो अपने समीप ले आता है। लभी 'उपनयन' करते हुए वेद ने रहा है कि यह ऐमा समय है जब आचार्य मानो भाग धनकर वालकु को तीन रात तक अपने गर्भ में धारण करता है। इन सवालों से सिद्ध होता है कि प्राचीन भारत में गुरु शिष्य का पिता पुत्र का सा सम्बन्ध होता था।

गुरु के महत्व का वर्णन करते हुए छान्दोग्य (६, १४, १-२) में कहा है—जैसे किसी की आँखों पर पट्टी वापस वर उसे जंगल में छोड़ दिया जाय और वह यस्ता हृदयता किरे, इसी प्रम्यर हम् इस जन्म में अन्धे की तरह रास्ता टटोलते किरते हैं। जिस प्रम्यर यस्ता टटोलने गते ही कोई आकर आँखों से पट्टी उतार दें और उसे ठीक रास्ता यता है इसी प्रकार गुरु इमारी आँखों से अविद्या की पट्टी उतार कर हमें ठीक मार्ग दिखाता है।

उध कोटि के आचार्य अपने-अपने आधमों में रहा करने पे वे अपने पितृय के अगाध विद्वान् होते पे। पिता की स्तोत्र में गिरावृत्त लोग उनके दर्हा पढ़ूनते पे। गुरु को स्तोत्रा जाता था। जो शिष्य गुरु पारण करने आते पे वे हाथ में समिधा लेते हैं आते पे 'समित्पाति' होते पे। समिधा लेने का अभिप्राय यह था कि जैसे वह समिधा सिर्फ़ लट्ठी है, परन्तु आग के स्तर में वह प्रदीप है। उठती है, यैमें शिष्य भी समिधा के समान है, वह गुरु ही पिता के स्तर में अग्नि की भानि प्रदीप होना चाहता है। उपनिषदों में जप-जप भी हिस्ती शिष्य के गुरु के पास अप्पन के लिए जाने का बताना आया है, साप साप वह भी लिया है। वह शप्त में समिधा लेते हैं गया। एक ही समय में शिष्य विन्द्वन विन्द्वन रिये को विस्त्रित गृह्णाओं में रहते हैं—जो तिम तुरु-

महावाहोता था उच्ची से बह विषय पढ़ते थे, कहीं कहीं अगर कोई गुरु दूर-दूर रहते थे तो शिष्य एक विषय का अन्यतर उन्नास कर फिर दूसरे विषय के लिए दूरते गुरु के पास जाने चाहते थे।

यह आवश्यक नहीं था कि शिष्य एक ही गुरु के शत् नियध्ययन करता रहे। गोप्य ब्राह्मण (१-१-३१) में मौद्गल्य द्वय नवेय—इन दो गुरुओं का संवाद आता है। नवेय को जब उनुभव हो गया कि मौद्गल्य उससे अधिक विद्यन् है तो उसने अपनी पाठशाला बन्द कर दी, और जब तक स्वयं उस विषय में मौद्गल्य के समान परिषड़त नहीं हो गया तब तक अपनी पाठशाला चलाने का नाम तक न लिया।

उन दिनों में आबक्षण की तरह पुस्तकों नहीं थीं, पुस्तकालय नहीं थे, सम्पूर्ण विद्या गुरु के मस्तिष्क में रहती थी। इसमें यह लाभ भी था कि कोई पुस्तकालयों को जलाकर सम्पूर्ण विद्या का नाश नहीं कर सकता था। नेवस मूलर ने लिखा है कि यदि भारती कोई संस्कृत विद्या के सभ मन्यों को नष्ट-भ्रष्ट कर दे तो भारत के थोकियों के मस्तिष्क में उन सभ मन्यों को फिर से रखना जो जा सकती है। विद्या यो सुरक्षित रखने के लिए 'गुरुशिष्य-परम्परा' बनी हुई थी। प्राचीन मन्यों में इस परम्परा का उद्देश्य—उनमें लिखा है कि इस गुरु से इस शिष्य ने विद्या को सुरक्षित रखा। प्रत्येक अचार्य अपना कर्तव्य सनन्दा था कि प्राचीन वाल से आ रहे विद्या स्वीय धन को देश देश जाति के लिए सुरक्षित रखे। इसीलिए जहाँ शिष्य गुरु की वल्लभा किया रखते थे वहाँ गुरु भी योग्य शिष्यों की तलाश में रहते थे। तैत्तिरीय उपनिषद् (१-४-३) में लिखा है कि जैसे जानी नीचे दो पहाड़ हैं, जैसे भासि मध्यस्तर के पीछे भाग नहीं है, वैसे उन्हें अचार्य नार दें।

जैसे प्राक्षण, शक्रिय, पैश्य तथा गुद्र—ये चार 'वर्ण' थे, जैसे प्रत्यन्यर्य, गृहस्य, यानप्रस्थ तथा सन्यास—ये चार 'आधम' थे। मुख्य तीर पर प्राक्षण तथा शक्रिय जय यानप्रस्थ आधम में जाने थे तब शिशुक का पार्य रहते थे। प्रत्येक शहर के इंड-गिर्ड यानप्रस्थ आधम हुआ बरते थे। उष से उष कोटि के विद्वान् गृहस्थ पूण कर, यानप्रस्थ प्रहण फरते थे, और ये यानप्रस्थी समाज के निशुल्क शिशुक का काम करते थे। क्योंकि गृहस्थ-आधम में रहते हुए ये उष में-उष अनुभव प्राप्त कर चुके होते थे अतः देश के नव-गुप्तों को ये अपने परिपक्ष अनुभव से शिक्षा देते थे। मुख्य तीर पर तो यानप्रस्थियों के हाथ में ही शिक्षा का पार्य था, परन्तु गृहस्थी प्राक्षणों तथा शक्रियों के लिए शिक्षुक का काम करना यजित न पा। प्राक्षण-गुरुओं का यर्णन तो जहौंतहौं पाया ही जाता है, उपनिषदों में शक्रिय-गुरुओं का भी पर्णन मिलता है। यह नहीं कि शक्रिय-गुरु लाप विद्या का ही उपदेश देते थे, ऐसे-ऐसे शक्रिय गुरु भी विद्यमान ये जो राज माज के साप-साप प्रग-पिण्डा का भी उपदेश देते थे। रातपव प्राक्षण (११.६.२.१) में पिरै-राज जनक का पर्णन आता है। उसने स्वेतदेतु आहुण्य तथा याश्चयल्य से अग्निहोत्र की विधि के सम्बन्ध में प्रश्न दिया जिसमें उच्चर घेयल याश्चयल्य से देते यना और यह भी अभूय। इस पर जनक ने उन्हें अग्निहोत्र की यत्नविधि का उपदेश दिया। कीर्तीवर्षी उपनिषद् (४.१) में गार्य यालाकी प्राक्षण को पारिएग अजातशत्रु न चुप करा दिया और यह प्राप्त हाथ में समिधा लेहर अजातशत्रु के पास विदा प्रदल करने के लिए प्रस्तुत हो गया। पृष्ठारण्यक (३.१) में भी इसी दृत यालाकी की क्षया आती है। इसे दृत उम्लिए रक्षा गया है क्योंकि इसे अवर्ती पिण्डा का पदा प्रदद पा। पृष्ठारण्यक (५.१.१) में पा गल देरा के

राजा प्रव्याहरण जैवली का वर्णन आता है जिसमें खेतकेनु ने आरुण्य तथा उसके पिता को ब्रह्मज्ञान दिया। छान्दोग्य (५-११) में अश्वपति कैर्केय के पास पौच ब्रह्मण 'वैश्वानर' की शिल्पा लेने आये—ऐसा वर्णन पाया जाता है।

अध्यापन का विषय—

ब्रह्मचारी का जब 'उपतयन' सत्सार होता था तब वह अस्त्यन्त साधारण वेश धारण करता था। शरीर पर चर्म—'अजिन'; नीचे के भाग में सन आदि का 'वास'; हाथ में 'दड़'; कमर में 'मेठला'; घाती पर 'यद्धोपवीत'। सिर के बाल, शिला को छोड़दूर, या तो सब मुँड़वाने होते थे, या सब बाल रखने होते थे। बड़े होने पर 'झीर कृत्य चर्जय'—सिर या दाढ़ी-मूँछ के बाल मुँड़ाने की मनाही थी। आचार्य पूढ़ता था—'कस्य ब्रह्मचारी असि'—'तू इस द्वा ब्रह्मचारी है?'। शिष्य कहता था—'तव'—'आपका'। 'उपतयन' ही चुकने के बाद आचार्य उसका 'यद्वारम्भ' सत्सार बरता था। आश्वल गृह सत्र (१-६३-२) के अनुसार शिष्य को सम्बोधन करके कहा जाता था, 'ऐ धुलठ ! तू आज से ब्रह्मचारी है, जल की प्रभूत मात्रा पिया कर, पान में लगा रुद, निठला कभी मत फिर, दिन दा कभी मत सोजा, आचार्य के आधीन रहना पिशाच्यन करना, वारह वर्ष पर्यन्त एक-एक वेद रा अध्ययन करना और ब्रह्मचर्य धारण करना, आचार्य की धम-युक्त आज्ञा का पालन करना, अपमें युक्त आज्ञा का पालन मत करना, कोष और गृह छोड़ देना, मैंदून से दूर रहना, गंडला पर मन सोजा, गाना-यजना नाचना गन्ध माला मुरमा लगाना आदि ठीक नहीं; अति स्नान, अति भोजन, अति निद्रा, अति नागरण—निन्दा-लाभ सोह नय शोह दोह देना, गवि के पिंडसे पट्टन उठ जाना और आवरण रोच, दम्भ भारन, म्नान, मन्ध्यो

पासन, ईश्वर मुति, प्रार्थना, उपामना और योगभ्यास किया करना, उस्तुर मत लगवाना, माँस, रुख सूखा अथवा तथा मद्यादि का मेयन न करना; बैल, घोड़ा, ऊँट आदि की भवारी न करना; प्राप्ति के भीतर मत रहना, जूता-द्वाता न रखना, लघुशाद्वा के विना इन्द्रिय का सर्वा न करना; वीर्य रक्षा करके उर्ध्व-रेता बनना और वीर्य को शरीर म रखना, अद्वा में तेल मलना आदि छोड़ देना, अति-अम्ल, अति-तित्ता, अति-कषाय, शार तथा रेचन द्रव्यों का मेयन न करना, युक्त आहार विहार में रहना, रिति के परण म लगे रहना, मुशील बनना, घोड़ा योलना, सन्ध्य बनने का प्रयत्न करना, मेयला और दण्ड का धारण करना, भित्ति में निर्याह करना, अग्निहोत्र, म्नान, मन्त्र्या, आचार्य का आक्षारारी, प्रात साय आचार्य को उपभोक्ता करने पाला बनना—ये तेरे नित्य के पर्म हैं।

‘इस उपदेश में स्पष्ट है’ जाता है कि चरित्र वा निर्माण अभ्यासन का आवश्यक विषय था। व्रजचारी की सम्पूर्ण दिन-पर्याएँ ऐसी घनाई गई थी जिसमें क्षण क्षण में उम्हे आचार का निर्माण होता था। परन्तु इससा यह अभिप्राय नहीं कि पुस्तक पाठ की तरफ कोई ज्ञान नहीं दिया जाता था। मुख्य उपनिषद् में शौनक का यग्नन मिलता है जिसके अनुसार यह आग्नेय आचार्य के पाम गया और रक्षा की में चारों देशों, द्वन्द्व, कल्प, निकृत, शिरो को पढ़ चुका हू—मुझे ‘अपरा’-वित्ता वा शान्त है, ‘परा’ वित्ता य नहीं। मूल नीतिक विद्याओं को ‘अपरा’ वित्ता कहा जाता था, आत्म वित्ता को ‘परा’ वित्ता कहा जाता था। द्वादशोंमध्य उपनिषद् (३-१) में लिखा है कि न्याय आचार्य मन कुमार के पाम गये, और उनमें पदा कि मैं गणेश, शुभ्रांड, सामवेद, ऋथर्ववेद, पांखोंवेद इतिहास पुराण

वेदों के वेद (जिससे वेद स्फुट हो जाते हैं), पित्र्य (शुधूपा-विद्यान), राशि (गणित), दैव-विद्या (उत्पत्ति-विद्यान), निधि-शास्त्र (अर्थ-शास्त्र), वाक्योवाक्य (तक्षशास्त्र), एत्यवन (नीति शास्त्र), देव-विद्या (निरुद्ग), ब्रह्म-विद्या, भूत विद्या (भौतिकी, रसायन, प्राणी-शास्त्र), ज्ञान विद्या (धनुर्विद्या), नक्षत्र विद्या (ज्योतिःप), सर्प-विद्या (विष ज्ञान), देव-जन विद्या (ललित-कला) को एक चुम्बक हूँ। मैं 'मन्त्र विन्' हूँ, 'आत्म विन्' नहीं हूँ ! 'अपरा विद्या' तथा 'मन्त्र विद्या' का एक ही अर्थ है; 'परा-विद्या' तथा 'आत्म-विद्या' का एक ही अर्थ है। प्राचीन भारत में सभी विद्याएं पढ़ायी जाती थीं, परन्तु क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य 'भुक्ति' समझ जाता था, इसलिए प्रत्येक व्याकुंठ की इच्छा 'अपरा' अथवा 'मन्त्र'-विद्या पढ़ने के बाड़ 'परा' अथवा 'आत्म'-विद्या पढ़ने की होती थी, और सभा गुरु वटी समझ जाता था जो 'अपरा' तथा 'परा', 'मन्त्र-विद्या' तथा 'आत्म-विद्या', भौतिक विद्यान तथा आत्म-ज्ञान दोनों का ज्ञान दे सकता था।

यद्यपि उस समय अपने-अपने विद्यरों के विशेष विद्यों द्वारा होते थे तो भी सब्यूर्ण-ज्ञान द्वारा एक असंबंध ज्ञान समझ जाता था। व्याकरण के ज्ञाता को ज्योतिःप तथा वैदिक वा जाज भी होता था, ज्योतिःपी को व्याकरण, नायन, चांद्रव, वैदिक आदि य ज्ञान होता था। यही कारण है कि प्राचीन प्रणाली के पुढ़ित प्रायः सभी खुद जानते थे। ये व्याकरण वडा सहते थे, परन्तु साप-ही चप चांद्रिःप तथा आयुर्वेद-भी-पड़ा-सहते थे। सर विषय पड़ा सहने के माध्य-साध थे किसी एक विषय के विशेष ज्ञान भी होते थे। तच-चाला विश्व-विद्यालय में पाणिनी, चालाक्य तथा जीवक ने शिक्षा ज्ञान की थी। पाणिनी व्याकरण के, चालाक्य पञ्चांशीवि के, और जीवक वैदिक के विशेष-विद्यात् विद्वान् दुष्टे, परन्तु उन-

मर में विशेषता यह थी कि पागिनी व्याघरण के माथ सब राजनीति भी जानते थे, चालुस्य राजनीति के माथ-माथ व्याघरण भी जानते थे, और जीवक आयुर्वेद के माथ माथ अन्य शास्त्रों के भी छाता थे।

शिक्षा ममाप इर चुरुने पर आचार्य द्वा दीक्षान्त भाषण (Convocation address) होता था जिसमें प्रान होता है कि आचार्य द्विन बातों पर शिक्षा के लिए आवश्यक समझते थे। एहे दीक्षान्त-भाषण का नमूना त्रिनिरीयोपनिषद् (११, १-४) में पाया जाता है। गुरुगुल छोड़ते हुए शिष्य सो मम्बोधन पर आचार्य कहता है—सत्य बोलना। धर्म आचरण सरना। आध्यात्म में प्रमाद मत करना। आचार्य को जो प्रिय हो वह दक्षिणा रूप में उसे देसर पद्मचर्याध्रम के अनन्तर गृहभ्याध्रम में प्रवेश सरना और प्रजा के सूत्र को मत तोड़ना। सत्य बोलने से प्रमाद मत सरना, धर्मचरण से प्रमाद मत करना, जिस बात में तुम्हारा भला हो उसमें प्रमाद मत करना, अपनी विभूति यद्वाने से प्रमाद मत करना, व्याख्याय और प्रत्यय में प्रमाद मत करना। संसार में जो 'देव' है, तुम में गुणों में यदे चढ़े हैं, और जो 'पितर' है, तुम में आगु में यदे हैं, उनके प्रति अपने कर्तव्य के पालन में प्रमाद मत करना। माता को देवी समझना, पिता, आचार्य, अतिथि—इन्हें देव मानना। हमारे जो अनिन्दित कर्म हैं उन्हीं का संपन्न करना, दूसरों का नहीं; जो हमारे मुचरित हैं, उन्हीं को उपास्य मममल्य, दूसरों को नहीं। हममें प्रेषु पिदान् जहाँ येटे हों यहा उनके उपदेश को ध्यान में मुनना, याद पियाद में मत पहन्च। धदा से देना, अधदा से भी देना, अपनी बदतों भी मम्पत्ति में में देना, भी न यदे थी हो तो नी कोडलाज से देना, भय से देना, प्रेम में भी देना। पेस्त दरवे दूर भी अगर छिसी बात में उन्देह उत्पन्न हो

जाय, यह समझ न पड़े कि 'धर्मचार' क्या है, अपना विस्त्रिति में कैसे वर्णना है, 'लोकचार' क्या है, वह सन्देह खड़ा हो जाय, तो तुम्हारे आस-गास के धर्म-कार्य में स्वतं प्रवृत्त, प्रेरणावश प्रवृत्त, विना रूखे स्वभाव के, सन पहलुओं पर विचार फरते वाले ब्राह्मण जैसे वर्ते वैसे वरदन। 'विग्रह स्पद' विषयों में भी युक्त, आयुक्त, अरुक्त, धर्म-साम, नंदर्णी ब्राह्मणों के पांछ ही चलना। यही आदेश है, यही उपदेश है, यही वेद और उपनिषद् सा स्मार है, यही हमारा अनुशासन है, ऐसा ही आचरण फरना, ऐसा ही अनुष्ठान करना।

'ब्राह्म' तथा 'वीक्षान्त मस्कार' के समय आचार्य के जिन दो भाषणों का हमने उल्लेख किया उनमें उस समय के-अध्यायन के विषयों पर पर्याप्त प्रशंश पढ़ जाता है।

ब्रह्मायन की चर्चा—

तीक्ष्णीय उपनिषद् (११, -) द्वाष्टातम् 'रित्ता' अथवा ने होता है। उसमें लिखा है कि रित्ता 'शब्दों' द्वारा दो जातो हैं, शब्दों का निर्माण 'दण्डों' से होता है। अथा-इडं तथा क-त्वग ए आदि 'दण्ड' हैं। यण्डों के ज्ञान के बाद स्वरूप अवान् उचारण् या झान आवश्यक है। कौन सा दण्ड कैसे बोला जाता है—इसका ज्ञान स्वरूप ज्ञान है। इडं उल्लङ्घन 'स' का 'क' और 'न' को 'ट' बोलने लगते हैं। उनका 'भूर' ठोक नहीं होता। जैसे 'युर' का ज्ञान पराना आवश्यक है, जैसे 'स्वर' या ज्ञान-घण्ठा भी उठना हो आवश्यक है। 'वर्ण' तथा 'स्मर' के ज्ञान के बाद 'वाचा' या ज्ञान क्या जाता है। दस्य, दीर्घ, प्रज्ञुव—इन नामाञ्चों का ज्ञान शब्दों चारण् में सहृदय है। कई बालक दम्भ की जगह दीर्घ और दीर्घ या जगह दस्य मात्रा या प्रयोग कर रहे हैं। परं, पर, मात्रा के बाद मात्राओं का 'वर्ज' जानना आवश्यक है।

सभूत के ज्ञान में मात्राओं का अपना-अपना बल है। 'आ' की मात्रा रा बल शब्द को स्वीं लिंगी बना देता है, 'थो' रा बल एक वस्तु को दो बना देता है, 'आ' का बल एक को अनेक बना देता है। इसके बाद शब्द ज्ञान में 'साम'—अर्थात्, समता से उच्चारण करना आना चाहिए, बोलने का ढग आना चाहिये। यह, स्वर, मात्रा, बल और साम के ज्ञान के अनन्तर शब्दों पर 'सन्तान' प्रारम्भ हो जाता है, शब्दों से वाक्य, वाक्यों से प्रयत्न जाते हैं, यही शब्दों का 'संतान'—फैलाय—है। इस प्रशार वर्णों से प्रारम्भ करके यहाँ की मतान तक पहुँचने में ही सब 'शिक्षा' मुमा जाती है। यह तीत्तरीय उपनिषद् का शिक्षा अध्याय है।

'शब्द' और 'अर्थ' का आपस का सम्बन्ध कैसा है? कई लोग कहते थे कि 'शब्द' और 'अर्थ' का नित्य-सम्बन्ध है, कई कहते थे कि इन दोनों का कल्पित सम्बन्ध है, माना हुआ सम्बन्ध है। नित्य सम्बन्ध मानने वाले कहते थे कि 'घट' का अर्थ घड़ा ही हो सकता है, दूसरा कोई अर्थ नहीं; प्रनित्य सम्बन्ध मानने वालों पर कहना या कि 'घट' का हमने घड़े से सम्बन्ध जोड़ रखा है इसलिए 'घट' कहने से घड़ा अर्थ लिया जाता है, अगर कोई दूसरा अर्थ जोड़ लिया जाय तो यह अर्थ लिया जाय। ऐत्याहुरणी 'शब्द' और 'अर्थ' का नित्य सम्बन्ध मानते थे; नैद्याविद् इन दोनों का अनित्य, अपात्, कल्पित सम्बन्ध मानते थे। आज छल जो 'प्रत्यय सम्बन्ध-यादी' (Associationists) कहे जाते हैं वे प्राचीन भारत के नैद्याविदों की तरह 'शब्द' और 'अर्थ' के सम्बन्ध को मानने वाले ही समझने चाहिएं।

तो क्यि 'ज्ञान' क्या है? जैसा हमने देखा, ज्ञान वो 'शब्द' और 'अर्थ' का कल्पित सम्बन्ध है। 'ज्ञान' तक पहुँचने पर उर्दीश्य क्या है?

प्राचीन शिक्षा शास्त्री 'ज्ञान' तक पहुँचने के पाँच क्रम बतलाते थे—प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय तथा निगमन—इन्हें ज्ञान के 'पचाववय' कहा जाता था। इन पाँचों का क्या अर्थ है?

इमने पढ़ाइ पर धुश्रों देखा और उसे देखते ही कह दिया—'पढ़ाइ पर आग लगी है'। इस प्रकार पढ़ाइ पर धुश्रों देखकर मठ-से कह देना कि वहाँ आग लगी है, 'प्रतिज्ञा' कहता है।

परन्तु प्रश्न होता है कि इम क्यों नामे कि पढ़ाइ पर आग है, इस में 'हेतु' क्या है? पढ़ाइ पर धुश्रों देख फर यह कह देना कि वहाँ आग लगी है, पर्याप्त नहीं है। इमे अपने कथन की पुष्टि में रुक्ना होगा कि वहाँ आग है 'क्योंकि वहाँ धुश्रों दीख रहा है'! यही 'हेतु' है।

परन्तु धुश्रों दीख रहा है तो क्या हुआ? इस 'हेतु' की पुष्टि में इमे कोई दृष्टात भी देना होगा। इसलिए इम रहते हैं, 'जैसे रसोई में धुश्रों होता है और धुए के साथ आग होती है, इसी प्रकार क्योंकि पढ़ाइ पर धुश्रों दिखाई दे रहा है, अतः वहाँ पर भी आग अवश्य है।' इसी को 'उदाहरण' कहते हैं।

उदाहरण देकर सिद्धान्त निघल लेने के बाद यह सिद्धान्त सब जगह लागू हो सकता है—यह सिद्ध रखना आवश्यक है। जहाँ-जहाँ धुश्रों होता है वहाँ-वहाँ आग होती है—इस प्रकार अपने कथन की सत्यता सिद्ध करने को 'उपनय' कहते हैं।

• 'उपनय' के बाद, अर्थात् ऐसा 'सिद्धान्त' निघल लेने के बाद सामने की घटना पर उसे लागू करते दिखाने को 'निगमन' कहते हैं। जहाँ-जहाँ धुश्रों होता है वहाँ-वहाँ आग होती है, सामने पढ़ाइ पर धुश्रों है अतः वहाँ भी आग अवश्य है—इस प्रकार अपने कथन को पढ़ा कर दिया देना 'निगमन' है।

प्रा रीन भारतीय शिक्षा शास्त्रियों की सिद्धान्ते की यही पद्धति थी। इस पद्धति ने दो भाग किए जा सकते हैं। पहले को 'व्याप्रिपूर्वक अनुमान' (Deductive Method) कहा जा सकता है, दूसरे को 'इष्टान्त पूर्वक अनुमान' (Inductive Method) कहा जा सकता है। 'व्याप्रिपूर्वक अनुमान' (Deductive Method) में हम पहले एक संय का प्रतिपादन कर देते हैं, एक व्याप्रि थो, एक नियम को, एक सिद्धान्त थो वह देते हैं, और इष्टान्त देखर उससी पुष्टि करते हैं। 'इष्टान्त पूर्वक अनुमान' में हम पहले अनेक इष्टान्तों का संग्रह कर देते हैं, और उसके पार व्याप्रि को, नियम को, सिद्धान्त को निशालते हैं। प्राचीन 'शास्त्र-पद्धति' में 'व्याप्रिपूर्वक अनुमान' अथवा 'नियमन' (Deductive Method) और 'इष्टान्त पूर्वक अनुमान' अथवा 'आगमन' (Inductive Method) दोनों दो प्रयोग होता था। प्रतिष्ठा, देतु, उदाहरण में 'व्याप्रि पूर्वक अनुमान' (Deduction) है, और उदाहरण, उपर्य, नियमन में 'इष्टान्त पूर्वक अनुमान' (Induction) है। 'पचास वर्ष' की इसी पद्धति को आज फल इर्पिंट के 'पच सोशन' (Five Steps of Herbart) कहा जाता है।

शिक्षा में 'व्यान' की द्वितीय आवश्यकता है, इसे पूरी तरह समझ जाता था। शिक्षा के तीन आवश्यक घंटा थे—'ध्यय', 'मनन' तथा 'निर्दि-ग्रस्त'। 'ध्यय' गुरु भगुनने गा नाम था, परन्तु मुनना पर्याप्त न था। मुनना के पार 'स्याभ्याय' की प्राप्त्या प्राप्त्य हो जाती थी। 'स्याभ्याय' दो अर्थ है, स्वयं अभ्याय करना। गुरु दो अन तो हिष्प म किया रीतिता उपस कर देता है। उस के पार शिक्षा की सम्पूर्ण प्रक्रिया रिष्प को सदृश करनी होती थी। दूसी 'स्याभ्याय' की प्रक्रिया 'मनन' तथा 'निर्दिभ्यासन' के रूप म होती थी। शिष्प पहुँचे दूसरे पर 'मनन' करता था, पहुँचे के पार

गुढ़ता था, और गुढ़ने के बाद पड़े हुए में एक रूप हो जाता था, इसी को 'निर्दिष्यासन' कहते थे।

पढ़ाते हुए गुरु कथा कथानको सा भरपूर प्रयोग करता था। अगर कहा जाय कि कथानकों द्वारा शिक्षा देना भारतीय प्रणाली थी तो भी कोई अत्युक्ति न होगी। कथानकों के साथ अलंसारों का प्रयोग भी प्रचुरता से होता था। कठोपनिषद् में नचिकेता के कथानक द्वारा व्याख्या-विद्या का अत्यन्त मनोहर उपदेश दिया गया है।

प्रायः प्रश्नोत्तर द्वारा गुरु शिष्य को पढ़ाता था। शिष्य प्रश्न करता था, गुरु उत्तर देता था। गीता तो सम्पूर्ण ही अजुर्न के प्रश्नों के उत्तर में वही गई है। प्रश्नोपनिषद् में भी प्रश्न हैं, और उत्तर हैं। तैत्तिरीय-ब्राह्मण में प्रश्न-कर्ता को 'प्रश्निन्' कहा गया है, चीर में ही प्रश्न फरने वाले को 'अभि-प्रश्निन्' कहा गया है, उत्तर देने वाले को 'प्रश्न विवाह्' कहा गया है। प्रश्नोत्तरी द्वारा छिसी यत को समझने के तरीके को 'वाकोपाक्य' कहा जाता था। प्रश्नोत्तर द्वारा ज्ञान प्राप्त फरने की सुरुहत के नाम से जो पद्धति प्रचलित है वही प्राचीन भारतीय शिक्षा शास्त्रियों द्वी पद्धति थी। कभी-कभी गुरु इशाय माय कर देते थे, और शिष्य से आशा रखते थे कि यह अपनी बुद्धि से तत्त्व तक पहुँच जाए। तैत्तिरीय उपनिषद् की भृगु-यल्ली में यस्तु अपने पुत्र भृगु को प्रष्ठ य उपदेश देते हुए कहता है, अन्न, प्राण, चक्षु, धोत्र, मन, यात्ती—जिससे ये उत्तमन दोते हैं, उत्तमन होने के बाद जिससे ये जीवित रहते हैं, जिसमें पिण्डीन हो जाते हैं, वही 'प्रष्ठ' है। फिर धीरे-धीरे अपने प्रयत्न में यह जानता गया कि अन्न प्रष्ठ नहीं है, प्राण, चक्षु, धोत्र आदि भी प्रष्ठ नहीं हैं। उयों इयों भृगु यक करता गया,

भिन्न-भिन्न वातां पर चिचार करता गया, त्यों त्यों उसकी अपनी अतिंगतुलती गई।

शिक्षा में परीक्षणात्मक पद्धति को विशेष स्थान था। द्वान्द्वोग्य में आचार्य अपने शिष्य श्वेतसेनु को प्रहते हैं कि वट वृक्ष का एक फल लाओ। इमें काट दालो, देसो, मग्या देसने हो ? बीज ! बीजों को कोइ ढालो, पिर क्या देसते हो ? कुछ नहीं ! आचार्य ने कहा, इसी 'कुछ नहीं' में इतना विशाल वट का वृक्ष छिपा हुआ है। तीन बार इसी प्रश्नार परीक्षण को दोहरा कर आचार्य ने शिष्य को मध्य की महान् सत्ता की शिक्षा दी है।

द्वान्द्वोग्य (६) में श्वेतसेनु को उसके पिता ने यह बतलाना चाहा कि अन्न पर ही प्राण निर्भर है। श्वेतसेनु को १२ दिन तक निरहार रहने को कहा गया, सिक पनी पीने की आदायी। १५ दिन के बाद उसे घेद-मन्थ दोहराने दो कहा गया। श्वेतसेनु ने कहा कि मुझे कुछ स्मरण नहीं आता। पिर आचार्य ने उसे कुछ खा लेने को कहा। कुछ दौर के बाद उसे सब स्मरण होने लगा। इस प्रश्नार परीक्षण करके किसी तत्त्व तक पहुँचना उन आचार्यों की पद्धति थी।

सबसे अधिक महत्व सी यात यह है कि शिक्षा को एक उपयोगी कौशल (Craft) के साथ जोड़ दिया गया था। उस समय की परिवर्ति में गो को जीवन के लिए अत्यन्त उपयोगी माना गया था। शिष्य रा विद्यान्यास करने हुए गो की सेवा करना मुख्य कार्य था। आज इसके निम्नमें खेलों से विद्यार्थी को यह लाभ नहीं हो सकता जो उस समय के विद्यार्थी को गो सेवा से होता था। द्वान्द्वोग्य में सत्यम् जापाल की महानी आती है। उसमें लिखा है कि गुरु ने उसे ५०० मीठे दी, और जग्मति में भेज दिया।

जब वे १००० हो गईं तब वह लेटफर आया, और तब तक वह संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर चुका था। बृहदारण्यक में याज्ञवल्क्य के विषय में लिखा है कि जनक की सभा से वह १००० गीओ को अपने शिष्य द्वारा हँकड़ा बर से गया। इस प्रकार भारत के प्राचीन शिक्षा विद्या वर्तमान शिक्षा शास्त्रियों की तरह विसी कौशल (Craft) को शिक्षा के साथ जोड़ना आवश्यक समझते थे। नो-सेवा का तो इतना महत्व है कि यदि आज भी इसे शिक्षा के साथ जोड़ दिया जाय तो विद्यार्थियों को हृनि के स्थान में लाभ होने की ही संभावना है।

२७

बौद्ध-काल में शिक्षा

(EDUCATION IN BUDHIST PERIOD)

पुढ़ भगवा म से एह था—

आध्यात्म-काल के बाद भारतीय शिक्षा के इतिहास में बौद्ध-काल आता है। उपनिषदों में जगह जगह संसार की नश्वरता पा यर्णन मिलता है। जगत् मिथ्या है, आत्मा ही भूत्य है। इसमें परिणाम यह दुश्चा कि भारत में रथान स्थान पर संसार को मिथ्या घोषित करने पाली टोलिया फिरने लगी। युद्ध से पहले के भारत-समाज में संसार को मिथ्या घोषित करने वाले पर्म प्रचारकों के मुख्य तीर पर दो भाग थे—‘आध्यात्म’ तथा ‘धर्मण’। ‘आध्यात्म’ गृहस्थी होते थे, ‘धर्मण’ पानप्रस्थी अथवा सन्यासी होते थे।

‘आध्यात्म’ में युद्ध के समय ६ आध्यात्म संघसे प्रसिद्ध थे—पूरण कस्सप, मस्त्राली गोशाल, अजित वेशारम्पाली, पकुञ्ज कन्द्रायन, सज्जन देलस्थितुपुत्र और नगत्य नागपुत्र। इनमें से प्रत्येक अपने दार्शनिक विचारों के लिए प्रसिद्ध था। इनके सैद्धांतिक शिष्य थे। ये आचार्य अपनी शिष्य-मठकों के साप भारतीय सभ्यता के चंडे-पड़े चंड्रों के धर्मण करते किरते थे, और अपने विचार को जगह-जगह फैलाते कियाते थे। छिर पर जटा-जूट, रारीट पर चर्चे धारण किये वे तथा इन के शिष्य धर्मण के कोने कोने में संसार के मिथ्या होने वा जन्म संटमे जगह-जगह धर्मण रखते थे।

ब्राह्मणों के अतिरिक्त 'अमण्डो' के चार भेद थे—मगगिन (सत्य मार्ग को जीतने वाले), मगगदेशी (सत्यमार्ग का उपदेश देने वाले), मगजीवी (सत्य मार्ग के उपदेश से जीवित उपार्जन करने वाले) तथा मन्ग दूषी (सत्य मार्ग को दूषित करने वाले)। इन अमण्डों का आदेश में वाद विवाद होता था, उनके छह अवान्तर भेद बन गये थे, और बुद्ध के समय अमण्डों के ६३ भेद थे जिन्हे 'हृषि' (Point of view) का नाम दिया जाता था।

प्रतीत्य-समुत्पाद तथा अविद्या का लाग—

'ब्राह्मणों' तथा 'अमण्डो' एव इनके अवान्तर सम्बद्धों में समय समय पर आद विवाद होता था। मल्लिकर्ण नाम की यानी ने इनके विवाद के लिये अपने यहा एक विशाल भवन बनवाया था जिसमें घूमते फिरते 'ब्राह्मण' तथा 'अमण्ड' आकर परस्पर शास्त्रार्थ करते थे। बुद्ध इन्हीं अमण्डों में से एक अमण्ड था। उसने भी अन्य ब्राह्मणों द्वारा अमण्डों के समान शास्त्रार्थ किये थे और अन्त में निर्दि सिद्धान्त को स्थिर किया, उसका नाम 'प्रतीत्य-समुत्पाद' रहा। 'प्रतीत्य समुत्पाद' का अर्थ है सभार में फिस 'कारण' से खोन 'झर्न' उत्पन्न होता है, इसे पता लगाते लगाते अन्त में 'कार्य कारण' के पूरे चक्र का पता लगा लेना, और उसमें से निर्दिकर तुक्त हो जाना। बुद्ध का कथन था कि समार द्वा प्रारम्भ 'अविद्या' से होता है। 'अविद्या' से 'उर्म', 'सम्भार', 'पिज्जान', 'नाम स्वप्न', 'पठायतन' (द्वा शन्द्रिया), 'स्वर्ण', 'वेदना', 'तृष्णा', 'उपादान', 'नद', 'जाति', 'जग्ह', 'मरण', 'शोषण', 'परिवर्तना', 'दुःख' तथा 'दुर्मनस्ता'—ये क्रमशः उत्पन्न होते हैं। दुःख का नाश रखना होतो पहले अविद्या का नाश रखना आपरत्र है, अविद्या के नाश में क्रमशः दमर्ही खोयो का नाश उत्तरोत्तर होता चलता जायगा।

अगर अविद्या भ ही स्थृत, दुःख है, तो अविद्या द्वा नाश

करना आवश्यक दे । इसी उद्देश्य से बुद्ध ने 'संघ' की स्थापना की । संघ का उद्देश्य ही अविद्या का नाश कर व्यक्ति को 'निर्वाण' दिलाना था, इसलिए बीदू-भाल का सब का इतिहास ही उस समय की 'शिक्षा' का इतिहास दे ।

प्रत्येक—

जैसे आद्वाण भाल में 'उपनयन'-सम्मार होता था वैसे बीदू भाल में 'उपनयन' के स्थान में 'प्रग्रहण' सम्मार होता था । जो भी संघ में प्रविष्ट होना चाहे उसको 'प्रग्रहण' आवश्यक थी । प्रग्रहण के द्वारा किसी भी दूसरे संघ का 'आद्वाण' अथवा 'धर्मण' संघ में प्रविष्ट हो सकता था । प्रवेश के समय कम में कम 'आगु' एवं 'र्प' की थी, अधिक कितनी भी हो सकती थी । यही आगु के लोग भी सब में प्रविष्ट हो सकते थे, दोटी आगु के प्रधानारा के तीर प्रविष्ट होते थे । आधार भूत विचार यह था कि जो 'प्रग्रहण' ले रहा है वह पर को सहा के लिए छोड़ रहा है । आद्वाण काल में जो प्रद्वचारी बनता था वह पर को ता छाड़ता था परन्तु विषा प्रदण करने के बाद पर में लौट आता था, सर्व जो व्यक्ति 'नैषिक प्रद्वचारी' होना चाहता था वही पर को सहा के लिए छोड़ता था । बीदू-भाल में 'प्रग्रहण' प्रदण करना ही पर को सहा के लिए छोड़ देना था ।

'प्रग्रहण' का अधिकार सब को था । बुद्ध ने दहा है कि जैमे भिज्ञ भिज्ञ नहिया भिज्ञ भिज्ञ नामों से बहती है, परन्तु समुद्र म आसर सभी एक हो ज तो है, वैसे आद्वाण, उप्रिय, वैश्य, गूद जय रामकथ बुद्ध के सदृश म प्रविष्ट होते हैं, तो सब एक हो जाते हैं । बीदू सत्तु ने जाति-साति का कोई भेद भाव न था । उपाला नाई भी सदृश ने विना भेद-भाव के प्रविष्ट छिन गया था ।

प्रग्रहण लेने के लिए जय कोई आता था तब उसे द्विसी भित्ति से प्रग्रहण लेनी होती थी । वह उसे दीने द्वारा दहन वर इससे

'बुद्ध शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, सर्वं शरणं गच्छामि'—यह बुलवावा था। तीन शरणों में आने का अभिश्राय यह था कि 'बुद्ध'-'धर्म' तथा 'सर्व' की शरण में आवा हैं। इस प्रकार शरण में आने के बाद उसे 'दशा शिवा-पदानि'—दश शिवाएँ दी जाती थीं। यह प्रतिज्ञा करता था कि मैंने मिसी जीवधारी को नहीं भारूँग, जो नहीं दिया जायगा उसे नहीं लूँगा, दुराचार नहीं करूँगा, असत्य नहीं बालूँगा, मादक द्रव्यों का सवन नहीं करूँगा, असमय भोजन नहीं करूँगा, जाचना गाना आदि नहीं करूँगा, गन्ध-माला आदि का सेवन नहीं करूँगा, कच्ची शब्द्या का सेवन नहीं करूँगा, सोना-चादी आदि नहीं लूँगा। प्राण्डाण काल में घेश्वरम् सत्सार के समय शिष्य को आचार्य जो उपदेश देता था यह उपदेश लगभग उससे मिलता-जुलता है।

यद्यपि सर्व में प्रवेश की सन्तो खुली लुही थी तो भी बुद्ध नियन्त्रण भी था। माता-पिता की आङ्गा के बिना रात्रि में किसी को प्रपिष्ट नहीं किया जाता था। बुढ़े ने इस नियम को रखा कि बड़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया, नहीं तो सर्व तथा भारतीय समाज के परिवारों में उद्धा सर्वर्प बना रहता। तपेदिक, दमा, कुष्ठ, खुजली यालों को भी सघ में नहीं लिया जाता था, नहीं वो सभी ने ये बीमारियाँ फैल जाती। समाज द्वारा अपहिती छहराये गये व्यक्तियों के लिए भी सघ का छार बन्द था, नहीं तो सघ तथा यज्य में सर्वर्प उठ रहा होता। सेना में बाज खरने वालों के लिए आवश्यक वा कि यज्य की आङ्गा लेहर ही सघ में प्रवेश पा सकते। शृणु से बचने वाले को सघ में नहीं लिया जाता था। इस बात का दूर तरद से नियन्त्रण कर लिया जाता था कि सर द्वारा 'परिवार', 'सामाज' तथा 'एज्य' की किसी व्यक्तिया ने सज्जनी न बच जाय।

उप-सम्पदा—

‘प्रश्नज्या’ के बाद ‘उपसम्पदा’ की यारी थी। ‘उपसम्पदा’ प्रदण करने पर व्यक्ति पूरा ‘भिजु’ बन जाता था। ‘प्रश्नज्या’ तथा ‘उपसम्पदा’ में १२ वर्ष का अन्तर होता था। जेसे ब्राह्मण काल में १२ वर्ष तक गुरुहुल धास आवश्यक था वैसे बीदू-काल में १२ वर्ष तक ‘प्रश्नज्या’ में रहना आवश्यक था। हाँ, यह समय न्यून भी किया जा सकता था। जो व्यक्ति इसी अन्य संघ के सदस्य होते थे उन्हें ४ मास में ही ‘प्रश्नज्या’ से ‘उपसम्पदा’ में ले लिया जाता था। ब्राह्मणों में से जटिल नाम के चानप्रस्थी एकाम ‘प्रश्नज्या’ से ‘उपसम्पदा’ में ले लिए जाते थे।

‘प्रश्नज्या’ सो इसी भी ‘भिजु’ से ली जा सकती थी, परन्तु ‘उपसम्पदा’ के लिए ‘सप्त’ के सम्मुख उपस्थित होना आवश्यक था। ‘उपसम्पदा’ के लिए ‘सप्त’ की एक पिण्डेप वैठरु बुलाई जाती थी जिसमें कम से-कम १० भिजुओं ना होना आवश्यक था। इस वैठरु में संप का पोट लिया जाता था कि अमुक व्यक्ति को ‘उपसम्पदा’ नहीं जाय, या नहीं। जब यह निरचय हो जाता था कि उसे ‘उपसम्पदा’ की जाय तब एक भिजु उसे घट्ट ले जाहर उससे भिज-भिन्न प्रहन करता था। उसका नाम क्या है, उसका ‘उपाध्याय’ अर्थात् गुरु बीन है, मोह औमारी वो नहीं, श्वेत तो नहीं, सरकारी नौकरी द्वोड़ सर तो नहीं आया, माता-पिता को आद्वा लो है या नहा? ये मन निरचय फर चुकने के पाइ यदि भिजु उसे ‘मप’ के सम्मुख उपस्थित करता था। इसके पाइ याई दूसरे भिजु ‘मप’ के सम्मुख द्वाय करता था कि उसे ‘भंड’ में ले लिया जाय। तीन पार प्रत्यार रोहगय जाता था, और मौन घट सर स्फूरति पहुँच रहने पे। किर प्रवेरणवी का पार ‘निरचर’ नथा

२२८ 'शित्य शत्र'—सिद्धान्त, विधि, विधान, इतिहास

चार 'अकरणीय' चारों का उपदेश दिया जाता था। चार 'निश्चय' ये थे—भिद्दा पात्र में एक्षयित करके भोजन करना; फटे पुणे माँगे हुए कपड़ों से बदन ढकना; वृक्ष के नीचे चास लेना; गो मूत्र या औषध के रूप में प्रयोग करना। चार 'अकरणीय' ये थे—मैथुन; चोरी; प्राणि-वध; चमत्कार करने की शक्ति दिखाना। इन चारों बुरी वस्तुओं का त्वाग चार 'अकरणीय' कहारे थे।

यद्यपि 'प्रत्यज्ञा' तथा 'उपसम्पद' प्रदण करने के बाद यदी समझ जाता था कि अब गृहस्थाधम में लौटकर नहीं जाना, तो भी, अगर कोई इन संस्कारों में से गुजरने के बाद भी घर-गृहस्थी में लौट जाना चाहता था, तो उसे जबर्दस्ती रोमा नहीं जाता था। किसी व्यक्ति के सम्मुख उसका इतना कह देना भर काकी था कि वह अपने भीतर 'चुद'-'धर्म' तथा 'सघ' के पांछे चलने की शक्ति नहीं देत रहा।

'उपसम्पद' प्रदण करने के बाद विद्यार्थी को 'उपसम्पन्न' कहते थे। 'उपसम्पन्न' को 'उपाध्याय' तथा 'आचार्य' के आधीन, उनकी देस-रेत में जीवन विवाना होता था। १० वर्ष तक जो सप्त में एक चुम्ब हो यह 'उपाध्याय' कहाग था, ६ वर्ष तक सप्त में एक चुम्बने वाला 'आचार्य' कहाग था। 'उपाध्याय' का पन 'उप-सम्पन्न' को धर्म पन्थों की शिक्षा देना था, 'आचार्य' का साम उसके आचार-व्यवहार को देखना था। अद्वाण-काल में 'आचार्य' का स्थान 'उपाध्याय' से ऊचा होता था, परन्तु वीद्वन्यल में 'उपाध्याय' का स्थान 'आचार्य' से ऊचा था। १० वर्ष तक 'उपाध्याय' तथा 'आचार्य' के आधीन शिक्षा प्रदण करने के बाद 'उपसम्पन्न' स्वयं 'उपाध्याय' अथवा 'आचार्य' पन जाता था, और 'मित्र' यत कर अन्य भित्तियों को शिक्षा दे सकता था।

आद्वाण-पाल की तरह बीदू काल में भी शिष्य सूक्ष्म गुरु
भी सेवा परना होता था। यह प्रातः काल उठता था, गुरु को
भ्रतुन देता था, सुत धोने के लिए गुरु के 'लिए पानी' लाए
खता था। पिर उसकी चीज़ी विद्या पर उसे खाने का देता था,
सारे मकान में मद्दू लगाता था। गुरु को रहा हो तो बीच में
नहीं बोलता था। गुरु जब भिक्षा लेने जाता हो तो उसके घर्तन
को साक दर इसकी सारी तर्कारी पर देता था। स्वयं साथ जाय
तो उसके आने से पहले ही लीट आता था। उसके बैठने आदि
की पुरी तर्कारी बरता था। गुरु के स्नान के लिए सर सामान
जुटाता था, और गुरु सेवा के सभी चाम करता था, गुरु के रोगी
पह जाने पर जान लड़ाकर उसकी सेवा करता था।

जिस प्रवार शिष्य के लिए गुरु को पिता समझ कर उसकी
मेहा बरना आवश्यक था, इसी प्रवार गुरु के लिए शिष्य को पुत्र
समझ कर उसकी सब प्रसार ही सहायता बरना आवश्यक था।
शिष्य नो पढ़ाना-लिखना, उसे बप्टे तथा भोजन देना, और
रोगी पड़ जाने पर उसकी जी जान से मेहा बरना गुरु के लिए
आवश्यक माना गया था। प्रत्येक 'उपाध्याय' अध्या 'आचार्य' के
नीचे उम्मे कम हो, और अधिक में अधिक इतने 'उपमम्पत्त' रह
मस्ते पे जितनों ही पे अच्छी तरह देर भान रर मस्ते थे।

दिलाई—

'उपाध्यायो' तथा 'आचार्यो' के आधम चिन्हुल विसरे दूष
और असम्बद्ध नहीं होते पे। एक स्थान पर अनेक आधमों के
निर्वाल से 'विदार' बनते पे। दस-दस 'विदार' में अनेक 'उपा-
ध्याय' तथा 'आचार्य' अपने भिषु शिष्यों के साप रहते पे। अद्वाण-
चक तथा योद्ध यद्दल वी रिला धल्लो में यह नेद हे फि अद्वाण
चक में यो 'आचार्य' लोग अपने अपने आधमों में रहते पे, शिष्यों

२२० 'शिव्य शास्त्र'—सिद्धान्त, विधि, निधान, इतिहास
 को पढ़ा देते थे, ज्याकि हम में जीवन अवरोध करते थे, परन्तु कौदृ-
 चाल में अनेक 'उपाध्याय' तथा 'आचार्य' निलक्षण एक बगद
 रहते थे, और उस स्थान आ न्यम 'विद्वार' होता था। 'विद्वार'-
 प्रान्त ने 'विद्वार' बहुत थे इसलिए उसे 'विद्वार' कहते हैं। कभी-
 कभी वो एक ही स्थान पर इतने 'उपाध्याय' तथा 'आचार्य' रहते
 थे कि अपने निज् शिष्यों को निलक्षण कर उनकी सल्लाह द्वारा उन
 पहुँच जाती थी। नलन्दा के 'विद्वार' में १० द्वार निज् निरास
 करते थे। 'विद्वारों' में क्योंकि निम्ननिम्न 'उपाध्यायों' वा
 'आचार्यों' आ निपास होता था परन्तु वहाँ अनेक प्रद्वार छोड़ने
 वाले उन्हें सन्तुष्ट भी उठ लड़ी होती थी। कभी-कभी एक
 'उपाध्याय' के शिष्यों को दूसरे 'उपाध्याय' 'विद्वार' से निवार
 देते थे, इस पर युद्ध ने नियम बनाया कि विस 'उपाध्याय' आ दोई
 शिष्य हो उसकी विना अनुमति के उसे पृथक् नहीं किया जा सकता।
 कभी-कभी एक 'उपाध्याय' के शिष्य दो दूसरे 'उपाध्याय' के शिष्य
 पदक्षम कर अपनी नड़ली में सम्मालित दर लेते थे। इस पर युद्ध
 ने नियम बनाया कि दोई 'उपाध्याय' दूसरे 'उपाध्यायों' के शिष्यों
 को अपने पास नहीं रखेगा। अगर दोई शिष्य प्राणी-यथा, चोरी,
 व्यापिचार, मूँठ, नरा सेवन, 'बुद्ध'-'पर्व'-'संव' की निष्ठा वा
 भिजु़ुहिंदों के साथ दुर्ज्यद्वार वरदा दुश्मा पाया जाता था, तो निजा
 दूसरे 'उपाध्यायों' की सल्लाह के 'विद्वार' में निवास दिया जाता था।
 नोबन, दस्त्र, वदा निजात के निज—

निज् य जो यन अत्यन्त सात्र होता था। निज्यासात्र, सर्व-
 याग्य, देवी, आप्य, चम्पज्ञ वदा जल ध्यानने के करदे के लियाप
 दस्ती दोई सम्पत्ति नहीं होती थीं। नोबन के लिए निज्यासृति य
 पिधान पा। निज्य के लिए पिल्लव नियम बने दूर थे। निज्य
 के लिए यह सन्त एक दूर दर यन्य चाहिए। इसन,

योजना आदि नहीं चाहिए। किसी पर में जाते हुए यहार आने का मार्ग पहले देख लेना चाहिए। पर से यहुत दूर, यहुत निरट या कहीं यहुत दैर तक भिक्षा के लिए नहीं उड़े रहना चाहिए। कोई देवी भिक्षा दे रही हो, उससी तरफ आंख उठा कर नहीं देवना चाहिए। बाढ़ण-वाल में तो पुगार कर भिक्षा माँगी जाती थी, बोद्ध-वाल में चूपके से भिक्षा लेने का विधान था। एक प्रधार में भिक्षा देना गृहस्थी का ऊचा अभिक्षार ममता गया है। यह माँगी नहीं जाती। जो गृहस्थ 'बुद्ध', 'धर्म' वा 'मार' की निन्दा करें उनसे भिक्षा करने को मना किया गया है। लिद्यी स्थान के बद्द व्यक्ति ने भवल के दृश्य पर दुःख अनुचित आरोप किये थे। परिणाम स्वरूप सध ने लिद्यी के बद्द का भिक्षा के लिए यदिप्रधार कर दिया, और उसके अवशिष्ट बरने पर यदिप्रधार को उठाया। इसके लिए 'संत' का विशेष प्रस्ताव करना पड़ा। कई भिक्षाओं को इस्ता इसी के पर नहीं पढ़ूँचना चाहिए, एक ही स्थान से तीन से अधिक भिक्षा भिक्षा नहीं ले सकते थे। दूसरे के पास की भिक्षा फो लालच थी हाए मे नहीं देरना चाहिए। साते हुए मने हुए दायों से जल-वाड़ को नहीं उठाना चाहिए। जब तक सब भिक्षु भोजन न बर लें तब तक मुख्य भिक्षा को हाय धोने के लिए जल नहीं लेना चाहिए। अगर कोई पनिछ सश के लिए भिक्षा अनिमन्त्रण दे तब भी चार मास से अधिक एक ही 'उष्णसङ्ग' के बहाँ भिक्षा नहीं दरवाजा चाहिए।

बुद्ध के समय में निगन्ध, अचेतक तथा आजीवक नाम के सम्मान परे जो यात्रा भारत नहीं करते थे। बुद्ध ने तो हर दिग्गंब में 'नध्य नग्नी' का उन्द्रेश दिया था, इमनिष यत्यों के सम्बन्ध में नी उसमें बही उन्द्रेश था कि उचित तथा प्रयोग यत्यों को धारण रखना चाहिए। एक भिक्षु नम्न होत्तर बुद्ध के चाप आकर कहने

लगा कि वस्त्रों का धारण निपिद्ध कर दिया जाय। बुद्ध ने उमे कहा, मूर्ख ! तू यस्त्र धारणे क्यों नहीं करता ? बुद्ध ने वस्त्र को तीन भागों में बाँटा था, अतः अङ्ग ढापने के वस्त्र को 'विचीर' कहते थे। 'विचीर' के तीन भाग थे—'अन्तर्वासक', 'उत्तर संग' तथा 'संघाती'। 'अन्तर्वासक' लगोटे को तरह का था, 'उत्तर संग' शरीर ढापने का वस्त्र था, और 'संघाती' यादर से कमर को बाँधने का वस्त्र था।

नियास के सम्बन्ध में बोद्ध-प्रन्थों में यह लिखा है कि पहले-पहल भित्र लोग कहीं नहीं रहते थे, स्थान-सेस्थान में चिरा कहते थे। यजगृह के सेठ ने वह देसमर बुद्ध से कहा कि मैं भिक्षुओं के रहने के लिए नियास-स्थान बनाना चाहता हूँ। बुद्ध ने उसे ५ प्रकार के नियास स्थान बनाने की आशा दी। 'विहार'- 'अद्वयोग'- 'प्रासाद'- 'हर्म्य' तथा 'गुहा'। 'विहार' कई मठिलों के मकान को कहते हैं। इसके चारों ओर 'आगम' या एक मुन्दर वरीचा होता है। 'अद्वयोग' गृह के आकार के मणि को कहते हैं। 'प्रासाद' और 'हर्म्य' महल जैसे नगरों को कहते हैं। 'गुहा' कन्दर को कहते हैं। बुद्ध को आमा पासर यजगृह के थेप्री ने एक ही दिन में ६० नियास स्थानों का निर्माण कर दिया, और उन्हें सद्ध को सौंप दिया। यर्पा शत्रु में इन नियास स्थानों में भिक्षु लोग 'बर्षा यास' करने लगे। इन नियास-स्थानों में 'ज्ञेतन विहार' अत्यन्त प्रसिद्ध है। कहते हैं कि ज्ञेत नामक राजा का एक 'आगम' था, जग्नल था, जो 'विहार' के लिए अत्यन्त उपयुक्त स्थान था। बुद्ध के रिष्य अनाथ जिटिक के महाय में इन्होंने कहा कि वहाँ पर एक 'विहार' बना कर सहृद की भेट कर दिया जाय। उसने ज्ञेत में उस स्थान का दाम पूछा। ज्ञेत ने कहा कि अगर इस स्थान में मुनर्ह ची मोदरे विद्या दी

जाँच तक भी इससा दूसरा नहीं चुनाया जा सकता। अनाथ पिंडिक सुवर्ण मोहरों को पहा विद्यार्हि उस स्थान को लेने के लिए तप्प्यार हा गया। जत बहुत चढ़ाया, परन्तु उसने देने से पिर भी इन्हार किया। मामला अदालत में गया, और अनाथ पिंडिक ही शर्त पर वह स्थान दिय जाने का केसला हुआ। सेठ ने उस स्थान को अराकिंयों से बिछा दिया। थोड़ा सा स्थान पिर भी यच रहा। जेत ने इस भक्ति को देरासर उस यचे हुए स्थान से अपनी तरफ से देने को पहा, और यहाँ 'जेतद्वन' नामक 'विहार' बना। 'जेतद्वन' की तरह अनेक प्रिद्वार प्रसिद्ध थे। यद्धि यन, धेगु यन, शीत यन, राज गृह में थे, जेत यन और पूर्वांग आवनी में थे, मदा यन, यूदागार, आष यन देशाली में थे, न्योधाराद कपिल यस्तु में था। ये सब 'विहार' भित्तुआ के शिक्षा के बन्द्र थे।

विद्या के विषय—

'विद्यारो' में बीदू भित्तुआ की शिक्षा का प्रबन्ध था, उन्हें बीदू पर्म के प्रधारा का शान पहाया जाना था। बाद-पर्म प्रबन्ध 'विपिटह' बहलाते हैं। 'उपाध्याय' तथा 'आचार्य' विद्यारों में बैठ पर 'विपिटक' की शिक्षा देते थे। 'विपिटह' के ताज द्वितीय हैः 'विनय पिटह', 'मुत्ता पिटह' तथा 'अभिधम्म पिटह'। 'विनय पिटह' में भित्तुओं के नियन्त्रण का वर्णन है। भित्तु भित्तुणिरो दो फेसे रहना चाहिए—इस सब का वर्णन 'विनय-पिटह' में कर्या गया है। 'विनय पिटह' के पार द्वितीय हैं— भिक्षु विभग, भिस्तुना विभग, भद्राग, चुन्नप्पा तथा परिवार पाठ। 'मुत्ता पिटह' में नगवान् बुद्ध के उपदेशों का सप्रह है। इसके भी पाच भाग हैं— दीप नियम, गमिम नियम, संयुक्त नियम, अंगुत्तर नियम,

२२४ 'रिक्षा शाल'—सिद्धान्त, विधि, विधान, इविद्वास

तुदक निराय। 'अभिधम्म पिटक' में धार्यात्मिक वारों का उल्लेख है। इसके ७ भाग हैं—धन्म सगती, विभग, कथावच्चु, पुण्यत पञ्चति, धातु कथा, चमड़, पत्त्यान। संस्कृत में पढ़ाने के स्थान में दैरो भाषाओं में शिक्षा देना ही सर्वोच्च समझ जाता था।

इस प्रकार 'त्रिपिटकों' के ज्ञान के साथ-साथ व्याख्या आदि का ज्ञान भी भिन्न-भिन्नों को कहाया जाता था।

२८

तक्षशिला तथा नालन्दा विश्वविद्यालय
(EDUCATION IN TAXILLA AND NALANDA
UNIVERSITIES)

१ — तक्षशिला

(६०० मेरे ४०० शताब्दी ई० प०)

जो लोग योद्धा धर्म प्रदण कर लेते थे उनकी शिक्षा का काम
 से योद्धा-सम्प के हाथ में चला जाता था, उन्हें धार्मिक-शिक्षा ही
 दी जाती थी, जो योद्धा धर्म प्रदण नहीं करते थे, उनकी शिक्षा भी
 प्राचीन आद्धरण-पद्धति से अनुरूप करते हुए मिन्न मिन्न शिक्षा-
 केन्द्रों द्वारा चलती थी। एक आचार्य के पास पाँच-पाँच सौ शिष्य
 रहते थे। इस प्रमाण के स्थानम् भारत के कोने-कोने में रिहे पड़े थे।
 उम समय ६ठी शताब्दी ई० प० में उत्तर-भारत में गन्धार की राज-
 पानी 'तक्षशिला' थी, जो शिक्षा का एह यहां भारी केन्द्र भी। यह
 पर्वमान यज्ञरिदो के निष्ठ थी। उस समय की शिक्षा को
 समन्वय के लिए 'तक्षशिला'-विश्वविद्यालय का बर्यन करना अप्रा-
 सार्गिष्ठ न होगा।

जातक पन्थ में एह कथा आती देखि रासी के राज नद्दरत
 द्वारा पुर जब १६ वर्ष का हो गय तो उन १ लघ्बल, १ द्युवा तथा

एक हजार मुद्राएं देकर यजा ने कहा, बेटा ! जापो, तब शिला में जाकर विद्याध्यवन करो । यद्यपि बनारस ने अनेक पंडित थे, तो भी उन दिनों यह प्रथा थी कि बालक को विद्याध्यवन के लिये शूर देश में भेजा जाता था ताकि वह सत्तार क्या ऊँच-नीच भी सबक सके । बालक माता पिता को नमस्कार कर चुक्के दिनों में तब-रित्य आ पहुँचा । यहाँ पर इस घरे-मादे विद्यार्थी को देत कर गुरु ने पूछा, तम क्यौं हो, वहाँ से, और क्यों आये हो ? विद्यार्थी ने कहा, मैं जारी के राजा का पुत्र हूँ, विद्याध्यवन के लिए आया हूँ । गुरु ने पूछा, क्या गुरु-दक्षिणा भी साथ लाये हो, या गुरु-सेवा द्वारा ही दक्षिणा चुम्बा देना चाहते हो ? विद्यार्थी ने एक हजार मुद्राएं गुरु के चरणों में रख दी और विद्याभ्यास करने लगा ।

तब शिला उन दिनों विद्या का केन्द्र था । बनारस, राज-गढ़, मिथिला, उत्तरी ती, कोरल, मध्य-प्रदेश शिवि, कुरु, तथा उत्तर देश से विद्यार्थी यहाँ पढ़ने को आते थे । यहाँ के आचार्य जगत्-प्रसिद्ध थे । किसी एक ही प्रसार की शिला यहाँ नहीं दी जाती थी, बेटों के साथ साथ पनुर्विदा, आयुर्वेद का ज्ञान, चित्रदारी, स्तूप निर्माण तथा अन्य विद्याएं भी सित्तार्व जाती थीं । धनी-नानी लोग अपने पुत्रों को इसी जगह विद्याभ्यास के लिए भेजते थे । अगर उनमें पुत्र विद्याभ्यास पूर्ण करके उनके जीवन-गाल में ही लौट आगा या चों थे अपने दो धन्य नाम देते थे । तब-शिला दष-शिला का केन्द्र था । धोटी आयु के बालक यहाँ नहीं लिए जाते थे । शिला शुल्क एक हजार मुद्रा लिया जाता था । जो शुल्क नहीं दे सकते थे वे गुरु-सेवा द्वारा गुरुक चुम्बा दे रहे थे । दिन को चैं क्षम दरते थे, रात को पढ़ते थे । जो शुल्क भी नहीं दे सकते थे, और ऐसे भी नहीं पढ़ना चाहते थे, वे विद्या समाज करने के बाद शुल्क चुम्बते थे, परन्तु शुल्क त दे सकने के साथ दिसी दो विद्या से भिजते नहीं

किया जाता था। जनता के धनी-मार्नी लोग विद्यार्थियों को भोजन देते थे। तद्विशिला के ५०० विद्यार्थियों को आस पास के मार्यों के लोगों द्वारा भोजन देने का वर्णन मिलता है। एव्य की तरह से भी महायता दी जाती थी। तद्विशिला में कई मादालों से कई राजा लोग खात्र वृत्ति देकर पूँजे थे। जो गुलक लिया जाता था वह गुरु के लिए नहीं देता था, वह विद्यार्थियों के भरण पोषण पर ही व्यय हो जाता था। वह आपराह्न नहीं था कि सब विद्यार्थी अध्ययन में ही रहे। बनारस का एक राजकुमार शहर में ग्रन्थे घर में रहता था, और तद्विशिला में पढ़ने आया रहता था। कई विद्यार्थी विद्यार्थि भी होते थे, ये घर पर रहते थे, और पढ़ने वाला जाया चरते थे। सब विद्यार्थी एक समान रहते थे। काशी के राजा का पुत्र एक चप्पल लेकर ही आया था, और १८ वार मुद्राएं जो लाया था उन्हें गुरु के अपर्युक्त रुप से दिया गया था, उसके पास अन्य धन नहीं था। एक अन्य राजकुमार का वर्णन आता है कि उत को चलते हुए एक मादाल विद्यार्थी का भिजा पात्र उस की ठोसर से ढूँढ गया। उसने कहा कि जब मैं घर लौट आकर के दाम चुक्ता करो। उसने कहा कि जब मैं घर लौट आजड़ागा, यज छाय में लूँगा, तब सब चुक्ता कर दूँगा। इससे भी यही प्रतीत होता है कि विद्यार्थी लोग गारीबी से जीवन बद्दीत करते थे। ५०० विद्यार्थियों को एक गुरु के लिए पक्ष सरना कठिन था, इसलिए दीप्रबुद्धि शिष्यों से गुरु लोग पूँजे में महायता होती थे। तद्विशिला का एक अभ्यापक जब द्वितीय वर्ष में बनारस जाने लगा उम्मीद दिया गया था कि उसने रथान पर पूँजे के लिए निकुञ्ज कर दिया, इसी से आगमल 'मार्नीटर'-प्रदाता करा जाता है। दिन में कई यार पाठ चलता था। एरोन विद्यार्थियों के निरा जो दिन को कम बरते थे उत को पाठ चलता था। वह शिक्षा

में तीनों बेदों रथा १८ शिलों के अध्ययन के लिए विद्यार्थी आते थे। तच्च-शिला के भिन्न-भिन्न विद्यालयों में हस्ति-विद्या, जट्टग्रन्थ, मुद्रों को जिलाना, शिखार, पशुओं की आदाओं को समझना, खनु-विद्या, भविष्यवाणी करना, आयुर्वेद आदि विद्याएँ पढ़ावी जाती थीं और प्रत्येक विद्यालय उस विषय के भूरधर विद्यान् के आपीन रिहाई देता था।

षड् हुए दा क्रियात्मक शान लेना तच्च शिला के विद्यार्थियों के लिए आवश्यक था। मगध का राज-कुमार दच्च-शिला में सब कलाओं वा अध्ययन करने के अनन्तर गाय-गाय, शहर रहर में क्रियात्मक अनुभव लेने के लिए विचरण करता रहा। तच्च-शिला के श्वेतरेतु नामक विद्यार्थी के विषय में लिखा है कि सब कलाओं वा क्रियात्मक अध्ययन करने के लिए वह भिन्न भिन्न स्थानों में अनन्तर करता रहा। मगध के एक राज कुमार का वर्णन करते हुए लिखा है कि तच्च-शिला में शिला प्राप्त करने के अनन्तर वह क्रियात्मक अनुभव लेने के लिए भिन्न भिन्न स्थानों के लिए चल पड़ा। तच्च-शिला ने वडे-बड़े विद्यान् उपनिषदें दिये। चालुक्य जो चतुर्गुप्त दा सहाइकार था, वही वा पड़ा हुआ था। भारत पा सब से प्राचिन व्याख्या का विद्यान् पाणिनी भी तच्च शिला द्वारा विद्यार्थी था। चौर-पद्म के शशिद्र वैद्य जीवरु ने यदों विद्याभ्यास किया था। तच्च-शिला सं विद्याभ्यास कर चुके पर यदों के विद्यार्थियों ने यज्ञारस या द में अनेक विद्या केन्द्र लोले थे जहाँ तच्च शिला की तरह ही संग्रही शिष्यों को लेरर गुरु क्षोग वालकों को पढ़ाते थे।

वार्ष—

तच्च शिला में शिला प्राप्त करने के अनन्तर विद्यार्थी द्वी छिठनी उच्च योग्यता हो जाती थी, इसका दृष्टान्त जीवरु द्वी जीवन-इन से मिलता है। यह यगरुद की नगर यपूर्णालयतां प्यलङ्घन था

जिसे कूड़े के ढेर पर केक दिया गया था। अभय नामक राज उमार ने उसे जीवित उठा लिया और उसे पाला पोसा। जीवक जब यहाँ आया तो उसने सोचा कि राजघरानों में रह न र बिना किसी हुनर के जीवन निर्वाह कर्तिन है, अतः तच्छिला जारी कुछ सीरा आऊ। उस ने तच्छिला जारी एक जगत् विख्यात् गुरु से चिरित्साशास्त्र का अभ्ययन किया। ७ पर्यंक का विश्वाभ्ययन क्य समाप्त होगा? गुरु ने जीवक रा दहा कि तच्छिला के चारों तरफ एक गोलन तक जापर देतो और जिस कूटी का तुम्हें ज्ञान न हो उसे रखाइ है ले आओ। जीवक ने चार बिन तक चारों तरफ घूम कर देरा, और गुरु से आवर पटा कि मुझे पाँदे भी कूटी ऐसी नहीं मिली जिस पर थीपप के रूप में मैं प्रयोग नहीं जानता। गुरु ने कहा, जीवक! तुम्हारा अध्ययन समाप्त हो गया, अब तुम घर आ सकते हो, दह वह दर दसने जीरह वो माग न्यय के लिए कुछ धन दिया। ये पर इनता ही था कि जीवक साठों पौर गरा। यहाँ जारी उसे कुछ बमाने की आवश्यकता अनुभव हुई। मारेत में एक मेठ की पत्ती ७ साल से मिर की किनारी से चाढ़ती थी। यह मेठ पर इलाज हो पूरा पा, कुछ लाभ नहीं हुआ था। जीरह ने प्रभार किया कि उसे तभी कुछ दिया जाय अगर दह रोगिलों को ठीक कर दे। उसने रोगिलों को नक से एक औपर रो और दह एहड़ी मांगा से ठीक हो गई। मेठ ने जीवक को १६,००० मुद्राएँ दी, गाड़ी घोड़े दिये। जीवक ने गजगृह लैट वर इन उपहारों से उस राजउमार की भैंट पर दिया जिसने उसे पाला-दोषा पा। इमहे बाद जीवक ने महाराज यिदिसार पा नालू टीक दिया और एक जो उसे उसे उसे गज दैष नियत पर दिया, स्वप्न ही 'कुद' नग भाग। इसी बमी का वेद निरुक्त किया। उनपूर्व में एक सेठ

सात साल से सिर की बीमारी में पीड़ित था। जीवक ने उसे चार-पाँच से बांध दिया, सिर का आपरेशन फ्रिया, सिर के ब्रए में से दो कृमि निकाले, और सिर को सी कर मरहम लगा दी। वह सेठ बुद्ध ही दिनों में ठीक हो गया। बनारस में किसी सेठ के लड़के की ओरें उत्तम गई थीं, वह जा पी नहीं सकता था। जीवक ने उसका पेट चोरा, उलझी ओरें निकाली, उन्हें मुलभाया, फिर ठीक स्थान में रख कर सी दिया। बुद्ध ही दिनों में लड़का ठीक हो गया। सेठ ने जीवक को १६ हजार मुद्राएँ भेंट की।

२—नालन्दा

(उच्चो शताब्दी ३० प०)

बोद्ध सद्गु की स्थापना के समय भारतीय शिशांका क्या रूप था, इसका उल्लेख हम कर चुके हैं। पाँचवीं शताब्दी में चीनी यात्री चा-हीयान (Fa-hien) भारत में आया। वह ३६६ से ४१४ ई० प० तक ३५ वर्ष भारतवर्ष में ध्रमण रहता रहा। उम ने उच्चान (स्थान) में ५०० सद्गारम (बोद्ध-सद्गु के मठ) पाये जिनमें अनेक बोद्ध भिक्षु हीनयान सम्प्रदाय के मानने वाले रहते थे। पजाव में अनेक विद्वार थे, जिनमें हीनयान तथा मद्यायन सम्प्रदायों के मानने वाले भिक्षु रहते थे। यमुना के किनारे किनारे लगभग २० विद्वार थे जिनमें ३००० भिक्षु शिशा ग्रहण कर रहे थे। चाहियान के पर्णन में तक्ष-शिला का उद्गत स्थल नहीं है जिससे आत दोता है कि उस समय तक वह विद्य-विद्यालय छींग प्राय दो चुग था। पुष्पपुर (पंचावर) में एक विद्वार था जिसमें ५०० भिक्षु रहते थे। भावस्ती का उत्तरन विद्वार फल फूल रहा था। उत्तीनगर में जहाँ बुद्ध का देहान्त हुआ था अनंत विद्वार थे। पंचाली में बुद्ध के समय अन्यपालों द्वारा निर्मित

विहार वैसा ही मीजूद था। पाटलीपुर, राजगृह, गया, यनारस, कोपाम्बी, ताम्रलिपि आदि सभी स्थानों पर प्राचीन धीदू-परम्परा के अनुसार विहार चल रहे थे जिनमें भिज्ञ शिष्या पाते थे।

पादियान के दो शताब्दी बाद दुएन्तसाग (Huen Tsang) भारत आया, और ६२६ से ६४५ ई० ५० तक १६ वर्ष यहाँ रहा। यहाँ से जाते हुए वह ६२७ धीदू धर्म पुस्तकों और २० रथरों पर बुद्ध के अन्य अवशेष लाद कर ले गया। उसने भिज्ञ भिज्ञ स्थानों में निर कर प्राचीन विहारों का निरीक्षण किया। वई ठीक तरह से चल रहे थे, वई तरण्डर हो चुके थे। उस समय भी ५००० के लगभग विहार थे जिनमें २१२१३० भिज्ञ प्राचीन धीदू प्रणाली के अनुसार विद्याम्यास कर रहे थे। दुएन्तसाग ने अनेक विहारों का यर्णव किया है जिनमें नालन्दा का यर्णव विशेष उल्लेखनीय है। दुएन्तसाग ६४५ ईस्यी म भारत से वापस लौटा, इत्सिंग (Itsing) ६७२ ईस्यी में भारत आया और ६८५ ई० तक यहाँ रहा। इस वीच १० वर्ष उसने नालन्दा में द्वितीय किया। इस यहा दुएन्तसाग तथा इत्सिंग का दिया तुम्हा नालन्दा का यर्णव करेंगे जिससे जी शताम्बी की भारतीय रिश्व-प्रणाली पर प्रभाश पड़े।

विहार प्राचीन के राजगिर म्यान मे ५ मील दूरी पर 'वरणाव' नामक ग्यान है। प्राचीन-फाल म इसी का नाम 'नालन्दा' पा। दुएन्तसाग भिज्ञता है कि 'नालन्दा' का अर्थ है, 'न+अल+दा'-गो देता ही चता जाय, देते रहे जिसका जी न भरे। ऐसा द्वितीय होता है कि यहाँ विद्या नर-पेट दी जाती थी, विद्या द्वान में दिसी का जी न अपावा पा। प्राचीन काल में २०० व्याजारियों ने दुजु को १० कोटि युर्यं त्रुशा से घरीद बर घ्य व्यान में

किया था और पीछे गुप्त-सम्राटों ने १०० गांरों की आमदनी दान देवर 'नालन्दा' की जि गुल्क शिक्षा को हरा भरा रखा था। यद्यपि गुप्त सम्राट् हिन्दू धर्म के अनुयायी थे ता भी उन्होंने वीद सत्या को डिल खोल दर सहायता दी थी,—इनसे उनके उदार विचारों का पता चलता है। विश्व विद्यालय के चारों तरफ एक दीवार थी जिसे गुप्तराजा हर्ष ने बनवाया था। नालन्दा के भवन छँ मजिले थे, ऊपर फी मजिले वादलों में सिर ढँचा मिये रखी थी। आठवीं शताब्दी के राजा यशोवर्मन् का एह शिला-नेत्र मिला है जिससे हुएन्तसांग के रथन की पुष्टि होती है। शिला-लेख में नालन्दा की 'विद्यारथिली' का वर्णन करते हुए उसकी 'शिल्प थ्रेणी' को 'अम्बुधरावलोही'—मेघों का चुम्बन करने वालों लिखा है। भूमि ने चारों तरफ सरोवर बने हुए थे जिनमें भौतिक-भौति के कमल स्तिल रहे थे।

नालन्दा के चालू धर्च के लिए समय-समय पर भिन्न भिन्न राजा दान देते थे और भिन्नओं के भोजन का भी प्रबन्ध करते थे। इस प्रमाण जो भन-यशि आती थी उससे भिन्नओं को रत्य, भोजन, विलार, धीपथ आदि सब उद्य सुन्नत दिया जाता था। हुएन्तसांग के समय रहाँ १० हजार विद्यार्थी शिक्षा प्रदण कर रहे थे। चीनी यात्रियों के विवरणों से इत होता है कि इसी समय वहाँ १५१० अध्यापक तथा ८५०० विद्यार्थी थे। नालन्दा में ८ बड़े-बड़े दौल थे, ३०० छोटे-छोटे कमरे थे, इनमें भिन्न भिन्न विषयों पर १०० व्याक्यान प्रतिक्रिय होते थे। विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने के लिए जो विद्यार्थी आते थे उनकी प्रवेश द्वार पर ही 'द्वार पंडित' परीक्षा लेते थे। यह परीक्षा इतनी कठिन होती थी कि १० में से ८-९ विद्यार्थी ही नालन्दा में प्रवेश पा सकते थे, शेष लोट जाते थे क्योंकि नालन्दा उच्च शिक्षा ना ही रेन्ड्र था।

नालन्दा की पढ़ाई की चर्चा करते हुए इतिहास ने लिखा है कि यहाँ 'पञ्च विद्या' मुख्य तीर पर पढ़ाई जाती थी। ये थी—(१) 'शब्द विद्या' अर्थात् व्याकरण, (२) 'शिल्प स्थान विद्या' अर्थात् एला, (३) 'चिरित्सा विद्या', (४) 'हेतु विद्या' अर्थात् न्याय शास्त्र तथा (५) 'आव्याभ विद्या'। इसमें यही प्रतीत होता है कि यद्यपि नालन्दा महायान सम्बद्धाय था वेद्वाद् था तो भी यहाँ सब प्रशास्त थी विद्याएं पढ़ाई जाती थीं।

उन दिनों नालन्दा की चारों तरफ धूम थी। तिढ्यत, चीन, कोरिया, जापान, वर्मा, मुमाङा, जाया, तुर्कीस्तान से विद्यार्थी यहाँ आते थे। प्रातः से साथ तक यात्र विराद होते थे। प्रश्नोच्चर होते थे, और जैसे गुह शिष्यों को पढ़ाने में सहायता देते थे वैसे शिष्य लोग एक-दूसरे को पाठ के समझने में सहायता देते थे। नालन्दा का नाम इतना प्रसिद्ध हो गया था कि प्रतिष्ठा पाने के लिए यह कह देना पर्याप्त था। कि ऐसे नालन्दा में शिष्य पाई दै। इस भूठ मृठ अपने का नालन्दा का विद्यार्थी बदन लगा। क्योंकि नालन्दा में हरेक प्रेयस नहीं पा सकता था इसलिए नालन्दा के पड़े हुए का विदेष सम्मान की दृष्टि में देखा जाता था।

नालन्दा में एक विशाल पुस्तकालय था जिसका नाम 'धर्म पग' था। इस पुस्तकालय के तीन भाग थे—'रत्नमागर', 'रत्न दृष्टि' तथा 'रत्न रजक'। इनमें 'रत्नमागर' नीं महिल ऊँचा था, और इसमें 'प्रस्त्रा गारमिता मूर्त्ति' तथा अ-र ग्रनेह दुष्प्राप्य प्रवृत्ति था नींपह था।

भारत के भिन्न दोनों भेदित्वानि गिरा रहा रहने नालन्दा आते थे, उनमें से जागारुक तथा उमेह शिव आर्य देव के नाम विदेष उत्सेत छे योग्य हैं। ये दोनों दृष्टिज्ञ भारत हैं थे। नागा रुक्मिणी तथा आर्य देव जीपी शताब्दी में नालन्दा आरे थे नित्यमें

प्रवोत होता है कि यह संस्या चौथी शातावदी में पर्याप्त प्रसिद्धि प्रा-
कर चुकी थी। इत दोनों ने अनेक प्रन्थ लिखे थे। हुएन्त्सांग के
समय नालन्दा का कुलपति शीलनद्र था। वह जन्म से ब्रह्मज्ञ,
सन्यास ले चुक्का था और न्याय-शास्त्र का महान् पंडित था। शोल-
भद्र से पूर्व नालन्दा का कुलपति धर्मचाल या जो हुएन्त्सांग के आने
के समय अपन्नरा महल कर चुक्का था। वह ब्यक्ति का पंडित
था और दर्शण-भारत का रहने वाला था। ये सब निद्वान् दूर-
दूर से आकर नालन्दा में टिक गये थे, इससे शार छोता है तो
नालन्दा की स्थानीय सब जगह कैल चुकी थी।

भारतवर्ष की गिरावट के इस विरासत केन्द्र को पुत्तचल उच्चेत
विजितवार ने मुहम्मद गोरो के समय १२०० ईस्वी में जल्द छोड़
दात कर दिया। हसी विजितवार ने भारत के एक दूसरे विष-
विद्यालय विक्रमशिला को भी नष्ट-अस्त कर दिया।

मध्य-काल में शिक्षा

(EDUCATION IN MEDIEVAL PERIOD)

१—‘मुसलमान’-काल में शिक्षा

भारत का मध्य काल का इतिहास ‘मुसलमान’ तथा ‘मुगल’ यादशाहों या इतिहास दे। ‘मुसलमान’ काल के छ भाग सिये जाते हैं—‘गोरी वर्षा’, ‘गुलाम वर्षा’, ‘यिल-नी-वर्षा’, ‘तुगलक-वर्षा’, ‘सैयद-वर्षा’, ‘लोदी वर्षा’। ‘मुगल काल’ रा प्रारम्भ चावर स होता है, और यह अपेक्षों के भारत में आने पर समाप्त होता है। ‘मुसलमान’ काल १५७२ से १८५६ तक है। ‘मुगल काल’ १५२६ से १८५७ शान्ति के प्रारम्भ—अपेक्षों के यहा आने—तक है।

जिस द्रवार दूस धुके दे कि शायगु तथा बीदू काल में पार्थिक शिक्षा पर अधिक धल दिया जाता या इसी प्रवार मुसलमाना तथा मुगलों के काल में इत्तलाम री शिक्षा पर धिंगल धल दिया जाता था। यहाँ ए स्तोगों म ता ०४ दूसरे के विचारों के लिए महिलाओं तथा सदानुभूति थी भी नी, परन्तु मुसलमानों में मृदिंजा के नंजन के प्रति ही पिरोप उत्तमाद था। ये मृदिंजा के कान्दू मन्दिरों को तोड़ते थे, मरिजह बनाने थे, अच मता, कल्पियों को मुस्क्रमान बनाने थे, यहाँ के प्रचलित चिप्पालबों की जगह अपने दृथा अच मर्वों से मुसलमान

वने हुए वालको को शिक्षा देने के लिए 'मङ्गलतम' तथा 'मदरसे' खोलते थे।

गौरी-वर्ष के मुहूर्मद गौरी (११७७-१२०६) ने अब्दमेर में मन्दिर तुडवाकर उनकी जगह मर्स्जड़े बनायी और कुछ विश्वेशालय भी खोले। उसका फोई पुत्र न था, परन्तु उसके पास अनेक गुजारी थे। इन गुलामों की शिक्षा का इसने प्रयत्न किया था। इन्हीं गुलामों में मे एक का नाम कुनुबुद्दीन था, जो मुहूर्मद गौरी के पीछे दिल्ली का वादशाह बना, और उसके नाम मे गुलाम वर्ष (१२०६-१२६०) चला। कुनुबुद्दीन ने भी मन्दिर तोड़ घर मसिनड बनायी, इसी के पहले अफसर खिलाफर ने नालन्दा तथा विक्रम शिला विश्वविद्यालयों ने तहस नहस लिया। इसने मर्हियों के साथ 'मङ्गलतम' तथा 'मदरसे' लोगे। गुलाम वर्ष के बाद स्त्रियों वर्षा (१२६१-१२६२) आया। इस वर्ष के अल्प उन्हीं ने अपने पूर्वों द्वारा नुकाओं को दी हुई आरक्षाएँ उन पर ली और शिक्षा रो छिसी प्रचार सा प्रोत्साहन नहीं दिया। यिन्होंने बग के जाड तुगलक वर्ष (१२६३-१२८४) आया। इस वर्ष के मुहूर्मद तुगलक ने किन्नों को उनाड घर दीलगाराड जैनर दिल्ली बमाना चाहा, जिससे सब बने-बनाये मदरसे उनके गों, दिल्ली जो विद्यानों का दृढ़ थी उसमे कोई विद्यान हूँ ढने यो न मिलता था। याद छो इस वर्ष के फिरोज तुगलक के समय अवस्था कुछ नुधर गई। उसके पास १८ दूसरा गुलाम थे। वह उनकी शिक्षा के रितर म फिरोज चितिर था। कहते हैं उनने ५३ मदरसों की स्थापना की। जो शिवाजीन गुलामों के लिए खोले गये व उनमें उन्हें हाथ दी गयीं, छिपन तथा दूसरे दान सिखाये जाते थे। १२८८ में वैनूर न दिल्ली पर दूसरा छिपा जिसने जग सब गूढ़, नष्ट घट दे लिय

तथ स्वभावत शिक्षा की प्रगति भी रुक गई। तुगलक बंश के बाद मैयद-बंश (१४१४-१४५१) आया। सर्वदोंने बहायू को शिक्षा पा के न्द्र बनाया। मर्याद लोग शक्ति हीन और निरस्ते थे, ये कुछ न कर सके और दिल्ली राज्य का पतन होने लगा। इस समय भिन्न भिन्न प्रान्तों के शासक स्वतन्त्र होने लगे परन्तु स्वतन्त्रता प्राप्त करने के साथ साथ उन्होंने शिक्षा पा भी उत्तम प्रबन्ध किया। जीजापुर में इनाहीम शर्फी न अनेक मदरसे स्थापित किये, इन्हें जुगारे लगा दी गई, सफल विद्यार्थियों को इनाम नमगे, जागीर दी जाने लगी। उस समय जीजापुर भारत की मुसलमानी शिक्षा का ऐन्द्र बन गया। यीजापुर, गोलकुड़ा आदि सभी राजानों पर शिक्षा को प्रोत्साहन मिलने लगा। यीजापुर पा पुस्तकालय एवं विशाल रूप पारग्र बर गया। ओरंगज़ेब जय यीजापुर गया तो वहाँ से गाहियों भर पर पुस्तके लाया। सर्वद बंश के बाद लोटी बंश (१४५१-१५०६) आया। सिरन्दर लोटी ने आगरा को शिक्षा का ऐन्द्र बनाया। उसने अपनी सेना के मिशाहियों को शिक्षा देने के लिए अनेक मदरसे खोले। उसकी सादित्यिक गोप्यी में १७ विद्यालय थे। यह स्वयं क्षमि तथा माहित्य प्रेमी था। उसी रुममय 'तिच्य एसिन्दूरी' का निर्माण दृष्टा, जो चिरकित्सा का प्रन्थ था। यश्वरि मुसलमानों की घर्म-पुस्तक गुरान होने से भार्मिक भाषा 'अरवी' थी, तो भी उभयरानों में ग्रन्ती दोक्ती जाती थी। सिरन्दर लोटी के सनय हिन्दुओंने घरसीं पढ़ना शुरू किया। इस प्रबार हिन्दुओं तथा मुसलमानों के सम्पर्क से एक नयीन भाषा या निर्माण दृष्टा जो शारमी भित्ति म लियी जाती थी, जिसमें अरवी, शारमी के शोन्दर थे, परन्तु जो हिन्दुओं की बोलचाल की भाषा के अण्डरले में प्रभायित हो। एवं नयीन स्वपारले बर गई। इस भाषा या नाम 'उदुं' रखा गया। 'उदुं' का अर्थ है—'कैम्ब' में सर्व-

साधारण जनता से दूटी-कूटी भाषा में यातचीत हो सकती थी अब
इस भाषा को 'कैम्प की भाषा'—'डर्ट'—यह नाम दिया गया।

२ - मुगल-काल में शिक्षा

लोटी वंश के साथ 'मुसल्मान'-काल (१२७४-१५२६) समाप्त हो गया, और बायर ने 'मुगल'-काल' (१५२६ से १८वीं शताब्दी तक) को प्रारम्भ किया। बायर (१५२६-१५३०) अरबी, कर्तवी वथा तुर्की का विद्वान् था, परन्तु यह देर तक न जिगा। उसके पुत्र हुमायूँ (१५३०-१५५६) ने दिल्ली में एक मदरसा सुलगाया। हुमायूँ ने शाही पुस्तकालय को खोल लगाया, फारस भाषा के हुए उसे साव ले गया, पुस्तकालय में ही भय। हुमायूँ के मरने के बाद उसके मरुबरे के साथ एक मदरसा खोला गया। हुमायूँ के बाद शेरशाह (१५४५-१५४५) दिल्ली का बादशाह हुआ। शेरशाह के बाद अकबर (१५५६-१६०५) गढ़ी पर बैठा। अकबर का अर्थ-संविव टोटमल था। उसने नियम बना दिया कि सभ दिसान फारसी में रखे जांन। इससे हिन्दूओं को फारसी पढ़ने के लिए वाधिव होना पड़ा। इस समय 'उर्दू' को और अधिक प्रोत्साहन मिला। अकबर को शिक्षा से प्रियो त्रिपुरा घप्प उसने शिक्षा-सम्बन्धी विचारों को पृष्ठक लिला जूरा। अकबर के बाद जहांगीर (१६०५-१६२७), शाहजहां (१६२८-१६५८) हुए। शाहजहां के बाद लड़के बाप को दिल्ली विचारधारा से विरोग प्रेम था। उस ने अपने कु संस्कृत प्रत्येकों का फारसी से अनुवाद किया जिनमें उन नियमों का अनुवाद विशेष रूप से उल्लेखनीय है। शाहजहां के बाद औरंगजेब (१६५८-१७०७) गढ़ी पर बैठा। उसने भी मुसलमानों की उसी फूट नीवि या अनुचरण किया। मन्दिर तोड़े, मरिवंद परवायी, महिलाओं के साथ महल र तपा मरुसंग खोले। अहंगर दी वरद औरंगजेब के भी शिक्षा के सफलताएँ खले रिक्त।

थे। उनसा उल्लेख भी पृष्ठ किया जायगा। तैरि 'मुमलमान'-कुल को तैमूर ने धरा पहुँचाया था, वैसे 'मुगल'-काल को नादिरशाह ने हमले बरके धरा पहुँचाया और उसके बाद यहाँ की सम्पूर्ण शासन व्यवस्था के साथ साथ शिक्षा की व्यवस्था के भी अंगर पछर ढाँके पड़ गये।

३—अरुबर के शिक्षा-ममत्वी विचार

अरुबर अन्य दण्डों की भाँति न रहा, न धर्मान्ध था। उसने कत्तूर सीढ़ी में इसाई दाना नाम का एक छोल बनवाया था जिसमें भिन्न धर्मों के लोग अपने विचारों को प्रस्तु बरते थे। यदि सब धर्मों के मेल से एक नवीन धर्म की स्थापना बना चाहता था। हिन्दू मुमलमानों के पारस्परिक भेद ये यदि एस-द नहीं करता था, इसलिए उसने प्रयत्न किया कि हिन्दू तथा मुमलमान पृष्ठ ही मरमों में पड़े। इन मरमों में उसन संस्कृत का भी पाठ्य विषय में रखा जिसमें हिन्दू संस्कृत के साथ अर्थवी और धरेसा पड़े, और मुमलमान अर्थवी और रासी के साथ संस्कृत पड़े। शिशुलालयों के जल तुरन पढ़ाने के मरमों के स्थान में सने उनसा चेत्र विश्वात बनाया और नातिशास्त्र, गणित, दर्गन, हथि, चिकित्सा, वेषानिष—सभा विषय पढ़ाये जाने लगे। सम्पूर्ण मध्य-द्वादश के इतिहास में अद्वितीय तुरन ही पाठ्यर में शिक्षा रा तुरन ही जा सकता है, जब फि प्रवान्धता ने शिक्षा के चेत्र पर से तुक्क देर के लिए अवनावना दटा लिया था।

अद्वित के नित तथा सचिव अनुब बुजल ने 'आइन पृष्ठ अद्विती' में उसके शिक्षा-ममत्वी विचारों का उल्लेख दरते हुए लिखा है—“सब देशों में जानकारी दो मानों तक पाठ्यपाला में पहुँचाता था ही अन्याय घटना पड़ता है। पाठ्यपाल आता पहुँचा भाग पुस्तकों दुने में नहीं हो जाता है। पाठ्यपाल अद्वित का

हुम हैं कि प्रत्येक चालक को पढ़ने वाला है अब अलिलन्य सित्तान्य चाहिए। इस बान में वो दिन जो अविद्या नहीं लगाने चाहिए। इसके बाद अबरों वो जोड़ दर चित्तान्य चित्त देना चाहिए। इसके लिए एक चमाह चाही है। लिलन्य अजाने के बाद कुछ गद्य वापा पद्य स्मरण रखना चाहिए, परन्तु वर की हुद्द शर्धनाएं तथा धार्मिक राज्य भी स्मरण रखने चाहिए। यह देखन्य आवश्यक है। उन चालक नम टुक्क सब से, अच्छन्ह केरल नहायता देता रहे। इन प्रशार पदार्थ जापना वो चालक एक नहीं में या पक दिन ने ही उन्होंने पड़ जाऊय विवर आवश्यक चालों में बह नहीं पड़ पाया। एक चालक को नीति-शास्त्र, गणित, वृष्य, ज्यानिति, ग्योरिप, राजनीति, चिचित्त, न्यूर आदि सभी कुछ पढ़ाना चाहिए। सम्भव पड़ने गालों को व्य-रुरु, न्याय व्याप, वेदान्त तथा पन्नवालि दा क्षुयमन् दृपन्त चाहिए। वर्षमान पुग ने इसकी अत्यन्त आवश्यकता है।'

दिन्दू वया सुन्निम पाठ्य प्रश्नोली में यह भेद था कि हिन्दू लिलन्य पहचन नित्याते थे, पड़ना पीछे: 'मुच्चन्नमान पड़ना तदने चित्ताते थे, लिलन्य पीछे।' अच्छर ने देता कि हिन्दू-प्रश्नोली के अनुमार चालक जल्दी नीत जान था, उसन्होंने इस प्रश्नोली को अपनाने की सिरारिया रखी। सब ही इस उदारण से समझ हो जाता है कि यह अपने मनुष्य की प्रचालित शिक्षा में मनुष्य नहीं था, उन्हें तमुचित-मनमन्य था, उसने सब नियमों व सुन्नायें दर उसे प्रसन्न रखा चाहता था।

४—ग्रीरंगज्ञेर के दिष्टा-सम्बन्धी विचार

अच्छर के विवरों श्रीरंगज्ञे उटर था, उसने अनेक नन्दिर नोइस्ट नहिकरे यत्तरादं थी, तुरान पदाने के लिए नमन्तव खोले रे, परन्तु वह भी घरने चमर की प्रधानित रिक्षा से सन्तुष्ट नहीं-

था। श्रीरामज्ञेय का शिक्षक मुझाशाह था। जब मुझा जी को पता चला कि श्रीरामज्ञेय गही पर अधिकार पाने में सफल हो गया है, तो वे उसे मिलने आये। तान नाम तक श्रीरामज्ञेय उनसे नहीं मिला। जब मिला तब उसने इह—‘मुगा जी’ आप ने मुझे क्या पढ़ाया? आप मुझे यही रहते रहे कि सारा युरोप एक छोटा सा टापू है, जिसका पृष्ठे पुर्णगाल, फिर हालैड और फिर इन्डॉल के राजा शासन रहते रहे। आपने भूगोल तथा इतिहास की भी मुझे अनुद्ध शान दिया। क्या आप का रुक्तव नहीं था कि आप पुरु राजगुमार को रिता देने द्वारा उसे पुरियों की भिन्न भिन्न जातियों से विचित्र करते, उनके बलात्काल का परिचय देने, वे कैसे लड़ते हैं, उन का क्या पर्म है, कैमा शासन है—सब तुम यताने? साम्राज्यों का उद्य-अस्ति कैसे होता है, इन इन घटनाओं से विश्व में वानियाँ होती हैं—इन सभी शान देते? आप ने तो मुझे आपने साम्राज्य के संत्पापों तक से परिचित नहीं रखा। राजा के लिए भिन्न भिन्न भाषाओं का शान भावशक दे, परन्तु आपने मुझे अरवी के भिन्न तुद न सिराया। आप को तुम नहीं मालूम था कि राजगुमार को क्या-क्या पढ़ाना चाहिए, आप ने मेरा समय ब्यापरण और शब्दों के रटने में बरचाद कर दिया। मुझा जी! अंदर मेरे सामने से चले जाओ, जिसी को बाहर भी न रहे कि आप कीत हो, या आर और क्या दुआ?

मध्य-राज में जो रिता प्रचलित थी, उस पर श्रीरामज्ञेय की यह टिप्पणी पर्याप्त प्रधारा डालती है।

५—‘कृतर’ और ‘मदरसे’

इनमें देखा छि नभ्य तुग में दुमन्यानी रिता प्रदलों ने दो प्रधार दो स्थापेभ्यानि रहे—‘कृतर’ ताग ‘मदरसे’। ‘मदलर’ अरवी के ‘कुप’ रास्ते मन्य है, जिस य अर्थ है, ‘पूर्व स्थान

जहाँ शिकायत अर्थात् लिखना सिलाया जाय'। 'मदरम' शब्द 'कुस' से चला है, जिसका अर्थ है, 'दह स्वान जहाँ दर्स अर्थात् पाठ पढ़ाया जाय'। 'मक्कतव' प्रायमिक शिक्षा के विद्यालय ये जहाँ क्लोट यवे पड़ने के लिए बैठाये जाते थे; 'मदरसे' उच्च शिक्षा के विद्यालय ये जहाँ भूगोल, गणित, व्याकरण आदि उच्च निपटी की शिक्षा दी जाती थी। 'मक्कतव' में कुएन याद रखाई जाती थी, पढ़ना, लिखना तथा प्रायमिक गणित निपटाई जाती थी; 'मदरसे' का कभी 'मक्कतव' के बाट शुरू होना था। 'मक्कतव' तथा 'मदरसे' प्रायः मस्तिष्कों के साथ जुड़े होने थे, और मीलवी ही भर्म तथा शिक्षा भी देख-रेख करता था। निस प्रधार हिन्दू विद्यालयों से पूर्व 'उपनिषद' सम्बार करने ऐ इसी प्रधार मुसलमान 'विद्यमिज्जाह' छरते थे। जब चालक ४ साल, ५ महीने और ५ दिन का हो जाता था तब घर के लोग इन्हें होते थे, इसे उत्तम विद्या पढ़ना थे, सब के साथने लाइर बैठाते थे, उपनिषदे शुद्ध अलू उभं मुलवाने थे, श्रीरामार यह कुछ करते थे तथा रामायण देवा ये द्वं में 'विद्यमिज्जाह' बोलने दो बढ़ते थे। 'मक्कतव' तथा 'मदरसों' का जागीरातर लोग सहायता देते थे, इन्हें प्राप्त ने भी मदरसे मिज्जाही थी, और जब स्थानों पर्व दो जाती थी, तो ये नांदा-पर्व भी पर्व हो जाती थी।

६—'पाठशाला' तथा 'योग'

इसने देखा कि मुसलमान वा मुसल दाल में हिन्दूओं की संमूहीनि या कई नाम लेना नहीं था। यहाँ से संरक्षण न मिलने पर ऐसा होना थी था। जगह-जगह 'मक्कतव' तथा 'मदरसे' नहुल गये थे। हिन्दूओं की शिक्षा यो इक्षी प्राचार वा प्रो-स्थान नहीं रहा था। मेंने ममर में नी हिन्दूओं ने भास्तो निकाले हो जीवित रहा। हाँ, कर्गेहि उच्च समय इनमें संसायका करने वाल्य कोई नहीं रहा था, इमरिंग पर

शिक्षा अत्यन्त गिरी हुई अवस्था में पहुँच गई। जैसे 'मक्तव' मुसलमानों को प्राथमिक शिक्षा देते थे, वैसे 'पाठशालाएँ' हिन्दुओं को प्राथमिक शिक्षा देती थी, जैसे 'मदरसे' मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लेन्ड्र थे, वैसे यगाल में समृत की उच्च शिक्षा देने के शिक्षणालय थे जिन्हे 'टाल' कहते थे। भिज्जनिन्न तीर्थ स्थानों पर समृत के आचारे असने घर पर विद्यार्थी रखते थे, आर उन्हें दर्शन, ब्याहरण आदि की उच्च शिक्षा देते थे। जैसे 'मक्तव' मस्जिद में होते थे, वैसे 'पाठशालाएँ' वही वही मन्दिरों के अद्वातों में लगती थी। इस प्रकार मुसलमानों के उच्चर-स्थान में 'मक्तव'- 'मदरसे'- 'पाठशालाएँ'- 'टोल'- 'मस्जिद'- 'मन्दिर' शिक्षा की ओर दो जगा रहे थे।

७—मध्य-युग में प्राथमिक-शिक्षा

१८१३ में जब कम्पनी-सरदार के भारत में शासन लगे के चार्टर को पुनः स्वीकृति दी गई तब साथ ही यह भा निर्देश। १८४८ ग्राम कि १ ल र स्वयं भारत की शिक्षा पर व्यवस्था छिपा जाय। इस सम्बन्ध में कम्पनी-मरमार ने पहले यह जानना चाहा। शिक्षण के सम्बन्ध में यद्वाक स्थिति क्या है? इम सिलमिले मु सर टामस मनोरो ने ब्राह्मण प्रान्त में, यम्बुड के गवर्नर एलिजिटन ने यम्बुड प्रान्त में, विलियम गढ़म ने यगाज में जान-यद्वाक ही निसने अदेहों से पहले यहाँ दो शिक्षा के सम्बन्ध में निम्न घात हुएः—

(१) ब्राह्मण प्रान्त ने १८२० में सर टामस मनोरो ने जान शुक दी। ब्राह्मण प्रान्त के पतेस्टरो ने इसने करने विलो की १८२६ में रिपोर्ट में नी जिससे पत्ता चला हि ग्रान्त में प्रथमिक शिक्षण के १२४४८ लाख रुपये, उनमें १८८६१० यालड शिक्षा पा ए हैं शम्भु की जातारी १८८६१४८ है। इसमा अधिक रुप या हि-

१००० ब्यक्तियों की आवाजी के लिए २ स्थूल अवश्य या। जो चालक घर पर हो रिक्षा जा रहे थे वे इन संघरण ने रानिक नहीं थे। घर पर रिक्षा जाने वालों से नंगा बुन अविक्षयी थे।

इन १० वर्षों की अवधि में चालक रिक्षा प्रारम्भ करता था। रिक्षा प्रारम्भ करते हज बड़े गतों-पूजा करता था। चालकों के द्वारा पर उंगली ने लिखता था, और उसका अध्ययन प्रारम्भ हो जाया था। जब पश्चाला लगती थीं तभि विद्यार्थी इच्छे होकर सरलनी च सुनते पढ़ करते थे, और बाद से दो-दो छोटों दुसँहियों में बढ़ जाते थे। दोटे चालकों को सड़े गलवा पढ़ाते थे, जो वह नुस्खे पे उन्हें अन्यायिक पढ़ाते थे। इस प्रथर पढ़ ही अध्ययन अन्ते शिष्यों द्वारा लिखा जाने से पढ़ा जाता था। नृदास प्रान्त धूम इस 'शाहिन-पद्मिनि' को सराटलैंड के दावेल ने 'मानीटिर पद्मिनि' का नाम दिया, और इस परीक्षण को करने देश में ज्ञाते दिया। इस पद्मिनि के अनुच्चर सभ पंजों से पढ़ाई नीं होती रहती थी, और वहे विद्यार्थी 'ट्रॉड-टीचर' नीं बनवे जाते थे, एक प्रचार से यहों 'इत्वं द्विनिगुण्यून्म' का भी नाम देते थे। अब अन्याय के निर चलान पर रेता-निक्षा दिया जाता था, उस पर उमसों में लिखा जाता था, बाद वो चंचों पर कल्पन से लिखता लिखते थे, इन प्रथर ममते में यम चर जाता था। 'मानीटोसरी-पद्मिनि' वै-विच प्रचार नृन-पेशियों द्वारा गाने पर वज्र-दिया जाता है—तो प्रत्यर लिखने में दाप ये स्वयं-पर वज्र-दिया जाता था। गिरवी चपा पढ़ाइ एक योलना जाता था, और रेता पर लिखता जाता था। यादी वर्चे डबडे पीढ़े पीढ़े बोलते थे, और रेता पर लिखते थे। चौने, चैपैये तथा गर्भिन के गुप्ते पर बुन उच दिया जाता था। इन में ब्याहरी चालकों से जगत में सुन-सम्प्रस्त्रा निजती थी। अजम्ब इस वरक प्रयत्न नहीं दिया जाया है तिक्ते पढ़े-देहे

यानु याज्ञार म सौदे रा हिमाच करने के लिए कलम शास्त्र निराल लेते हैं परन्तु दुसान्नार सर चतानी नहीं देता है।

(२) यम्बद्ध प्रान्त म १८८६ में वहाँ के गवनर एलिंसटन न जार रखा है जिसमें पता रखा कि उस समय यम्बद्ध प्रान्त में १७०२ सूक्ल थे, ३२००० विद्यार्थी शिक्षा पा रहे थे, ४७ लाख की आयादी थी। विद्यालय में भर्ती होकर विद्यार्थी गाजनी मट्टी में लड़ाकी तरहां पर लिपना सीधा रहे, औं प्रश्नाप्रकृति के लिए दुप शाहरी पर मूली रूपम फेर छर पहले हाथ का साधते थे। गढ़ाम प्रान्त में जम प्रगर ने 'राज्ञिक पद्धति' (माताटर माटम) थीं पैसे यम्बद्ध में भी—विद्यार्थी विद्यायियों को सदायता देते थे।

(३) यद्वाल में १८३५ में विलियम एडम्स ने जार दी। उनकी रिपोर्ट से पता चलता है कि ददा ४ नराइ दी आयादी में १ लाख रुपूल थे—प्रत्येक गाँव में १ सूक्ल मीजूद था। तीन प्रधर के सूक्ल थे—चारसी सूक्ल, यद्वानी सूक्ल, मदागनी-सूक्ल। चारसी सूक्ल रे थे जिनका हम भरतव और मरात्मा ६ लूप म घर्णन रर आरे हैं। इनका चारसी पद्धार्द जाती थी, रे क गहरी के निए नीकर तागार रहने थे। यहाँली सूक्ल रे ये जिनमें ऐमाइस आदि वरण मिलाया जाता था, रे पटवारी तागार रहने थे। मदागना गूरु रे थे (जरार डगारातिया के बलदा था गणित, वही स्थाने आदि रा फाम खिलाया जाता था, रे मुनीम तवरार रहते थे।

इस जिस द्वारा वा उन्नेतर दिग्द है यदि जिन द्विसी एडम की सहायता में आप म आप चल रही थी।—हिंदू लोग प्रायः प्रधर, वैष्णवी अर्चर्मिनर रामाद्वारा वा उच्चाम मदागनी-राम सित्तने पा इत्ता भा, भारप्प लग इस स्वन म कियुगु

होते थे। रिहा को कुछ विशेष न मिला था। बालक घरों ने सीदा ला देते थे, उसी पर उनका गुचर होता था। त्योहारों के समय कुछ भेट आ जाते थे। यह आश्चर्य है कि जब छिसो से किसी प्रतार की सहाया नहीं मिलती थी तब भारत में प्रायमिन्द्र-रिहा पाये हुए व्यक्तियों को संख्या अम्बेजों के रिहा को अपने हाथ में लेने के समय से ऊँची थीं !

३०

ब्रिटिश काल में शिक्षा

(EDUCATION IN BRITISH PERIOD)

ब्रिटिश काल में शिक्षा को मुख्यतः चार कालों में बाँटा जा सकता है, जो निम्नलिखित हैं—

१७८० से १८१२ तक का प्रथम काल

१८१२ से १८५४ तक का द्वितीय काल

१८५४ से १८०० तक का तृतीय काल

१८०० से १८४३ तक का चतुर्थ काल

प्रथम काल (१७८०-१८१२)।—

भारत में अपेक्षी राजव सोन 'ईस्ट-इंडिया-कम्पनी' ने डाली। १७८० में गुलिंगमेट ने यह नियमण किया कि भारत में अपेक्षी पानून के स्थान पर भारतीय कानून जारी किया जाए। भारतीय कानून के बजाए पढ़ित तथा सीज़री जानते थे, अतः यह आवश्यक हो गया हि पढ़ित तथा मीलों विद्यार छिये जायें। इसी उद्देश से १७८१ में गार्जन हेमिट्रम ने मुसलमानों के लिए 'स्कूलचा बद्रमा' और १८१ में बनारस के रोडिंटॉन जोनाथन बैकन ने दिल्ली के लिए 'बनारम भग्नूत बालेज' की स्थापना की। इन दो पानेओं के अनियिक दब्बनी सरकार ने इस शाल में भारत की शिक्षा की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया।

२५८ 'शिक्षा-शास्त्र'—सिद्धान्त, विधि, विधान, इतिहास

द्वितीय काल (१८१३-१८५४)—

१८१३ में 'ईस्ट इंडिया कम्पनी' का भारत में ब्यागर करने में 'चार्टर' (आज्ञा-पत्र) पालिंगमेट द्वारा बढ़ाव दिला गया। सर चाल्स प्रान्ट के, जो कम्पनी के डायरेक्टरों में से थे, विरोप प्रवत्तन से, आज्ञा-पत्र बढ़ाव देने समय, यह धारा भी बढ़ा दी गई कि अन्य खाचों के बाद बच्ची हुँदूरकम में से १ लाख रुपया प्रति वर्ष भारतीय साहित्य के पुनरुद्धार, भारतीय विद्वानों के प्रोत्साहन तथा विज्ञानों की उन्नति के लिए लगाया जायगा। वर्षा वर्ष तक इस सभ्ये में कोई उपयोग नहीं किया गया। १८२३ में एक 'कमेटी' बना दी गई, जिसने 'समूल' तथा 'अखी' में पुस्तकें दूषणाना शुरू किया, और 'समूल' तथा 'अखी' को प्रोत्साहन देने के लिए 'कलकत्ता-संस्कृत-कालेज', 'आगण-कालेज' और 'दिल्ली-कालेज' की स्थापना की। इस 'कमेटी' में यह भगवान् उठ सज्जा हुआ कि 'समूल' तथा 'अखी' की पुस्तकें दूषणाना ठीक है या नहीं, इसमें यह का दूषणांग तो नहीं हारहा। साथ ही इस कमेटी में यह भी प्रत्यन खड़ा हो गया कि 'प्रायमिट-शिक्षा' (Primary education) का काम किया जाय, या नहीं? 'प्रायमिट-शिक्षा' के विषय में तो 'कमेटी' ने निश्चय किया कि इस काम में अभी हाय दालने दी आवश्यकता नहीं। ज्यो-ज्यों उष शिक्षा का प्रचार होता जायगा, त्यों त्यों उष शिक्षा शास्त्र किये हुए व्यक्ति अन्यों को शिक्षा देने का स्वयं स्वयं करने रहें, उनमें यह नीचे को माना छनवी रहेगी। इसे 'प्रिल के छनने के सिद्धान्त' (Filteration theory) कहा जाने लगा। अन्य दर्शाओं में तो 'प्रायमिट-शिक्षा' पढ़ाने दी जाती है, 'उष-शिक्षा' का प्रश्न पाइ की होता है, भारत के निरेवी शासकों को कुछ योंगे पहुँचिये व्यक्तियों की आवश्यकता पी, जो उन्हें रासान में

महाद दे सके, इसलिए यहाँ उल्टी गगा वही। 'उच्च शिक्षा' का प्रयोग किया गया, 'प्रावमिक-शिक्षा' को हाव ही नहीं लगाया गया। 'संस्कृत' तथा 'अरबी' के प्रयोग छपवाने के विषय में 'कमेटी' एुछ तय नहीं कर पायी। दो उल बने रहे, एक दल 'संस्कृत' तथा 'अरबी' का पक्षपाती था, दूसरा 'अमेरिजी' शिक्षा देने का पक्षपाती था। यह भगवान्ना चल ही रहा था कि १८३४ में लार्ड मैकाले पर्यन्त-जनरल लार्ड वैटिक की पार्थ-कारिणी समिति के सदस्य घनकर आये, और २ फरवरी १८३५ को उन्होंने अभनी टिपो^१ लिएर कर इस मण्डे का निपटारा कर दिया। लार्ड मैकाले ने लिखा कि हमें ऐसे व्यक्ति उत्पन्न करने हैं जो शरीर से भारतीय हैं, पुरन्तु उहन-महन, वेप भूषा, घोल चाल, विचार आदि में अपेक्षा हैं, जिन्हीं हमारा राज्य चल सकता है। उन्होंने यह भी लिखा कि भारतीय साहित्य का सपूर्ण भंडार एक तरफ रस दिया जाय, उसम् पारचात्य-प्रन्थों की एक अलमोरी में पढ़ी पुस्तकों के समान भी मूल्य नहीं। इस प्रसार अमेरिजी की नीव बाल दी गई, और अब शिक्षा के लेप में जो स्थिति दिराई देनी है उसम् सूखपात रही। १८३७ में अमेरिजी को न्यायालयों की भाषा बना दिया गया; १८४४ में लार्ड हार्डिंजन यह तय करा दिया कि उष्ण नीचरियों अमेरिजी पड़े लिखां को मिलेंगी। इन दोनों बातों का प्रभाव भी अमेरिजी को बढ़ाया देने में सहायक रुपा। इस सारे समय में 'प्रावमिक शिक्षा'-'विश्व-पिण्डालय शिक्षा'-'स्त्री शिक्षा' की तरफ फ़िसों का ध्यान नहीं गया, भारतीयों को अमेरिजी शिक्षा द्वारा अपेक्षा बनाने पर ही शिक्षा की खारी भरीनहीं जुटी रही।

पूरी प शाल (१८५४-१८००) — .

१८३३ में चिर-इंग्लैंड दिया हुए नीति दा 'चार्टर' (आज्ञा पत्र)

पालिंयामेंट द्वारा बदला गया। इस समय कम्पनी के 'योर्ड ऑफ कन्ट्रोल' के मुखिया सर चाल्स बुड़ थे। उन्होंने १८५४ में 'बुड डिसपैच' (Wood-Dispatch) लिखी—जो भारतीय शिक्षा का 'अधिकार पत्र' (मैमना चार्ट) बदलावा है। इस अधिकार पत्र के अनुसार, (१) प्रत्येक प्रान्त में 'डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन' की स्थापना की गई, (२) क्लरक्टोर, पर्मर्ड तथा मद्रास में 'यूनीवर्सिटीयों' की स्थापना का प्रबन्ध किया गया, और (३) प्राधिकार तथा अन्य शिक्षा संस्थाओं को सरकारी-सहायता (प्रान्त) देना स्वीकार किया गया।

१८५८ में 'हन्टर कमीशन' (Hunter Commission) को नियुक्ति हुई। इस कमीशन ने उपायरिता की कि (१) प्राधिकार-शिक्षा की तरफ सरकार द्वारा पहले की अपेक्षा अधिक ध्यान देना चाहिए। अब तक प्राधिकार-शिक्षा की तरफ सरकार का वासी प्यान नहीं गया। (२) प्रत्येक न्यूनिसिपलिटी तथा जला योर्ड में 'स्कूल-योर्डों' की स्थापना करनी चाहिए, जो अपने इलाके के प्राधिकार स्कूलों की रिक्ति-मासियालन-कर्त्तरे। (३) मान्यमिह-शिक्षा के सचालन का दाम अधिकतर जनता के सद्विषय पर, उन्हाँने प्रबन्धक-कमेटियों को सदायता पढ़ूँचा कर करना चाहिये। इसी साथ योर्ड सरकार ने अपने ऊपर नहीं लेना चाहिये। (४) अपनक गुरुलों में सिर्फ किवारी शिक्षा दी जारी है, व्यापारी शिक्षा देने वाली भी प्रबन्ध होना चाहिये।

चतुर्थ-धारा (१८००—१८८०)

१८०० से १८वीं शताब्दी समान दौरी है, और वीसी सदी शताब्दी प्रारम्भ होती है। १८०० से १८४८ तक है सबसे दो भागों में बटा जा सकता है। १८०१ से १८४८ तक वास्तव, तथा १८२० से १८४३ तक वास्तव का समय। इस समय हो गए भागों में पांटने का

पारण यह है कि १९४६ में भारत को मीनट-कोर्ड सुधारों के अनुसार शासन में पुढ़ उद्य स्वतंत्रता प्राप्त हो गई थी, १९५७ में तो भारत विलग्न ही स्वतंत्र हो गया।

१९०१ से १९४६ तक का समय—

१९०१ में लाइंड रज्जन ने शिमला में वायसेहाय की दैसियत में 'शिक्षा-परिपद' की अधिकारी और १९४४ में 'भारतीय सरकार की शिक्षा मंत्री नीति के प्रस्ताव' (Resolution on Indian Educational Policy) प्रोप्रित किये। इस नीति के अनुसार, (१) यदि निश्चय किया गया कि प्रावसिर, माध्यमिक तथा एलेज की शिक्षा के निवीं तीर पर विस्तार में जनता को सहायता द्वारा प्रोत्साहित किया जाय, सरकार नमूने के तीर पर अपने पुढ़ सरकारी शिक्षणलय रखें, परन्तु शिक्षा मा अधिक काम जनता के सहयोग से करें, जनता द्वारा सचालित शिक्षणलयों पर अपना निरीक्षण रखें, (२) प्रावसिर शिक्षणलयों पर पढ़ने से अपेक्षा अधिक बच्चे किया जाय, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड प्रावसिर शिक्षा पर जो बच्चे दरे यह प्रान्त की आमदनी में मै सबसे पढ़ले दिया जाय, (३) माध्यमिक शिक्षणलयों में जहाँ तक हो सके मातृभाषाओं माध्यम दिया जाय, (४) स्त्री शिक्षा सो मुख्य प्रियत करने के लिए लक्षितों के प्रावसिर मूल गोने जाय, उन्हें ट्रॉड किया जाय, और स्त्री-नूरीसिराएं नियन की जांर।

१९ मार्च १९५० में धीयुनू गोपलेने रामिराज्यमा में प्रावसिर शिक्षा को 'निश्चल तथा अनिश्चय' दत्तने के तीर प्रस्ताव पेश किया जो १३ फेब्रुअरी ३८ विषय में होने के द्वारा किया गया। इसके पछ मालयाद जाने पर्याप्त रूप से भारत में आपी और उन्होने प्रति पर्याप्त विद्या पर ५० लाख सरकारी सहायता की प्रोत्साही।

गोत्तले का प्रस्ताव तो गिर गया परन्तु सरकार द्य प्यान शिक्षा के प्रश्न की तरफ गये थिना न रहा। इधर जारी पचास वीं ५० लाख भी घोषणा से भी शिक्षा के प्रश्न ने खिशेप महत्व प्राप्त कर लिया। परिणाम स्वरूप ३१ फरवरी १९१३ तो भारतीय सरकार ने एक प्रस्ताव स्वीकार किया जिसके अनुसार, (१) यह निश्चय किया गया कि डिस्ट्रिक्ट-बोर्डों द्वा प्राप्तांवक शिक्षा के विस्तार के लिए अपने स्कूल खोलने चाहिये, प्राइवेट स्कूलों पर भरोसा रख कर नहीं बैठ रहन्य चाहिए, (२) यह स्वीकार किया गया कि स्वीकार का लगभग विलक्षुल प्रचार नहीं हो रहा, लड़कियों के लिये लड़कों को-सों पाठ्यार्थि बना देना चेत्र है, उन्हीं अलग पाठ्यविधि होनी चाहिए, (३) यह भी स्वीकार किया गया कि अब तक माध्यमिक-शिक्षा द्य काम जनता के निज परिधि पर ही छोड़ दिया गया है, परन्तु यह ठीक नहीं है। जनता को माध्यमिक-शिक्षा के प्रस्तार में सहायता देने के साथ साथ सरकार द्वा भी अपनी विस्तारी पूरी सरनी चाहिए, (४) यह भी यह गया कि युनिवर्सिटीजों की संस्था अब तक कुल पांच हैं जो इन्हें यह देश के लिए यहुत खोड़ा दें, इह है बड़ा बाय जाय।

१९१३ के उम प्रताव के होने के बाद १९१४ में प्रथम वित्त बुद्ध प्रारंभ हो गया। १९१५ में 'सैडलर कमीशन' द्वी नियुक्त हुई जिसने १९१६ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तावित की।

१९१० से १९१३ तक द्य छंटम—

१९१६ में विश्व द्वी प्रथम बुद्ध सम्प्रत दुआ परन्तु पाता-याता एक्स्ट्रा वित्त द्य हो गया। १९१६ में नीन्द्र कोहे सुधार प्रयोग-यित्र किये गये, परन्तु जनता में उनमें एक्स्ट्रा असन्वेष उत्पन्न हो गया। अमरिंग आनंदीजन ने देश द्वा एक सिटे से दूसरे सिरे वक्त दिला किया, उस्कों-क्षतेजों द्य परिष्कार शुरू हो गया।

१९२३ में वायु मंडल बुद्ध शान्त हुआ, लड़के फिर से स्कूलों में जाने लगे। असहयोग अन्दोलन के फल स्वरूप मई १९२८ में 'साईमन कमीशन' की नियुक्त हुई, जिसने शिक्षा सम्बन्धी प्रश्न पर विचार करने के लिए एक उप समिति का निर्माण किया। इसका नाम 'हारटोग कमेटी' (Hartog Committee) था। 'हारटोग कमेटी' ने १९२८ में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। इसने सिक्कारिशा की हि,(१) हमें प्राच्यमिक-शिक्षा पर पहले से अधिक ध्यान देना चाहिए। अब तक उच्च शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाता रहा है, प्राच्यमिक शिक्षा पर उम। परिणाम यह हुआ है कि देरा की अधिकारा मरण अभी तक अशिक्षित है। 'कमेटी' ने लिखा हि १९२८-२९ में जो वालक प्रथम श्रेणी में भर्ती हुए उनमें से १९२९-३० में केवल १५ प्रानशन चौथी श्रेणी में शिक्षा पा रहे थे। जो वालक पाठशाला में एक-दो बास ही पढ़ते हैं उनमें पढ़ना न-पढ़ना यात्रर है क्योंकि वे बुद्ध देर बाड़ सर बुद्ध भूल दर पर वैसे के वैसे कोरे हो जाते हैं। इस प्रश्नार वालों के 'मुमर्ग' तथा पाठशाला के 'धन' का अपव्यय होता है, इसलिए 'प्राच्यमिक-शिक्षा' का वाल कम-से-कम ४ वर्ष अवश्य रखना चाहिए। कमेटी ने यह भी कहा कि,(२) मार्गमिक शिक्षा का संचालन प्रायः इसलिए हो रहा है कि जो पढ़ते हैं सरको 'उनीवसिंटो' में भर्ती होना है। इसनायन को हटाने की आवश्यकता है। इसमें उपर यही है कि स्कूल में ही भिज्ज भिज्ज प्रसार की पाठ्निधि हो। जो वालक व्यापार अपना यन्त्र-विद्या की तरफ जाना चाहे वे उनी-वसिंटो जाने से पहले ही उपने मार्ग को निश्चित ढर सज्जे। यद्यपि वो एन्ड्रित करने के पारा कमेटी ने कहा हि,(३) भिज्ज-भिज्ज प्रामुखों की शिक्षा की गतिरिधि को एक सूर ने पारने के लिए दिल्ली में एक कमेटी होनी चाहिए जो सभ्यों एवं दिल्ली में

सके। यद्यपि १९२१ में 'सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ प्लूचेशन' यन चुका था तो भी वह अब तक समाज भी कर दिया गया था। 'हारटीग क्लेटो' वी सिक्कारिया द्वारा आधार पर १९३५ में इसे दिल्ली में फिर से जीवित किया गया। इस समय केन्द्रीय सरकार के आधीन यह बाढ़ काम कर रहा है।

'हारटीग क्लेटो' के बाद १९३५ में 'एनट एन्ड बुद्ध रिपोर्ट', १९३६ वर्ष में 'जाकिर हुसैन-नमिटी रिपोर्ट' अध्यया 'वर्षा-चौनला' १९३६ में वर्षा पी० में 'नरेन्द्र देव कुमिटि रिपोर्ट' तथा १९४१ में 'सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ प्लूचेशन' द्वारा तरफ से 'सार्वेन्ट रिपोर्ट' निकल चुकी हैं। इनमें भी प्राथनित, मान्यमिक तथा युनिवर्सिटी की गिरा पर अरने-यापने विचार प्रस्त छिपे गये हैं। शिक्षा पर विख्यात दृष्टि रत्नने के लिए इन सभाना विद्यार्थी द्वारा समय अध्ययन करना चाहिए। १९४७ में वो स्वराज ही मिल गया, अतः तरसे शिक्षा की दिक्कत का संचालन विदेशीयों द्वारा सेन होम युद्ध-भारतीय दृष्टि-संग्रह में होने लगा है। इस समय शास्त्र के साथ अन उन उन विद्यार्थियों के लिए जापानी रूपरक्ष समझ जा रहा है क्योंकि हमारी शिक्षा बुद्ध नितारो-शिक्षा ही हो गई है, अन उन, अर्थात् अन्य अपने अपने दृष्टि रत्ने ने हमारे पूरक घटावके हैं। इन सब परिवर्तनों के लिए अभी दृष्टि रत्नदी १९५२ को लखनऊ में निन्न निन्न विद्यालयों के उन सुल परियों को राज्यसाल और कन्देस्याजाल सुन्दरी के नेतृत्व में चैठाया दुर्द है। वे सब परिवर्तन हो रहे हैं, परन्तु अभी अवश्या प्राप्ति हमें प्राप्त कर समय दूजा है, इसलिए अभी विलुप्त घामूल, गुल परिवर्तन रखने का दामन-सूत्र के सचालहों दो समय नहीं मिल्य। अग्रणी है, नवीन दृष्टि में नवीन दृष्टि द्वारा से भारत के उन में जो अपनी नर्सन दिशा वा निर्वाण करेगा।

३१

शिक्षा का वर्तमान संगठन

(PRESENT ORGANISATION OF EDUCATION)

वर्तमान शिक्षा पर विचार परंतु के लिए हम उसे ज़म्मा भागों में बाँट सकते हैं —

- १—प्राथमिक शिक्षा (Primary Education)
- २—माध्यमिक शिक्षा (Secondary Education)
- ३—विश्वविद्यालय की शिक्षा (University Education)
- ४—प्रोफेशनल शिक्षा अथवा सामाजिक शिक्षा (Adult Education or Social service Education)
- ५—स्त्री शिक्षा (Women's Education)
- ६—व्यावसायिक शिक्षा (Professional Education)
- ७—दीर्घशिक्षण (Technical Education)
- ८—प्राथमिक शिक्षा (Primary Education)

मैंस मूलर के अनुसार अपेक्षों के आने से पूर्व चेपन वगाल में ही ८० हजार महिला, मदरसे और पाठशालाएँ थीं, अर्थात् ४०० व्यक्तियों के पांच लाख रह गया। इस समय प्रायः प्रत्येक व्यक्ति पढ़ाना चाहता था। अपेक्षों ने भारत आने पर शिक्षा की तरफ विलुप्त ध्यान नहीं दिया। पाइरी लोगों द्वारा देसे लगे थे, परन्तु अपेक्षा उच्चनीचियों ना क्यन था कि जैसे शिक्षा देने से

अमरीकन उपनिवेश अमरीका के द्वाध द्वे निकल गये, जैसे भारत भी हमारे हाथ से निकल जाएगा। १८९३ में भारत में शिक्षा पर लवच करने के लिए एक लाख रुपी राशि निरिचत की गई, परन्तु 'प्राधिमिक-शिक्षा' के सम्बन्ध में यही कहा गया कि उद्देश्य प्राप्त करने पर अपने-आप यह ऊपर से नीचे को छुटेगी, इसे 'शिक्षा के छुनने का सिद्धान्त' (Filteration Theory) कहा जाने लगा। मैकाशे भी इसी विचार का पृष्ठ-पोपक था। १८५४ की 'बुड़-रिपोर्ट' में पहले पहल यह स्वीकार किया गया कि प्राप्तिक शिक्षा देना भी राष्ट्र का काम है, और इसके लिए प्रान्त दी जानी चाहिए, परन्तु इत्यात्मक रूप में कुछ नहीं किया गया।

✓ १८८२ में 'हन्टर कमीशन' ने पहली बार स्पष्ट पोपल की कि अब तक जिस गति से सरकार की तरफ से प्राधिमिक शिक्षा चर्का र्यार्ड किया जा रहा है वह असम्भोप-जनक है, उसे अधिक बेग से करने की आवश्यकता है। म्युनिसिपल तथा डिस्ट्रिक्ट-बोर्डों को आरेश दिया गया कि स्कूलों के लिए एक विशेष नियम द्वारा अहंग से रखे जिसमें से एक निरिचत मात्रा 'प्राधिमिक शिक्षा' पर सहायता के रूप में बनव करें। साथ ही यह भी कहा गया कि 'सझावता उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर दी जानी चाहिए। इस आदेश का भी 'प्राधिमिक-शिक्षा' के विस्तार पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। वीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में जब सम्पूर्ण मानव समाज 'प्राधिमिक-शिक्षा' के विस्तार में जुटा हुआ था, तब भारत की गाढ़ी कुएँ की चाल से ही उल्टी रही थी।

✓ १८८४ में लार्ड कर्चर्टने भारतीय शिक्षा की नीति दी पोपल की जिसमें सुने गीर से स्वीकार किया गया कि 'प्राधिमिक शिक्षा' पा सम्बालन सरब्द के मुद्रण कर्तव्यों में से एक है। १८१० में भीमुनि गोसले ने 'प्राधिमिक शिक्षा' को 'निगुल्ह' तथा 'अनियार्य'

यनाने के लिए शासिका सभा में प्रस्ताव रखा। १९११ में उन्होंने इसी आशय का एक विलंपेश किया जो १३ के विरुद्ध ३२ मत से गिर गया। सरकार 'प्राथमिक शिक्षा' रा बोर्ड अपने ऊपर लेने के स्थान में जिला बोर्डों के कन्धों पर ही यह बोर्ड ढालती रही। इस बीच १९१४ १८ में प्रथम विश्व युद्ध प्रारम्भ हो गया, और १९१६ में मॉट 'कोड मुधार जारी किये गये। १९१८ २० में भिन्न भिन्न प्रान्तों की सरकारों ने 'प्राइमरी एज्यूकेशन एस्ट' पास किये जिनके द्वारा ६ से १० वर्ष की आयु तक 'प्राथमिक शिक्षा' को 'नि गुल्फ तथा अनियार्य' यनाने रा अधिकार म्युनिसिपैलिटियों और डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को देखत जनता के द्वारा में दे दिया गया।

'प्राथमिक शिक्षा' के सम्बन्ध में अनेक प्रश्न हैं जिनका दृष्टि किया जाना आवश्यक है।^१ सब से मुख्य प्रश्न वो यह है कि इस समय जो लड़के पढ़ना शुरू करते हैं, एक दो साल में ही ये सूक्ष्म छोड़ देते हैं, ये इतना थोड़ा पढ़ पाते हैं कि युद्ध ही दिनों में ये ये पढ़े से हो जाने द्वै। शिक्षा की मर्शीन का यह 'अपव्यय' कैसे रोका जाय? इस 'अपव्यय' को नहीं रोका जाता तो नये विद्यालय खोलना न खोलना चाहयर है। इसे रोकने के लिए 'प्राथमिक शिक्षा' पा अनियार्य किया जाना आवश्यक है। इर चालक दो इसे १० वर्ष सी अवस्था तक पढ़ाना ही दागा। १९२८ में 'दार्टीग' कमेटी ने यही विचार प्रस्तु किये। १९३८ में महात्मा गांधी भी प्रेरणा से 'जाहिर हुसेन कमेटी' ने ७ से १४ वर्ष तक यी अवस्था के लिए नि शुल्क तथा अनियार्य 'प्राथमिक शिक्षा' की योजना तयार की। 'जाहिर हुसेन कमेटी' पर पुनः विचार करने के लिए यम्बै औ तत्कालीन प्रधान मन्त्री भी युनियन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी जिसने ७ से १४ के स्थान में ६ से १५ वर्ष तक 'निगुल्फ तथा अनियार्य प्राथमिक शिक्षा' दोनों के विचार की।

समर्पन किया। १९४४ में 'सोलेट रिपोर्ट' प्रकाशित हुई जिसमें ३ से ६, ६ से ११, ११ से १४ वर्ष—इस प्रमाण 'शिक्षा' को तीन भागों में बांट कर 'प्राथमिक शिक्षा' का नवीन संगठन करने का प्रयत्न किया गया। अब तो शासन सूत्र अपने दाय में है। 'प्राथमिक शिक्षा' ना भारत की सम्पूर्ण जनता पर १०-१२ साल के बाट यहां भारी प्रभाव पड़ने चाल्य है। इस सूत्र को सोच पर शासन से शीघ्र इसमी तरक्कि नियात्मक ध्यान देने की आवश्यकता है, क्य कि प्रस्ताव तो पहले भी बहुत होते रहे हैं, और हो चुके हैं।

२—माध्यमिक शिक्षा (Secondary Education)

अमेरिकों की भारत के शिक्षा के क्षेत्र में एक ही देन है, और यह है 'माध्यमिक शिक्षा'। ऐकाले के अपनी रिपोर्ट लिखने के पहले से यहां इसाई पादरियों ने हार्ड स्कूल सोले हुए थे। पात्री लोग जिस लगान से काम कर रहे थे, और उनके कार्य से भारतीयों ने जो परिवर्तन आ रहा था, उससे प्रभावित होकर सरकारी प्रान्ट के हड्डय में यह पिछार उत्पन्न हुआ कि भारतीयों को शिक्षित करना आवश्यक है। यह पहले कम्पनी की नीकरी कर चुके थे, पर पालियामेंट के सदस्य बने, और कम्पनी के डाररेक्टरों के बोर्ड के चेयरमैन बने। १८१३ में जब कम्पनी द्वारा दुयारा आज्ञा प्रदिया गया तब उन्होंने 'लात्स करण प्रति-पर्पे शिक्षा प्राप्त एवं शर्न नी स्त्रीहृत कर ली। उसमें लिखा गया छि 'विद्या क पुनर्जीवन' (Revival of Learning) तथा 'विद्यान की वृद्धि' (Promotion of Scientific Knowledge) के लिए ३ लाख रुपये द्य ब्यव दिया जाय। पहले तो यही मार्ग चलना रहा छि 'सिस' विद्या द्य पुनर्जीवन दिया जाय—समृद्ध तथा अर्थी का, य अमेरिका का, य अमेरिका का? यहां देर तक युद्ध चमत्कार नहुआ। इनके भारतीय यही प्राइवेटे द्ये छि अमेरिका शिक्षा ही ही जाय।

राजा राममोहन राय ने तो इसु आशय का गवर्नर-जनरल को एक आयेडन-पत्र भी दिया। १८१७ में राजा राममोहन राय ने डेविड हेयर नामक एक घटद्वयों के व्यापरी के सहयोग से 'हिन्दू कालेज' की स्थापना की जिसमें अप्रेज़ी एडार्ड जाने लगी। १८३५ में मैसाले ने अपनी रिपोर्ट लिता वर अप्रेज़ी शिशा की जड़ें पाताल तक पहुँचा दी। मैसाले से पहले भी अप्रेज़ी ट्रग फे रूलों की ही माग थी, मैसाले ने उभी बात पर गोहर लगा दी। अप्रेज़ी पढ़ रुट ही जय नीरी मिलती थी, तब और तुद्ध कोई क्यों पढ़ता। आज जैसे नीरहि के लिए इमारे पालठ दाढ़प करना सीखते हैं, वैसे उम समय आजीविता के प्रश्न को छल करने के लिए स्कूल में भर्ती होते थे, अप्रेज़ी सीखते थे। १८३७ में न्यायालयों की भाषा भी अप्रेज़ी ही रर दी गई, १८४४ में लार्ड हार्डिज ने घोषणा वर दी कि अप्रेज़ी स्कूलों में पढ़े लर्नों को नीररियों में प्रधानता दी जाये। इस सारी नीति का परिणाम यह हुआ कि 'माध्यमिक-स्कूल' पड़ापड़ स्कूलने लगे। शिशा के लिए जितना लागा स्त्रीजुह होगा था उसने 'प्राप्यमिक-शिशा' पर तुद्ध बद्य नहीं हाता, 'माध्यमिक' पर ही सब ब्यय हो जाना था।

२ हेटर रमोशन (१८८२) ने इस स्थिति को समझा। उन्होंने 'माध्यरिया' की ही सरकार को अनन्ती शक्ति 'माध्यमिक शिशा' से दृटा लेनी चाहिए, यह राम प्राइवेट मंस्तानों हे रुपुर्द दर देना चाहिए, उन्हें सशायना-मात्र दे देना चाहिए। इन्हा वरि राम सो यद होना चाहिए था कि 'माध्यमिक-शिशा' से पचे रुपये को सरकार 'प्राप्यमिक शिशा' पर खर्च करनी। वैसा तुद्ध वो सरकार ने हिता नहीं, इसर मेरिछ सो तद्यारा रघनदाने-स्कूलों की भरमाई दो गई, सून चलाना भी एक बगानार भा हो गया। मेरिछ जाम_ही, याठ०प० किंग, ऑर कोइ न काइ नोट्प

हाथ लगी, फिर क्यों न स्कूलों सी सख्त्या बढ़ती। जब स्कूल-चर्चरत से ज्यादा बढ़ गये, तब इतने मैट्रिक पास व्याख्याओं की नीकरियों की भी तंगी होने लगी। इसके अतिरिक्त मैट्रिक पास से बी० ए० का अद्वितीय अधिक था, इसलिये कालेजों में बाढ़-सी आ गई। लड़का पढ़ सकता है या नहीं, इसकी पर्याप्त नहीं थी, किसी तरह से इम्तिहान पास करके नीचरी का विचार बालकों द्वारा आगे-ही-आगे ले जाता था। युनिवर्सिटियों में ऐसे लड़कों की भरमार हो रही थी जो घोट-घाटकर मैट्रिक वो पास कर आते थे, परन्तु प्रोफेसर का व्याख्यान नहीं समझ सकते थे। ५८४
ओर १८१३ में 'भारतीय शिक्षा की नीति' की घोषणा की गई
निसमें स्वीकार किया गया कि स्कूल की पढ़ाई निरुद्देश्य चल
रही है, लड़कों के सन्तुष्ट मैट्रिक पास करके युनिवर्सिटी में भर्ती
होने के सिवाय कोई उद्देश्य नहीं होता। इनके परिणाम स्वरूप
एस० एज० सी० की परांजा रसी गई जिसका उद्देश्य यह था कि
चालक मैट्रिक का इम्तिहान दिये जाएं अगर छिसी धन्ये में
जाना चाहता दे तो इस परांजा को देख जा सके। १८२१ में
'हार्टीय सेटी' और १८३७ में 'प्रयट तथा चुड़' रिपोर्ट प्रगतिशील
हुई जिनमें रखा गया कि स्कूल में ही विषयों का ऐसा निर्माण
हो जाना चाहिये-जिससे चालक अपनी सचिक के अनुसार ऐसे
विषयों को चुन सके जो उसे जीवन में सहायक हों। प्रत्येक
चालक 'युनिवर्सिटी' की शिक्षा के बोग्य नहीं होता। अब तक
वो पढ़ाई का नेमा रूप था कि स्कूल में विद्यार्थी अपने को युनि-
वर्सिटी में भर्ती होने के लिए तय्यार करता था। मैट्रिक पास ही
या तय हो चह 'युनिवर्सिटी' में भर्ती हो गया, उसमें भविष्य
उम्मल हो गया, नहीं तो सारी पढ़ाई परानी थिर गया।
१८४६ में 'मैट्रिक एड्याक्यूले योंग' ने 'नरेन्द्रदेव कमेटी' तथा

'सार्जेन्ट रिपोर्ट' पर पुन विचारकर यह निश्चय किया कि स्कूल की 'माध्यमिक' शिक्षा अपने में पूर्ण होनी चाहिए, उसमें वह हुए विद्यार्थी 'शुनियर्सिटी' में तो जाने ही चाहिए, परन्तु पाठ्यविधि ऐसी होनी चाहिए जिससे जो वीच में छोड़ना चाहे तो छोड़कर किसी उद्योग धन्धे में भी लग सक। इस विचार को सम्मुख रूपकर १६५८ में युक्तप्रान्त में दर्दी थेरेणी के बाद ६वीं से १२वीं थ्रेणी तक माध्यिक, रचनात्मक, वैज्ञानिक तथा कलात्मक पाठ्यविधियों का चलन किया गया है। परन्तु अब भी हमारी पाठ्य प्रणाली बहुत कुछ फिलायी ही चली आ रही है, इसमें किनाबी-पन, परेंज़ा, रटना आदि को कम करके कियात्मकता, रुचि अनुकूलता आदि लाने की आवश्यकता है।

३.— विश्व विद्यालय (University)

१८३५ में मेदाले ने किया था कि इस समय हमें ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है जो शासकों तथा शासिना में दुभाषिये वा काम कर सकें। ऐसे ही व्यक्ति पेंदा करने में शिक्षा या सपूर्ण संगठन लगा हुआ था। १८५७ में पहले स्कूल और वारेज यह काम कर रहे थे, १८५७ में 'गुनीवर्मिटी एन्ट' पास हिया गया जिसके अनुसार फ्लॉट्स, बम्बई तथा मद्रास के विश्व विद्यालयों का स्थापना यी गई और उन्होंने मेदाले वा कार्य शुरू कर दिया। पजाय विश्व विद्यालय १८८२ में, अलाहाबाद १८८७ में, बनारस तथा मेसूर १८९६ में, पटना १८९७ में, उस्मानिया १८९८ में, अंतीगढ़ तथा लस्तनऊ १८९० में, ढाका १८२० में, दिल्ली १८९२ में, नागपुर १८९३ में, आन्ध्र १८९६ में, आगरा १८९७ में, अन्ध्र मध्या १८९६ में, द्रावन्धोर १८९७ में, और उत्कल १८५३ में स्थापित हुए। यजपूतान्ध्र, मद्रासपुर, आमाम में यश्व विद्यालय स्थापित करने के प्रयत्न हो रहे हैं जिनमें राजपूताना अव बन चुके हैं।

प्रारम्भ में विवर विद्यालयों का नाम परीक्षा लेना तथा भिन्न भिन्न कालेजों को अपने साथ सम्बन्धित रखना था। धोरे धोरे इस बात को अनुभव किया जाने लगा कि क्लेयल परीक्षा लेने वाली मत्त्या पढ़ाने-लिखाने के कियात्मक क्षेत्र में सर्वदा रटी रहती है, अतः वास्तविकता से दूर रहती है। इस तथा अन्य दोषों का गुर करने के लिए १९५४ में 'डाइरेक्टर यूनीवर्सिटी एम्स' प्रमुख नियम जिसमें यह निरचय किया गया कि विवर विद्यालयों में व्यवहार क्लेयल परीक्षा लेना ही न होगा, वे पढ़ाने लिखाने का अभी काम करेंगे, अरने लेस्चिपर, प्रोफेसर रखेंगे, अरने पुलवात्तु तथा परीक्षण रालोएं याचेंगे। अब तक सीनेट के सदस्यों की संख्या निरचत न थी, वे जन्म-भर सदस्य रह सकते थे, सब सरकारी आदमी होते थे। इस एकट के अनुमार सदूचा निरचत रह दी गई, और सदस्यता का सन्य ५ वर्ष कर दिया गया। सिन्डीट के मदस्यों को अब तक योई वैधानिक अधिकार न था, उन्हें भी वैधानिक अधिकार दे दिया गया। अब तक विवर विद्यालय प्रने आधीन व्यवेजों का निरीक्षण भी नहीं कर सकते थे, इस एकट के अनुसार उन्हें निरीक्षण का अधिकार भी दिया गया।

✓ १९५७ में भारत सरकार ने 'कलश्चा यूनीवर्सिटी रमीशन' निरुक्त किया, इसका नाम 'सैडलर कमीशन' भी था। 'सैडलर कमीशन' ने अनेक सिराहितों से जिनमें से गुरुत्व यह थी कि इस चम्प यूनीवर्सिटी के ११-१२ पी के द्यात्रों की योग्यता इन के विद्यार्थियों को सो-सो होती है, अतः वे क्लास करने को युनाय-सिटी द्ये रहाए हैं, परन्तु याचन में सहज को ही है। इस वरेस्य से उद्दीपन विद्यालय या कि इन दोनों को अलग स्तरके 'इन्टर-मीजिंग' क्लेनों-मी यूनीवर्सिटी से छलग-स्थापना का जाय। 'उन-विंटर्स' पर जो अन्यवर्ग का छलता है यह भी इसने

कम हो जायगा, और वे अपवा राम रुने म स्वतन्त्र हो जायगी। मेट्रो तथा इन्टरमीजियेट की पाठ्यिधि बनाने तथा परीक्षा लेने रा कार्य 'यूनीवर्सिटी' को न करके 'वॉर्ड आ०फ मेट्रोनडरी एण्ड इन्टरमीजियेट एज्यूकेशन' को करना चाहिए। 'सेंडलर कमीशन' की इन सिनारिशा का अनेक प्रान्तों ने मानकर उसके अनुसार ग्रन्थक घाँटों रा निर्माण रुर 'यूनीवर्सिटियो' रा बोझ हृत्ता रुर दिया।

'यूनीवर्सिटिया' दो प्रकार की हैं। एक तो ऐसी जो एक ही जगह के विद्यार्थियों को पढ़ाने का प्रबन्ध करती है, इन्हे 'यूनीटरी' (Unitary) यहा जाता है, दूसरी वे जिनमे पढ़ाने का प्रबन्ध तो होता ही है परन्तु दूसरे को लेजों का भी उसके साथ सम्बन्ध होता है, इन्हे 'एफ्युलियेटिंग' (Affiliating) कहते हैं। अलीगढ़, अलाहापाट, नानास, दासा, लरमड़, दिला, मिसूर, हेड्रायाट, द्वारनगर के विश्व विद्यालय 'यूनीटरी' हैं, आगरा, आन्ध्र, कर्नाटक, कलकत्ता, मद्रास, नागपुर, पटना, पंजाब, उत्कल तथा राजपूताना के विश्व विद्यालय 'एफ्युलियेटिंग' हैं।

भारत के स्वतन्त्र होने के बाद से भारतीय सरकार 'विश्व विद्यालयों' को समस्याओं रा नरान हांचि रोण मे दल रुने मे लगी दुर्द है, और इमलिं १९५८ मे सर एधारुल्लाल को अन्यक्षता मे एक 'यूनीवर्सिटी इनीशन' बनाया गया। इसको रिपोर्ट प्रसारित हो चुका है परन्तु इसके अनुसार अभी अधिक कार्य नहीं हो पाया।

४—प्रीइ-शिक्षा (Adult Education)

प्रोटे यन्हों को शिक्षा देना प्रारम्भ रक्के उन्हे 'माध्यमिक' तथा 'उच्च शिक्षा' देने के अतिरिक्त कई देशों ने निरस्ता को दूर रुने के लिए प्रीइ-शिक्षियों को शिक्षा देने के परिसुत्त भी गुरुस्ति हैं। उन्होंने अन्त में ग्रिटेन में, १८वीं शताब्दी के प्रारम्भ मे अन्दरों मे 'प्रीइ-शिक्षा' के प्रयत्न शुरू हुए। उनमारु तथा

स्विट्जरलैंड ने भी इन परीक्षणों को किया। हस्त में तो यह परीक्षण बड़े उत्साह से किया गया। चौन, ईपन वथा टर्फ़ ने भी प्रीइ व्यक्तियों को पढ़ना-लिखना सिलाने के सहारनीय प्रबलन किये। भारत में जब चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में राजसचा चली गई तब अनेक प्रान्तों ने 'प्रीइ रिक्षा' का आनंदोलन चड़ा किया। १९३५ में मोगा में 'प्रीइ रिक्षा-सम्बोलन' बुलाया गया जिसमें अमरीका के डा० लावेर ने अपने किलिपाइन के परीक्षण के अधार पर यहाँ भी 'आनंदोलन' खड़ा करने का प्रतिनिधियों को उत्साह दिया। इन आनंदोलनों के परिणाम-स्वरूप 'इंडियन एडल्ट एजन्सेज एसोसिएशन' की ध्यापता द्वारा जिसने १९३६ में 'उद्धिक्षण जनरल आर एडल्ट एज्यूकेशन'-नामक द्विमासिक पत्र दिल्ली से प्रकाशित करना आरम्भ किया। बिज्ञ भिज्ञ प्रान्तों में 'पढ़ो और पढ़ाओ' (Each one teach one) का आनंदोलन खोर शोर से जारी किया गया। इस आनंदोलन का पत्र यह हुआ कि पढ़े-लिखों और संखग जो न-प्रातिशब्दी, उड़चर १२ प्रतिशत हो गढ़। १९३८-३९ में सब प्रान्तों में मिलाउर ५५३३ 'प्रीइ-सूल' नमून गये जिनमें १,५५६८३ प्रीइ रिक्षा पा० रहे थे। भारत जैसे देश में जहाँ निरक्षरों की सख्त बद्रुत अपिक है 'प्रीइ-रिक्षा' के आनंदोलन से ही रीवर-से रीवर निरक्षरता को मात्रता में परिवर्तिया जा सकता है। इस कार्य में जहाँ निःन्यार्थ सेवा करने वालों समर्थाये सरकार ना दृष्टि वया समर्थी है वहाँ 'पिरुप रिपोर्ट्यों' के द्वारा अपने-दीर्घियासा में गाय-गांव में साक्षरता का प्रचार कर बद्रुत यता काम रह सकते हैं। इस आनंदोलन से प्रान्त अनुभव के आधार पर अब 'प्रीइ-रिक्षा' के आनंदोलन को 'सामाजिक शिक्षा' (Social Education) का रूप दिया जा रहा है जोकि प्रीइ-सम्बन्धियों के बाल अद्वारा मिग्या देना भानी नहीं है,

अक्षराभ्यास के साथ साथ उन्हें नागरिकता की अन्य बातें भी मिलाई जा सकती हैं, जिनमें प्रत्येक निरचर प्रौढ़ व्यक्ति अक्षर सीखने के साथ ही समाज का एक उत्तम अद्वा भी बन सके।

५—स्त्री-शिक्षा (Women's Education)

लार्ड कर्जन ने १८०४ में 'भारतीय शिक्षा नीति' का प्रस्ताव स्वीकार किया जिसमें कहा गया कि भारत में स्त्री शिक्षा की प्रगति सन्तोष जनक नहीं। यह भी कहा गया कि सरकार इह आदर्श कृप्या पाठशालाएँ खोलेगी, कन्याओं की शिक्षा पर पहले में अधिक धर्च करेगी, अध्यापिकाएँ टूटे न करेगी, और स्त्री शिक्षा को बढ़ाने के लिए निरालिकाओं को सहयोग देगी। १८१३ में भारत मरमार ने शिक्षा के सम्बन्ध में कुछ और प्रमाण स्थीकृत किये जिनमें फिर कहा गया कि स्त्री शिक्षा की गति बहुत धीमी है। यह भी कहा गया कि कन्याओं की पाठविधि बालकों में गुणकृत उनसी आंशक्यता को देताहर बनाई जानी चाहिए, यह बालकों की पाठविधि का नफ्ल ही नहीं होनी चाहिए, न परीक्षा पर ही इनका अधिक धन देना चाहिए। १८२८ में 'हारटोग कमेटी' ने लिया कि यद्यपि इस दोष में स्त्री शिक्षा और यांत्री प्रचार हुआ है, तो भी लड़कों तथा लड़कियों में अभी तक प्रतिशत से ज्यादा में यदून अन्तर दें। इस कमेटी ने यह भी सिद्धान्त दी कि धोंडे-धोंटे स्त्री शिक्षा को 'अनियाय' बता देना ठीक होगा।

ऐसे तो अत्यन्त प्राचान द्याल में भाल में स्त्री-पुरुष की शिखा में दोहरे भेद न था, तो नी हैरमें यहाँ स्त्रियों की शिक्षा की वरका पिल्लुन ध्यान नहीं दिया जा रहा था। सरकार की तरफ से जो धोंडा यदून प्रयत्न हो रहा था उसमें माता-पिता का सहयोग नहीं था। हाँ, मुद्दाजा गार्डी ने जप से भाव से स्त्री उन्नती को अपने-

दाय में लिया तब से स्त्री-शिक्षा के प्रति जनता ना दृष्टि-स्तोत्र बदल गया। नहाता ने भारत की स्त्री-जाति से चुनीं थीं, और दूसरी स्त्री-स्तर-वर्गा ने दाय बढ़ाने को ललझा। परिस्तर्म यह हुआ कि मिथियाँ पड़ा कहे कर जगत में आ गईं, एवं सिरे से दूसरे सिरे तक मिथियों ने जागृति हो-जागृति दिनार्दे देने लगी। इस जागृति का स्त्री छिपा पर प्रभाव पड़ता अपरम्परामयी था। जहाँ १८२५ से १८५५ लड़कियों ने जटिक पास किया, १८५५ प्रेज़िल्ड बनी, वहाँ १८३५ से १८५५ ते जटिक पास की, और १८५५ प्रेज़िल्ड बनी। किरणी पिंडली जन-जगता के अनुसार १८५१ प्रारंभिक मिथियाँ ही शिक्षित थीं। इससे पहला कारण तो यह है कि स्त्री-शिक्षा पर अभी उनका व्यव नहीं किया जा रहा है जिनका चरन चाहिए। १८५५ में शिक्षा प्रारूप जिनका व्यव कर रखे थे उन्होंने १८५५ प्रारंभिक स्त्रियों की घिरापर व्यव हो रहा था। दूसरा कारण यह है कि लड़कों तथा लड़कियों की एक ही दृष्टि-सी शिक्षा चल रही है। यह आनंदक है कि लड़कियों की शास्त्र लड़कों की शिक्षा की नम्बर ही न हो, अरिन् लड़कियों की पिंडियाँ अपरम्परा को देखने पुरे उनके लिए नवीन पाठ्यायि वा निर्माण किया जाता।

६—व्यावसायिक-शिक्षा (Professional Education)

१८०५ नव व्यावसायिक-शिक्षा का प्रायः अनावस्या था। अपेक्षां से यो अवक्ष दाम चलाने के लिए जो थोड़े-बहुत व्यक्ति चाहिए थे उन्हीं से व्यावसायिक-शिक्षा का प्रयोग था। लाइफ-कर्टन द्वाय प्रभावित १८०५ से 'मरमर की शिक्षा-नीति' में यह स्थान गग था कि शिक्षा में विकास के दिग्नों का समावेश दरने यो आवश्यकता है। परिस्तर्म यह हुआ कि अनून, चिकित्सा, व्यापार, हाथ आदि व्यवसायों की शिक्षा देने के पालने बहुत नहीं

लग।^१ प्राय प्रत्यक्ष विश्व विद्यालय में ज्ञानन की शिक्षा दी जाने लगी, यवीला की साथा बढ़ने लगी। फट झालेजा महिने को कालेज की पाठायधि चलती थी, सायरसन कानून की थ्रेणियाँ लगती थीं, विद्यार्थी थीं। ए० री पढ़ाई सरत सरत एल० एल० थी० फो पढ़ाई भी कर लत थे। चिअस्त्मा के भी नय नय कालेज रखे। रिया ने भा डाइटरी पढ़ री शुरू की उनके लिए निजी में लेडी दूडियू वालेज खोला गया। विश्व विद्यालय ने व्यापार पढ़ाने के विभाग भी साल दिये माध्यमिक शिक्षा में व्यापार को भी एक वैकल्पिक पिप्पय के रूप में रख दिया गया। पुना ज्ञानपुर, रिवपुर, फलस्त्ता नागपुर तथा मैशपट में रुप की शिक्षा का प्रबन्ध १६ वीं शताब्दी में किया गया था। घोसर्ग शताब्दी के प्रारम्भ में एसा (बिहार) में रिसच इन्स्ट्राउट खोला गया जो बिहार के नूरगल के बाहर निजी ने आ गया।

अब यह अनुभव दिया जाने लगा है कि 'व्यापारिक शिक्षा' (Professional Education) की अपेक्षा भी 'ओपागिक शिक्षा' (Technical Education) की अधिक आवश्यकता है। यह दी उपर्युक्त इलाजाना में ही है उनक चलाने की योग्यता रखने याने व्यक्तियाँ या उत्पन्न करने में ही काम चलाना, अत शिक्षा शास्त्रिया या ध्यान अवश्य ओपागिक शिक्षा' (Technical or Industrial Education) की तरफ जाने लगा है।

७— ओपागिक शिक्षा (Technical Education)

अब तक हमारी राजा यिल्कुल दिलायी रहा है, दिलाया में भी अपेक्षा पढ़ने लियते वक ही सीमित रही है। उदाग की तरफ हमारा ध्यान बहुत कम गया है। सरपारी पामा के लिए जनत इर्जीनीयरों द्वारा आवश्यकता रही रवना का हा शिक्षा का जाता

२५ 'शिक्षा रास्ता'—सिद्धान्त, विधि, विधान, इतिहास

रही। १८५६-१८८८ के गोच में रुड़फ्टी, पन्ना, मद्रास तथा कनक्ता में चार इंजीनीयरिंग कालेज सुलेपे। उच्चतम पीढ़े जासर बनारस, लाहौर, काशी, पटना, वैगलूर, देवगढ़वाड़ तथा त्रिवेंद्रम में एंजीनीयरिंग कालेज स्थोले गये। १८८१ में वैगलूर में जै० एन० टाटा के दान से 'इंडियन इन्स्टीट्यूट' आॅक्स साइंस' सुना। अनेक विश्व विद्यालयों में 'आॅग्रोग्रिकल रसायन शाला' (Industrial Chemistry) को शिक्षा दी जाने लगी। रंग, साखुन, रेल, भित्र भित्र लायपश्चर्प तथा ओपध निर्माण की शिक्षा के लिए भी अनेक विश्व विद्यालयों ने प्रबन्ध लिये। बनिपुर में 'हाटेकोट' बटलर टैक्सोलोनिकल इन्स्टीट्यूट' तथा 'इंसीरिंगल इन्स्टीट्यूट' आॅक्स शृणुर टैक्सोलोजी' गोले परे जिनमें तेज तथा शक्ति-पृष्ठ अन्वेषण का प्रबन्ध किया गया।

'उद्योग' (Industry) के सम्बन्ध में हमें तीन प्रकार के व्यक्तियों की आवश्यकता है। (१) उद्योग सो चलाने वाले प्रबन्धक, मैनेजर आदि (२) निरीक्षक—कोरमेन आदि तथा (३) चक्र वारीगर-लेपर आदि। इस समय जो कालेज आदि रुक्के हुए हैं वे 'प्रबन्धकों' से तो पर्याप्त बहुत भूल भर दें हैं, ऐसे व्यक्तियों द्वारा उपभ्र कर रहे हैं जिन्हें 'उद्योग' के सम्बन्ध में बहुत ऊची शिक्षा मिल रही है, परन्तु इन्हीं ऊची शिक्षा मालिकों ने भी उच्च उद्योगों को चलानेवाले 'निरीक्षक' तथा 'चक्रवारीगर' भी दियारे पास दें। अब: बहुत ऊची से कुछ नीची शिक्षा देनेवाली, पोरमेन आदि उत्प्रभ करनेवाली संस्थाओं की आवश्यकता है। ऐसी संस्थाएँ भी देश में कई उत्पन्न हो गई हैं। यथाहौं पा 'पिक्टोरिया नॉन्यूट्रिनिटल इन्स्टीट्यूट', दूसरों का 'क्ला भवन', बनिपुर पा 'ग्रन्जमेनेट मेन्ट्ल ट्रैबसटाइल इन्स्टीट्यूट' एवं लेन्टर दर्मिंग 'फॉन', ये लोग 'सटल युड वर्किंग इन्स्टीट्यूट', वैगलूर य

'ट्रैक्सटाइल इनस्टीट्यूट'—इस प्रसार की शिक्षा दे रहे हैं। १६३७ में 'एट-युड रिपोर्ट' में जिम प्रसार की स्थिति खोलते रहे तिर्द्दिग्रि किया गया है 'उन आदर्शों का लेफर दिल्ली में 'पोलीटेक्नीक इनस्टीट्यूट' रखोला गया है जिसमें अवैक उण्ठोंगों को एक-साथ शिक्षा दी जाती है। देश का सभ्यते अधिक आवश्यकता चतुर-भवित्वों की है। 'प्रबन्ध और नियंत्रक' भी बेसार रहेंगा, अगर उन्हें उण्ठोंगों को चलाने वाले 'चतुर-कारीगर' नहीं मिलेंगे। 'एट-युड रिपोर्ट' का मत है कि प्राय सभमत्य जाता है कि कारीगर अरिहित ही होने चाहिये, परन्तु यह यात गलत है। अरिहित की अपेक्षा शिक्षित सारीगर अधिक अच्छा साम बनता है। शिक्षित, चतुर सारीगर को तथ्यार रखने के लिए 'जूनियर योर्स-शानल स्कूल' तथा 'सोनियर योर्स-शानल स्कूल' रखोले जाने चाहिये। जो यालक मिडिल पास रह आये, वे 'जूनियर योर्स-शानल स्कूल' में, और जो हाँह स्कूल पास रह आये, वे 'सोनियर योर्स-शानल स्कूल' में भर्ती हो जायें। ये स्कूल उण्ठोंग के केन्द्रों में स्थापित होने चाहिये। इन स्कूलों का नाम 'निरीक्षण' (कोरमेन आर्ट) तथा चतुर भवी, उशल पारीगर तथ्यार करना होना चाहिये।

अब तक हमारी दिलावी शिक्षा की तरफ जितना भ्यान रहा है उतना ही अब औरांगिर-शिक्षा की तरफ भ्यान देने की आवश्यकता है। यह आवश्यक नहीं कि औरांगिर शिक्षा यहूं पैमाने पर उण्ठोंग चलाने की ही शिक्षा है, बर नारतवर्षे की पर्दिपति को देख कर महात्मा गांधी के टाइपोलोल से छोटे पैमाने पर दी औरांगिर-शिक्षा इन की आवश्यकता हो गो वही है, परन्तु इसमें समंदर नहीं। इस शिक्षा शास्त्रियों का यत्न अब छिपायो शिक्षा में हट पर किया-मक्क शिक्षा की तरफ जा रहा है।